राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3 बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का सत्तहत्तरवां दिवस संख्या : 24

बुधवार

20 अप्रैल, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल जीनगर।

गंगरार के भवन रहित छात्रावास

397. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कौन-कौन से छात्रावास संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें.

(2) गंगरार क्षेत्र में संचालित छात्रावासों के कहां-कहां भवन बनाने शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भवन रहित छात्रावासों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी (चित्तौड़गढ़) के लिए छात्रावास खोलने व भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन दिलावर) : (1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में विभाग द्वारा निम्न तीन राजकीय छात्रावास संचालित हैं :-

1. राजकीय अम्बेडकर बालक छात्रावास, गंगरार।

(श्री मदन दिलावर)

2. राजकीय अम्बेडकर बालक छात्रावास, साडास।

3. राजकीय विमुक्त एवं घुमन्तू जाति बालक छात्रावास, राशमी।

(2) गंगरार क्षेत्र में संचालित निम्न स्थानों पर संचालित छात्रावासों के भवन बनाने शेष हैं :-

1. साडास 2. रांशमी

(3) जी हां। प्रश्न के भाग संख्या 2 के उत्तर में अंकित स्थानों पर खोले गये छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए भूखण्ड आबंटित करवा लिए गए हैं तथा भवन निर्माण के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जावेगी।

(4) ज़ी नहीं। इस वित्तीय वर्ष 2005-06 में नये राजकीय छात्रावास खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि छात्रावास के भवन राशमी के लिए गत दो वर्ष पहले राशि स्वीकृत की गई थी। क्या वह राशि स्वीकृत है? उसके आप आदेश जारी करना चाहते हैं, नम्बर एक। अब तक साडास और राशमी के लिए कितना-कितना किराया भवन का आप दे चुके हैं और जो किराये के भंवन में चल रहे हैं क्या उनमें सभी साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं? इसमें छात्र रहते हैं।

बस्सी के अंदर, गत वर्ष भी, गत वित्तीय वर्ष में मैंने आपसे निवेदन किया था कि बस्सी के अंदर छात्रावास खोलना है, उस समय भी आपने आश्वासन दिया था और इस वर्ष तो आपने मना ही कर दिया। तो मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बस्सी के छात्रावास का कहा है, बस्सी के समाज कल्याण विभाग का कोई छात्रावास नहीं है। वहां शिक्षा विभाग का एक छात्रावास था, वह किन्हीं कारणों से बंद हो गया होगा। समाज कल्याण विभाग का वहां कोई छात्रावास नहीं है। निश्चित रूप से वहां बिल्डिंग है। बिल्डिंग की जो मैंने जानकारी कराई है ठीक स्थिति में है। यदि शिक्षा विभाग हमको बिल्डिंग उपलब्ध करा देगा तो निश्चित रूप से हम इसी वर्ष वहां, हमारे पास क्योंकि छात्रावास उपलब्ध है पिछले वर्ष का, उसमें से एक छात्रावास वहां खोल देंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : मैं यह पूछ रहा हूं राशमी के लिए, राशमी और साडास में जो किराये के भवन में चला रहे हैं, जिस भवन में वह चल रहे हैं, जिस भवन में बालक रह रहे हैं, जो छात्रावास है। लेकिन जिस छात्रावास में बालक रह रहे हैं क्या सुविधाओं से उपयुक्त है या नहीं?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से किराये के छात्रावास में कुछ कमियां रहती हैं वह कमियां वहां भी हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन दो छात्रावास भवन में से एक छात्रावास भवन इसी वर्ष बनाने का प्रयास करेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : नहीं नहीं, आपके द्वारा राशि तो सैंक्शन है वित्तीय स्वीकृति ही तो जारी करना है। उसमें आपने सैंक्शन कर रखा है 30 लाख रुपये। उसमें देने में आपको दिक्कत क्या आ रही है?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्वीकृति अभी जारी नहीं हुई है, प्रशासनिक स्वीकृति निकली होगी और वह भी पुरानी है। पता नहीं पिछली सरकार ने उसको क्यों नहीं बनाया था लेकिन मैंने जैसा कहा है धनराशि उपलब्ध होते ही शीघ्र उसको बनाएंगे, उसका निर्माण करेंगे।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : मंत्रीजी, अभी तो आप कह रहे थे कि प्रावधान नहीं है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर : पिछले कांग्रेस के शासन में वोट बटोरने के लिए कांग्रेस ने स्वीकृत जारी की थी। लेकिन वित्तीय धन थोड़े उपलब्ध कराया है आपने? इसलिए हमारे मंत्री जी...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : इनका छबड़ा का कोटा पूरा हो जाए तब दूसरी जगह करेंगे। इनको सुविधाओं से क्या लेना देना इनकी तो खुद की... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैंने कहा कि नये छात्रावास खोलने का प्रावधान नहीं है नये बजट में। परन्तु निर्माण पर लेकर यह कह रहे हैं कि आपके पास प्रावधान नहीं है फिर कैसे बनाएंगे। हमने यह कहा है कि निर्माण की बात की कि निर्माण करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जावेगी। आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर।

श्री मदन दिलावर : हां।

श्री अध्यक्ष : यह लिखा है आपने।

श्री मदन दिलावर : हां, मैंने कहा ना।

श्री अध्यक्ष : पर है क्या आर्थिक संसाधन?

श्री मदन दिलावर : आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर

श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यहां अवगत कराया कि छात्रावासों में कुछ कमियां होती हैं। क्या-क्या कमियां होती हैं सदन को अवगत कराएं।

श्री मदन दिलावर : किराये के भवन में कई बार पर्याप्त स्थान नहीं हो पाता है, कई बार पर्याप्त वहां शौचालय उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, कम संख्या में हो पाते हैं, इस प्रकार की कमियां वहां रहती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर में कई ऐसे छात्रावास जब से बने, अब तक ऐसे भवनों की कभी कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुई और वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ऐसी जीर्ण-शीर्ण या जर्जर हालत में जो राजकीय भवन हो चुके हैं इनको ठीक कराने के लिए आपने कोई ठोस नीति अपनाई है या बनाई है या आगे क्या करने जा रहे हैं? बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर राजकीय समाज कल्याण छात्रावासों की हालत यह है कि जहां पर गधे भी नहीं बांधे जा सकते हैं ऐसी हालत में बालक अपना भविष्य बनाए, कैसे बनाएंगे वह अपना भविष्य? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम उनके रहने की समुचित व्यवस्था तो हो। एक कमरे के अंदर 12-12, 14-14 लोग रहते हैं। वह बालक कैसे पढ़ते होंगे? उनके पास न बिस्तर है, न खाट है, इतनी दयनीय हालत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बागड़ क्षेत्र के उस इलाके के अंदर...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए।

श्री जीतमल खांट : आप कोई ठोस नीति बनाये और इनके हालात पर कम से कम अपना चिन्तन करें।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष की चिंता वाजिब है और क्योंकि वहां टी.ए.डी. के, समाज कल्याण के, दोनों के छात्रावास हैं। हमने इस बार, पिछले पांच सालों से कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इस बार ढ़ाई करोड़ रुपये हमने ऐसे छात्रावासों की मरम्मत के लिए दिए हैं और वह पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रान्सफर कर दिए हैं। सारे के सारे छात्रावासों में जो कमियां हैं उन ढ़ाई करोड़ रुपये से हम पूरी करने का प्रयास करेंगे।

जहां तक इन्होंने कहा कि बिस्तर वगैरह नहीं है। हमने छात्रावासों के लिए नये बिस्तर, बैडशीट्स, तकिये, बर्तन वगैरह, और यहां तक नहीं, हमने तो कहा बच्चों के मनोरंजन के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो प्रत्येक छात्रावास में हमने 29 इंच का एक-एक टेलीविजन भी भेजा है। मेडिकल का किट बाक्स भी दिया है। हमने खेलकूद के सामान भी उपलब्ध करवाये हैं, यानि छात्रावासों की स्थिति को हमने पहले से काफी बेहतर कर दिया है।

पर मुझे दुःख है इस बात का कि यह जो माननीय सदस्य हैं, इन्होंने पांच साल तक अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ अत्याचार किया, उनके पक्ष में कुछ नहीं किया। वहां बच्चों की दुर्दशा होती रही और यह देखते रहे टुकर टुकर के और बच्चे तरसते रहे।

श्री सी.डी. देवल : आपने क्या किया?

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

श्री सी.डी. देवल : करोड़ों रुपये की घोषणा की (व्यवधान) वहां एक काम किया आपने? अध्यक्ष महोदय, सारे छात्रावास यह छबड़ा में लगवाए, लोगों के ट्रान्सफर करा-कराकर के ले गये। पहले इनका खुद का कोटा पूरा हो जाए फिर वह दूसरों की बात सोचे (व्यवधान) गरीबों से क्या लेना देना है, आपका घर भरना चाहिए।

श्री जीतमल खांट : यह आरोप-प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। लेकिन आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के समाज कल्याण अधिकारी प्रत्येक छात्रावास के हर बालक से 16 रुपये महीने का वसूल करवाता है। 16 रुपये, बांसवाड़ा जिले के अंदर, आज कम से कम 35 होस्टल्स चल रहे हैं।

(श्री जीतमल खांट)

एक बालक से 16 रुपये वसूल करवाता है पूरे जिले के अंदर । जब तक चौथ नहीं दी जाती तब तक वह चैक पर साइन नहीं करता है।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा लेकिन वहां पर जिस तरीके से लूट चल रही है वह आपके नोटिस में, ऐसे अधिकारी के खिलाफ, आप क्या करने जा रहे हैं यह भी सदन को अवगत करायें।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल आ जाए पहले।

श्री सुरेश मीणा : यह सारे अधिकारी कर रहे हैं करौली ..(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल आ जाए पहले।

श्री सुरेश मीणा : यह सारे अधिकारी कर रहे हैं, करौली का, गम्भीर मामला है...(व्यवधान) इसलिये ध्यान दिया जाए पूरा। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : मंत्रीजी बैठे पहले, मेरे को पुकारा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि बारां जिले में कई छात्रावास ऐसे हैं जो चपरासियों के भरोसे चल रहे हैं। उन छात्रावासों में जो अव्यवस्थाएं हैं, वह तो अपनी जगह हैं पर जो छात्रावास चल रहे हैं वह चपरासियों के भरोसे चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां वार्डनों के पद पिछले 5-5 सालों से खाली हैं। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो वार्डनों के पद खाली हैं छात्रावासों में क्या वह पद भरने की क्या योजना रखते हैं क्योंकि अव्यवस्था वार्डनों के पद खाली होने की वजह से है। कोई सम्भालने वाला नहीं है और केवल चपरासी के भरोसे वे छात्रावास चल रहे हैं। मैं यह भी निवेदन करूंगा, मेरा दूसरा सवाल है शाहबाद में जो अनुदानित छात्रावास चल रहे हैं, उन छात्रावासों को पिछले एक वर्ष से कोई अनुदान नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, अनुदान नहीं मिला पिछले एक वर्ष से तो क्या मंत्रीजी उन छात्रावासों को जो एक साल से प्राइवेट संस्था वाले छात्रावास चला चुके हैं उनको अनुदान क्यों नहीं मिला और कब तक उपलब्ध करवायेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सब एक साथ पूछेंगे, तो वे कन्फ्यूज हो जाएंगे, जवाब आने दीजिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि छात्रावासों में अव्यवस्था है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अनेकों छात्रावास इस स्थिति में चल रहे हैं कि वहां पर रसोइये के पद रिक्त हैं और छात्रावास में भोजन व्यवस्था के नाम पर छात्रों की जो सामग्री के लिये आप धन मुहैया करवाते हैं उसमें से कटौती करके बाजार से उनका खाना पकवा कर मंगवाया जाता है? यदि ऐसी स्थिति है तो कब तक आप ऐसे छात्रावासों में रसोइयों का प्रबन्ध करने वाले हैं?

श्री गोविन्द राम चौहान : मंत्री महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है.. (व्यवधान) मेरा बहुत महत्वपूर्ण क्वश्चन है इसमें सप्लीमेंट्री...

श्री अध्यक्ष : तो क्या वह महत्वपूर्ण नहीं थे।

श्री गोविन्द राम चौहान : नोखा में जब से बच्चों का एडमिशन हुआ है बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है लड़के अपने घरों में रहे रहे हैं, कोई किराये पर रह रहे हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस बिल्डिंग को आप कब तक बनाने की मंशा रखते हैं, दूसरा नोखा जसरासर...

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, यह प्रश्न अलग से है फलासिया का प्रश्न है यह, आप वहां का पूछ रहे हैं नोखा का...

श्री गोविन्द राम चौहान : यह बारां का भी पूछा है, बारां का भी पूछा है, सप्लीमेंटी है। इसी से रिलेटेड क्वश्चन है कि नोखा और जसरासर में जमीनें पड़ी हैं समाज कल्याण की। और फिर भी छात्र किराये पर रह रहे हैं। इसलिये आप उसमें बिल्डिंग्स बनाने की मंशा रखते हैं क्या?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक गम्भीर बात कही है कि इनके जिले में 16 रुपये प्रति बालक के हिसाब से हमारा अधिकारी रिश्वत लेता है। मैं निश्चित रूप से इसकी जांच कराऊंगा। और 16 रुपये नहीं, यदि एक पाई लेने का भी सिद्ध होता है तो उस अधिकारी को किसी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं, सख्त से सख्त जो कार्यवाही हो सकती है वह करूंगा। कोई माफ करने का सवाल ही नहीं उठता है किसी को।

श्री जीतमल खांट : मंत्रीजी, साल भर से लूट रहा है, आपने उसको प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है साल भर से, मैंने आपको लिखित में भी दिया है, आपसे निवेदन किया है। (व्यवधान) साल भर से आपको लिखित में हमने दे रखा है।

श्री मदन दिलावर : हमारे यहां समाज कल्याण अधिकारी कोई प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। समाज कल्याण अधिकारी कोई प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, आपकी जानकारी के लिये कह रहा हूं।

श्री जीतमल खांट : यह समाज कल्याण अधिकारी का पद तो खाली है लेकिन उसको कोई एडिशनल उसको चार्ज दे रखा है और साल भर से लूट रहा है। और मैंने आपके नोटिस में आपसे लिखकर के भी निवेदन किया है कि तब भी आपने साल भर से कोई कार्यवाही नहीं की है, अभी तक।

श्री मदन दिलावर : ऐसा नहीं है, मैंने कहा प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह : वह बात नहीं है, माननीय सदस्य ने लिखकर दिया उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, क्या एक्शन लिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरी बात तो सुनो.. (व्यवधान) आपके पापों को धो रहा हूं, वह तो सुनते नहीं हो।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्रीजी, आपको लिखित में दिया है 4 महीने पहले आपने क्या कार्यवाही की। और आपकी नीयत साफ होती तो 4 महीने पहले लिखित में होने पर कार्यवाही कर देते।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनें, माननीय सदस्य। मंत्रीजी का जवाब सुनें, बिना अनुमति के नहीं बोलेंगे, मंत्रीजी का जवाब सुनिये।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं जैसे ध्यान नहीं है जबकि सारा प्रकरण इनके ध्यान में है, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, गुमराह कर रहे हैं... (व्यवधान) पहले सुनिये आप उन्हें, पहले सुनिये आप उन्हें। आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय सदस्य ने लिखकर दिया उसकी कार्यवाही के बारे में भी आप बतायें।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जो भी इस प्रकार के प्रकरण ध्यान में आते हैं तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करता हूं। मैंने स्वयं ने भीलवाड़ा के डिप्टी डाइरेक्टर को इसलिये निलम्बित किया है कि वहां अव्यवस्था थी; वहां शिकायतें थीं। (व्यवधान) सुन लें, यही नहीं, और यही नहीं, मैंने यहां तक किया है कि कोई छात्रावास में अधिकारी हमारा परीक्षण के लिये जाता है और वहां बच्चे अनुपस्थित मिलते हैं और बच्चे नहीं रहते हैं, इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं। तो जब से छात्रावास अधीक्षक वहां है तब से उसका एवरेज जोड़ते हैं, कितने बच्चे नहीं रहे होंगे और उसकी राशि को जोड़कर के उस छात्रावास अधीक्षक से और आधी राशि उस जिले के समाज कल्याण अधिकारी से वसूल करने के लिये मैंने आदेश दे दिये हैं। अजीतगढ़ छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ तो मैंने साढ़े पांच लाख की रिकवरी वसूली है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आप तो बांसवाड़ा वाले के लिये क्या करने जा रहे हैं? आप उसको हटाओ।

श्री मदन दिलावर : मैं कह रहा हूं, जांच कराता हूं और जांच सही पाये जाने पर, दोषी पाया जाएगा तो किसी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं एक-एक पाई वसूल करूंगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : लिखने के बाद आज तक आपने क्या कार्यवाही की। (व्यवधान) आप तो इतना बता दीजिए, लिखने के बाद आपने क्या कार्यवाही की आज तक।

श्री जीतमल खांट : बांसवाड़ा के उस अधिकारी को आप निलम्बित करो। आज साल भर से उसको कहां बैठा रखा है। उसको निलम्बित करो सीधा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, जो सदस्य मेरी बिना अनुमति से प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब देना कोई आवश्यक नहीं है। मैंने कहा एक-एक करके माननीय सदस्य प्रश्न पूछें। बार-बार खड़े हो जाते हैं आप लोग, एक-एक करके प्रश्न पूछें तो जवाब देंगे वे।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी ने कहा है कि उस अधिकारी के बारे में मैं जांच करवाकर, अगर दोषी पाया गया तो दण्डित किया जाएगा।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले का प्रश्न है, बांसवाड़ा जिले का प्रश्न है।

श्री नाथूराम अहारी : एम.एल.ए. कहता है वह नहीं मानेंगे आप और किसी से जांच कराएंगे। सम्बन्धित एम.एल.ए. है वह आपको कह रहा है, वह तो आपको असत्य लग रहा है और क्या जांच कराएंगे आप?

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में लाया हूं और इसके बावजूद भी साल भर से वह आदमी पूरे जिले के आदिवासी छात्रों का इतने बड़े पैमाने पर एक बालक से 16 रुपये वसूल करता है इससे बड़ा और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है?

श्री अध्यक्ष : वह जांच तो करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आप उसको सीधा कहिये, उसको सस्पेंड करने के लिये आप आदेश करिये।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। बागीडोरा के सदस्य ने आपको साल भर पहले, 6 महीने पहले लिखकर दिया, मेरी नालेज में भी है उसके सम्बन्ध में आपने अभी तक क्या कार्यवाही की? उस कार्यवाही के बारे में बतायें। और आपने माननीय सदस्य की लिखित शिकायत पर कौन कौन से, मंत्री महोदय, माननीय सदस्य की शिकायत पर कौन-कौन से छात्रावास की जांच करवायी, कौन-कौन दोषी पाया गया और अभी तक आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री प्रमोद जैन "भाया" : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बारां जिले के समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में रसोइये का काम छात्रों के द्वारा करवाया जाता है?

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि शाहबाद में जो छात्रावास अनुदानित हैं उन अनुदानित छात्रावासों को एक वर्ष से अभी तक अनुदान का एक पैसा भी ज्वाइंट डाइरेक्टर के द्वारा बारां को नहीं मिला। इस सवाल का जवाब चाह रहा था, अभी तक क्यों नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है आपका, आपका प्रश्न अलग से है।

एक माननीय सदस्य : बांसवाड़ा की बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बात हो रही है गंगरार की, आप ले गये हैं शाहबाद।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने अनुदानित छात्रावासों के बारे में चर्चा की, मैं समझता हूं कि मेरी जानकारी में नहीं है। परन्तु मैं आज ही, मेरे समाज कल्याण विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव हैं उनको निर्देश देता हूं कि अनुदानित छात्रावासों का यदि अनुदान बनता है और किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं हैं तो निश्चित तौर पर 15 दिन के अन्दर उनका भुगतान कर दें। यह मैं निर्देश दे रहा हूं। यही नहीं, यह कहा गया है कि छात्रावास में बच्चे भोजन बनाते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कहीं भी। यदि ऐसा होगा कहीं, कोई छुट्टी चली गयी हो महिला उस कारण से कोई 1-2 दिन ऐसा हो गया हो तो मैं यह कहता हूं कि किसी भी प्रकार से बच्चों को भोजन बनाने में हम नहीं लगायेंगे। हमारे यहां जो रसोइया है वह भोजन बनायेगा, यह मैं आपको कह रहा हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय सदस्य ने पूछा, 4 माह पहले लिखा, उस पर क्या कार्यवाही की।

श्री मदन दिलावर : मुझे स्पेस्फिक बतायें कि अमुक छात्रावास में यह है तो मैं समझता हूं मैं कल ही ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। किसी कारण से हो, मेरी जानकारी में नहीं है कि राजस्थान में कहीं भी बच्चे अपना भोजन बनाकर स्वयं खाते हों। हमारे यहां अंशकालीन रसोइया रखा हुआ है।

श्री प्रमोद जैन "भाया" : आप राजस्थान की बात कर रहे हो, पहले बारां जिले की व्यवस्था तो सुधारो आप। मंत्री महोदय, आप एक कमेटी बना दें और कमेटी से जांच करवा लें। मैं एविडेंस करवा देता हूं। रोज का काम है, रोज बच्चों से भोजन बनवाया जाता है।

श्री हेमराज मीणा : खाली जगह का क्या करेंगे? चपरासियों के भरोसे ....

श्री मदन दिलावर : बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक साल पहले लिखकर दिया है। मैं कहता हूं कि मेरे को एक साल पहले लिखकर नहीं दिया। लगभग 15-20 दिन पहले मेरे से उन्होंने चर्चा की है और लिखकर दिया है। मैंने इसकी जांच के लिये निदेशक, समाज कल्याण को लिख दिया है कि शीघ्र ही मुझे इस जांच से अवगत करायें। निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। और जांच

(श्री मदन दिलावर)

में मैं पहले भी कह चुका हूं कि दोषी पाया गया तो किसी भी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। मैं यह भी कह रहा हूं कि यहां पर बिल्डिंग की बात इन्होंने यहां पर की है।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी, मैंने आपको छह महीने पहले निवेदन किया था और लिखकर दिया है और आप कह रहे हैं कि...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : छह महीने पहले नहीं दिया।

श्री जीतमल खांट : मैंने कहा कि यह भ्रष्ट अधिकारी है। छह महीने पहले लिखकर दिया है मैंने। छह महीने में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, क्या मतलब है, मुझे आप यह बताइये, समझ में नहीं आता है। मैं आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को वहां से हटाया जाए।

श्री हेमराज मीणा : माननीय मंत्री महोदय, सबसे पहले तो आप यह बताओ कि.. (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह बताओ कि 12 महीने में कितने अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्यवाही की है? 12 महीनों में अपने कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की? आप आज तक क्या 18 महीनों में... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां जिले में 17 छात्रावास ऐसे हैं.. (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : समाज कल्याण अधीक्षकों के खिलाफ मैंने कार्यवाही की है। जिला अधिकारियों के खिलाफ मैंने कार्यवाही की है।

श्री श्रवण कुमार : यह जो अपना जिला ही ठीक नहीं कर सकते हैं वह... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपकी तरह नहीं हूं मैं।

श्री सी.डी. देवल : यह 12 महीने की उपलब्धि है आपकी कि... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक पाई भी कोई खाएगा समाज कल्याण विभाग की, नाक के बल निकलवा लेगी यह सरकार।

श्री श्रवण कुमार : छात्रावासों की हालत छुपी नहीं है।

श्री मदन दिलावर : किसी को नहीं खाने का अधिकार, बच्चों का पैसा।

श्री हेमराज मीणा : खाली जगहों का क्या करेंगे? खाली जगह बच रही है आपके छात्रावासों में।

श्री जीतमल खांट : आप पर हमारा कोई आरोप नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को वहां पर क्यों बैठा रखा है? हम आपसे कम से कम यह चाहते हैं कि पूरे बांसवाड़ा जिले में... (व्यवधान) आपसे कम से कम यह चाहता हूं कि पूरे बांसवाड़ा जिले में एक छात्रावास का पैसा खाता है परन्तु पूरे बांसवाड़ा जिले के हमारे छात्रावासों का खाता है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में एक मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एक समय में एक बोलिये।

श्री जीतमल खांट : ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को क्यों बैठा रखा है?

श्री अर्जुन सिंह : मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं।

श्री जीतमल खांट : आप सदन में घोषणा क्यों नहीं करते हो यह। छह महीने हो गये, आपने उस अधिकारी को क्यों नहीं हटाया?

श्री श्रवण कुमार : छात्रावासों में लाइट नहीं है, पंखा नहीं है।

श्री जीतमल खांट : क्यों बैठाया है? इतना बड़ा गम्भीर मामला है। बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के साथ, आदिवासी छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है, आप कम से कम इस अधिकारी को वहां से हटायें।

श्री हेमराज मीणा : माननय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे राजस्थान का कह रहा हूं कि जो खाली जगह है, जिन छात्रावासों में जगह खाली है और अब चौकीदार के भरोसे छात्रावास चल रहे हैं, अब उन चौकीदार के भरोसे चलने वाले छात्रावासों में अधीक्षक लगाने की क्या सरकार की योजना है?

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : एक प्रश्न मेरा भी है, साथ ही मेरा उत्तर दे दीजिए। आपके सदन में यह बताया कि लिखकर नहीं दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री अर्जुन सिंह : आपने यह स्वीकार किया कि 15 दिन पहले लिखकर दिया जाना चाहिए। चलो 15 दिन पहले मैं मान रहा हूं। मैं इसके साथ आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप उस जांच को करने से पहले उस सम्बन्धित अधिकारी को हटाने की व्यवस्था करने की मंशा रखते हैं और उनको हटाकर जांच करवाएंगे या उनको वही रखकर जांच कराएंगे? इस बात का जवाब आप दे दीजिए।

श्री जीतमल खांट : मैं तो अध्यक्ष महोदय, इतना ही कहना चाहूंगा कि मंत्रीजी सीधा हटाये इसको पहले। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : नहीं, जांच करने से पहले क्या आप उस सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी को वहां से हटाकर जांच करवाएंगे या वहां रहने के बाद में भी वह...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : आप दो-दो खड़े एक साथ हो जाते हैं। अब सुनिये आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सात दिन के अन्दर अन्दर ही जांच रिपोर्ट मंगवाऊंगा और उस जांच रिपोर्ट में एक परसेंट भी उसकी गलती पायी जाती है, दोषी पाया जाता है तो किसी भी कीमत पर बख्शूंगा नहीं, उसको निलम्बित करूंगा। किसी भी कीमत पर छोडूंगा नहीं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मैंने जो प्रश्न पूछा है, उस अधिकारी को हटाने की बात की है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री अर्जुन सिंह : मैंने प्रश्न पूछा है अधिकारी को हटाकर जांच करने का। मैंने और कोई नहीं पूछा, वे हटाकर जांच करवाएंगे या वैसे कराएंगे? जांच करवाएंगे, यह तो हम समझ गये।

श्री अध्यक्ष : यह भी स्पष्ट कर दीजिए, मंत्रीजी।

श्री अर्जुन सिंह : आप स्पष्ट कर दो पहले कि उस अधिकारी को वहां से हटाकर जांच कराएंगे या उस अधिकारी को वहां ही...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मदन दिलावर : जिस दिन मेरा जांच अधिकारी वहां जांच करने के लिए जाएगा उन दिनों समाज कल्याण अधिकारी वहां नहीं रहेगा, हैड आफिस बुला लेंगे तब जांच करेंगे और यदि वह दोषी नहीं पाया गया तो कोई कार्यवाही नहीं होगी और दोषी पाया गया तो दंडित किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब बातें कह दी उन्होंने, आप बैठिये।

श्री अर्जुन सिंह : क्या उस अधिकारी के रहते हुए वह जांच प्रभावित होगी या नहीं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जांच के दौरान वे वहां पर नहीं रहेंगे और सात दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी और क्या चाहते हैं?

श्री अर्जुन सिंह : रहते हुए जांच प्रभावित होगी या नहीं? अगर आप हटाने की व्यवस्था नहीं करते हैं तो... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : किसी भी कीमत पर जांच प्रभावित नहीं होगी।

श्री अर्जुन सिंह : उस अधिकारी को हटाकर जांच करवा सकते हैं।

श्री मदन दिलावर : मैंने कहा कि जिन दिनों में जांच होगी वह वहां उस जिले में नहीं रहेगा। यदि अगर जांच में दोषी नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : जांच का क्या असर होगा, आप बताइये।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन दिलावर : मैं कह रहा हूं जांच प्रभावित नहीं होगी। जिस दिन जांच करेंगे मेरे अधिकारी, वह वहां नहीं रहेगा, उस दिन जिले में नहीं रहेगा।

श्री अर्जुन सिंह : आप पहले हटवाकर जांच करवा दीजिए और दोषी नहीं पाया तो रख देना वापस। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : आप विधान सभा की कमेटी गठित कर दो, हम जाकर आये हैं वहां पूरे हालात खराब हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : कुछ सुन लिया करो और सुनकर बाद में कानों का मैल निकाल कर, उसके बाद बोलो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री अर्जुन सिंह : सरकार ढिंढोरा पीट रही है एस.सी., एस.टी. के नाम पर और यह दिख रहा है सामने परिणाम कि छह-छह महीनों तक जांच नहीं हो रही है।

राज्य के खेल स्टेडियम रहित तहसील मुख्यालय

398. **श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)** : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किन-किन तहसील मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम बने हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रहे तहसील मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

युवा एवं खेलकूद मंत्री (श्री युनूस खान) : (1) राजस्थान में सूची परिशिष्ट "क" में वर्णित तहसील मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम बने हुए हैं।

(2) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना के अनुसार जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम के विकास का कार्यक्रम लिया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री कैलाश त्रिवेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने खण्ड-2 में बताया कि भारत सरकार द्वारा क्रियान्विति योजना के अनुसार जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम विकास का कार्यक्रम लिया जा रहा है। भारत सरकार को भी आप धन्यवाद दें, हम भी दें। क्या राजस्थान सरकार तहसील मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम बनाने का कोई विचार रखती है? क्या राजस्थान की 70 परसेंट आबादी जो गांवों में रहती है, खेल विभाग और शिक्षा विभाग, दोनों मिलकर यहां तहसील मुख्यालय है, पंचायत समिति मुख्यालय है, वहां पर खेल स्टेडियम बनाने का आप विचार रखते हैं? क्या अभी जो अभावग्रस्त तहसीलें और पंचायत समिति मुख्यालय है, वहां जो अकाल के काम चल रहे हैं

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

उनमें उन खेल मैदानों का, खेल मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्रीजी, जो पंचायत समिति में एस.जी.आर.वाई, एस.एस.पी. का पंचायत समितियों को तीन-तीन, चार-चार लाख रुपया मिलता है, उस पैसे को डावटेल करके पंचायत समितियों के अभावग्रस्त तहसीलों को खेल मैदान बनाने का विचार रखते हैं? या इन सभी चीजों को छोड़कर यह सरकार किसी भी तहसील मुख्यालय पर खेल मैदान बनाने का विचार नहीं रखती है। और क्या यह भी सही है कि जो 17 तहसील हैडक्वाटर्स पर, माउंट आबू में और अन्य जो खेल मैदान बने हुए हैं, तहसील मुख्यालयों पर, जहां से राजस्थान स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के सबसे अधिक खिलाड़ी राजस्थान से निकले हैं? यह आप जवाब दें।

श्री युनूस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तहसील मुख्यालयों की बात कही। तहसील मुख्यालय तक अभी बजट के अनुसार, अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है। लेकिन इस साल बजट को अन्दर छह जिला मुख्यालयों पर नये स्टेडियम का निर्माण करने का राजस्थान सरकार विचार रखती है। जहां तक भारत सरकार की बात है, पहली बार भारत सरकार ने अपने बजट के अन्दर जो पैसा देते थे, उसके लिए या तो हम यहां पर योजना बनाकर भेजते थे। लेकिन अब की बार पहली बार राज्य सरकारों को सीधा पैसा भारत सरकार देगी। लेकिन अभी तक 2005-06 में बजट में इस राशि का आबंटन हमें नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणा उसकी हुई है। तो घोषणा होने के बाद जो राशि हमें उपलब्ध होगी, उसके अनुसार हम योजना बनाएंगे लेकिन हाल फिलहाल तो तहसील मुख्यालयों पर कोई नगरपालिका या कोई अन्य पंचायत समिति कोई बनती है, वही खेल स्टेडियम बनाती है। 17 स्टेडियम ऐसे हैं जिनको हमने राजस्थान खेल अनुदान नियम, 1986 के तहत 25 परसेंट राशि या दो लाख रुपये दोनों में से जो अधिक है, उसी का दिया है और जहां तक आपने अकाल राहत की बात कही है, इसमें तो माननीय अकाल राहत मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी ही जवाब दे पाएंगे। लेकिन हम विचार यह रखते हैं कि जिलों के बाद में अगली बार जब भी कोई योजना बजट आएगा तो तहसील मुख्यालयों को लेने का प्रावधान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री विजय बंसल।

विधायक कोष की राशि से गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विकास कार्य

399. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार में सांसद कोटे की राशि से गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्य करवाये जाने का प्रावधान है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में विधायक कोष से गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्य कराने का प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार विधायकों को अपने कोष की राशि में से 30 प्रतिशत राशि गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विकास कार्यों हेतु व्यय करने की अनुमति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। विशेष प्रकरणों में कार्यों का क्रियान्वयन पंजीकृत संस्था/गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान/पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्था के द्वारा भी कराया जा सकता है परन्तु उक्त संस्थाओं को प्रस्तावित कार्य की कुल लागत की कम से कम 30 प्रतिशत राशि की भागीदारी देने की शर्त पर ही कार्यकारी एजेंसी बनाने का प्रावधान है। तीस प्रतिशत की राशि एन.जी.ओ. की भागीदारी की राशि होने के कारण इस राशि को विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कोष से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

श्री विजय बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूछना यह है कि जो सांसद कोटे में 30 प्रतिशत का रिलेक्सेशन दिया हुआ है क्या राज्य सरकार का इसी तरह से विधायक कोटे से एन.जी.ओ. के कार्य कराने में 30 प्रतिशत का रिलेक्सेशन देने का कोई विचार है?

नम्बर-दो, क्या विधायक कोटे की राशि किसी ऐसे प्राइवेट कालेज में लग सकती है जिसमें विधायक खुद उसका मैनेजिंग डाइरेक्टर हो? नम्बर तीन-सोजत सिटी में ऐसे प्राइवेट कालेज में तत्कालीन विधायक ने राशि उपलब्ध कराई थी, क्या सरकार उसकी जांच कराने का विचार रखती है?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि सांसद कोटे में जिस तरह का रिलेक्सेशन है क्या सरकार ऐसा रिलेक्सेशन कर रही है? अध्यक्ष महोदय, हमारी जो गाइड लाइन के अनुसार विधायक विकास कोष की बनायी गयी है उसमें सांसद कोटे से इसमें यह फर्क रखा गया है कि कोई भी एन.जी.ओ. इस तरह के पैसे का मिसयूज कर सकता है। इसी कारण 30 प्रतिशत पैसा उस कार्यकारी संस्था के द्वारा जमा कराने का प्रावधान रखा है। अभी इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। माननीय सदस्यों में से कई माननीय सदस्यों ने मुझे इसमें चेंज करने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं। हम गाइड लाइन को रिवाइज कर रहे हैं, उस समय इस पर विचार करेंगे।

जहां तक दूसरा आपने पूछा कि प्रावइेट कालेज या कोई भी संस्था हो, और उसमें विधायक सदस्य हैं तो ऐसी संस्था में कोई पैसा विधायक कोटे का नहीं लगाया जा सकता। आपने एक प्रश्न पूछा कि सोजत के अंदर कालेज में इस तरह का पैसा लगाया गया है जिसमें विधायक उस ट्रस्ट के सदस्य हैं तो यह तथ्य मेरी जानकारी में भी आया है। मैं इसकी जांच करवा लूंगा और उसमें अनियमितता हुई होगी तो जो भी कार्यवाही हो सकेगी, निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो 30 प्रतिशत की राशि एन.जी.ओ. के द्वारा लगाये जाने पर ही उसको कार्यकारी एजेन्सी बनाने का जो नियम और डाइरेक्शन आपने दिया है, मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक कोष से किसी भी एन.जी.ओ. को, जो भी आपने डायरेक्शन प्रेस्क्राइव कर रखा है, उसको अपने विधायक कोष से कार्यकारी एजेन्सी बनाया जा सकता है। अगर विधायक कोष से जैसे ही हम पैसा उनको ट्रांसफर करते हैं, कार्यकारी एजेन्सी बनाते हैं और हास्पिटल की बिल्डिंग बनवाते हैं तो जब तक वह 30 प्रतिशत पैसा एन.जी.ओ. या मेडिकल रिलीफ सोसायटी, जिसको हम कार्यकारी एजेन्सी बनाते हैं, जब तक वह 30 प्रतिशत पैसा नहीं लगायेगी, जब तक वह कार्यकारी एजेन्सी नहीं रह सकेगी। यह जो डाइरेक्शन है, आपका यह बहुत ही फोल्टी डायरेक्शन है, एन.जी.ओ. के मार्फत काम कराने की, वह कार्यकारी एजेन्सी है। आपने शर्त यह लगा दी वह 30 प्रतिशत पैसा अपने पास से मिलायेगा जब कार्यकारी एजेन्सी वह बन सकेगा। नहीं तो वह कार्यकारी एजेन्सी बन ही नहीं सकेगा। इसमें जो व्यावहारिक डिफिकल्टीज जो है इसमें एक-एक चीज समझ में आती

(श्री हरिमोहन शर्मा)

है कि इसके पीछे जो सोच है, जैसे मैंने मेडिकल रिलीफ सोसायटी का एक उदाहरण है हिण्डौली का, पी.एच.सी. बिल्डिंग में काम करने का, मैंने मेडिकल रिलीफ सोसायटी को एन.जी.ओ. बनाया। फौरन उन्होंने डायरेक्शन दिये आपके हिसाब से, कि 30 प्रतिशत राशि यह मेडिकल रिलीफ सोसायटी देगी। जब यह उस बिल्डिंग का निर्माण कर सकती है, यह कौनसा कानून है, बाकी से काम कराते हैं अपन, 30 प्रतिशत की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी सरकारी एजेन्सी से काम कराओ तो 30 प्रतिशत राशि की छूट उस सरकारी एजेन्सी को है तो यह चर्चा का विषय है कि सरकार के इन लोगों की यह मंशा है कि अगर जो 30 प्रतिशत का जो कम्युनिकेशन गैप है, प्राइवेट एजेन्सी को, तो वह जब ही बनने देंगे जब 30 प्रतिशत राशि वह दे देंगे। और खुद की एजेन्सी के लिये 30 प्रतिशत की छूट है क्योंकि 30 प्रतिशत का जो निर्माण में गैप है, उसका लाभ यह तो उठा लें। लेकिन एन.जी.ओ. को अगर हम प्राइवेट एजेन्सी के रूप में आपके हिसाब से दें तो मेडिकल रिलीफ सोसायटी 30 प्रतिशत क्यों जमा करायेगा? जो रजिस्टर्ट ट्रस्ट है, वह क्यों जमा करायेगा? वह खुद के लिये कोई बिल्डिंग बनाये तो यह चीज आपकी हो सकती है कि 30 प्रतिशत पैसा आपको देना पड़ेगा, लेकिन इनको हम कार्यकारी एजेन्सी बनायेंगे, दूसरे हास्पिटल बिल्डिंग के लिये, स्कूल की बिल्डिंग के लिये तो वह 30 प्रतिशत जो उन पर प्रतिबन्ध है, वह गलत है और उसको हटाया जाना चाहिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एन.जी.ओ. से काम कराने पर 30 प्रतिशत राशि पहले लेने के बारे में ऐतराज किया और आपने कहा कि यह फाल्टी डायरेक्शन है। और यह पहले 30 प्रतिशत पैसा नहीं लिया जाना चाहिये, जैसे सरकारी संस्थाओं से लेते हैं वैसे हो। अध्यक्ष महोदय, यह जो हमने गाइड लाइन बनाई, उसमें स्पष्ट मंशा है कि ऐसे कई एन.जी.ओ. हैं, जिनके कई बार उदाहरण आते हैं कि उनको यदि पहले पैसा दे दो और पैसे को खाकर भाग जाये और फिर सरकार उससे वसूल करे, उसकी जांच करे और विधायक कोष का काम रुक जाये। विधायक विकास कोष का काम रुक जाये तो इसी चीज को चैक एण्ड बैलेंस करने के लिये यह शर्त रखी गयी है कि कोई भी एन.जी.ओ. अगर काम करता है तो 30 प्रतिशत उसका पहले जमा कराना पड़ेगा। अगर आपको यह शंका है कि हमको तो जल्दी पैसा चाहिये और एन.जी.ओ. नहीं लगा सकता है। तो आप सरकारी

(श्री कालूलाल गुर्जर)

एजेन्सियां हैं, जिसमें पी.डब्ल्यू.डी. हैं या और भी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं करती हैं उनमें एक रुपया लगाने की जरूरत ही नहीं है। सारा पैसा विधायक कोष का उसमें लगाया जा सकता है। माननीय सदस्य को मैं यह सलाह दूंगा कि आप अगली बार जब भी इस तरह की स्वीकृतियां जारी करें तो सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कर दें और यदि एन.जी.ओ. 30 प्रतिशत दे सकता है तो उसी को दें, नहीं तो नहीं दें।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल रिलीफ सोसायटी... (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल : फिर इन संस्थाओं को 20-25 प्रतिशत कमीशन कौन देगा? उनके घोटाले के लिये कौन जिम्मेदार होगा?

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. का एस्टीमेट इतना हैवी है... (व्यवधान)

श्री विजय बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं जो सोजत सिटी के बारे में मैंने कहा था कि नोर्म्स के अंगेस्ट 10 लाख रुपये उस प्राइवेट कालेज में दिये गये। जिस अधिकारी ने वह नोर्म्स का उल्लंघन किया, जैसेकि आपने कहा कि नोर्म्स के अंगेस्ट नहीं दे सकते। क्या सरकार उस अधिकारी के खिलाफ कोई जांच कराने का विचार रखती है?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने इतना स्पष्ट कहा कि मेरे नोटिस में यह मामला अभी आया है। मैं इसकी तुरन्त जांच करवाऊंगा, जो भी कार्यवाही हो सकती है, सारी कार्यवाही करूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेडिकल रिलीफ सोसायटी का जो अध्यक्ष है, हैड क्वार्टर पर एस.डी.ओ. रहता है... (व्यवधान) सोसायटी है वह मेडिकल रिलीफ सोसायटी जिस मकान को, जिस कमरे को हमको 80 हजार में बनाकर देती है, पी.डब्ल्यू.डी. उसका डेढ़ लाख रुपये का एस्टीमेट बनाती है। और आप जो मेडिकल रिलीफ सोसायटी है, जिसमें आपका आफिसर इंचार्ज उसका है, जिसके लिये कौनसी पाबन्दी है, वह कहां से लायेगा? वह 80 प्रतिशत हजार में एक कमरा बना रहे हैं और पी.डब्ल्यू.डी. का एस्टीमेट आता है सुपरविजन चार्जेज के साथ वह डेढ़ लाख का आता है तो यह जो अन्तर-विरोध है और जिससे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो आपको विचार करना चाहिये कि मेडिकल

(श्री हरिमोहन शर्मा)

रिलीफ सोसायटी जैसी संस्थाएं हैं जो ऐसे एन.जी.ओ. हैं, जिन पर आपको शक है, उनको मत दो, लेकिन जो रजिस्टर्ड सोसायटीज हैं, जो को-आपरेटिव सोसायटीज हैं, जल प्रवास समितियां हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, सरकारी हैं, उनको तो 30 प्रतिशत की पाबन्दी हटाओ।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने मामनीय सदस्य को पता नहीं ध्यान नहीं हैं। मैंने यह उत्तर दिया है कि कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं कि इस 30 प्रतिशत पर विचार करें। मैंने कहा कि विचार करेंगे। आप यही कह रहे हो, विचार करो तो करेंगे विचार।

श्री हरिमोहन शर्मा : जिसके आधार पर आपको छूट दे दें। एम.पी. और विधायक कोष में क्या अन्तर है? वह भी सरकारी पैसा है और यह भी सरकारी पैसा है। एम.पी. का भी वही मापदण्ड है और विधायक का भी वही मापदण्ड है। पैसा दोनों ही सरकारी है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक सरकारी पैसे के लिये तो आपका मापदण्ड यह हो. एक सरकारी पैसे के लिये दूसरा मापदण्ड हो। आप सरकारी एजेन्सियों को जो इस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको 30 प्रतिशत का मार्जिन देते हो आप, 30 प्रतिशत का मार्जिन है उनका।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी : प्रश्न संख्या 400.

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछूंगा कि 60 लाख रुपये के बजाय क्या मंत्रीजी एक करोड़ रुपये करने का विचार रखते हैं ताकि विकास के काम ज्यादा हों अपने विधान सभा क्षेत्र में।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

अनेक माननीय सदस्य : बोलो, मंत्रीजी, जवाब दो।

श्री हेमराज मीणा : माननीय सदस्यों को अपने विधान सभा क्षेत्र के लिये 60 लाख रुपये का प्रावधान सरकार ने कर रखा है। मैं मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि 60 लाख रुपये बहुत कम हैं। क्या सरकार इसको बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का विचार रखती है क्या? यह सभी माननीय सदस्यों की राय मैं सदन के सामने रख रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री विजय बंसल : जवाब अवश्य दिया जाये।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री बाबूलाल खराड़ी।

फलासिया के आदिवासी/जनजाति के व्यक्तियों हेतु स्थाई रोजगार

400. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्थाई रोजगार के अभाव में विधान सभा क्षेत्र फलासिया के आदिवासी, बनवासी, गमेती, गरासिया, भील, मीणा आदि प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में रोजगार की तलाश में गुजरात, उदयपुर या अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रतिवर्ष रोजगार की तलाश में अन्यत्र प्रवास/पलायन के कारण इन अनुसूचित जनजातियों का जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही इनके बालक शिक्षा से वंचित रह जाने को मजबूर हैं?

(3) क्या सरकार इन अनुसूचित जनजाति आदिवासी वनवासियों के लिये स्थाई स्थानीय रोजगार उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) जी नहीं।

(2) रोजगार की तलाश में अन्यत्र प्रवास के कारण फलासिया विधान सभा क्षेत्र के आदिवासियों के बालक शिक्षा के वंचित नहीं रहते हैं, क्योंकि रोजगार की तलाश में मुख्यतः परिवार का मुखिया ही जाता है। परिवार के बच्चे आदि अपने मूल निवास पर ही रहते हैं जो कि क्षेत्र में उपलब्ध संस्थाओं में अध्ययन कर सकते हैं।

(3) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण, आय सृजन संबंधी योजनाओं एवं स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने लिखा है स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं आय सृजन संबंधी योजना, तो स्थाई परिसम्पत्तियां क्या होंगी, यह बताने की कृपा करें।

श्री कनकमल कटारा : यह स्थायी रोजगार की दृष्टि से भवन निर्माण और अन्य कार्य, जैसे पूरे टी.एसी.पी. क्षेत्र के अन्तर्गत यह पूरा झाड़ोल, फलासिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यह पूरे क्षेत्र के लोग अपनी कृषि से और कुछ आय सृजित करते हैं। इसके अलावा और अधिक आय प्राप्त करने के लिए वह गुजरात या आस-पास के क्षेत्र में कोई न कोई काम, जैसे स्थायी निर्माण की दृष्टि से कोई काम जानता हो या ईट भट्टे पर, इस प्रकार के काम के लिए अपनी आय सृजित करने के लिए वहां जाता है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यह रहा है कि पूरे टी.एस.पी. क्षेत्र में, झाडोल, फलासिया का तो मैं निवेदन कर ही रहा हूं, पूरे क्षेत्र के अन्दर पूर्णतः इस क्षेत्र का विकास हो। इसके लिए हमने सामुदायिक जलोत्थान योजना, जैसा आपने उनके पलायन का कहा है। पलायन से मैं यह कह रहा हूं कि पूरे क्षेत्र में अपने निवास स्थान को छोड़ कर जाने सम्बन्धित है, यहां पर यह पद्धति है कि जहां आय के लिए, अधिक आय सृजन के लिये दूसरे क्षेत्र में जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी इनका आना और जाना होता है। और इसीजिए उनको रोकने के लिए हमने जो स्थायी रूप से सृजन है, यानि स्थायी रोजगार कृषि से सम्बन्धी हमारी सामुदायिक जलोत्थान योजना के आधार पर कोई निर्माण की दृष्टि से इस प्रकार के स्थायी काम, हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। जिसके कारण से इनका आवागमन रुक सकता है और यह अपना आमदनी का जरिया प्राप्त कर सकते हैं।

इसी आधार पर मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अन्दर यहां पर जैसे सामुदायिक जलोत्थान योजना के अन्तर्गत स्थायी रूप से रोजगार के लिए हमने पहले भी कहा था कि इस क्षेत्र के लिए स्थायी रूप से बाहर जो लोग जाते हैं उनको रोकने के लिए हमने सामुदायिक जलोत्थान योजना को प्रारम्भ किया है। हमारे डूंगरपुर से शुरू करूंगा, उदयपुर में 200, डूंगरपुर में 121 लिफ्टें, बांसवाड़ा में 200 लिफ्टें, इनका सर्वे करवा कर जो बंद पड़ी थीं, पिछले समय में पांच वर्षों से लिफ्टें बंदी पड़ी थीं, जो लोग रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए उनकी खेती नहीं कर सकते, स्थायी रूप से उनको रोजगार नहीं मिल सकता। इसलिए बाहर जाते थे। उनको मैंने पुनर्जीवित

(श्री कनकमल कटारा)

किया। और 1500 बीघा जमीन के अन्दर, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं डूंगरपुर के अन्दर, जिसमें डेढ़ करोड़ के गेहूं उन्होंने लिये, मूंग लिये। मैंने उदयपुर क्षेत्र के अन्दर सर्वे करवाया, मैं खुद झाड़ोल फलासिया के अन्दर गया था, उस क्षेत्र में जाकर देखा कि स्थायी रूप से क्या कर सकते हैं। इसके लिये फलदार पौधे स्थायी रूप से किस प्रकार से काम कर सकते हैं। इनके लिए हमने योजना बनायी है। और उनके लिए भी हम उसी क्षेत्र में काम करें जिसके कारण से लोगों का आवागमन रुके और स्थायी रूप से यह काम कर सकें, ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से हमने की है।

श्री बाबूलाल खराड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जैसे आपने उदाहरण दिया सामुदायिक जलोत्थान योजना का तो पिछले कई वर्षों से सामुदायिक जलोत्थान है वह इसलिए बंद पड़ी है कि उनका बिजली का खर्चा ज्यादा आया। और ज्यादा आया तो काश्तकार देने में सक्षम नहीं है। क्योंकि एक तो पानी उनको मिला नहीं इसलिए यह काश्तकार पैसा देने में सक्षम नहीं था। तो क्या विभाग ऐसे जलोत्थान के लिए अपने विभाग से जो पहले से बकाया पैसा है वह भर कर उन योजनाओं को चालू कराने का विचार रखते हैं क्या?

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रत्यक्ष पूरे क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में जाने का प्रयास किया है। वहां पर जाकर प्रत्यक्ष इन काश्तकारों से भी बात की, अधिकारियों को साथ लेकर गया, फलासिया के अन्दर गया। वहां भी अधिकारियों से नहीं कहा, मैंने काश्तकारों को पूछा कि क्या व्यवस्था है आपके यहां? इन्होंने जरूर कहा कि हमारे यहां सामुदायिक जलोत्थान योजना बंद है। क्यों बंद है, कि पिछले समय से यह लिफ्टे बंद हैं जिसके कारण से हम बिजली का बिल भुगतान नहीं कर सके। फिर मैंने यह भी पता किया कि बिजली का यह कनेक्शन इनका कटा क्यों नहीं, क्या परिस्थितियां हुई? इसके बारे में मैंने जांच करवायी तो गरीब काश्तकार हैं, इनको अनुभव नहीं है। यह लिफ्टें बना कर दे तो दी लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं कि की यह कौन संभालेगा, यह कौन अधिकारी देखेगा, कौन इसकी व्यवस्था देखेगा। अनपढ़ लोग हैं। और इसलिए इनकी जानकारी लेने के बाद मैंने अधिकारियों को कहा है, सम्बन्धित विद्युत विभाग का जे.ईएन. था, उसने उस बिल को जमा नहीं करने पर उसका कनेक्शन क्यों नहीं काटा, यह भी हमने जानकारी

(श्री कनकमल कटारा)

ली। लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं होने से इस प्रकार के काश्तकारों को यह बिल भरना पड़ता था, वह नहीं भर सके इसके कारण से यह लिफ्टें बंद थीं। मैंने पुनः जांच करवायी और यह जितने केसेज थे, इनको मैंने अजमेर के बोर्ड के अध्यक्षजी को यहां के अधिकारियों को सम्पर्क करके यह समझौता समिति में और विद्युत विभाग के अन्दर भेज कर इनका समाधान किया है। और जो समाधान हुआ, इनके कनेक्शन पुनः मैंने करवा दिये। और भी मैं जांच करवा रहा हूं, उसके लिए भी राशि बिलकुल हमने रखी है। और भी अधिक जहां-जहां इस क्षेत्र में सामुदायिक जलोत्थान योजना की व्यवस्था है उसको मैं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री कनकमल कटारा : इसके अलावा भी करोड़ों का बजट हमारे उसी क्षेत्र के अन्दर है, चहुंमुखी विकास, माननीय सदस्य जो भी चाहें उस क्षेत्र के अन्दर, स्थायी रोजगार की दृष्टि से भी हमारे यहां पर कार्य की योजना बना रखी है, इसको निश्चित रूप से मैं करूंगा। ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं एनीकट की। एनीकटों की स्वीकृति लगभग 200-300 लाख के एनीकट मैंने स्वीकृत किये हैं। भवन निर्माण के, सड़क के और आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने के लिए भी मैंने वहां पर कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। वहां पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने पूरा इंतजाम किया है कि कोई भी पलायन, कोई भी आवागमन, बाहर नहीं जाए और व्यवस्था कर सके।

श्री अध्यक्ष : बढ़िया, बढ़िया।

श्री जीतमल खांट : मंत्रीजी, आप लम्बा भाषण मत दो, आप यह बताएं कि जितनी लिफ्टों के लिए आपने पैसों का भुगतान कराया है?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्षम महोदय, हमारा सवाल केवल इतना था कि लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं, जो जनजाति विभाग द्वारा लगायी गयी है उनके बिल नहीं भरने के कारण से कनेक्शन कट चुके हैं। क्या सरकार बिजली के कनेक्शन कट गये उनके बिजली के बिल भरने का विचार रखती है? इतना सवाल पूछा था, लम्बा-चौड़ा कहने की जरूरात नहीं है।

श्री कनकमल कटारा : मैंने बात की है प्रत्यक्ष और समझौता समिति में भेज कर के काश्तकारों के साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने स्थायी रूप से एक व्यवस्था की है, माननीय अध्यक्ष महोदय कि जहां-जहां अपने टी.एस.पी. क्षेत्र की सामुदायिक जलोत्थान योजना है उसके अन्दर मैंने कमेटी बनायी है। जिसमें एक पंचायत समिति का, अपना आर.एस.ई.बी. का और दो काश्तकार, दो जनप्रतिनिधि आठ-नौ की कमेटी बना करके इनकी स्थायी रूप से व्यवस्था की है। एक महीने के अन्दर इनकी मीटिंग होगी। और उसके अन्दर जो समस्या होगी, तत्काल समाधान करें। और इन लिफ्टों को चालू कराने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा है। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री प्रहलाद गुंजल।

कोटा शहर में निर्मित कियोस्कों का आबंटन

401. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर विकास न्याय, नगर निगम एवं आवासन मण्डल, कोटा द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कोटा शहर में कितने कियोस्क बनवाये गये? नगर विकास न्यास, नगर निगम एवं आवासन मण्डल द्वारा बनाये गये कियोस्कों की पृथक-पृथक संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उपरोक्त में से कितने कियोस्क आबंटित किये गये व कितने कियोस्क बिना आबंटित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कियोस्क बिना आबंटन की पात्रता/आधार क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इन आबंटनों में अनियमितताऐं होने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री प्रताप सिंह सिंघवी) : (1) नगर विकास न्यास, नगर निगम एवं आवासन मण्डल द्वारा मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 1205 कियोस्क निर्मित किये गये हैं, विवरण निम्नानुसार है :-

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

निर्मित

नगर विकास न्यास द्वारा	992
नगर निगम द्वारा	185
आवासन मण्डल द्वारा	28
कुल योग	1205

(2) आबंटित किये गये एवं शेष रहे कियोस्क का विवरण निम्नानुसार है :-

	आबंटित	शेष
नगर विकास न्यास द्वारा	823	169
नगर निगम द्वारा	160	25
आवासन मण्डल द्वारा	28	-
कुल योग	1011	194

(3) स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ. 55-56-एसई/स्थानि/मुमरो/99-13587-812 दिनांक 06.03.2002 एवं स्वायत्त शासन, जयपुर के पत्रांक 55-56 एसई/स्थानि/मुमरो/99/12995-13225 दिनांक 25.02.2002 एवं पत्र क्रमांक एफ. 55(56)एसई/स्थानि/मुमरो/99/1003-10464 दिनांक 28.12.2001 में वर्णित पात्रता/आधार पर कियोस्क आबंटन, आबंटन सलाहकार समिति द्वारा आबंटन किये गये हैं। (आदेशों की प्रति संलग्न है)

(4) जी हां। इन शिकायतों की जांच अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा करवायी जा रही है

(आदेशों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरा प्रश्न पूछा है मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछली सरकार ने कोटा में नगर विकास न्यास, नगर निगम और आवासन मण्डल द्वारा और आपने जवाब दिया है 1205 कियोस्कों का आबंटन किया गया। और आपने जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि 1011 का आबंटन हो गया और 194 का आबंटन नहीं हुआ। खण्ड-3

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में आपने पात्रता और आबंटन के आधार की स्वायत्त शासन विभाग के पत्रों की कापी भी जवाब के रूप में प्रेषित की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने केवल यह आदेश स्वायत्त शासन विभाग का जारी कर दिया कि पात्रता यह लोग रखेंगे, इसकी वार्षिक आय इतनी होगी, वह मूल निवासी होगा, राशन कार्ड में उसका नाम होगा। और आपने मुख्यमंत्री रोजगार योजना का ढिंढोरा पीटकर वहां थड़ियां लगाकर जो लोग काम करते थे, उस गरीब वर्ग में एक आशा और विश्वास की किरण तो पैदा कर दी और बाइस हजार से ज्यादा लोगों ने इन कियोस्क को पाने के लिए आवेदन कर दिए। मैं मूल प्रश्न आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें।

श्री प्रहलाद गुंजल : हां प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि बाइस हजार में से आपने एक हजार ग्यारह लोगों को आबंटन किया है। आपने ये सूची जारी नहीं की कि बाइस हजार लोगों जो हैं इनमें से हमने इतने लोगों को अपात्र घोषित कर दिया। बाइस हजार पात्र लोग जिन्होंने आवेदन किया है उसमें आपने लाटरी की प्रक्रिया अडाप्ट नहीं की। सलाहकार समिति ने ऐसे कौनसे मापदण्ड तय कर दिए जिसमें बाइस हजार में से ग्यारह सौ लोग उन्होंने छांट लिए। इसका आधार क्या रहा? यह ग्यारह सौ लौग जिनको आबंटन किया गया है उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखने का मैंने मूल प्रश्न में अनुरोध किया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें पिछले राज के अन्दर एक पार्टी विशेष के 200-300 कार्यकर्ताओं को नब्बे प्रतिशत से ज्यादा दुकानों का आबंटन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री अध्यक्ष : भ्रष्टाचार कितना भी हो आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न के रूप में पूछिए आप भाषण दे रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : हां वही पूछ रहा हूं, प्रश्न के रूप में ही पूछ रहा हूं। कोटा में चम्बल गार्डन के सामने कियोस्क बना दिए और जो लोग चालीस चालीस साल से थड़ियां लगाकर अपना परिवार पाल रहे थे, आजीविका का जो उनका साधन था उनको आबंटन नहीं किया। एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को आबंटन कर दिया और लोग अदालत में चले गए। आपने आज यह स्वीकार किया है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार, घोटाला हुआ है जिसकी जांच करा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं आज चौदह महीने हो गए सरकार बदले, जांच हो रही है और अधिकारियों को भरोसा नहीं है..

श्री अध्यक्ष : अब आपने पूछ लिया ना चौदह पन्द्रह महीने की बात क्यों कर रहे हैं?

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का आप विचार रखते हैं? और यह जो आपने 1100, एक हजार ग्यारह लोगों की जो लाटरी निकाली है इसका आधार क्या है? इनको आबंटित करने का आधार क्या तय किया? यह मेरे मूल प्रश्न हैं माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री योजना के अन्तर्गत नगर विकास न्यास...

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री रोजगार योजना।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, नगर निगम कोटा द्वारा निर्मित कियोस्क के आबंटन में मुख्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनमें निर्मित कियोस्क आबंटन समिति द्वारा आबंटन नहीं किया जाकर तत्कालीन अध्यक्ष नगर विकास न्यास कोटा द्वारा अनियमित तौर पर राजनीतिक पक्षपात से आबंटन किया गया है। उक्त कियोस्क बेरोजगार एवं निर्धन युवकों को आबंटन नहीं कर साधन सम्पन्न लोगों को राजनीतिक पक्षपात के आधार पर आबंटन कर अनियमितता की गयी। तत्कालीन अध्यक्ष नगर विकास न्यास कोटा द्वारा एक ही प्रार्थना पत्र पर दो-दो बार विधेयक आबंटन की शिकायत प्राप्त हुई है जिन्हें राज्य सरकार ने गम्भीरता से लेकर इन शिकायतों की जांच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा से करवाने हेतु 11 जनवरी, 2005 को आदेश दिया गया है। वर्तमान में यह जांच उनके द्वारा की जा रही है।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

चूंकि जैसा माननीय सदस्य ने खुद ने ही कहा चूंकि प्रकरण में कियोस्क आबंटन हेतु लगभग बाइस हजार आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन सभी प्रार्थना पत्रों की जांच करने में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 31 जुलाई, 2005 तक जांच कर जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कराने हेतु जांच अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही तदानुसार राज्य सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। जांच रिपोर्ट में जिन लोगों को निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से कियोस्क का आबंटन किया गया है एवं जांच में शिकायत सही पाई गई तो गलत आबंटित कियोस्क का आबंटन निरस्त कर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह जांच रिपोर्ट आने से पहले ही आपने अपनी फाइन्डिंग कैसे दे दी माननीय मंत्री महोदय कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ और इस प्रकार का गलत काम हुआ है? जांच रिपोर्ट तो आपकी पैण्डिंग है और उससे पहले ही आपने फाइन्डिंग दे दी।

श्री प्रहलाद गुंजल : यह तो सारा शहर चिल्ला रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : कौनसी जांच रिपोर्ट हो गयी, क्या फायदा है जांच करवाने से?

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची : यह तो कोटा के उस गरीब से जाकर पूछो।

श्री हरिमोहन शर्मा : जब आपने कन्क्लूजन निकाल दिया कि ये-ये लोग दोषी हैं फिर जांच काहे की है?

श्री प्रहलाद गुंजल : मुख्य मंत्री रोजगार योजना के नाम पर कियोस्क आबंटित किए (व्यवधान) व्यवस्थित रोजगार के लिए (व्यवधान) उसके तहत आप छलावा करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कियोस्क आबंटन कर दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सरकार देना चाहती है या नहीं देना चाहती?

श्री हरिमोहन शर्मा : बिना जांच के ही इन्होंने फाइन्डिंग दे दी कि ये ये दोषी हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : यू.आई.टी. के चेयरमैन तो (व्यवधान) बैठे हुए हैं। मंत्री स्तर के लोग इस प्रकार के भ्रष्टाचार में इन्वाल्व थे (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : फिर तो कार्यवाही करो आप जांच काहे की है।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं नहीं समझता कि अधिकारी इसकी जांच कर पाएगा। मैं मंत्रीजी से और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से इसकी जांच करायी जानी चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : राजनीतिक दुर्भावना से माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है। और माननीय सदस्य और माननीय मंत्रीजी की दोनों की मिलीभगत है। बिना जांच के आप नहीं कह सकते (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : पूरे राजस्थान की जांच कराई जानी चाहिए।

श्री प्रहलाद गुंजल : उसका थडी होल्डर रो रहा है उसके साथ छलावा हुआ है। उसका हक छीनकर कांग्रेस के लोगों को अलाट किया।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप जांच तो करवाओ बिना जांच के ही आप फाइन्डिंग कैसे दे सकते हो?

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ है, पूरे राजस्थान की जांच होनी चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह राजनीतिक दृष्टिकोण से मिलीभगत का काम है। बिना जांच के दोषी करार देना यह कौनसा नियम है फिर जांच काहे की करवा रहे हो आप? आप कह रहे हो जांच करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप यदि एक समय में एक माननीय सदस्य बोलेंगे तो जवाब दे पाएंगे ना। मंत्रीजी ऐसे कैसे जवाब देंगे, आप इधर खड़े हो गये आप उधर खड़े हो गये। यह कोई प्रश्न पूछने का तरीका है क्या आप लोगों का? प्रश्न का जवाब चाहिए, सूचना चाहिए तो ठीक तरीके से एक-एक सदस्य पूछे (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसा का ऐसा भ्रष्टाचार जोधपुर में अन्य शहरों में भी हुआ है इसलिए पूरे राजस्थान की जांच करवाइये (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : मेरा मूल प्रश्न है (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप काहे के लिए खड़े हो रहे हो आप बैठो आप क्यों खड़े हुए हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपकी उत्तेजना ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिना कारण उत्तेजना होती है बिना कारण।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपकी उत्तेजना का कारण नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप बैठिए, आप बिराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी ने शिकायत की उस आधार पर जांच करवाई गयी उसमें प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए उनके बारे में मैंने बताया। फिर भी माननीय रामगंज मण्डी से आंने वाले सदस्य की भावनाओं की मैं कद्र करते हुए इस जांच को ए.सी.डी. से भी करवा लूंगा और विभागीय भी करवाऊंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप ए.सी.डी. से भी कराओ, आप किसी से भी कराओ, किसी भी इंडिपेन्डेंट एजेन्सी से करवाओ। यह आपको खुली छूट है और अगर कोई आरोप लगे हैं तो करवाना चाहिए लेकिन यह जांच से पहले आप जांच करवा रहे हो और आपने फाइन्डिंग कैसे दे दी कि ये-ये गलत हुआ है? आपने किस आधार पर दे दी बिना जांच रिपोर्ट के आधार पर ही (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : सारे कोटा शहर के गरीब (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, प्रथम दृष्टया जांच में जो दोषी पाए गए (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : फाइन्डिंग देकर (व्यवधान) उस जांच अधिकारी को प्रभावित आपने कर दिया (व्यवधान) पहले ही कह दिया इन-इन लोगों को दोषी करार दे देना। आप जांच के पहले ही दोषी बता रहे हो काहे की जांच करवा रहे हो आप (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरे राजस्थान में जांच होनी चाहिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता : प्रिविलेज इंक्वायरी करवायी गयी है और प्रिविलेज इन्क्वायरी की फाइन्डिंग के बाद में (व्यवधान) यह है मामला।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

प्रारम्भिक रूप से जांच होने के बाद में ही मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जाएगा (व्यवधान) नहीं होगी तो उसके पहले कैसे जाएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जांच से क्यों डर रहे हो?

श्री हरिमोहन शर्मा : जांच से नहीं डर रहे। जांच के पहले मंत्री महोदय ने दोषी मान लिया।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची : पूरे राजस्थान में इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : प्रथम द्दष्टया जांच में जो तथ्य सामने आए उनको उजागर किया है मैंने (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो पूरे के पूरे मंत्रालय की जांच करा लो पूरे के पूरे मंत्रालय की और आपकी जब जांच होगी ना तब आपको पता लगेगा।

श्री माननीय सदस्य : कोई शिकायत आएगी जांच नहीं कराएंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ : आंत में से निकाल लेंगे जो भ्रष्टाचार किया है आप लोगों ने (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी आपने फिर किया (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : उसकी फाइन्डिंग्स के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नालेज कोरिडोर का नहीं किया आपने (व्यवधान) आपने मिनी टाउनशिप का नहीं किया (व्यवधान) आप जे.एल.एन. मार्ग को कामर्शियल करने का गलत आर्डर पास नहीं कर रहे हो? आप किस आधार पर बात करते हो? जांच तो आपकी करवाएंगे जब वक्त आएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप जांच से क्यों डर रहे हो?

श्री हरिमोहन शर्मा : जांच तो आपकी करवाएंगे जब वक्त आएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो करवाओ ना अभी करवा लो, आप ही कर लो मेरी जांच तो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय मंत्री महोदय, आप क्या जांच कराओगे (व्यवधान) भ्रष्टाचार की फाइल तो लेकर बैठे (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में और कौन-कौनसे स्थानों पर आपको शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या पूरे राजस्थान से शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसकी जांच कराना चाहते हैं या नहीं चाहते?

श्री श्रवण कुमार : और यह भ्रष्टाचार की फाइलें हैं वह लेकर बैंठे हैं (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जहां-जहां से भी मेरे पास शिकायत आएगी वहां सभी जगहों की मैं जांच करवा लूंगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अगर जांच करवा लोगे तो जांच कराने के बाद सत्यता में मिलोगे क्या (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, यह कियोस्क पूरे राजस्थान में बने हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं कि यह जो कियोस्क बने हुए हैं उनको आप कब तक आबंटित करेंगे जो खाली पड़े हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : पूरे राजस्थान की आप तो जांच करवा लो चाहे सारी पोल खुल जाएगी (व्यवधान) इस सरकार की। पूरे राजस्थान की। मैं तो कहूंगी सी.बी.आई. से जांच करवा लो। और वहां कियोस्क के अन्दर क्या होता है यह तो अपने कार्यकर्ताओं को ओब्लाइज करने के लिए किया है।

यह तो अपने कार्यकर्ताओं के लिये है, पब्लिक के लिये... (व्यवधान) जनता के लिये थोड़ी बनवाये हैं?

(12.00 बजे)

श्री प्रह्लाद गुंजल : कोटा में चम्बल गार्डन के सामने वर्षों से कुछ लोग.. (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : और यह लगातार माननीय राजेन्द्रजी, मैं यह कहना चाहता हूं पहले से ही कहना है.. (व्यवधान) वहह जवाब देगा.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रशनकाल समाप्त हुआ। प्रश्न काल समाप्त हुआ। स्थान ग्रहण कर लें। प्रश्नकाल समांप्त हुआ।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा संभाग के अन्दर.. (व्यवधान) मैंने रजिस्ट्री की मार्फत दुबारा विभाग को लैटर लिखे हैं। उसका अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं कब अधिकारियों को क्या हो जाता है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्यगण।

श्री श्रवण कुमार : उस गरीब ब्राह्मण का घर खाली करवा दिया और इन दो वर्षों में... (व्यवधान) बाहर निकाल दिया। आपकी कोई जांच और पूछे सवाल का जवाब.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आपको वह फाइल पढ़कर शर्म आयेगी। जहां गरीब लोगों का घर खाली करवा दिया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नाम से पुकारूं? पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, मैं नाम से पुकारूं?... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : और जाटों ने जबरदस्ती लाठी मारकर निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं.. (व्यवधान) आप मंत्री बन गये जाटों के और दबाव करवा.. (व्यवधान) दिया है कि होगा बंद कर दो इसको.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। आपको नाम से पुकारूं? पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, नाम से पुकारूं क्या? बहुत होशियार बन रहे हैं, नियमों की जानकारी नहीं। आसन पांवों पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसके खिलाफ बोल रहे हो वहां आपकी कांस्टीटवेंसी में बात जायेगी। कौन के खिलाफ बोल रहे हो आप...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं कह रहा हूं। वहां जायेगी तो जायेगी ना। मेरे खिलाफ भी कहा है तो कहा है उसमें क्या है? सरकार को गरीब प्राणियों के साथ अन्याय हो.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

विष्णुकान्त शास्त्री श्री, पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के निधन पर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जवन्द सिंह कंग के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री का जन्म 2 मई, 1929 को कलकत्ता में हुआ। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम.ए. तथा एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं। आपको छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट्. की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।

श्री शास्त्री वर्ष 1953 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए तथा मई, 1994 में प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए।

श्री शास्त्री वर्ष 1977 से 1982 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे। आप जुलाई, 1992 में उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। राज्य सभा के कार्यकाल के दौरान आप भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समिति तथा संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य रहे। श्री शास्त्री को 2 दिसम्बर, 1999 को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया तत्पश्चात आप 24 नवम्बर, 2000 से 2 जुलाई, 2004 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

वर्ष 1944 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बद्ध रहे श्री शास्त्री वर्ष 1977 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1980 में गठित भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। आप वर्ष 1982 से 1986 तक पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा वर्ष 1998 से 93 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। श्री शास्त्री 1980 से 99 तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

साहित्य में गहन रुचि रखने वाले श्री शास्त्री ने अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें से कुछ पुस्तकें पुरस्कृत भी हुई हैं। आपने पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की चुनी हुई कविताओं का संकलन "अमर आग है" सहित अनेक कृतियों का सम्पादन भी किया। हिन्दी भाषा के प्रति समर्पित श्री शास्त्री अपने जीवनकाल में हिन्दी भाषा से जुड़ी अनेक संस्थाओं तथा समितियों से सम्बद्ध रहे। आपकी उल्लेखनीय साहित्य साधना के लिये आपको साहित्य भूषण सम्मान, डा. राम मनोहर लोहिया सम्मान तथा राजर्षि टंडन हिन्दी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया।

श्री विष्णुकांत शास्त्री का दिनांक 17 अप्रैल, 2005 को रेल यात्रा के दौरान हृदयगति रुक जाने से निधन हो गया। श्री शास्त्री के निधन से देश ने एक महान साहित्यविद् खो दिया है।

जवन्द सिंह कंग श्री, पूर्व विधायक के निधन पर

पूर्व सदस्य श्री जवन्द सिंह कंग का जन्म 26 मार्च, 1915 को श्रीगंगानगर जिले की करणपुर तहसील के लालपुर ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री जवन्त सिंह कंग तीसरी राजस्थान विधान सभा में श्री करणपुर निवार्चन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1964 में राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक पर गठित प्रवर समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री कंग तीन वर्ष तक पंचायत समिति, श्री करणपुर के सदस्य रहे। आप आठ वर्ष तक जिला बोर्ड के सदस्य भी रहे।

श्री जवन्द सिंह कंग का दिनांक 29 मार्च, 2005 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री मांगीलाल गरासिया एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से गोगुन्दा की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु अकाल राहत कार्यों को शुरू करने एवं लेबर सीलिंग बढ़ाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से कोटा संभाग में सरसों की सरकारी खरीद में व्यापक अव्यस्था के सम्बन्ध में।

(3) श्री जितेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से अलवर में नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद द्वारा विकास कार्य नहीं कराये जाने से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(4) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से जिला दौसा के कस्बा बसवा में वक्फ बोर्ड की जमीन का बेचान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव इतनी गंभीर प्रकृति के नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सस्दय श्री मांगीलाल गरासिया, श्री भरत सिंह, श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री जुबेर खान को अपने-अपने प्रस्ताव के विषय पर मात्र 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मात्र दो मिनट। आज सदन को सात बजे से पहले करना है ना। स्थगित भी तो करना है।

(5) श्री अमराराम धोद एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से प्याज का किसानों को लागत मूल्य नहीं मिलने से उसकी सरकारी खरीद शुरू करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के विषय पर सदन में चर्चा हो चुकी है, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री तगाराम चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर बालिका महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हेमराज मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरिया परियोजना द्वारा संचालित छात्रावासों की सुव्यवस्थित व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति बालेसर में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से समाज कल्याण विभाग, टोंक के जिला अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में।

(5) डा. ओ.पी. महेन्द्रा, सदस्य की ओर से राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों की दीर्घावधि से लम्बित समस्याओं के संबंध में।

(6) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से राजगढ़ (चूरू) की सड़कों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य की ओर से तीर्थ नगरी ऋषभदेव में भगवान की विश्राम स्थली पगल्याजी के सामने खुली शराब की दुकान को हटवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री केसर देव बाबर, सदस्य की ओर से निजी नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा नियम विरुद्ध फीस वसूल करने तथा उसे वापस नहीं करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के माध्यमिक विद्यालय चित्रावास एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरवाड़ा के बोर्ड परीक्षा केन्द्र कायम करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री अर्जुन सिंह बामणिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दानुपर के क्रमोन्नत विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर में प्रस्तावित जीरा मंडी को भगत की कोठी में स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री नवरतन राजोरिया, सदस्य की ओर से सांभर को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री हेमाराम चौधरी, सदस्य की ओर से नर्मदा नहर परियोजना के निर्माण में भारी अनियमितता के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 295 को आज पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

(विशेष उल्लेख प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री नवनीत नीनामा : अध्यक्ष महोदय, मेरा 295 नहीं आया इसमें... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

हालांकि जीरो आवर है लेकिन इसका सम्बन्ध कल की... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में तो पाइंट आफ आर्डर होता नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे मालूम है। आपका ध्यान रूल 307 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें है रेजुडिरी पावर.. (व्यवधान)

श्री नवीनत नीनामा : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो 295 का प्रस्ताव था वह आया नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैंने उन्हें अनुमति दी है, क्या नहीं आया आपका?

श्री नवनीत नीनामा : मैंने 295 का जो सुझाव दिया है, उसमें मेरा नाम नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : देखिये ऐसा है, एक सप्ताह के अंदर केवल आपका दो बार ही आ सकता है।

डा. सी.पी. जोशी : बैठे ठाले कुछ तो काम करने दें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके पहले आ गये होंगे और दो से ज्यादा लगते नहीं हैं। इसलिए आपका नहीं आया है। आपने बाद में दिया होगा।

डा. सी.पी. जोशी : बैठे-बैठे क्या कह रहे हैं, हल्ला करवाने का क्या मतलब है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में कभी पाइंट आफ आर्डर रहा नहीं और आज आपको मालूम है कि 6 बजे के पहले पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं कि हाउस की कार्य सूची भी पूरी हो जाये। सारी चर्चा भी हो जाये। मुख्य मंत्रीजी की तरफ से भोज भी है, फिल्म भी है इसलिए आज कोई मतलब ही नहीं है। कल की बात कल समाप्त हो गयी।

डा. सी.पी. जोशी : आपके लिए समाप्त हुई है। बिराजें आप। अध्यक्ष महोदय, रूल 307 रेजुडिरी पावर्स में लिखा हुआ है,

"All matters not specifically provided for in these rules and all question relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time direct."

श्री अध्यक्ष : कौनसा रूल कोट कर रहे हैं?

व्यवस्था का प्रश्न

मुख्य मंत्री द्वारा सदन के बाहर महत्वपूर्ण घोषणाएं

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, 307 कोट कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि रूल 292, जो पाइंट. आफ आर्डर का है, 294 में कवर नहीं होता है। इसलिए मैं 307 में आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। यह हाउस चल रहा है। कल अनफोरचुनेटली जो स्थितियां बनी आपके सामने उस समय एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेन्स बिल पर मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना था। मुख्य मंत्रीजी ने जवाब नहीं दिया। आज हमने अखबार में पढ़ा कि मुख्य मंत्रीजी ने प्रेस के माध्येम से यह बताया है कि संभाग खोल दिये गये हैं और दूसरी व्यवस्था कर दी गयी हैं और छुट दे दी गयी है। फाइनेन्स की व्यवस्थाएं कर दी गयी हैं। यह हमारा अधिकारी बनता है कि मुख्य मंत्रीजी को वित्त संबंध में जो छूट देनी थी। जो कुछ भी उन्होंने सैल्स टैक्स में छूट दी, जो कुछ भी और व्यवस्थाएं की हैं। उसकी घोषणा सदन में होनी चाहिए थी। सदन के बाहर नहीं होनी चाहिए और यह गलत परम्परा प्रारंभ हो जायेगी। सदन की कार्यवाही इस तरह से अवरूद्ध होती रहेगी और आने वाले समय में

(डा. सी.पी. जोशी)

जो भी सरकारें आयेंगी वह सदन में डिस्कस नहीं करेंगी और बाहर जाकर प्रेस में सब बातें करेंगी तो इस सदन की कोई मान्यता एवं उपयोगिता नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने आपका ध्यान यह जानते हुए कि जीरो आवर में यह पाइंट आफ आर्डर के अंदर कभी नहीं होता है। लेकिन रूल 307 आपको अधिकार देता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हो तो यह बजट की सैंक्टिटी यह एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेन्स बिल की सैंक्टिटी तब रहेगी जब आप इस तरह की घोषणाओं के लिए सरकार को बाध्य करें। ऐसे नियम और कानून बनायें कि सदन में घोषणा हो और सदन के बाहर घोषणा नहीं हो। और सदन के बाहर घोषणा होना जो हमारा प्रिविलेज है, जो हम वोट देकर ग्रांट को पास करते हैं, बजट को पास करते हैं। सरकार को फाइनेन्स बिल के लिए अधिकृत करते हैं। (व्यवधान) आप बिराजें, सीखो डा. साहब सीखो... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : कल से आपसे सीख रहा हूं ..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सीखो, हां मैं यही कह रहा हूं। सीखो आप। काहे को बैठे हो हाउस में? इसलिए थोड़े आये हैं कि धन्यवाद देना है अपने को... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। नौ बार आप विधान सभा की सदस्य रही हैं। अगर ऐसा कोई रूल इस बिजनिश रूल में नहीं है जिसके अन्तर्गत हम पाइंट आफ आर्डर को आधार बनावें लेकिन यदि आज आप व्यवस्था देंगे तो भविष्य में इस तरह की स्थितियां बनें, सरकार को लेटिट्युड नहीं मिले। सरकार तो बी.जे.पी. की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी और दूसरी पार्टियों की बनेगी। लेकिन सरकार इस तरह की स्थिति पैदा करवाकर या पैदा होने के बाद यदि हम बाहर जाकर के यह घोषणा करें तो मैं समझता हूं कि जो हमारा विधान सभा में बजट पास करने का अधिकार है उसको हम वंचित करते हैं। और जनता के प्रति उसका निर्वहन ठीक ढंग से हम नहीं कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने विनम्र शब्दों में निवेदन है मैंने अभी इसको देखा है। इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं एक तो लिखा है प्रिविलेज, एक लिखा है इम्प्रोप्राइटी, मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसको प्रिविलेज में काउंट करते हैं कि इम्प्रोप्राइटी में काउंट करते हैं। यदि एक सदस्य की हैसियत से मुझ पर छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से मैं इसको प्रिविलेज में काउंट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग दे सकते हैं कि यह इम्प्रोप्राइटी हो सकता है। लेकिन मैं इसको इम्प्रोप्राइटी की परिभाषा में इसलिए नहीं लेता हूं कि जिस तरह से लोकतंत्र हल्ले-गुल्ले में बदलता जा रहा है, जिस तरह से बिहार और झारखंड में स्थितियां बन रही हैं। राजस्थान में ऐसी स्थिति बनेगी

(डा. सी.पी. जोशी)

तो सदन जो चलना है वह नहीं चलेगा। सदन में इस तरह की कार्यवाही होती रहेगी और हम सदन के बाहर बजट की घोषणा करें तो यह विधान सभा का जो परपज है वह परपज डिफिट हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इस पर डिस्कसन होना चाहिए। डिबेट होनी चाहिए। माननीय सदस्य अपनी राय व्यक्त करें उसमें जैसा आप रूल करें क्योंकि 307 में आपको अधिकार मिलता है। इस 307 के रूल्स के अन्तर्गत यदि आप भी कुछ नियम और कानून बना देंगे तो भविष्य में उनके आधार पर इस तरह की स्थितियों में आगे बात बनेगी, यह जनता को मालूम पड़ेगी और हमाके भी मालूम पड़ेगी। इसलिए मैंने आपका ध्यानाकर्षण किया है, अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसकी गंभीरता को समझकर लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप पर है। उस बात को आप समझेंगे और इस संबंध में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आने वाले समय में राजस्थान के लोग कह सकते हैं कि यह अध्यक्ष के पद पर एक महिला जिसको नौ बार विधान सभा में मेम्बर रहने का मौका मिला। उसने इसका लाभ उठाकर ऐसी परम्परा नई बनायी हैं जिससे आने वाली संतति आपको कह सके कि हमारी जो परम्पराएं हैं राजस्थान की वह एनरिच हैं। जिन आधार पर हम गौरवान्वित होते हैं उसमें एक कदम और आगे बढ़ायेंगे। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाया है। और अध्यक्ष महोदय आप तो पारंगत हैं ही। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंरम्परा बिलकुल सही है और इसी परम्परा का निर्वहन भी होना चाहिए। चाहे एप्रोप्रिएशन बिल हो या फाइनेन्स बिल हो, या कोई भी घोषणा हो, जिस समय सदन चल रहा है वह सदन के अंदर ही होनी चाहिए। सदन के बाहर बिलकुल नहीं होनी चाहिए। मैं हण्ड्रेड परसेंट आपकी बात से सहमत हूं पर कल जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी थीं। वह परिस्थिति भी राजस्थान की विधान सभा में कभी नहीं बननी चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में भी हूं, बहुत-सी हमारी विधान सभाएं हैं जो चार दिन में, पांच दिन बैठकर सारे का सारा बिजनेश पास कर देती हैं और विधान सभाओं की अपरिहार्यता नहीं रही है। लेकिन राजस्थान की विधान सभा ऐसी विधान सभा है जिसमें हमारा आपसी सामंजस्य भी है और समभाव भी है और हम मिलकर के हमारी विधान सभा चलाते हैं। मैं तो इसके पक्ष में भी हूं कि विधान सभाओं की बैठकों की संख्या जिस प्रकार अध्यक्षों के सम्मेलनों में तय किया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उसके हिसाब से हो तो भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन आज थोड़ी सी आपको तथ्यों की जानकारी कम है। सदन के पटल पर जो चीज रख दी जाती है। वह इस सदन में कही हुई मानी जाती है और सदन की प्रक्रिया का अंग बन जाती है। उसके बाद उसको समाचार-पत्रों में देना न तो इम्प्रोप्राइटी है ना प्रिविलेज होता है और कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब जवाब देने के लिए खड़ी हुई तो उनको यह कहा गया कि पहले आप इसका जवाब दें कि सी.बी.आई. से होगी कि नहीं, फलाना से होगी कि नहीं। नारे लगा रहे थे तो ऐसी अवस्था में उन्होंने अध्यक्ष महोदय, कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के द्वारा उठाये गये एक-एक बात का जवाब देना चाहती थी लेकिन इस समय चूंकि वातावरण नहीं है और आज मुझे एप्रोप्रिएशन बिल का जवाब देना है। इसलिए मैं इस संबंध में जो घोषणाएं करने वाली थी उनको सदन के पटल पर रखती हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने हस्ताक्षर करके उनको सदन के पटल पर रख दिया। इस प्रकार से उन्होंने सदन के पूरे नियमों का भी पालन किया और जब रख दिया और वह उसके अन्तर्गत आ गया... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बता दें, हम तो हाउस में थे। हम तो हाउस में लास्ट तक थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाउस में ही आया।

डा. सी.पी. जोशी : मुख्य मंत्रीजी रखा सदन के पटल पर तो कागज बता दें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, कागज हैं ना सदन में।

डा. सी.पी. जोशी : बतायें ना। अध्यक्ष महोदय, हम पूरे हाउस में थे। आपने विचारार्थ लेने के लिए कहा, आपने पास करने के लिए कहा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्लीज, मुझे पूरा करने दें। यह बात नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : लेकिन जो कंटेन्ट माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं यह कंटेन्ट सदन के पटल पर नहीं रखे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट, मैं कह रहा था... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आई एम सारी, आप बोलें। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि-यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह सेन्टेंस रिकार्ड में है

(डा. सी.पी. जोशी)

जैसा आपने कल्ला साहब का कल रिकार्ड बताया तो रिकार्ड मंगवायें और दिखवा दें कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा है तो मैं समझता हूं कि ठीक हो जायेगा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड मंगवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं रिकार्ड।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, हां आप दिखवा लें। आप रिकार्ड मंगवा लीजिए। इतनी जोर से हल्ला हो रहा था। हमने यहां पर सुना है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कागजों पर और दस्तखत किये हुए कागज यह कहकर कि मैं इनको सदन के पटल पर रखती हूं, वह रखे हैं। और फिर राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने वह कागज ले जाकर के वहां पर प्रस्तुत किये हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गलत बात है। यदि हम मैनुपुलेशन हुआ है तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा भयंकर... (व्यवधान) हम लोग हाउस में थे रात में, अध्यक्ष महोदय, हम हाउस में थे और आपने कहा कि यहां रखो, वहां रखो, ना, ना, अध्यक्ष महोदय, इस सदन को बंद कर दीजिये। +++

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या चलाना चाहते हैं... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हम हाउस में मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड को उठाकर के देख लें, आपने खुद ने खड़े होकर के मुख्य मंत्रीजी को डायरेक्शन दिये हैं। +++ आपने कहा विचारार्थ लीजिए, आपने कहा प्रस्ताव पास कराये। आपने कभी नहीं कहा रिकार्ड में...(व्यवधान)

श्री [illegible] प्रसाद जैन : जैसे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने लोकतंत्र और लोकतंत्र की मर्यादाओं की और यहां की सैंक्टिटी की बात की, अध्यक्ष महोदय, यह यदि हो-हल्ले से.. (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुना है सबको, दस्तखत कर दिये...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हमारा काम तो यही है आज.. (व्यवधान) राजेन्द्र जी आपकी बात पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र को सबसे कमजोर करने का काम संसदीय मंत्री कर रहे हैं...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट, हमारी सुन लें, एक साथ बोल लेना बाद में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं कि बहुमत के आधार पर तो हम बजट पास करके कभी भी जा सकते हैं लेकिन उदारता हमारी मजबूरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उदारता के कारण हमें संयत भाषा और नियमों का पालन करते हुए और कोशिश करते हैं कि प्रतिपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभाये और इस लोकतंत्र को और मजबूत करें। क्योंकि प्रतिपक्ष के पास इस विधान सभा में बोलने के अलावा और इस विधान सभा के जरिये सरकार को नियंत्रित करने का जो अधिकार है यदि यह विधान सभा नहीं चलती ज्यादा तो यह नियंत्रित करने का अधिकार नहीं रहेगा।

श्री सी.डी. देवल : यह जब भी खड़े होते हैं कोई न कोई अव्यवस्था फैलती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ज्यों ही सदस्य बाहर जाता है तो प्रतिपक्ष का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने अंकुश का काम सरकार पर करें ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप नियमों से व्यवस्थाओं से अध्यक्ष के आदेशों का पालन करें। जब हालत यह हो जाए कि सर्वोच्च आसन जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो, यदि उनके आदेशों की अवहेलना हो, यदि उनके आदेश माने नहीं जाए, यदि सदस्य अपनी बात नहीं कहना चाहे, कहकर मुकर जाए और माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधी भी अपनी बातों से इस प्रकार पीछे नहीं हटते जैसे मतलब सदन में जो इस प्रकार का हो रहा है...

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : आदेशों की अवहेलना किसी ने की ही नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप क्या समतझे हैं, हमने तो नियमों की पालना कर दी है। टेबल किया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, आपके आदेश से सब कुछ किया, जो अब आप यह चाहते हैं कि सदन में सारी बात हो तो वह तो तब होगी जब हम शांति से अध्यक्ष के आदेशों की पालना करते हों। आसन की यदि मर्यादाएं हमने तोड़ दी तो आसन के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, आसन के आदेशों की पालना नहीं हुई तो इसके बाद क्या हो सकता है? वरना तो बाहर जाने का आपको बताएं, दिल्ली में सारे विपक्ष को बाहर कर दिया, आंध्र प्रदेश में सारे विपक्ष को बाहर कर दिया, गुजरात में सारे विपक्ष को बाहर कर दिया, हमंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : (हिण्डौली) : आप तो गुजरात बनाना चाहते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारी उदारता हमारी मजबूरी नहीं है। हमारी उदारता आपके हित में है।

श्री सी.डी. देवल : हमें आपकी उदारता की जरूरत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम चाहतें हैं कि प्रतिपक्ष "निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय", हम उसमें विश्वास करते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रिलेवेंट पाइण्ट उठाया है, अगर कोई माननीय सदस्य उस पर अपनी बात कहना चाहता है तो आप उसको मौका दीजिए। मुख्य सचेतक महोदय उठकर कुछ भी कहने लग जाते हैं। माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य ने महत्वपूर्ण विषय उठाया है, उसमें रिलेवेंट वे बोल नहीं रहे हैं जैसे घनश्यामजी ने कोई बात रखी। अध्यक्ष महोदय, आप तय करें कि कोई माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहे, कहे, बीच में उसको डाइवर्ट मत करो।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह गुजरात की धमकी देकर आप हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते। माननीय मुख्य सचेतकजी, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आपकी कृपा से यहां बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, जब आप व्यवस्था दें उससे पहले एक मिनट मुझे देने का कष्ट करें, आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : आप भी बोल दीजिए, कुछ ज्ञानवर्द्धन करेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने भी कहा कि सदन की मेज पर कोई चीज रख दी जाती है तो वह पार्ट आफ द हाउस हो जाती है। वह मेज पर कागज रख दिया गया और वह पार्ट आफ द हाउस हो गया। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह प्रिविलेज है, इरप्रोपराइटी है, यह आप तय करें। राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के प्रथम खण्ड के पेज नम्बर 213 पर 10.11.1970 को अध्यक्ष महोदय की तरफ से निर्णय दिया गया है, सत्रकाल में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण नीति विषयक घोषणा सदन में की

(डा. एन.एस. गुर्जर)

जानी चाहिए किन्तु ऐसा नहीं करना विशेषाधिकार का हनन नहीं है। तो यह भी स्पष्ट हो गया कि विशेषाधिकार का हनन यह नहीं है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेज पर रख दिया गया है तो पार्ट आफ द प्रोसीडिंग हो गया है, पार्ट आफ द प्रोसीडिंग के अलावा भी सदन के बाहर जो प्रेस कान्फ्रेंस की है, वह भी विधान सभा के अंदर ही है। मैं डेफिनेशन पढ़कर सुनाना चाहता हूं, डेफिनेशन में है...

श्री अध्यक्ष : वह सारी बात शिक्षा मंत्रीजी ने कह दी है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं उस डेफ़िनेशन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सदन की परिसीमाएं...(व्यवधान) आप मेरी बात समाप्त होने दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : हम कल से देख रहे हैं कि जब आप खड़े होते हैं व्यवस्था देने के लिए तो टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आप बैठें। पहले मुझे बोलने दीजिए, पहले आपको व्यवस्था देनी चाहिए इस पर। (व्यवधान)

डा.एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर भी सदन की सीमाओं में यदि प्रेस कान्फ्रेंस की जाती है, कोई बात कही जाती है दैट इज आलसों द पार्ट आफ हाउस। डेफिनेशन में दिया गया है कि सदन की परिसीमाओं से तात्पर्य, एवं उसमें सम्मिलित होंगे मुख्य विधान सभा भवन, विधान सभा स्थित खुला परिसर, विधान सभा चारदिवारी पर लगी लोहे की रेलिंग तथा अन्य स्थान जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर टेबल पर पुट अप कर दिया, सदन के भीतर, सदन की डेफिनेशन दी गई है उसमें कान्फ्रेंस की है और अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिया गया है कि प्रिविलेज में नहीं आता है। इसलिए नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, अनवांटेड है, अनवांटेड है, यह बिलकुल गलत है, इसको खारिज किया जाए, यह इससे सम्बन्धित नहीं है, ताल्लुक नहीं रखता है, इसलिए इसको खारिज किया जाए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप व्यवस्था दें, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां जो हवाला दिया है, प्रथम संकलन के पेज 213 पर लिखा है, आय-व्ययक के सदन में उपस्थापन होने से

(श्री जुबेर खान)

पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य मंत्री का बयान सदन के विशेषाधिकार का हनन नहीं है। यह पूर्व है और दूसरा सुन लीजिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह तो और ज्यादा क्लीयर है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : लेट मी कम्पलीट, अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, खण्ड द्वितीय, पेज 181 पर आप देखिए, माननीय मानिक चन्दजी सुराना ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 197-198, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 1989 को आहूत किया गया और आहूत करने के बाद सदन चालू होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन हरिदेवजी जोशी ने कोई घोषणा कर दी उसके ऊपर व्यवस्था दी अध्यक्ष महोदय ने, इस सम्बन्ध में मैंने कौल और शकधर, और कानून की जो दूसरी किताबें हैं, उनको देखा। कौल एण्ड शकधर के पेज 235 पर, यह थर्ड एडीशन है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है,

"No breach of privilege of Parliament is involved if statement on matters of public interests are not first made in the House and made outside. Such actions are against conventions and propriety..."

हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा है, यह प्रिविलेज तो नहीं बनता लेकिन It is against the conventions and propriety. " ... but do not constitute any base on which braches of privilege can be founded."

यह सही बात है, हनन तो नहीं है लेकिन कंवेंशन और परम्पराओं के विरुद्ध काम हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हनन माने या नहीं माने लेकिन इसमें कंवेंशन टूटी है, इरप्रोपराइटी हुआ है। इस पर आपको कोई न कोई व्यवस्था सारे प्रकरण को ध्यान में रखकर देनी चाहिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : प्रथम खण्ड का पैरा 29 भी पढ़ लो पहले।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है और उसमें यह कहा गया है कि यह सदन का अधिकार था, माननीय सदस्यों का प्रिविलेज था कि वह जो कुछ घोषणाएं करते वह सदन में करते। उन्होंने उसकी बाहर घोषणा की। इस बारे में मैं आप सब लोगों की जानकारी में लाना चाहूंगी कि जिस समय सदन में बहुत शोर शराबा हो रहा था और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था कि कौन माननीय सदस्य क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उस समय मैंने यह कार्यवाही मंगवाई है

(श्री अध्यक्ष)

और कार्यवाही को मैं पढ़कर सुना देती हूं जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर कहा है। श्री संयम लोढ़ा और श्री दिगम्बर सिंह के बाद, श्रीमती वसुन्धरा राजे, अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं तो एक-एक का जवाब देना चाह रही थी पर अगर कोई सुनने को तैयार नहीं है तो मैं कुछ घोषणाओं का विवरण सदन के पटल पर रखती हूं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, अब क्या कहें, हम सब समझते हैं, हम भी हाउस में बैठे हुए थे, +++ अध्यक्ष महोदय, यह कहां से रिकार्ड हो गया, यह कहां से सुन लिया अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ भी सुना होगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही में है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपने कुछ नहीं बोला अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : हाउस में आप ही थे क्या? हाउस में हम भी थे। आप तो हल्ला कर रहे थे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : (व्यवधान) आपने गलत परम्परा डाल दी।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति नहीं हो सकती कि विपक्ष के नेता कोई बात मानने को तैयार नहीं है, अब ये रिकार्ड को भी गलत ठहरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) देखिए, जो रिपोर्टिंग हुई है उसी के आधार पर किसी के कहे हुए शब्द भी माननीय सदस्य के एक्सपंज किये जाते हैं, उन्हीं बातों को लेकर सदन में चर्चा होती है। जो कुछ होता है...

डा. सी.पी. जोशी : आप टेप सुना दे, मान लेंगे। मैं माफी चाहता हूं आप टेप सुना दें हम मान लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माफी चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष : रिपोर्टिंग हुई है।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, प्रोसिडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सुनाने में क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है आपको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के रिकार्ड को चेलेंज किया है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के रिकार्ड को चैलेंज कभी भी नहीं किया जा सकता।

डा. सी.पी. जोशी : आप टेप नहीं सुनाना चाह रहे हैं। टेप कोई रिकार्ड होता है क्या? आप टेप सुना दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम आसन की व्यवस्था मानते हैं (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के रिकार्ड को चेलेंज नहीं किया जा सकता। विधान सभा के रिकार्ड को चैलेंज करने का अर्थ यह है कि यह सदन के रिकार्ड के मामले में कोई भी प्रश्न यहां पर नहीं उठाया जा सकता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन की कार्यवाही पर प्रश्न नहीं किया जा सकता।

डा. एन.एस. गुर्जर : रिकार्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता कानूनों के अंदर।

डा. सी.पी. जोशी : आप कल तो एविडेंस मांग रहे थे। (व्यवधान) आप तो कल एविडेंस मांग रहे थे। गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि टेप दीजिए हमको। आप कल एविडेंस मांग रहे थे और आज एविडेंस देने में मना कर रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : इस किताब में पूरी पुस्तक में कौल शकधर में कांस्टीट्युशन में कहीं कोई रूल नहीं है जिसके तहत विधान सभा के रिकार्ड को चेलेंज किया जा सकता हो। एक भी रूल बता दीजिए। कोई भी रूल बता दीजिए, इसमें कौल शकधर में बता दिया जाए जिसके आधार पर विधान सभा के रिकार्ड को चेलेंज किया जा सकता हो। कभी रिकार्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह गलत परम्परा होगी। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : कल तो आप हाउस में एविडेंस मांग रहे थे कि एविडेंस दीजिए और आज एविडेंस देने से मना कर रहे हैं। क्या तकलीफ है आपको? कोई भी नियम बने, कोई कानून बने, क्या तकलीफ है? कोई अच्छे नियम बने (व्यवधान) कल तो आप एविडेंस मांग रहे थे। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि यह तो आपका रिकार्ड है, +++ यह आसन की अवमानना है।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से रिकार्ड को चैलेंज करने लगे तो कोई भी सदस्य सदन में बोले (व्यवधान) कल कोई भी कह देगा कि मैंने यह कहा है कि और यह नहीं कहा है। इस तरह से अगर रिकार्ड को चैलेंज करने लग जाए तो किसी भी मामले में कोई भी यह कह देगा कि यह चीज रिकार्ड में नहीं है वह कानून और प्रक्रिया की कौल शकधर और कांस्टीट्युशन में कहीं भी रूल नहीं है इसके रिकार्ड को चैलेंज किया जा सके।

डा. सी.पी. जोशी : आप तो अपना धर्म निभाइए मंत्री बनने के लिए। हमारा धर्म है वह धर्म हम निभाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्षीय निर्णय के प्रथम खण्ड में यह कहा है कि विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के बारे में सदन में चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि इन्होंने कहा है कि यहां जो स्टाफ है वह अध्यक्ष के अधीन है और यहां पर माननीय सदस्य उनकी चर्चा नहीं उठाएं। यह पेज नम्बर 261 में 1970 में जब व्यवस्था का मामला उठाया गया कर्मचारियों और यहां के सबके लिए तो व्यवस्था दी गई (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूं मैंने 307 में उठाया है, ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है मैंने 307 में उठाया। 292 में उठाया ही नहीं। क्या बातें कर रहे हैं आप? I have read rule 307. I have not raised point of order. क्या बातें कर रहे हैं आप? बड़ी इर्रेलेवेंट बातें कर रहे हों। फालतू बातें कर रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप लगातार इस सदन को (व्यवधान) यह नियम विरुद्ध है माननीय अध्यक्षजी।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपके पास कोई रूल हो तो उठाओ, लेकिन स्पेसिफिक रूल है। प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह रूल का प्रोवजिन है, आपने 307 में इसलिए उठाया कि रूलस में प्रोवीजन नहीं है। (व्यवधान) प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता।

श्री सी.डी. देवल : ये कब चैलेंज कर रहे हैं। आप जबर्दस्ती चैलेंज की बात कर रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य की भावना का ध्यान रखकर मैंने पहले ही कहा है, मैं इस बात से सहमत हूं कि यहीं पर रखी जानी चाहिए थी, यहीं पर घोषणा की जानी चाहिए थी। सदन सर्वोच्च है। और इसी हिसाब से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रोसीडिंग देखी। मैं पुन: माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हल्ला था, हमने सुना था, हम भी सदन के प्रति जिम्मेदार हैं, हम भी नैतिकता के साथ यहां पर हैं। हम जब यह बात कह रहे हैं, यह बात उन्होंने कही, दस्तखत करके कागज रखे, राजेन्द्र राठौड़ ने कागज उठाकर वहां पर रखें। इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही के बारे में प्रश्न उठाना उचित नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं यह जो कहा गया कि हमको नहीं सुना। आपको नहीं सुना होगा, लेकिन इसकी प्रोसीडिंग के बारे में बिलकुल प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि प्रोसीडिंग के बारे में बिलकुल प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि प्रोसीडिंग के बारे में प्रश्न नहीं उठाएं और जो कागज आ गये, सदन की प्रोपर्टी हो गई है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस बात को समाप्त करके आगे बिजनेस को चलाया जाना चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने और शिक्षा मंत्रीजी ने और अन्य लोगों ने यहां पर प्रश्न उठाया। यह बात तो सिद्ध हो गई कि यहां पर सदन में ही माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा परम्पराओं के अनुसार करनी चाहिए थी। फिर भी चूंकि हमको बिलकुल, हम यहां पर बैठे थे, हमको कहीं पर यह नहीं सुनायी दिया कि आपने कोई कागज सदन के पटल पर रखा है। मैं माननीय अध्यक्षजी, आपके ऊपर छोड़ता हूं। हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप व्यक्तिशः इस टेप को सुन लें

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

और सदन सेटिस्फाई हो जाए तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि आसन सर्वोपरि है।

श्री अध्यक्ष : किसको सुन लें?

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो भी कार्यवाही हुई है, टेप को सुनने का अधिकार आपको है, आप सुनकर सदन को बता दें कि यह सारी की सारी कार्यवाही हुई है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है टेप सदन में सुनाने का कोई प्रावधान नहीं है। नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं तो कह रहा हूं आप सुन लें, आप कक्ष में सुनकर बता दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मैं सुन लूंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कागज है आपके पास।

श्री अध्यक्ष : हां, कागज मेरे पास है। क्या आप यह चाहेंगे कि अखबारों में जो-जो छूट दी है उससे संतुष्ट हैं या यह कागज आप देखना चाहते हैं तो मैं सदन के पटल पर रखना चाह रही हूं, जो कोई देखना चाहे देख लें।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब आप पर छोड़ दिया है तो हमें कुछ कहना ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज साथ-साथ फिल्म देखनी है तो हमको सौहार्द् का वातावरण रखना है। फिल्म का मजा ले लेने दो। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आज पहली बार आप गुमराह नहीं कर सके। रोज गुमराह कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया। देखिए, मैंने मात्र दो मिनट कहा है। आप अकाल और पेयजल की समस्या पर बोल नहीं पाये थे, आपको समय नहीं दिया था इसलिए दो मिनट में आप अपनी बात कह दें।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे दो मिनट का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : इनको समाप्त करने दो उसके बाद।

श्री कालीचरण सर्राफ : ठीक है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

गोगुन्दा की पेयजल ज़ल समस्या समाधान हेतु अकाल राहत कार्य

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि काश्तकारों का विषय है और खरीफ की फसल वर्षा नहीं होने के कारण खतम हो गई और शीत लहर के कारण रबी की फसल भी चौपट हो गई। पूरे राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में अकाल की भयंकर स्थिति बनी हुई है और इस भयंकर अकाल की स्थिति में हमारा पूरा गोगुन्दा, कोटड़ा, दूरदराज का क्षेत्र है, इस दूरदराज के क्षेत्र में, यह पूरा एरिया पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते अलग-अलग गांव और ढाणियों में बसा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा और अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करूंगा वहां पर गोगुन्दा और कोटड़ा जैसे दूरगामी क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में अकाल राहत का काम नहीं खोले जाने से बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसकी लेबर सीलिंग भी बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, लेबर सीलिंग किसी गांव में 20 है और कहीं 10-10 लेबर है जिससे दूरदराज से सभी भाई आते हैं जहां पर 20 लेबर होते हैं वहां 200 और 400 लेबर आकर खड़ी हो जाती है वहां पर लगाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उस एरिया में जहां पर बड़े-बड़े कस्बे हैं और बड़े कस्बों के साथ दूरदराज के गांव हैं, ऐसी बड़ी-बड़ी ढाणियां और फलें हैं जो राजस्व गांव तो नहीं हैं, परन्तु ऐसे गांवों में भी काम प्रारम्भ करना अति आवश्यक है और वहां पर लेबर सीलिंग बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति गोगुन्दा में 147 राजस्व गांव हैं, परन्तु उन सभी राजस्व गांवों में काम नहीं खोला गया है। कोटड़ा में 302 गांव हैं, कोटड़ा में भी सभी गांवों में अकाल राहत के काम नहीं खोले गये हैं जिससे हर गांव व ढाणी में समस्या का सामना करना पड़ता है और लेबर को पलायन करके बाहर जाना पड़ता है। इसलिए वहां पर जो दूरदराज के गांव व ढाणियां हैं उनमें लेबर सीलिंग बढ़ाकर हर गांव ढाणी व मजरे में भी कार्य खुलवाये जाने का काम कराएं, जो कुछ कार्य खोले गये हैं उसमें भी अनियमितताएं हो रही हैं।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सिवाडियों का सोरा से कोदाला मालवा काछोरा जो पंचायत है उसमें जो काम चल रहे थे, 16.3.2005 से जो काम प्रारम्भ किया गया और मस्टररोल 318178 जो मस्टररोल नम्बर है और राणाराम राजाजी करके मेट है उसने बिना काम के, माननीय अध्यक्ष महोदय, काम भी नहीं हुआ है वहां। यह बिलकुल फर्जी मस्टररोल भरे जा रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, साहिरा से मानपुरा पटरी सुदृढ़ीकरण का काम है जिसमें 1.2.2005 से 10.2.2005 तक जो काम प्रारम्भ किया गया उसमें मस्टररोल 55647 और 55648 और जिसमें 30 लेबर थे, इसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय, अनियमितताएं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मांगीलाल गरासिया : और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, पलासमा से जरगाई रोड जो चल रहा है उसमें भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। 1.2.2005 से और 10.2.2005 तक जो लेबर चली उसमें भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 55667 जो मस्टररोल नम्बर है, उसमें भी अनियमितताएं हुई हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर कुछ काम चले उसमें अनियमितता हो रही हैं। कहीं-कहीं बिलकुल ही काम नहीं चल रहा है वहां पर लोग बेरोजगार रह रहे हैं और रोजी रोटी की तलाश में पलायन करना पड़ता है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि गांव और ढाणियों में ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाकर अकाल राहत का काम शुरू करावें।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री मांगीलाल गरासिया : दूसरा, मैं पानी के लिए थोड़ा-सा निवेदन करूंगा। एक मिनट में मेरी बात को खतम कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की भयंकर समस्या उस एरिया के लिए बनी हुई है। उसमें मैं अनुरोध करूंगा जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती है, वहां पर सार्वजनिक कुएं निर्माण करके पानी की समस्या का समाधान करावें। और दूसरा जहां पर अभी पानी के टेंकर नहीं प्रारम्भ किए गए हैं। पानी के टेंकर प्रारम्भ करके पानी की समस्या का समाधान कराया जाए। और दूसरा जो सूखेर डेम से पानी जिस तरह गोगूंदा को दिया जा रहा है उनके बीच के जो 12 गांव हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय. उन गांवों में पानी बिलकुल नहीं दिया जा रहा है और सीधे ही

(श्री मांगीलाल गरासिया)

बिना फिल्टर के वह पानी गोगूंदा को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। उसमें भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको अच्छा पानी दिया जाए' और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय नांदेसमा जो पंचायत है वहां पानी की भयंकर समस्या और किल्लत है। पदराड़ा कमोल का भी एरिया इसी तरह का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि ऐसे गांव और ढाणियों में जहां पर पानी की दिक्कत है, किल्लत है, वहां पर उनका समाधान हो।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, पानेर से विजयवाड़ा जो रोड़ है वह काफी लम्बे समय से नहीं चला है। इसी तरह रावत से देवरानमाण, हरावाली बड़ली से आमली, घाटी कुडलावास, पाटिया से मजावात, बरावली से आंगनवाड़ी पंचायत बिसमा, भूताड़ बड़ली से मोगार्यों का थाना पंचायत करदा, सिदरावास से सार्कान्या (गोगुन्दा) और कयारला से रामदेवजी का मंदिर (कोटड़ा) तक।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मांगीलाल गरासिया : यह बहुत ही दूरदराज के एरिया की बात निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसी तरह से अंगाला बेड़ा से आम्बर कोटड़ा तक और भूतवड़ से सिवड़ियों का सोरा और सांभरमाल से कलीम और राड़या से जाड़ी रहिण तक भुजा से काड़ा स्कूल, मातारूपण से कुआब स्कूल लुहारण और देवड़ों का गुड़ा से श्मशान घाट कायबा। मैंने निवेदन किया, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बहुत बढ़िया।

श्री मांगीलाल गरासिया : इसमें भी मैन रोड़ से हायला पाबा रोड तक का और केला की सेरी से रावत तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, और यहीं छापा की नाल से कड़च और सम्पर्क सड़क का वक्त काबर जो एरिया है, दूरदराज के एरिया में बहुत ही अति आवश्यकता है। अकाल के इन कामों को प्रारंभ करके उस एरिया के लिए लाभान्वित कराने का काम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, बहुत-बहुत। श्री भरत सिंह।

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : हां, जीरो आवर के बाद दे दीजिएगा, आपका क्या है?

श्री जुबेर खान : दो तीन वक्ता हैं, दो-दो मिनट उनके बाद, आप आराम से दीजिए।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं बोल लूं, आप एक मिनट बिराज जाएं।

श्री भरत सिंह : आप तो एक मिनट में, मैं तो दो मिनट में पूरी बात खतम ही कर लूंगा। आप नहीं बोलेंगे उससे कम बोलूंगा मैं, आप बिराजिए।

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर के बाद दे दीजिएगा, आपको क्या है?

श्री कालीचरण सर्राफ : हां, कोई बात नहीं।

कोटा संभाग में सरसों की खरीद में अव्यवस्था

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, पिछले दो महीने से प्रदेश में विभिन्न मंडियों में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हो रही है। खेती अपने आप में एक बहुत बड़ा उसमें बहुत परेशानी किसानों को होती है और अपनी उपज बेचने में उससे ज्यादा परेशानी किसान को हो रही है। मैं कृषि मंत्रीजी, को जो प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है, भामाशाह मंडी, अगर उस मंडी में प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाए कि आप पांच दिन तक माल नहीं लाएंगे तो यह तो कैसे व्यवस्था चलेगी? इन दिनों में मंडी के अन्दर सांगोद जहां मेरे खुद की तहसील है, मंडी के दरवाजे बंद हैं। मंडियों में माल पड़ा हुआ है। किसानों से कह रहे हैं कि आप माल मत लाओ। इतनी, यह तो मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसान को इस बात के लिए पाबंद करें कि मंडी में माल आप नहीं लाएं। आपको तीन चीजों की व्यवस्था करनी है। आपको किसानों को जो आप माल पड़ा हुआ है, 50 हजार बोरी सरों की भामाशाह मंडी में पड़ी हुई हैं, उठ नहीं रहा है और जब उठ नहीं रहा है तो, नया माल आएगा कैसे? जो बेचने जा रहा है उसको 25 तारीख को तो टोकन व्यवस्था आपने चालू की है। कल की तारीख में 8 हजार बोरी सरसों की किसानों ने मजबूरी से किसान जिसको पैसे की जरूरत है। उसको व्यापारी के पास बेचना पड़े और दो सौ रुपये क्विंटल के भाव से दो करोड़ 60 लाख रुपये का नुकसान तो भामाशाह मंडी कोटा में ही हो रहा है। मैं आपको इस बात के लिए इनको तरफ इशारा करें, कृषि मंत्रीजी आप हैं। उपज सीधा इसको, मैं आपको ही सम्बोधित करूंगा कि आप इतनी सी व्यवस्था करें, यह आपका दायित्व बनता है। कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्रीजी, कम से कम उस मंडी में जाकर हालात को तो देखें। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि हम इस सदन में बार बार आपका ध्यान दिलवा रहे हैं और सम्बन्धित मंत्रीजी जाकर मंडी के

(श्री भरत सिंह)

अन्दर उस व्यवस्था का अवलोकन भी नहीं करें। व्यवस्था का अवलोकन नहीं करेंगे तो आप करेंगे कैसे? तो मेरा इतना ही निवेदन है, कल सदन खतम हो जाएगा। आप दोनों मंत्री सहकारिता मंत्री और कृषि मंत्री जाकर वहां पर देखें। उसकी रेट की व्यवस्था करें ताकि माल उठे और किसानों को मजबूरी में अपना माल, वहां मंडी में हो क्या रहा है, कई लोगों ने पैसा लगा रखा है। वहां पर मंडी में प्रवेश दरवाजे पर कम से कम सौ आदमी व्यापारियों के बैठे रहते हैं और उसको पकड़ते ही, ट्राली में लाते ही, चल मंडी में। तेरा पैसा कहां आएगा। उसको पकड़कर मंडी में ले जाते हैं। उसकी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने पैसा ले रखा है। तो इस अव्यवस्था को मिटाने का कष्ट करें और वहां पर जाकर हालात को समझें। अगर आप वहां पहुंचेंगे तो आप किसानों की पीड़ा समझेंगे और मुझे निश्चित उम्मीद है कि शायद चले जाएं।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित मंत्रिगण कुछ कहना चाहेंगे क्या आप इस बारे में?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विशेषकर कोटा, सांगोद का उल्लेख किया है कि पांच दिन से वहां मंडी बंद है।

श्री अध्यक्ष : राजकुमारी शर्मा, आप इतनी जोर से बोल रही हैं कि मुझ तक आवाज आ रही है।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरी बात को घुमा दिया। मैं कहा रहा हूं मंडी बंद से मतलब यह है कि किसान को अन्दर ले जाने के प्रवेश करने के लिए पाबंदी कर रखी हैं कि वहां तक जहां अन्दर का माल नहीं तुलेगा। उस बात पर कह रहा हूं। आप बात को यह नहीं कहें कि मंडी बंद कर दी है, मंडी बंद इसलिए कि किसान माल लेकर नहीं आ पा रहा है, उसके लिए बंद है। आज ही मेरी एस.डी.ओ. से बात हुई है सांगोद के अन्दर मैंने कहा कब आप, कि हमने इसको अभी 25 तारीख को लोगों से बोला कि आप 25 तारीख के बाद आएं। कल एक भी किसान अपना माल लेकर मंडी के दरवाजे, क्योंकि फाटक वास्तव में, हकीकत में बंद हैं क्योंकि जगह ही नहीं है अन्दर जाने के लिए। ताला लगा रखा है। इसको जब तक पांच हजार बोरी जो वहां पड़ी हुई हैं, उठेंगी नहीं वहां तक रास्ता नहीं है और यह उठाने की व्यवस्था आपने 15...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो इनको राजस्थान सरकार के लिए धन्यवाद देना चाहिए और भगवान का भी आभार व्यक्त करना चाहिए कि बहुत बम्पर क्राप हुई है सरसों की।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए सरकार को क्यों दें, भगवान को दे न?

श्री मदन दिलावर : सरकार को मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, मेरी पूरी बात सुन लें। मैं इसलिए धन्यवाद की बात कह रहा हूं कि पहले खरीद जो सरसों की होती थी वह सामान्यतया 15 अप्रैल से पहले कभी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : हां, नहीं हुई, यह बात सही है।

श्री मदन दिलावर : पहली बार हमने दो फरवरी से सरसों की खरीद प्रारम्भ की है और अभी तक हम 84 लाख बोरी सरसों खरीद चुके हैं। 1200 करोड़ से ज्यादा की सरसों खरीद चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह तो बहुत अच्छा किया आपने, इनकी जो प्राब्लम है उस पर आप जवाब दें, जवाब उनका ही दे दें और बाकी का छोड़ें।

श्री मदन दिलावर : हां, इनकी प्राब्लम मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, पहले कभी सौ केन्द्रों से ज्यादा नहीं खोले, अब की बार हमने 265 केन्द्र खोले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बम्पर क्राप हुई। काफी सारे लोग एक साथ आ रहे हैं और कुछ अफवाह इस प्रकार की कर दी गई है कि सरसों के तोल केन्द्र या खरीद केन्द्र कभी भी बंद हो सकते हैं। इसके कारण से सारे के सारे काश्तकार एक साथ आ रहे हैं। हम लगातार सरसों को तोल रहे हैं और लगातार सरसों का उठाव कर रहे हैं। लेकिन आवक ज्यादा है, यह सच है कि जो उठान की जिम्मेदारी, नैफेड को व्यवस्था करनी थी, कि भंडारण कहां करना है, बरदाना कितना देना है, यह नैफेड ठीक प्रकार से समय पर व्यवस्था नहीं कर पाया? फिर भी हमने अलग स्तर पर मीटिंग की है। हमने एम.डी. और भारत सरकार से बातचीत की है, चीफ सैक्रेटरी महोदय ने इस विषय में मीटिंग ली है स्पेशली। और अब रेलवे से हमको 15 रेक मिले हैं और भी हमने वेयरहाउस निजी सरकारी और गैर सरकारी जितने भी थे, सब वो हायर कर रहे हैं।अब निरंतर रूप से उठाव हो रहा है।

यह सच है कि जहां तक मण्डी भरी रहेगी वहां तक हम अगर किसी को कह भी देंगे कि मंडी के अन्दर आ भी जाये तो कहां माल डालेगा,

(श्री मदन दिलावर)

अव्यवस्था हो जाएगी। हमने यह कहा है कि यह माल है इसको तौल कर शिफ्ट कर देते हैं फिर रेगुलर आपको आने देंगे क्योंकि टोकन व्यवस्था वहां पर की है। इसके कारण से थोड़ी बहुत प्राब्लम काश्तकारों को आई है क्योंकि लाइन लगी हुई है इसलिए माननीय सदस्य का कहना है कि वहां अव्यवस्था हो रही है। मैं फिर भी यह कहता हूं कि यहां से जिम्मेदारी अधिकारी को, राजफैड के एम.डी. की सांगोद और कोटा कल ही भेजता हूं और भेजकर के वहां जितनी भी दिक्कतें होंगी तो सब का समाधान मौके पर एम.डी. करके आयेंगे। यह मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसके अलावा आप अखबारों में भी निकाल सकते हैं कि पांच दिन तक कोई लेकर के नहीं आये क्योंकि अभी हमारे पास इतना बारदाना पड़ा हुआ है, इतनी बोरियां हैं कि अभी नहीं ले पायेंगे ताकि लोग परेशान नहीं हों।

श्री मदन दिलावर : यह तो माननीय सदस्य ने ही कह दिया कि एस.डी.एम. ने इस प्रकार की सूचना निकाली है कि हम पांच दिन तक आपका नहीं खरीद पायेंगे। यह कह चुके हैं हम लोग।

श्री अध्यक्ष : तो ठीक है। श्री जितेन्द्र सिंह।

अलवर में नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद द्वारा विकास कार्य

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है कि जब से यह नई सरकार आई है, अलवर को शायद राजस्थान से निकालकर...

श्री अध्यक्ष : अलवर नगर विकास न्यास की बात कर रहे हो और सरकार की बात आ गई। आप अपनी बात कहो न।

श्री जितेन्द्र सिंह : जब से यह नई सरकार आई है, अलवर को राजस्थान से निकालकर शायद पाकिस्तान के अन्दर जोड़ दिया है। इसका शायद यही कारण है कि अलवर से सात विधायक कांग्रेस के जीते हैं, एक एम.पी. कांग्रेस का जीता है। अलवर के विकास के ऊपर, अलवर शहर के विकास के ऊपर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं आप द्वारा मंत्रीजी को एक प्रस्ताव करना चाहूंगा कि यह जो नगर विकास न्यास है, इसका जो नाम आपने नगर विकास न्यास कर रखा है इसका नाम बदलकर के आप नगर विनाश न्यास रख दें। यू.आई.टी. का नाम, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह अन इन्वाइटेड ट्रबल रख दें। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज

(श्री जितेन्द्र सिंह)

अलवर यू.आई.टी. के अन्दर 18 करोड़ रुपये की एफ.डी. करा रखी है। एक नये पैसे का काम नहीं हो रहा है। आप अपने रिकार्ड में देख लें, यह सदन में मेरा स्टेटमेंट रिकार्ड हो रहा है कि पिछले डेढ़ साल के अन्दर एक रेड लाइट, लाल बत्ती, ट्रेफिक की एक रेड लाइट के अलावा आपने एक नये पैसे का काम कराया हो तो मुझे बता दें। आप पूरे अलवर शहर के सारे रोड़ टूटे पड़े हैं। एक फ्लाईओवर का प्रस्ताव जो बहुत समय से है, उसकी टैंडर प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी थी, उसका पूरा प्रोजेक्ट भी बना लिया था, उसके लिए आज फाइलों पर डिले कर रहे हैं। कभी जयपुर भेज रहे हैं, कभी वापस फाइलें आ रही हैं।

माननीय मंत्रीजी, मैं यहां तक आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कौनसी यू.आई.टी. है या ऐसा कौनसा बोर्ड है पूरे राजस्थान के अन्दर कि हमारी यू.आई.टी. की आखिरी मीटिंग 23.6.2004 को हुई यानि एक साल से यू.आई.टी. की मीटिंग भी नहीं की है आपने। तीन बार बोर्ड मीटिंग के नोटिसेज आये और उस मीटिंग को आपने स्थगित कर दिया। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपका नाम है नगर विकास न्यास, यह क्या सिर्फ स्कीम के अन्दर काम करवाता है? राज्य सरकार ने आदेश निकाल रखें हैं कि नान स्कीम के अन्दर नगर विकास न्यास अपनी खुद की योजना के लिए ही नहीं है, गैर योजना क्षेत्र में भी काम कराना चाहिए। कोई भी गैर योजना क्षेत्र का काम चाहे म्युनिसिपैलिटी एरिया का हो, चाहे कोई और काम, कच्ची बस्ती का काम लेकर के आयें तो उसको सीधा सा जवाब देते हैं कि यह तो हमारे योजना क्षेत्र में आता ही नहीं है। मैं आपको पुलिंदा लाकर के दे दूंगा कि इतनी चिट्ठियां मुझे आपके विभाग ने दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गम्भीर बात आपके सामने और रखना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : यह एक और कैसे रखेंगे? यह तो इसका ही रखेंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह : इसी विषय की बात है, नगर विकास न्यास की बात है। उसके अलावा और कुछ नहीं रख रहा हूं। नगर विकास न्यास की मीटिंग के अन्दर तक सम्भागीय आयुक्त को 24.10.2003 को चिट्ठी निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र और सचिव नगर विकास न्यास ने निकाली। इसके अन्दर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 1.2.2003 को जो गरीब समाज हैं, जो असहाय समाज है, जो अपनी जमीन नहीं खरीद सकते। वृद्धाश्रम के लिए, बालिका छात्रावास के लिए उसके लिए छात्रावास बनाने के

(श्री जितेन्द्र सिंह)

लिए एक हजार गज जमीन नि:शुल्क देने का आदेश निकाल दिया। यू.आई.टी. की बोर्ड की मीटिंग हुई, बोर्ड के अन्दर फैसला लिया गया कि अध्यक्ष नाथ समाज अलवर को एक हजार गज भूमि दी जाए, नामदेव छीपी समाज को एक हजार गज भूमि दी जाए, धानका समाज और राजपूत समाज, जिला मेव समाज, हमारे बंशीवालजी आज यहां नहीं हैं नहीं तो वे खुश होते, जयरामजी विराजमान हैं, भीमराव ज्ञानप्रकाश समिति को, मीणा समाज को, सैनी समाज को, क्रिश्चियन समाज को, गुरूनानक समाज को, बाबा खेतानाथ यादव समाज को जमीन देने के आदेश निकालकर राज्य सरकार को भेज दिये। और इन आदेशों को लेकर नई सरकार ने आते ही तुरंत फाइल मंगाकर अपने आफिसों में रख ली। आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि अलवर के अन्दर यह सारे समाज के सारे लोग रोज इकट्ठा होकर के कलक्टर के पास जाते हैं, मैं कलक्टर के पास तीन बार होकर के आया हूं, माननीय मुख्य मंत्री के पास मैंने पत्र लिखे। उनसे निवेदन किया। उनका जवाब आया कि सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा रही हूं। भिजवाने का मतलब क्या उसको कचरे के डिब्बे के अन्दर भिजवा रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, आपने देखा है कि पिछले पांच साल के अन्दर भी और इस साल के अन्दर भी मैं बहुत कम बोलता हूं और अपनी बात बहुत शांति से रखता हूं। लेकिन अलवर के अन्दर, अलवर की जनता में एक बहुत रोष पैदा हो गया है। वहां स्थिति खराब होने वाली है। हमारा एक फ्लाईओवर जिसके अन्दर कुछ दिन पहले ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि क्वालिस ने सात लोगों को कुचल दिया। वह ऐसा फ्लाईओवर है, मुझे लगता नहीं कि राजस्थान के अन्दर या हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसा फ्लाईओवर होगा जिस पर हर महीने 400 एक्सीडेंट हो जाएं। और उस फ्लाईओवर पर रोज 10 एक्सीडेंट होते हैं। पूरे शहर में रोड टूटे पड़े हैं। कोई मंत्री आता है, मुख्य मंत्रीजी आती हैं तो उनके रूट पर कारपेटिंग कर दी जाती है।

एक माननीय मंत्रीजी से और निवेदन करना चाहता हूं। पूरे राजस्थान की बात है इसी नगर विकास न्यास के ऊपर कि आपकी सरकार आते ही एक आदेश जारी कर दिया कि जितने भी मैम्बर हैं सारे विधायक हैं इनको हटा दिया जाता है नगर विकास न्यास से। क्या आप अपना विकास अपने अधिकारियों से करवायेंगे? हम भी जन-प्रतिनिधि हैं। हो सकता है कि आपने

(श्री जितेन्द्र सिंह)

इसलिए हटाया हो कि कुछ कांग्रेस के भी विधायक शहरों के अंदर जीतकर आयें हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार के अन्दर अलवर विकास न्यास के अंदर तिजारा से माननीय सदस्य यादव साहब जो दूसरी पार्टी के थे उनको भी सदस्य रखा था। मैं आपका निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर हर विधायक चाहे कोई भी पार्टी का विधायक हो, आप उसके अन्दर सदस्य रखिये जिससे जो सरकारी मनमानी होती है, जो सरकारी कर्मचारी मनमानी करते है यू.आई.टी. के अन्दर बैठे हुए वह नहीं हो। इसके साथ साथ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 10 मिनट हो गये।

श्री जितेन्द्र सिंह : एक सैकण्ड मुझे मालूम नहीं था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री स्टाप वाच रखते हैं कि कितने मिनट चल रही हैं। आखिरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी हड़ताल सिर्फ अलवर में ही नहीं, पूरे राजस्थान के अन्दर होने वाली है। माननीय मंत्रीजी ने, सरकार ने आदेश निकाला है कि डोर-टू-डोर सफाई अभियान हो। डोर-टू-डोर सफाई अभियान के दौरान इन्होंने यह ध्यान नहीं रखा कि जो आलरेडी वहां लोग काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं उनका क्या इंतजाम किया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अलवर नगर परिषद ने तो चेतावनी दे दी है, वहां के सारे कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दे दी है 28 तारीख डैड लाइन दी है कि 28 तारीख के बाद वहां हड़ताल हो जाएगी। न वहां सफाई होने वाली है और न कुछ होने वाला है। ऐसा ही पूरे राजस्थान के अन्दर चल रहा है। बहुत अच्छी बात है आपने डोर-टू-डोर सफाई अभियान चलाने की कोशिश की है लेकिन उसके साथ-साथ...

श्री अध्यक्ष : साथ साथ रहने दो। आप डोर-टू-डोर सफाई कर लो, अब साथ-साथ रहने दो।

श्री जितेन्द्र सिंह : .. वहां की जो लोकल समितियां हैं उनका भी आप ध्यान रखें। दूसरा सवाल सर, यह है कि उनका भी आप ध्यान रखें, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि, आगे बात यह है कि हम बात कर रहे हैं ईमानदारी होनी चाहिए। हम यहां बैठे-बैठे विधान सभा के अंदर...

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : आप नगर विकास न्यास की बात करते-करते कहां ईमानदारी पर आ गये?

श्री जितेन्द्र सिंह : नहीं, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम यहां विधान सभा में बैठे-बैठे हम अपनी सेलेरी को बढ़ावा लेते हैं, हम अपना वेतन भी बढ़ा लेते हैं, हम अपने भत्ते भी बढ़ावा लेते हैं, लोक सभा के अन्दर बैठे-बैठे, वह एम.पीज. भी अपने भत्ते बढ़वा लेते हैं। लेकिन एक पार्षद को सिर्फ 1050 रुपये मिलते हैं। वह पार्षद 1050 रुपये के अन्दर क्या कर सकता है? उसमें मुझे यह लगता है कि 1050 रुपये में तो पांच बार नगरपरिषद् ही नहीं पहुंच पायेगा, इतना तो पैट्रोल के ऊपर ही खर्चा लग जाता है।

श्री अध्यक्ष : अब आप विकास कार्य करवाते-करवाते भत्तों पर आ गये।

श्री जितेन्द्र सिंह : मेरा निवेदन है कि इनके भी तनख्वाह-भत्ते बढ़ाये जायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री जुबेर खान। नहीं नहीं, इस पर नहीं। स्थगन प्रस्ताव जिसका होता है, उसका तो बोलना है, आपका तो नाम ही नहीं है। ऐसे कैसे बोलेंगे?

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य के बोलने की समय सीमा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समय सीमा, हर्गिज नहीं, मैं आपको चार मिनट से आगे नहीं बढ़ने दूंगी क्योंकि बाकी लोग अधिक से अधिक समय ले चुके हैं... (व्यवधान) चार मिनट four minutes only. You will have to narrate everything.

श्री जुबेर खान : अब क्योंकि महावीरजी नहीं हैं तो इनको वह काम करना है, किसी को तो करना है।

श्री अध्यक्ष : अब आप अपनी बात पर आ जाओ।

दौसा के बसवा कस्बे में वक्फ बोर्ड की जमीन का ेचान

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले के बसवा तहसील में तकिया दुपालिया मस्जिद, एक घर और कुछ जमीन हैं वहां, जो वक्फ बोर्ड की सम्पति है और काफी सैकड़ों सालों से वह सम्पति है। अध्यक्ष महोदय, वक्फ

(श्री जुबेर खान)

बोर्ड की और देवस्थान की सम्पतियों के बारे में राज्य सरकार ने अनेकों बार परिपत्र जारी किये हैं। 22.7.1982 को परिपत्र जारी हुआ, 19.12.1992 को हुआ, 17.10.2002 को हुआ और उसमें स्पष्ट लिखा है कि, मैं 1992 का परिप्रत्र पढ़ना चाहूंगा कि "उपरोक्त मामलों में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक सच एण्ड सच, दिनांक 1992 द्वारा निर्देश दिये गये थे मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान और मकबरों की सम्पतियां जिनमें मुआफी, बिस्वेदारी. इनाम या खातेदारी दर्ज थी, को जिनको उनके मुतवलियों, व्यवस्थापकों, खादिमों, सज्जादानशीनों, पुजारियों व देख-रेख करने वालों ने अपने नाम दर्ज करा ली हैं, उनकी उचित कार्यवाही करके वक्फ के नाम दर्ज किया जाये। और जब भी ऐसा मामला सामने आये तो रिकार्ड दुरस्ती की कार्यवाही तुरन्त की जाये। और एक इसमें और कहना चाहता हूं कि जिन भूमि-सम्पतियों का इन्द्राज सम्बन्धित वक्फ बोर्ड के नाम नहीं होकर अन्य के नाम दर्ज कर दिया गया है, उन्हें राज्य सरकार के परिपत्र फलां-फलां की अनुपालन में वक्फ सम्पति दर्ज किया जाये और जमाबन्दी व अन्य अभिलेखों में दुरस्ती की जाये ताकि सदैव नामान्तरकरण नहीं खोले जा सके।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहीं नहीं, पूरे राजस्थान के अन्दर ऐसे कई जगह मुद्दे हैं, मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस जमीन का गजट नोटिफिकेशन जो 1965 में हुआ। उसमें भी कस्बा तहसील बसवा के क्रम संख्या (2) पर यह प्रोपर्टी इन्द्राज है वक्फ बोर्ड में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें जो खातेदारी में दर्ज था, भूरा शाह, लालकिशन शाह, ताला किशन शाह, चेला याकिन शाह, कौम मुसलमान, साकिनदेह खातेदार। यह आदमी बहुत पहले गुजर गया और 23.12.2004 को विरासत का इंतकाल चेला या किन शाह के नाम से खोल दिया जो कि याकिन शाह वहां रहता ही नहीं है। और उस याकिन शाह के नाम से खाता खोलकर एक फकीरा नाम का आदमी, फकीरा पुत्र खैराती शाह ने यह जमीन को 7.3.2005 को विनोद कुमार पुत्र जगन्नाथ एवं श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री विनोद कुमार निवासी जैपुरा तहसील बसवा को बेच दिया। आज वहां के समाज के लोग जिलाधीश से मिले कि इसका इंतकाल दर्ज नहीं किया जाये। और इंतकाल तो दर्ज नहीं हुआ लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, वक्फ मंत्रीजी यहां बैठे हैं और यह स्पष्ट है कि भाजपा के मैनिफेस्टो में भी आपने यह बात कही है वक्फबोर्ड की सम्पतियों का इन्द्राज दुरुस्त कराया जायेगा। और आज

(श्री जुबेर खान)

इतने साल हो गये हैं कि वक्फबोर्ड की और देवस्थान की सम्पत्तियों को उनके रक्षक ही भक्षक बनकर बेच रहे हैं, यह बड़े दु:ख की बात है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण कीमती भूमि को माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 लाख रुपये की भूमि को पांच लाख रुपये में सौदा कर दिया गया है, यह बहुत ही गलत हुआ है, इसकी जांच आप कराइये और इसको आप दुरस्त कराइये, इसकी रजिस्ट्री को खारिज कराइये। जिन लोगों ने ऐसा किया है,

(13.04 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये। और माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ जब होती है तब हम जन प्रतिनिधि जो हमारी और आपकी पार्टी के हैं, दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में 1998 में कांग्रेस के मेनिफेस्टों में यह आया और 2003 में आपके मैनिफेस्टो में यह आया कि वक्फबोर्ड की सम्पतियों का इन्द्राज दुरस्त किया जायेगा। और जो गलत नाम में चढ़ गया है, उनको दुरस्त करके आप सुओमोटो भी कर सकते हैं कि तहसीलदार या कलक्टर या एस.डी.ओ., उसमें हम राजनैतिक दलों के लोग उस जमीन को अपने राजनैतिक प्रभाव लगाकर खरीद रहे हैं, बड़े दुख की बात है। आप जांच कराइये, यह विनोद कुमार शर्मा दौसा में उप जिला प्रमुख रह चुका है। और हाल में ही सम्पन्न पंचायती राज चुनावों में पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़कर हार चुका है। अगर ऐसे लोग ही इस तरह की कार्यवाही करेंगे तो न्याय कौन दिलायेगा?

मंत्री महोदय, आप यह व्यवस्था करके तुरन्त कलक्टर साहब को आदेश दीजिये कि जमीन की रजिस्ट्री को खारिज करने की कार्यवाही की जाये। जो गलत इन्द्राज कर दिया गया है, इसको वक्फ के नाम सम्पति को चढ़ाया जाये। और इसी तरह से पूरे राजस्थान में जहां कहीं भी हो रहा है, बहुत जगह, और जिलों में भी हो रहा है, इसमें तुरन्त रोक लगायें। और आपका परिपत्र संख्या जो 1982 में, 1992 में और 2002 में निकले हैं जिलाधीश के नाम से, उनको अमलदराज कराइये। और उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकर दु:ख होगा कि जो सिर्फ यह विनोद कुमार शर्मा, जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है, यह सबसे बड़ी दु:ख की बात है। यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आप तुरन्त इस पर कार्यवाही

(श्री जुबेर खान)

करके इस बेशकीमती जमीन को भू-माफिया के नीचे जाने से बचायेंगे इससे साम्प्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता है। अगर मान लें, कल कोई इस भूमि का कब्जा लेने की कोशिश की, समाज के लोग उसका विरोध करेंगे और वहां साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए आप इसके ऊपर कार्यवाही कराइये, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद मानानीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पूरे प्रदेश में आज वक्फ और देवस्थान की सम्पत्तियों पर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं। यह सम्पत्तियां चाहे मन्दिरों की हो चाहे वक्फ बोर्ड की हो, सरकारी सम्पत्तियां हैं, इन सम्पत्तियों की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए मेरा भी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बाबत यह ध्यान आकर्षित किया है, यह बेशकीमती जमीन है, बहुत पुरानी वक्फ सम्पत्ति है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए माननीय वक्फ मंत्रीजी, आप स्वयं राजस्व मंत्री भी हैं. इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सारा रिकार्ड मंगवाकर, इनका रिकार्ड दुरूस्ती कराइये और वक्फ सर्वे, जो आपने चुनाव मेनिफेस्टो में भी कहा था कि हम समय सीमा में क्योंकि अभी तक कुछ काम बाकी रह गये हैं, आप उसकी छह महीने सीमा और बढ़ाइये। वक्फ जायदादों की पुनः सर्वे जो दुरूस्त नहीं हो पाये हैं, उसको सही कराने का काम कीजिये।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, कुछ तो बोलिये, कैसे कार्यवाही करायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में वक्फ की सम्पतियां बहुत हैं। मैं अजमेर जिले के बारे में पूछना चाहता हूं..

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में देवस्थान और वक्फ की सम्पत्तियों के ऊपर भू-माफिया कब्जे कर रहे हैं और उनको जो माननीय सदस्य उसके मालिक नहीं है, वह बेचान कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण में आपको वक्तव्य देना चाहिए। और जो प्रकरण माननीय सदस्य ने उठाया है उसके बारे में भी आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह बतायें

श्री जयराम जाटव : माननीय उपाध्यक्षजी, चूंकि यह आरोप है, पूरे

(श्री जयराम जाटव)

पांच साल तक राजस्थान में राज करके गये। माननीय जुबेर खानजी ने जो कहा, वह सही कहा है कि इनके 1998 में जो इनका चुनाव घोषणा पत्र था, उसका मेनिफेस्टो था, उसमें था। और वह पांच साल तक आप कानून नहीं बना पाये और इस तरह की बातें जुबेर खानजी ने उठाई हैं, उसके लिए अमल होने की बात हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपने कस्बा बसवा के वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों के बारे में कहा है, इसके बारे में अगर मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे?

श्री रामनारायण डूडी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, मैं इस मामले को मंगवाकर पूरी जांच करवा दूंगा। और यदि किसी प्रकार का वक्फ की सम्पत्ति का गलत ढंग से बेचान हुआ है तो उनकी पूर्ण जांच करवाकर कार्यवाही की जायेगी। और साथ ही आपने वक्तव्य की बात, जैसा कि विपक्ष के नेता ने कही है, देवस्थान की जमीन को और वक्फ की जमीन को नाजायज तौर-तरीके से भू-माफिया या दूसरे जो भी खातेदार या महंत वगैरह जो जमीन बेच रहे हैं और इस प्रकार की कार्यवाही पूरे राजस्थान में हो रही है। और इस प्रकार के कार्य पूरे राजस्थान में हो रहे हैं और इस पर वक्तव्य देना चाहिए। यदि यह बात आपने पहले हमें बता दी होती तो यह पूरे का पूरा वक्तव्य में आपको दे सकता था। मगर जो आज पूछा गया है, उस पर मैं पूर्ण रूप से अभी मेरे चेम्बर में जाकर सारी पत्रावली मंगा दूंगा और आज ही उस पर कार्यवाही कर दूंगा। नगर से आने वाले माहिर आजादजी ने जो बात कही है, मैं पूरे राजस्थान के अन्दर जो भी वक्फ की प्रोपर्टी है उस प्रोपर्टी की-हमने सर्वे करवायी है और थोड़े-बहुत जो बचे हैं वह भी थोड़े दिनों के बाद पूरी की पूरी जो सम्पत्ति है उनकी गणना करके रिकार्डेड कर रहे हैं। उसमें जो समय लगेगा वह समय हम आलरेडी बढ़ा चुके हैं, यह आपको ध्यान रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कालीचरणजी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। मैं आपके माध्यम से..

श्री कालीचरण सर्राफ : आप एक मिनट..

श्री अमराराम (धोद) : मैं तो एक ही मिनट, गृह मंत्रीजी को निवेदन करना है मेरे को तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किस बारे में बोलना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : पाइंट आफ इन्फार्मेशन के ऊपर गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक ही मिनट में...

श्री कालीचरण सर्राफ : पहले मैं बोल लूं, उसके बाद बोल लेना आप। दो मिनट में क्या आफत हो रही है, समझ में नहीं आ रही।

सूचना

मुंडरू (सीकर) ग्राम के मन्दिर में मूर्ति चोरी विषयक

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले के मुंडरू गांव में एक साढे चार सौ साल पुराना बिहारीजी का मंदिर है, उसमें 16 तारीख की रात को राधा और कृष्ण की दो मूर्तियां जो बेशकीमती थीं जिनकी 16 तारीख को रात को चोरी हो गई। वामननारायण घीया का जो आपके विभाग ने ट्रेस आउट किया था, मैं समझता हूं कि जो बहुत बेशकीमती ब्रास, धातु की बनी हुई है। और सबसे प्रमुख बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, छह-सात हजार की आबादी का गांव है। और 17 तारीख से पूरे गांववासी उस मंदिर के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और आस-पास के लोग भी उस मंदिर की जो साढ़े चार सौ साल पुराना है, जहां की दो मूर्तियां चोरी हो गई। और पुलिस अभी तक ट्रेस आउट नहीं कर पाई इसलिए लोगों में बहुत भावनात्मक दृष्टिकोण है। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा मूर्तिचोर गिरोह फिर राज्य में सक्रिय हो गया तो निश्चित रूप से पुलिस की एक टास्क फोर्स बनाकर उन मूर्तिचोरों को ट्रेस आउट करें। और वहां जाकर पुलिस प्रशासन भी उन लोगों को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है उन मुलजिमों के बजाय, जो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, मंदिर के सामने पिछले चार दिन से बैठे हुए हैं। आस-पास के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। और न केवल हिन्दू धर्मावलम्बी बल्कि मुसमलमान धर्मावलम्बी भी पिछले चार दिन से उनके साथ मूर्तिचोरों को पकड़ने के लिए हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, उनको ट्रेस आउट करारें और उनको विश्वास दिलायें कि मूर्तियों को बरामद करके मंदिर में वापस स्थापित करवा देंगे। (धन्यवाद)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, न फिंगर प्रिंटस लिये हैं वहां जहां से मूर्तियां चोरी हुई हैं..

श्री उपाध्यक्ष : अब पाइंट आफ इन्फार्मेशन हो गया। माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : न कोई खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया गया है तो पुलिस क्या कार्यवाही क्या कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप मूर्तिचोरों के ऊपर भी नहीं बोलना देना चाहते। मंदिरों के नाम से वोट लेने वाले संसदीय मंत्री महोदय, मूर्तियों की तो रक्षा करा लो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, मूर्ति चोरी के मामले के अंदर कोई एक दिन पुलिस को कोई आदमी नहीं मिलता है तो दो-दिन में आंदोलन करने से, यह कोई तरीका ठीक नहीं है। लोगों में खीझ है, ध्यानाकर्षित कर दिया।...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आंदोलन कहां कर रहे हैं, मंदिर के सामने अपनी भावना के लिए, मैं यह कह रहा हूं कि पुलिस के अधिकारी जाकर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं जब कि पुलिस का काम है उन मूर्ति चोरों को ट्रेस आउट करने का..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : जनता का विश्वास जीतने के लिए, कोई वहां आंदोलन करके रास्ता नहीं रोका है, कोई प्रोटेस्ट करके कहीं नहीं गये..

श्री उपाध्यक्ष : तो लोग इकट्ठे हो गये थे..

श्री अमराराम (धोद) : उस मंदिर के सामने बैठकर दो दिन तक उन्होंने धरना दिया, उस पर भजन-उपदेश कर रहे हैं और अब उन्होंने उपवास शुरू किया और आज से भूख हड़ताल शुरू की है। तो इसमें कौन-सा प्रोटेस्ट है?

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : मैं समझता हूं आंदोलन, अगर हम भावनाएं, उनके साढ़े चार सौ साल पुराने मंदिर की बेशकीमती मूर्तियां जो ब्रास धातु से बनी हुई है और उसमें मैं नहीं समझता, सरकार को निश्चित रूप से इंटरफियर करना चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली है, हमने अपने अधिकारियों को उसके लिए विशेष टीम बनाकर के ढूंढने के लिए प्रत्यन किया है। कितने दिन में सफलता मिलेगी, यह तो मैं एकदम नहीं कह सकता लेकिन प्रयत्नशील हैं हम कि जितना जल्दी से जल्दी सम्भव हो, क्योंकि जैसे पहले घीया जो प्रकरण पकड़ में आया, कई व ों की चोरियां थीं। लेकिन एक गिरोह हाथ लगा तो उससे कई चीजें निकल आई। ऐसे ही प्रत्यन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे। वहां की जनता को भी इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे, संतुष्ट करेंगे कि हम अपनी प्रक्रिया को और जितना तेज सम्भव हो सकता है, करेंगे।

स्पष्टीकरण

श्री कालीचरण सर्राफ, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरी अनुपस्थिति में जीरो आवर में खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुझ पर आरोप लगाये, उसके बारे में मैं मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने मेरे विधायक पद का प्रभाव उपयोग में लेकर जेडीए से अवैध रूप से मेरे पुत्र के नाम से पैट्रोल पम्प के लिए जमीन आबंटित करवा ली। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि जेडीए ने मुझे जमीन कोई खैरात में नहीं दी है। और जब यह जमीन अलाट हुई, 7 जून, 2002 को, तब प्रदेश में कांग्रेस का राज था। और आज के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब उस समय नगरीय विकास मंत्री थे, उस समय मैं विधायक भी नहीं था और राज भी हमारी पार्टी का नहीं था। तो उस समय मेरे प्रभाव का उपयोग मैं कैसे करता? मेरे लड़के आशीष सर्राफ ने जयपुर विकास प्राधिकरण में भूमि के आबंटन के लिए प्रार्थना पत्र दिया। एलपीसी की बैठक हुई दिनांक 7 जून, 2002 को। और उसमें यह निर्णय लिया गया कि पैट्रोल पम्प के लिए जो जमीन जेडीए ने जगतपुरा रोड पर आरक्षित कर रखी है.. (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। उसको आवासीय दर की तीन गुना राशि पर मुझे आबंटित की गई। मैंने या मेरे लड़के ने आबंटन पत्र की अनुपालना में मय राशि ब्याज और पैनल्टी कुल 61 लाख 89 हजार 150 रुपये जेडीए में जमा कराये और जेडीए ने उसकी

(श्री कालीचरण सर्राफ)

लीज डीड जारी कर दी। उसकी रजिस्ट्री हो गई। यहां पर हवाला दे रहे थे कि वह मीणा समाज की जमीन है, अनुसूचित जनजाति की जमीन है। मैं यह बताना चाहूंगा कि वह जमीन 1978 में जेडीए ने एक्वायर कर ली थी। (व्यवधान) नहीं, मैं मेरा पर्सनल एकसप्लेनेशन तो दे दूं। और जेडीए ने जो जमीन पैट्रोल पम्प के लिए आरक्षित कर रखी थी वह बिलकुल नियमानुसार एलपीसी की बैठक जब बी.डी. कल्ला साहब मंत्री थे, कांग्रेस का राज था और मैं विधायक नहीं था, उस समय मुझे अलाट की गई। यहां पर यह भी हवाला दिया गया कि अपीलीय अभिकरण जो जयपुर विकास प्राधिकरण का है, उसने इस जमीन के खिलाफ फैसला दे रखा है, पैट्रोल पम्प के खिलाफ। तो यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयुपर विकास प्राधिकरण अपीलीय अभिकरण जो है उन्होंने जो फैसला दिया था वह खसरा नम्बर 4/104 की जमीन, जो जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवाप्त नहीं की और वह जमीन उन खातेदारों की थी उसके बारे में यह फैसला किया था कि यह जमीन पैट्रोल पम्प के लिए या किसी को भी आबंटित नहीं की जाय। और खातेदारों को उससे बेदखल नहीं किया जाय जबकि मुझे जो जमीन आबंटित की है वह खसरा नम्बर 4/104 में नहीं है। अब कल दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह फिर जमीन गई कहां? तो मैं यह बताना चाहूंगा कि वह जो खसरा नम्बर 4/104 की जमीन थी वह निजी खातेदारों ने अपने निजी हित में पहाड़गंज गृह निर्माण सोसायटी को उसका 1975 में एग्रीमेंट कर लिया और यह एग्रीमेंट की कापी मेरे पास है। और अब उसकी जेडीए में खुद अभी एप्लीकेशन देकर उसकी 90-बी की कार्यवाही करवा ली। वहां पर अशोक कालोनी के नाम से कालोनी विकसित हो गई, मकान बन गये। अब क्योंकि यह जमीन खाली पड़ी है और वहां पर वह इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर सदन को गुमराह करके और वह कब्जा करना चाहें, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति किसी भी हालत में हो नहीं सकती। और मैं चुनौती देता हूं कि मैं 1985 से लेकर 1998 तक विधायक रहा और आज मैं विधायक हूं, मेरे विधायक जीवन में या इसके अलावा भी कोई एक व्यक्ति भी इस बात के आरोप को सिद्ध कर दे कि मैंने जयपुर विकास प्राधिकरण या नगर निगम के माध्यम से एक इंच जमीन भी कहीं पर यदि गलत आबंटित करवाई है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। परन्तु इस प्रकार के अनर्गल आरोप इस सदन में लगाकर सदन का स्तर नहीं गिरायें, यही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। और मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं, तो मंत्रीजी भी इस बारे में जो तथ्य हैं वह सदन को इस बारे में अवगत करायें। धन्यवाद।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, दो सवाल पूछेंगे। मंत्रीजी, आप तो यह बता दें कि ये जो जमीन अलाट हुई है पेट्रोल पंप के लिए क्या यह सही है कि जगतपुरा रोड के पश्चिम की तरफ...।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई रिकार्ड नहीं होगा आपका। माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसकी परमीशन से बोल रहे हैं आप?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं पहले आप बैठ जाइये मैं परमीशन नहीं दूंगा आपको। आपका कोई प्रश्न तो है नहीं। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप सुनिये माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : पहले मंत्री को कहने दीजिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : पहले मंत्री को जवाब देने दीजिये। पहले मंत्री को कहने दीजिये फिर पूछना आप। पहले मंत्री का जवाब आने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, अपने नियमों में एक परम्परा है मैं सदन से कहूंगा कि आरोप लगाया गया और माननीय सदस्य ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दिया उसके बाद उसमें प्रश्न पूछने की और स्पष्टीकरण की छूट कभी नहीं होगी। बात खतम हो गयी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बहस थोड़े होगी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नो-नो यह कभी नहीं होता। यह नहीं होता है कभी भी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : न कोई जांच होगी न कोई बात होगी। आपने आरोप लगाया उन्होंने जवाब दे दिया इसके बाद कुछ नहीं होगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खून पीया है तो तत्कालीन सरकार ने ही पीया है बी.डी. कल्लाजी ने पीया है, इन्होंने नहीं पीया है। इन्होंने 61 लाख रुपये दिये हैं।...(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी कोई जानकारी में नहीं है। मैंने तो समाचार पत्रों में यह पढ़ा था कि वर्तमान सरकार ने ही ब्याज का लाभ इनको दिया है।

श्री सुरेश मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। यह कोई अंकित नहीं। माननीय सदस्य, किसी एक सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था या अपनी तरफ से कोई बात कही थी उसका स्पष्टीकरण दे दिया गया है फिर बात खतम हो गयी। किस बात की बहस है इसमें?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बस खतम हुई बात। कोई चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं इस पर कोई चर्चा नहीं यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। कोई चर्चा का विषय नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह : XXX

श्री घ्नश्याम तिवाड़ी (व्यवधान) आगे चलिये। यह अंकित नहीं होगा उपाध्यक्ष महोदय, ये आरोप अंकित नहीं होंगे ऐसे।

श्री अर्जुन सिंह : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये। आप अपना स्थान ग्रहण करें वो जरूरत होगी तो जवाब दे देंगे। यह कोई बहस का विषय नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बोल जाएंगे बोलना चाह रहे हैं तो आप पहले बैठिये। बैठिये आप। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सी.डी. देवल : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह रहा हूं कि ऐसी बातें अंकित नहीं होती हैं बिना अध्यक्ष की अनुमति के।

श्री सी.डी. देवल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले...(व्यवधान) किस बात का ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या प्रश्न है इसमें?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बाध्य नहीं है इसमें। उनकी मर्जी होगी तो दे देंगे।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : न तो आपसे पूछ कर खड़े हुए थे न आपके कहने से बैठेंगे, मंत्रीजी, मर्जी है उनकी।

श्री सी.डी. देवल : XXX

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : XXX

श्री रघुवीर सिंह मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा ठीक है मंत्रीजी की मर्जी है कोई दें तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी की मर्जी है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री जुबेर खान।

श्री महावीर प्रसाद : XXX

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। मंत्रीजी।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बता देंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ : एक नया पैसा भी छूट नहीं दी। (व्यवधान) फिर क्या बात हुई। 43 लाख रुपये में अलाट हुआ 18 लाख ब्याज और पेनल्टी के दिये हैं। इस तरह कुल मिलाकर 61 लाख 89 हजार रुपये दिये हैं। एक नये पैसे के ब्याज की छूट भी अभी तक राज्य सरकार ने नहीं दी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अकलेरा (झालावाड़) में साम्प्रदायिक तनाव विषयक

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी बैठे हैं, झालावाड़ जिले के अकेलरा में....।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वैसे तो आपने इस पर पहले भी ध्यानाकर्षित कर दिया।

श्री जुबेर खान : नहीं-नहीं दो मिनट में। आपने दो मिनट का समय दिया है। दो मिनट में अपनी बात रख दूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हैं। अकलेरा में कुछ समय पहले पिछले साल कुछ साम्प्रदायिक तनाव हु ा ़ और आपको यह जानकारी है कि कौन-कौन लोग हैं वहां के प्रशासन ने आपको रिपोर्ट भी की है। और कुछ लोगों के खिलाफ 6-6, 7-7 मुकदमे दर्ज हैं। और वो ऐसे लोग हैं जो वहां के साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना च हते हैं। और 7-5 मुकदमे एक-एक साल से मुकदमे दर्ज हैं और चालान पेश नहीं किये जाने दिया जा रहा है। यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय गृह मं ि जब आप सदन में बोलते हैं तो ऐसा लग ता है आप बिलकुल राम राज्य की तरह न्याय करेंगे। लेकिन पता नहीं दफ्तरों में जाकर किसके आप असर में इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि काम उल्टा होता है। तो हमारी समझ में नहीं आता कि क्या आपको उपाधि दी जाए। आपसे निवेदन है कि जिन आदमिर्‍ के, मैं एक नाम देना चाहूंगा, अन्य साथी और हैं, श्री कंवरलाल पुत्र पूरी लाल। जिस तरह का उसका चरित्र है, आचरण है, आपको भी पता है। अगर ऐसे मुल्जिमों की फाइलें आप अपने यहां मंगा कर रख लेंगे तो वहां उनका च लान पेश नहीं होगा गिरफ्तार नहीं होंगे फिर वो लोगों के साथ ज्यादति ं करें ़। कहीं साम्प्रदायिकता फैलायेंगे कहीं मस्जिदों में उन्माद फैलायेंगे कहीं कुरान शरीफ को अपमानित करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अकलेरा में ये 6-7. 147, 148, 149, 295, 436, 427, 379,. 323, 427, 452, 382, 6-7 मुकदमे दर्ज हैं। आपसे निवेदन है कि ऐसे मुल्जिमों को गिरफ्तार कराकर उनके खिलाफ चालान पेश करायें त कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार के लोगों में भय व्याप्त है। क्योंकि जो ल ़ ऐसा कर रहे हैं। उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस कार्यवाही करना च हती है लेकिन जयपुर के दबाव की वजह से नहीं कर पा रही है। उसकी वजह से वहां अजीब सा वातावरण है। अगर आप चाहते हैं जैसा आप भाषण देते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर साम्प्रदायिकता फैलाने की कोशिश करे ा तो उसकी जड़ तक जाएंगे तह तक जाएंगे। और यहां तो सरफेश पर ल ़ टहल रहे हैं। ऐसों के खिलाफ नहीं करेंगे तो तह तक जाकर आप क ़ करेंगे? इसलिए आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण में आप निष्पक्ष जांच कराकर ़ र

(श्री जुबेर खान)

मुल्जिमों को गिरफ्तार कराइये ताकि उस इलाके में शांति हो सके। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुलाबचंद कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठायी कि 2003 में एक प्रकरण था जिसमें एक साम्प्रदायिक उत्पात हुआ और उसमें लगभग 28 मुकदमे दर्ज हुए। 28 में से दो मुकदमों में जिनमें इन्होंने कंवरलाल मीणा का जो नाम बताया उसकी गिरफ्तारी हो गयी और उसके बाद वो जमानत पर रिहा हो गया। एक प्रकरण था जो सी.आई.डी. में गया जिसकी अभी तक तफ्तीश पूरी नहीं हुई बाकी 26 प्रकरणों में इस कंवरलाल का कोई लेना-देना नहीं है उसमें यह नहीं था। एक अभी चुनाव के समय मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें उसकी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गयी और उसकी गिफ्तारी होने वाली है जो अभी फरवरी में मुकदमा दर्ज हुआ मैं सोचता हूं कि हमने किसी भी प्रकरण में उसे नहीं बचाया। जों लेटेस्ट हुआ उसमें भी उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। जब भी वो हाथ लगेगा गिरफ्तार हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जालम सिंह रावलोत । सीमेंट उद्योग के लिये विशेष रियायत दिये जाने के सम्बन्ध में।

जैसलमेर जिले में उद्योगों के विकास विषयक

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दशकों से सीमावर्ती जिले जैसलमेर का अधिकृत क्षेत्रों में विकास हुआ है, हो रहा है। आज से 25 साल पहले किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि जैसलमेर विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपना प्रभाव डालेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से सिंचित क्षेत्र का विकास हुआ। जिससे जिले का विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ। खनन के क्षेत्र में वहां काम बढ़ा, विद्युत के क्षेत्र में बढ़ा और पर्यटन के क्षेत्र में मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूं। वहां जो ऊन आधारित उद्योग है उसका लगातार लघु और कुटीर उद्योगों के रूप में विकास हुआ है। और वही आजीविका का मुख्य आधार रहा है। लेकिन इस जिले में बड़े उद्योगों का बिलकुल विकास नहीं हुआ है। बड़े उद्योग के क्षेत्र में एक सीमेंट उद्योग की वहां विपुल संभावनाएं हैं। इसी विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसलमेर में सीमेंट उद्योग का विकास होना चाहिये क्योंकि वहां मोटे तौर पर लिग्नाइट तो है ही उसके साथ-साथ जो अन्य प्रकार का पत्थर उद्योग है जो सीमेंट बनाने में लाइम स्टोन के रूप में काम

(डा. जालम सिंह रावलोत)

आता है वह पर्याप्त मात्रा में है। वह बहुत बड़ा जिला है। वहां की आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। बेरोजगार ज्यादा है। अराष्ट्रीय गतिविधियां वहां नहीं बढ़े, वहां के युवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं ले इसलिए उन युवाओं को रोजगार दिलाना जरूरी है और नहर आने से पानी भी पर्याप्त है। वहां 35 करोड़ रुपये का ऐसा लाइम स्टोन विद्यमान है जो किसी और काम नहीं आ सकता केवल सीमेंट बनाने में काम आ सकता है। क्योंकि परिवहन के कारण उसको इधर उधर ले जाना संभव नहीं है। जो हमारी बात चल रही है केन्द्र सरकार के द्वारा पिछली सरकार ने भी बात बढ़ाई, यह सरकार भी कह रही है मुनाबाव रेलवे लाइन चालू कर दी जायेगी या राजस्थान से सिंध को सड़क के माध्यम से जोड़ा जायेगा ऐसी संभावनाएं विद्यमान है।

बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर बहुत बड़े जिले हैं। वहां सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र में कई निर्माण कार्य हो रहे हैं, होने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर निर्माण की विभिन्न योजना है वह जो पेंडिंग है। मरम्मत आदि में बहुत सीमेंट की मांग है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार जैसलमेर में सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिये एक विशेष पैकेज की घोषणा करें। उसके हिसाब से पहला काम यह हो सकता है कि वहां भू-खण्ड का एक बड़ा क्षेत्र आबंटित करे जिसको औद्योगिक क्षेत्र में परिभाषित करे। वहां उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये बिजली सस्ती प्रदान करे, पानी सस्ती दर पर नहर का उपलब्ध है लेकिन उसकी रेट कम लगाई जाये और ऋण की सुविधाएं सस्ती दर पर हो, अनुदान हो। इन सबको देखते हुए हमारे इस पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले में इस सीमेंट उद्योग की संभावनाएं है उसको विकसित करे और वहां सीमेंट उद्योग लगाने के बारे में एक विशेष पैकेज की घोषणा करे। जैसा कि हमारे गोटन क्षेत्र में सीमेंट उद्योग इसलिए पनप है कि वहां उसके लिये आधारभूत जो रा-मैटेरियल चाहिये वह वहां लाइम स्टोन के रूप में विद्यमान है। इसलिए वहां अंबुजा सीमेंट उद्योग पनपा है और बिरला व्हाइट है। आपसे अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में विशेष प्रयत्न करके और हमारे जैसलमेर जिले में सीमेंट उद्योग को लगाये, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन राठौड़।

जवाई बांध से सिंचाई हेतु पानी देने विषयक

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है और जवाई बांध से कई क्षेत्रों में पेयजल के लिये

(श्री मदन राठौड़)

पानी सुलभ होता है। सुमेरपुर क्षेत्र के किसान इस जवाई बांध पर निर्भर कर रहे हैं। जब से जवाई बांध बना तब से इस क्षेत्र के किसानों को पेयजल के लिये पानी और सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध होता था। लेकिन विगत-8 वर्षों से जवाई बांध भर नहीं रहा। लगभग 2500 एम.सी.एफ.टी. पानी उसमें आता है और 2500 एम.सी.एफ.टी. पानी पूरा का पूरा पाली के लिये रिजर्व कर दिया जाता है। हमारे क्षेत्र के किसान बिलकुल असहाय हैं, उनकों सिंचाई के लिये पानी मिल नहीं रहा। हमने मांग की आप 2500 एफ.सी.एफ.टी. पानी यदि जवाई बांध से छोड़ो तो पाली में केवल 500 एम.सी.एफ.टी. पानी पहुंचता है मेरा आग्रह है कि जब 500 एम.सी.एफ.टी. पानी पाइप लाइन के जरिये पाली ले जाये तो जो शेष पानी बचेगा वह क्षेत्र के किसानों के लिये आरक्षित किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जवाई बांध का मुख्य स्रोत है सेई बांध। सेई बांध को अपग्रेड करने के लिये राजस्थान सरकार ने अभी स्वीकृति जारी की है। पूर्व की सरकार ने स्वीकृति दी थी लेकिन वह काम कर नहीं पाई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वर्तमान सिंचाई मंत्रीजी को जिनके पास पी.एच.ई.डी. भी है, उन्होंने 10 करोड रुपये स्वीकृत किये सेई बांध अपग्रेड होगा। जो सेई बांध से पानी गुजरात में बहकर जाता था, गुजरात सरकार वहां चिंतित रहती है, वहां पर उसने टावर लगा रखा है और वह पता करती है कि कितना पानी सेई बांध से गुजरात में बहने वाला है और गुजरात की सरकार वहां की जनता को सावधान करती है कि यह क्षेत्र खाली कर दो। उपाध्यक्ष महोदय, अब जब सेई बांध अपग्रेड होगा तो लगभग 10 महीने तक नदी चलेगी। वहां पर 9 किलोमीटर सुरंग है जो पहाड़ों के बीच में से पानी सुरंग के माध्यम से आता है और लगभग 17 किलोमीटर खुली नदी है और यह नदी लगभग 10 महीने चलेगी तो क्षेत्र के किसानों को निश्चित रूप से उनके कुओं को रिचार्ज करने में सफलता मिलेगी और कुएं रिचार्ज भी हो जायेंगे। यह बात बिलकुल सही है जवाई बांध में पानी आयेगा और लगभग यह बात बिलकुल सही है जवाई बांध में पानी आयेगा और लगभग 2700 एम.सी.एफ.टी. एवरेज पानी सेई बांध में आता है वह पानी भी जवाई बांध में आयेगा। लेकिन अभी जो योजना बन रही है जालौर जिले को पानी देने की, योजना बन रही है जैतारण को पानी देने की। लेकिन सुमेरपुर क्षेत्र का किसान यदि वंचित रहेगा तो यह किसान पानी नहीं लेने देगा। और जिस प्रकार से घड़साना में हुआ उसी प्रकार की स्थिति हमारे सुमेरपुर में बनने की स्थिति बन सकती है। इसलिए मैं सावधान करना

(श्री मदन राठौड़)

चाहूंगा राजस्थान सरकार को भी कृपया हमारे क्षेत्र के किसानों के लिये पानी आरक्षित रखे, किसानों को सिंचाई के लिये पानी मिलना चाहिये।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो हैंडपम्प बन रहे हैं, एक हैंडपम्प में 50 हजार रुपये खर्च होता है, एक ट्यूबवैल पर डेढ़ लाख रुपये खर्च होते हैं और इसकी उम्र रहती है केवल एक वर्ष। क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो भूमि है उसमें कहीं पर तो कठोर जमीन है, कहीं पर मिट्टी है, बीच में खाली जमीन भी आ जाती है और वहां ट्यूब वैल एक वर्ष से ज्यादा चलता नहीं वह कोलेपन हो जाता है। तो जब आप डेढ़ लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, एक वर्ष से अधिक वह चल नहीं रहा, एक हैंड पम्प पर 50 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं वह एक वर्ष से अधिक चल नहीं रहा। मैं राजस्थान सरकार से और जो मंत्रीजी यहां विराजमान हैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पाइप लाइन के जरिये पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करें ताकि आपको बार-बार यह रुपया खर्च करना नहीं पड़े, यह रुपया बरबाद नहीं हो। चाहे वल्ड बैंक से भी लोन लेना पड़े, कहीं से भी रुपये की व्यवस्था करनी पड़े इन इलाकों में पाइप लाइन के जरिये पेयजल सुलभ कराया जाना चाहिये ताकि पानी व्यर्थ नहीं जाये, पानी का उपयोग हो। सुमेरपुर की जनता को अगर पानी नहीं देंगे तो जालौर में पानी नहीं जाने देंगे। इसी प्रकार से जैतारण या पाली जिले के अन्य क्षेत्रों के लिये जो व्यवस्था कर रहे हैं, वहं पर पानी वहां की जनता नहीं जाने देगी। हम चाहते हैं कि पेयजल सुलभ हो, पहली प्राथमिकता पेयजल को उपलब्ध हो और निश्चित रूप से पेयजल के लिये अभी हमारे मंत्रीजी ने पहली बार चिंता की। पूर्व की सरकारों ने कभी चिंता नहीं की कि पी.एच.ई.डी. अपने पैरों पर निर्भर हो। हमेशा पी.एच.ई.डी. इर्रिगेशन के सोर्स पर निर्भर करती थी। लेकिन पहली बार इन्होंने चिंता की और प्लान सीलिंग और पी.एच.ई.डी. इन्होंने यह रुपया स्वीकृत किया। और जो पानी अब सेई बांधी में अतिरिक्त आयेगा वह पेयजल के लिये रिजर्व रखा जायेगा, इस प्रकार से पहली बार चिंता की। मैं यह चाहूंगा पेयजल के लिये जो आपने अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है तो पेयजल के लिये पाइप लाइन के जरिये क्षेत्र की एक व्यवस्था कर दें। अभी जो जनसंख्या है हमारे क्षेत्र की उसको ध्यान में रखते हुए केवल 262 एम.सी.एफ.टी. पानी चाहिये। 500 एम.सी.एफ.टी. बाकी क्षेत्र को चाहिए तो मेरे सुमेरपुर क्षेत्र को केवल 262 एम.सी.एफ.टी. चाहिये और सेई बांध अपग्रेड होने के बाद कम से कम एवरेज

(श्री मदन राठौड़)

जो आवक है उसको ध्यान में रखते हुए यदि चिंता करे, कैसा भी सूखा पड़ा हो तब भी सेई बांध में 2700 एम.सी.एफ.टी. आया और जवाई बांध में लगभग 2500 एम.सी.एफ.टी पानी ले पाये, ज्यादा ले नहीं पाये। लेकिन अब यदि यह बांध अपग्रेड होगा और 10 महीने नहीं चलेगी तो एवरेज पानी की आवक रहेगी 3500 एम.सी.एफ.टी. और पाली जिले को 500-700 एम.सी.एफ.टी. पानी चाहिये बाकी पानी किसानों के लिये रिजर्व रखने की कृपा करें। और पाइप लाइन के जरिये इस क्षेत्र के इलाकों को पानी सुलभ कराने की व्यवस्था करें ताकि आपको हर साल हैंडपम्प नहीं खुदवाने पड़े। जो हैंडपम्प एक-एक साल में खराब हो जाते हैं, ट्यूबवैल खराब हो जाते हैं। बार-बार कहने की आवश्कता नहीं पड़ेगी। एक बार वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर पाइप लाइन से पानी पिलाने की व्यवस्था करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जवाई से अगर जैतारण पानी चला गया..

श्री मदन राठौड़ : नहीं, माननीय सदस्य मैंने एतराज नहीं किया पाइप लाइन के जरिये पानी ले जाया जाये मैंने यह निवेदन किया है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : वह घड़साना हो जायेगा। वह भी पाली जिले का एक पार्ट है। मैं तो धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी को और धन्यवाद देता हूं मंत्रीजी को कि ऐसी भयंकर पेयजल समस्या को देखते हुए उन्होंने पाइप लाइन से पाली को पानी देना, पाली से सोजत को पानी देना, सोजत से जैतारण को पानी देना, मैं तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की बात इस सदन में नहीं कहनी चाहिए कि घड़साना हो जाएगा। वहां की जनता करेगी। इस प्रकार का माहौल बनाने से राजस्थान में जो मैसेज जाता है वह जनता को...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही वह यह कही कि सुमेरपुर के किसानों को नहीं दिया गया तो यह स्थिति होगी। मैंने यह नहीं कहा कि जैतारण को पानी नहीं दिया जाए। आप गलत समझ गए। मैंने कभी भी जैतारण के लिए एतराज नहीं किया। मेरा क्षेत्र है, मेरा जिला है जैतारण, आप इसको गलत नहीं समझें। जैतारण को दें, जालौर को दें। पहली प्राथमिकता पेयजल को रहे। लेकिन बाकी पानी किसानों को मिलना चाहिए।

(श्री मदन राठौड़)

और पाइप लाइन के जरिये...(व्यवधान) गलतफहमी के कारण से गलत बात इस सदन में कहने की कोशिश नहीं करें। मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि पानी मिलेगा, पहली प्राथमिकता पेयजल को रहे लेकिन शेष पानी जो बचे वह किसानो को दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाई बांध जो है..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : मेरे विधान सभा क्षेत्र का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, यह विवाद का..(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरे विधान सभा क्षेत्र का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : यह तो जो बात कह रहे हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी हुई बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदसय, आप अपना..(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : जवाई नदी पर जवाई बांध बना है और पूरी जवाई नदी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती है।

श्री सांवर लाल जाट (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की चिंता करें वहां तक तो ठीक है। पर इस प्रकार की भावना सदन के माध्यम से नहीं लाये कि मेरे यहां से आगे नहीं जाएगा। चूंकि पानी राजस्थान में भी बाहर से आ रहा है। पूरे सदन ने चिंता की थी कि पंजाब ने एक प्रस्ताव पास किया था। पानी पर सबका अधिकार है, न्यायिक रूप से पानी मिलेगा पीने का। पानी उपलब्ध करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमारी भावना यह होनी चाहिए कि हर क्षेत्र का विधायक यह चिंता करे कि मेरे क्षेत्र में पानी जाए। अगर हम यही मैसेज दें कि आगे जाने नहीं देंगे तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं होगा। थोड़ा इस बारे में संयम रखिये, बाकी अपने-अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं करनी चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयराम जाटव।

खैरथल नगरपालिका क्षेत्र का विकास

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : .माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिला एन.सी.आर. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई वर्षों से है। मेरे खैरथल विधान सभा क्षेत्र में खैरथल नगरपालिका, अलवर जिले का दूसरा बड़ा कस्बा, जहां की जनसंख्या लगभग पचास हजार से भी अधिक है। मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, शायद यहां नहीं है, कि जैसी जो स्कीम्स आई है एन.सी.आर. क्षेत्र में जो स्कीम है आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम हमने डीटीपी महोदय के द्वारा स्कीम बनवाकर के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग के द्वारा उसको तैयार करवाया। लेकिन एक साल से वह स्कीम लंबित पड़ी है।

आजादी के 57 साल के बाद भी, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पांच साल की निवर्तमान सरकार ने उस नगरपालिका क्षेत्र में विकास के नाम से एक फूटी कौड़ी नहीं लगाई। अब 25 वार्डों का नगरपालिका क्षेत्र है। सारी सड़कों की हालत जर्जर है। शहरों का पानी, जो बहुत बड़ा वार्ड है उनका पानी उन रूरल साइड में, जो लोग बाहर से, गांव से आकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं वह गंदा पानी वहां जाता है। उस गंदे पानी से उनका वातावरण दूषित हो रहा है। वहां न पेयजल की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, न कोई चिकित्सा की व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे जिले को एन.सी.आर. में लिया गया है। उसमें डी.टी.पी. द्वारा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग के द्वारा इसे लिया जाए।

कांग्रेस के राज में यह लोग बड़े अच्छे नारे लगाते थे कि पानी बचाया जाए, बिजली बचाई जाए, सबको पढ़ाया जाए। पानी की हालत यह थी कि एक भी हैण्डपम्प पिछले पांच साल में नहीं खुदा खैरथल में। पी.एच.ई.डी. का कोई बोरिंग, नलकूप नहीं खुदा। एक भी, किसी तरह की सड़क नहीं दी गई। बिजली की हालत यह थी कि नगरपालिका के जो गांव जो सीमा में आते थे उनको काट दिया गया।

मेरा मुख्य उद्देश्य, मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि खैरथल नगरपालिका जिसमें चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं

(श्री जयराम जाटव)

है, पी.एच.ई.डी. के द्वारा सुलभ पानी की व्यवस्था, जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को जिस चीज की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है उनसे वह कस्बा वंचित है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी जहां भी मेरी, अगर वह टी.वी. में देख रहे हों, इन प्लानिंग के द्वारा इन स्कीम के द्वारा खैरथल कस्बे को लिया जाए। आज भी दाईं ओर कांग्रेस के माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की बात जरूर करते हैं, जनजाति की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। लेकिन जब पांच साल तक बैठे रहे खाली भाषण देते रहे। एक भी स्कीम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यकों के लिए लागू करके नहीं गए। मेरा यह आरोप है उन पर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, बहुत बड़ा हमारा बजट प्लान है। इस प्लान में भी भिन्न योजनाओं के माध्यम से जो गांवों को, गरीब को, कस्बों को डवलप करने का प्लान है उस प्लान के माध्यम से, इन योजनाओं और स्कीम के माध्यम से, खैरथल कस्बे को भी उसमें लिया जाए। जिससे जो गांव 57 साल की आबादी के बाद भी एक-एक सड़क के लिए, जो रोड़ है बीच है कस्बे से वह रोड़ भी पी.डब्ल्यू.डी. की है, वह एम.डी.आर. की रोड है उन कस्बों में सी.सी. के रोड़ जब तक नहीं बनेंगे, बाइपास के रोड़ जब तक नहीं निकलेंगे, सी.आर.एफ. के रोड़ जब तक नहीं निकलेंगे जब तक वह गांव और कस्बा जो आज की सुविधाएं हैं उनसे वंचित रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई मंत्रीजी बैठे हुए हैं यह मेरी बात पहुंचाएंगे। जो मेरी मांग है, खैरथल विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा कस्बा है, अलवर जिले का दूसरा नम्बर है ए ग्रेड की अनाज मंडी जहां है बहुत बड़ा स्टेशन, आबादी भी बहुत ज्यादा है मेरी 100 बेड के हास्पिटल की मांग है। रैफरल, आई.टी.आई. कालेज या और बातें तो हैं लेकिन मुख्य, सड़क, पानी और बिजली इन सबके लिए वहां व्यवस्था कराया जाना अति आवश्यक है, यह मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है ।

यह दूसरा बजट है, बजट के माध्यम से भी, पिछले बजट में भी कस्बों को पिछली बार हमारे यहां दिया गया था अब की बार भी यह स्कीम लागू की जाए, उससे पहले स्वायत्त शासन मंत्री हमारे कस्बे खैरथल के लिए

(श्री जयराम जाटव)

जितना पर्याप्त हो सकता है स्कीम बनाकर जो स्कीम डी.टी.पी. की जाए उस स्कीम से पहले वहां आवश्यक हो, उन सड़कों के लिए पैसा दिया जाए।

पी.एच.ई.डी. के लिए, सिंचाई मंत्रीजी बैठे हैं, नलकूप हमारे यहां खुदवाए। मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पहली बार जीतकर आया हूं। एस.सी. का आदमी हूं। लेकिन यहां जो बैठे हैं एस.सी. की बात जरूर करते हैं। बड़े दुःख की बात है। पांच साल तक कहते रहे, एक भी शिक्षित बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, जो 36 हजार तृतीय श्रेणी कर्मचारी लगे उसमें सबसे अगर भला हुआ है वह अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का हुआ है। पांच साल तक लोगों की धारणा थी कि पढ़कर क्या करेंगे नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे लोग न व्यापारी हैं, न उद्योगपति हैं, न बहुत बड़े किसान हैं। पढ़ लिखकर एम.ए., बी.एड. बी.ए. बी.एड. कर नौकरी की तलाश में रहते थे, पांच साल में आशा खो दी थी।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी को कि उन्होंने एक अलख जगायी है और 36 हजार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभ मिला है। हमारी सरकार और मुख्यमंत्री संवेदनशील है। बहुत-बहुत धन्यवाद जयहिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री खुशवीर सिंह जोजावर।

डा. सुरेश चौधरी।

याचिका का उपस्थापन

खारची के फुलाद बांध की प्रस्तावित पेयजल योजना की स्वीकृति

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र खारची के फुलाद बांध की प्रस्तावित पेयजल योजना की स्वीकृति देने बाबत 3 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित, एवं,

खारची रेणियां बांध की मरम्मत करवाकर जो जावर ग्राम तथा आसपास की ढाणियों में पेयजल योजना की स्थापना

विधान सभा क्षेत्र खारची के रेणियां बांध की मरम्मत करवाकर जोजावर ग्राम तथा आस-पास की ढाणियों में पेयजल योजना स्थापित करने बाबत 3 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित याचिकाएं उप-स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. सुरेश चौधरी

राजकीय चिकित्सालय, भादरा में रोगी शैयाओं का विस्तार

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भादरा विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय को 30 शैयाओं से 50 शैयाओं में परिवर्तित कराने बाबत 5 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित, एवं,

भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने विषयक

विधान सभा क्षेत्र भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत 5 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित रूपनगढ़ रोड़ फाटक संख्या 28 पर ओवरब्रिज का निर्माण

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महादय, मैं आपकी अनुमति से किशनगढ़ (अजमेर) स्थित रूपनगढ़ रोड़ फाटक संख्या-28 पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराने बाबत 4 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित एवं,

मदनगंज एवं हितैषी आयुर्वेद औषधालय किशनगढ़ के क्रमोन्नत करने विषयक

राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेद औषधालय मदनगंज एवं हितैषी औषधालय किशनगढ़ को क्रमोन्नत करने बाबत 3 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतराम।

इन्दौली ग्राम (मालपुरा) में कस्तूरबा विद्यालय खोलने विषयक

श्री जीतराम (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के ग्राम इन्दौली मालपुरा में कस्तूरबा विद्यालय खुलवाने बाबत 4 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

यमुना नदी के सरप्लस पानी के बंटवारे में राज्य के हितों का ध्यान रखे जाने विषयक

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, डा. एन.एस. गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत यमुना नदी के सरप्लस पानी के बंटवारे में राज्य हितों का ध्यान रखने के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में यमुना नदी का जो सरप्लस वाटर है और विशेष रूप से वर्षा के समय जो सरप्लस होता है उसको राजस्थान के भरतपुर, चूरू और झुंझुनूं जिलों को देने के सम्बन्ध में 12 मई, 1994 को यमुना जल बंटवारे के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ। उसके बाद में अपर यमुना नदी बोर्ड की 22वीं मीटिंग जो 21.12.2001 को सम्पन्न हुई थी उसमें राजस्थान में इस पानी का उपयोग कहां से किया जाए इस सम्बन्ध में फैसला हुआ। उसमें ताजेवाला ओखला पर आबंटित किया गया वह पानी। इस पानी को लेने के लिये 10.6.2001 को एक बैठक दिल्ली में हुई थी जिसमें हरियाणा के मुख्य मंत्री और राजस्थान की माननीय सिंचाई मंत्री महोदया उपस्थित थीं जिसमें निर्णय लिया गया कि हरियाणा, राजस्थान तथा केन्द्रीय जल आयोग के अभियंता मिलकर नहरों का मौके पर निरीक्षण कर उचित राय कायम करें कि कहां से किस प्रकार से पानी लिया जाए। उसमें यह तय हुआ कि यमुना कैनाल, जवाहरलाल नेहरू फीडर और लोहारू फीडर की क्षमता रि-माडलिंग के द्वारा बढ़ाकर उस पानी का उपयोग किया जाए। 7.2.2003 को सी.डब्ल्यू.सी. ने इस सम्बन्ध में अपनी राय पर, जिसमें हरियाणा राज्य से अनापत्ति ले ली जाए। उसके बाद में राजस्थान सरकार की तरफ से बार-बार प्रयास किये गये। तत्कालीन सिंचाई मंत्री माननीय कमलाजी ने और मुख्यमंत्री ने भी इस सम्बन्ध में चिट्ठी लिखी। इसके बाद में उन्होंने यह कहा कि इसको अपर यमुना का जो ट्रिब्यूनल है, उसके अन्दर भेज दिया जाए।

(श्री सांवर लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार बदलने के बाद में नयी सरकार बनी। हमने बार-बार प्रयास किया और हारी मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले 28.2.2004 को चिट्ठी हरियाणा के मुख्य मंत्री को लिखी कि हमारे हिस्से का जो 1994 के अनुसार 1.119 वी.सी.एम. पानी है उस पानी का उपयोग लेने के सम्बन्ध में जो समझौता है उसका पालन किया जाए। परन्तु हरियाणा सरकार ने फिर यही लिखा कि अपर यमुना ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो फैसला होगा उसी के अनुसार कार्यवाही होगी। उसके बाद में मेरी तरफ से चिट्ठी, मैंने माननीय चौटालाज़ी को लिखी, प्रियरंजनी दास मुंशी को लिखी। केन्द्रीय मंत्री ने भी यह लिखा, प्राथमिकता से अब की बार जो अपर यमुना ट्रिब्यूनल बोर्ड की बैठक होगी उस बैठक के अन्दर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार बराबर चिन्ता कर रही है। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस प्रयास में हैं कि भरतपुर, झुझुनूं और चूरू के लिये जो पीने और खेती के लिये पानी समझौते में डिसाइड हुआ है वह पानी हमको मिले। अब जल्दी ही, मैंने इस सम्बन्ध में जो भारत सरकार में मंत्री हैं राजस्थान से, शीशरामजी ओला साहब, मैंने उनसे भी टेलीवीजन पर बात की और निवेदन किया कि हरियाणा के अन्दर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गयी है और राजस्थान में पानी की आवश्यकता है। विशेष रूप से ये 3 जिले हैं इसमें भरतपुर में वर्षा वैसे सामान्य होती है पर इस साल यह प्राब्लम ज्यादा है। इसी प्रकार चूरू और झुंझुनूं में यह पानी अपने को मिले। तो माननीय मंत्रीजी ने भी कहा कि विधान सभा सत्र के बाद में आप आना और उसके बाद में हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करके इस सम्बन्ध में समाधान करेंगे। और यह पानी राजस्थान को मिले तो इन तीन जिलों में, भरतपुर में कुल जल जो मिलेगा 0.44 एम.एफ. सिंचाई हेतु 0.963 एम.एफ. और पेयजल के लिये 0.44 एम.एफ., मिलेगा, कुल जो कमाण्ड एरिया होगा 119493 हैक्टेयर कमाण्ड एरिया होगा। उसी प्रकार झुंझुनूं और चूरू में 0.47 एम.एफ. पानी मिलेगा, सिंचाई हेतु 0.376, पेयजल हेतु 0.094 एम.एफ., कुल कमाण्ड एरिया 195860 हैक्टेयर होगा। झुंझुनूं जिले के 344 गांव और चूरू जिले के 35 गांव कमाण्ड एरिये में शामिल होंगे। तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से, सदन को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार बराबर चिन्तित है, जितने भी अन्तरराज़्यीय विवाद हैं, चाहे हमारे मध्य प्रदेश से हो, पंजाब से हो, चाहे

(श्री सांवर लाल)

हरियाणा से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अन्तरराज्यीय विवाद के लिये एक सेल का गठन भी किया है। वह सेल भी बराबर इस बारे में निगरानी और चिन्ता करता रहता है। तो मैं आपके माध्यम से यही आश्वस्त करता हूं कि हम बिलकुल लगे हुए हैं और जल्दी यह पानी मिले इसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बड़ा सटीक वक्तव्य दिया है और बताया है कि सरकार प्रयत्नशील है। लेकिन आप स्वयं जानते हैं, यह मामला, यमुना का पानी हरियाणा शुरू से देने में आनाकानी कर रहा है। और प्रारम्भ में जब यह हमारा जब समझौता हुआ, 11 सितम्बर, 1990 से इस समझौते के प्रयास शुरू किये और उस समय अन्तरराज्यीय मसला स्थाई समिति में पहली बार जल संसाधन मंत्रालय की स्थाई समिति में इसको रखा। फिर 22-23 दिसम्बर, 1991 को मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई। उसमें हरियाणा और यू.पी. के मुख्य मंत्रियों ने इसका विरोध किया। 10 जनवरी, 1992 को फिर जल संसाधन मंत्रीजी ने बैठक बुलाई लेकिन असफल रही। 5 फरवरी, 1992 को फिर कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि भजनलालजी ने विरोध कर दिया उस समय। 18-20 दिसम्बर, 1993 को हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक दिया फिर पांचों मुख्य मंत्रियों की, यह समझौता 5 स्टेटस में जो यमुना के बेसिन स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, उन्होंने एक मेमोरण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग 12.5.1994, जिसका उललेख मंत्रीजी ने किया, तब किया। इसके अन्दर कुल पानी 12.00 बी.सी.एम. था। इसका राजस्थान के हिस्से में आया। लेकिन यह सब भजनलालजी ने उस समय विरोध कर दिया और उन्होंने दिल्ली का पानी रोक दिया। जब दिल्ली का पानी रोका तो खुरानजी उस समय चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, उन्होंने धमकी दी कि जो बी.आई.पी. एरिया दिल्ली में है उसका पानी रोक देंगे। उसके बाद दिल्ली की सरकार ने दबाव डाला हरियाणा सरकार पर, यह 9-10 जनवरी, 1994 को धमकी दी और 14 जनवरी, 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है न्यायालय में, इसलिये हरियाणा पानी बंद नहीं कर सकता।

(14.00 बजे)

उसके आधार पर दिल्ली का पानी चालू हुआ।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

फिर 5 मई, 1994 को ही पांचों सी.एम्स. की बैठक बुलाने का निर्णय लिया और यह बैठक हुई और यह समझौता हुआ। इस समझौते में इस तरह से यह एलोकेशन हुआ। और एलोकेशन के बाद यह तय हुआ कि जो ताजेवाला हैड है और यह जो दूसरा ओखला हैड है, उनसे राजस्थान को पानी मिलेगा। तीन जिलों को विशेष रूप से इसका लाभ होगा जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया भरतपुर है, झुझुनूं है और चूरू है। पीने के लिए भी आज, भरतपुर को पीने के पानी की भी विकट समस्या है। सिंचाई के पानी की विकट समस्या है। आज आप जानते हैं, अखबारों में हम पढ़ रहे हैं घना के लिए पांचना के पानी को लेकर घना में बहुत झंझट शुरू हो रहा है। पर्यावरणविद् यह मामला उठा रहे हैं। सदन में भी चिन्ता व्यक्त की गयी है। पांचना के करौली डिस्ट्रिक्ट के लोग और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग आमने-सामने हैं। बहुत परेशानी है और इसी तरह से चूरू और झुंझुनूं में कितने गांवों में आप जानते हैं स्वयं कि वहां पर..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सीकर भी जोड़ दो।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, सीकर में भी है, अलवर में भी आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी से क्या स्पष्टीकरण चाह रहे हैं?

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं वही स्पष्टीकरण चाह रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो मुख्य समस्या है कि यह जिस समय समझौता हो गया। उसके बाद यह तय हुआ कि 840 क्यूसेक्स पानी इस समय टोटल केपेसिटी है जो हम ले सकते हैं नहरों की, इनमें 500 क्यूसेक्स पानी गुडगांव केनाल्स के थ्रू, 300 क्यूसेक्स पानी भरतपुर फीडर के थ्रू हम ले सकते हैं और 40 क्यूसेक्स पानी डीग के थ्रू हम ले सकते हैं। राजस्थान सरकार ने क्या इस पूरे पानी का उपयोग करने का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया? पहला मेरा प्रश्न यह है कि सरकार से कि क्या राजस्थान सरकार ने जो पूरा पानी मिलता है, उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है? क्योंकि पंजाब ने भी हमारा पानी इसी आधार पर रोक रखा है कि राजस्थान में उस समय जब 1981 में समझौता हुआ था, पाइंट 60 एम.एफ. हमारा पानी इसी आधार पर रोका कि क्या राजस्थान यूटिलाइज करने की पोजिशन में है? नहीं है। उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है। तो क्या इसका सहारा लेकर हरियाणा कभी भी राजस्थान को डिच कर सकता है?. क्योंकि उसका इंटेंशन पानी देने का नहीं है।

(डा.एन.एस. गुर्जर)

यह समझौता तो हो गया। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समझौते के बाद, मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं और सरकार को चेताना चाहता हूं कि क्या आप जब इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेंगे तो वह इफ्सएण्ड बटस लगाएगा और इफ्स एण्ड बट्स उसने कैसे लगायी, किस स्टेज पर लगायी है। उन्होंने यह कह दिया कि यह जो पानी हुआ है, जो मिला है, यह इसका यमुना, अपर यमुना रिवर बोर्ड जो मिनिस्टरी आफ इर्रिगेशन, गवर्नमैंट आफ इण्डिया, उन्होंने यह बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड ने पानी का एलोकेशन कर दिया, पांचों स्टेटस के बीच में। और पांचों स्टेटस के बीच में जब पानी का एलोकेशन किया तो हरियाणा को राजस्थान सरकार ने एक चिट्ठी लिखा मैमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग की चिट्ठी लिखी और कहा कि इस पर साइन करिये। जब ज्यों ही उसके पास चिट्ठी पहुंची उसने तुरन्त इस मामले को रैफर कर दिया कि हमारा जो एग्जेस्टिंग वाटर है और उसमें यह दलील दी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ही प्रपोजल बनाया 1.119 का, बी.सी.एम. का वाटर का यूटिलाइजेशन का राजस्थान गवर्नमैंट ने भेजा, जो आलरेडी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो सी.डब्ल्यू.सी. की थी, उसने 7.2.2003 को, उनकी 80वीं मीटिंग में यह फाइनल हो गया। यानि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने भी सी.डब्ल्यू.सी. की ने भी क्लियर कर दिया, उसके बावजूद भी हरियाणा ने और उसने दो कंडिशन लगायी। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने। पहली कंडिशन थी।

"...with the conditions that concurrence of the Govt. of Haryana for the works to be taken up in Haryana territory may be taken and the works in Haryana and Rajasthan should be started simultaneously."

मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आपने पूरा क्रिएट कर लिया है? एक पहला सवाल।

दूसरा मेरा, इसके साथ ही सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 14.2 को, ज्यों ही उन्होंने साइन करने के लिए मैमोरेण्डम भेजा तो उन्होंने 14.2.2003 को, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने 18 अप्रैल, 2003 को एक चिट्ठी लिखकर प्रोटेस्ट दर्ज करते हुए डिप्टी सी.एम., राजस्थान को इसका पत्र भेजा और केन्द्रीय, गवर्नमैंट के जो इर्रिगेशन मिनिस्टर थे उनको पत्र भेज दिया और जो अपर यमुना रिवर बोर्ड की जो रिव्यू कमेटी थी उसको उन्होंने कहा-

"... the allocation made by UYRB does not protect."

(डा. एन.एस. गुर्जर)

यह कहते हुए-

"... the allocation made by upper Yamuna River Board does not protect the existing use of Haryana at Tazewala, therefore, Haryana proposes to take up this matter in the Upper Yamuna River Review Committee."

इन्होंने अपर यमुना रिवर कमेटी को भेज दिया और उसके बाद उन्होंने इफ्स एण्ड बट्स लगाया। मैं इसलिए कह रहा हूं उन्होंने यह कह दिया, दो कंडिशन, कह रहे हैं जब हम उनसे बार-बार जब यह सूचना दे दी राजस्थान को, गवर्नमैंट आफ इंडिया के इर्रिगेशन मिनिस्टर को, और उस समय जो हमारी सिंचाई मंत्री भी थीं और डिप्टी सी.एम. भी थीं उनको उस पत्र की कापी भेज दी कि हमने रिव्यू कमेटी के अन्दर इस पर दुबारा विचार करने के लिए..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो यह तो कोई डिस्प्यूटेड फैक्टस तो हैं नहीं। आप क्या जानना चाहते हैं, यह पूछिये। (व्यवधान) हां, तो यह पूछिये आप फिर।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि जब रिव्यू, जब एक बार फैसला हो गया तो हरियाणा गवर्नमैंट ने यू-टर्न कैसे लिया और रिव्यू कमेटी को उन्होंने किस आधार पर भेजा, नम्बर-दो सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह बोलिये

डा. एन.एस. गुर्जर : आप एक साथ ही दे देना तीसरा मेरा सवाल है कि क्या यह सही है कि बार-बार हरियाणा बोल रहा है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक योजना बनायी थी नदियों को इंटरलिंकिंग करने की। उसका सहारा लेकर उन्होंने दो चीजें कही कि शारदा यमुना लिंक शारदा नदी जो ऊपर से आती है, उत्तरांचल, नेपाल से उत्तरांचल होते हुए कि जब यह शारदा यमुना लिंक तैयार हो जाएगा, तब जाकर इसका हम आपको पानी देंगे, एक तो इन्होंने यह आब्जैशन उठाया। और दूसरा आब्जेक्शन, उन्होंने एक अड़ंगा लगा दिया कि पंजाब को जोड़ दिया कि जब तक पंजाब सतलज-यमुना लिंक नहर का निर्माण नहीं करेगा, जो कि पंजाब विधान सभा ने प्रस्ताव पास करके भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट में मैटर हरियाणा गवर्नमैंट चली गयी, Now the matter is pending before the supreme court. तो सुप्रीम कोर्ट के अन्दर दोनों कंडिशन लगा दी कि सतलज-यमुना लिंक नहर नहीं बनेगी तो हम नहीं दे सकते। और शारदा-यमुना लिंक नहर नहीं बनेगी तो हम नहीं दे सकते। यह दोनों ही ऐसी

(डा. एन.एस. गुर्जर)

स्थितियां हैं कि वह एक मामला तो कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा मैं यही कह रहा हूं कि, आपसे मेरा यही प्रश्न है और दूसरा है कब नदियां जुड़ेगी, कब इनका बजट आएगा और कब क्या होगा? सीरियस नहीं है केन्द्र की सरकार इस मामले में। यह सरकार सीरियस नहीं है, दिल्ली की सरकार, नदियों को जोड़ने में। मैं इसलिए यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब यह हरियाणा यह कंडिशन लगा रहा है, उस आधार पर हम यह पानी किस तरह से लाने में सफल होंगे और सरकार इसके लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है? तीसरा।

चौथा, मेरा प्रश्न इसके साथ-साथ यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पर्ची के मामले में हम चार-चार, पांच-पांच मिनट तब बोलते हैं, मंत्रीजी जवाब देते हैं। 15-15, 20-20 मिनट, आधा-आधा घंटा हंगामा भी होता रहता है। मैंने 131 का जो नियम है, उसके अन्तर्गत यह नोटिस दिया है कि राजस्थान के हितों के साथ, बहुत बड़ा, क्योंकि 1/10 हिस्सा राजस्थान का है पूरे देश का हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से लेकिन इसमें एक परसेंट वाटर है। एक परसेंट जल है। आज हमारी स्थिति यह हो गयी है कि पंजाब हमारा पानी रोक रहा है। पंजाब के बाद मध्य प्रदेश ने एनीकट्स बना लिये हैं ऊपर और हरियाणा ने हमारा पानी रोकने के लिए, उसने प्रयास शुरू कर दिये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं चौटाला जब भी आये और कहें, कहते रहे कि आज दूंगा, कभी कहूंगा हां, कभी ना और अब जो सरकार आयी है, मैं यह भी चाहूंगा माननीय प्रतिपक्ष के नेता जो बैठे हुए हैं, उनसे भी चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में है, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है, क्या माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपका प्रभाव इस समय दिल्ली में बहुत बढ़ा हुआ है, आप दो पद इस समय लेकर बैठे हैं तो क्या आप अपने प्रभाव का उपयोग करके अपनी दोनों सरकारों से राजस्थान के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप भी प्रयास करेंगे, यह प्रश्न तो आपसे है और सरकार से यह प्रश्न है कि इस सम्बन्ध में पिछली सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये और यह सरकार क्या प्रयास कर रही है? इस सम्बन्ध में जो मैंने सवाल उठाये हैं इन मामलों को लेकर राजस्थान सरकार क्या-क्या कदम उठाने जा रही है, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी सदन को जानकारी देने की कृपा करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं भी बोल दूं, फिर साथ ही बोल देना।

(डा. बुलाकी दास कल्ला)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त मैंने राजस्थान के तमाम बिजली और पानी से सम्बन्धित मुद्दों को उठाया था। और उस समय टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से यमुना नदी के पानी में राजस्थान के हिस्से के मामले को उठाया था। चूंकि इस पर मंत्रीजी का काफी वक्तव्य आ गया, आपने भी कह दिया।

मैं दो-तीन बातें आपसे जानना चाहता हूं। एक तो आपकी सरकार आने के बाद आपने इस पानी को लाने का क्या प्रत्यन किया? दूसरा, मैंने उस समय भी यह मांग की थी इन्टर-स्टेट डिस्प्युट जितने भी हैं, उन इन्टरस्टेट डिस्प्युट के मैटर्स को क्या आप सुप्रीम कोर्ट से जाने का विचार रखते हैं? क्योंकि पांच साल से पूर्व मुख्य मंत्रीजी चौटालाजी बराबर यह कहते रहे कि राजस्थान को राजस्थान के हिस्से का पानी मैं दूंगा, लेकिन उन्होंने एक बूंद पानी हमको दिया नहीं। इसलिए जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर नहीं जाएंगे तब तक राजस्थान को यमुना नदी का पानी मिलने वाला नहीं है। और न ही भरतपुर, झुंझुनूं और चूरू जिले को पानी मिलने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको आप ले जाने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? तीसरा प्रश्न- इन्फ्रास्ट्रक्चर जब तक हम वास्तव में डवलप नहीं करेंगे तब तक पानी मिलने का आधार हमारा समाप्त हो जायेगा। अभी राजस्थान में खास तौर से इन तीनों जिलों में अकाल और अभाव की स्थिति है भरतपुर के कुछ इलाकों को छोड़कर, लेकिन चूरू और झुन्झुनूं में भयंकर अकाल है। क्या आप अकाल से जोड़कर यहां पर यमुना नदी का पानी जहां आ रहा है, उनकी नहरों को बनाने का विचार रखते हैं और यदि नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते? इसके बारे में स्पष्ट करें। आप अकाल को और सिंचाई के जितने भी बजट को आपस में डवटेल करके इस काम को करवा देंगे तो निश्चित रूप से आपका एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और इससे हम यमुना नदी के पानी को ले सकेंगे।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन और हम सब इस बात से सहमत हैं कि जितने भी अन्तरराज्यीय जल में हमारा हिस्सा है, वह हमको मिलना चाहिये। सरकार कोई भी रही हो, मान्यता एक ही है। उसमें प्रयास कम या ज्यादा किये हों, यह हो सकता है। टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पहले वाली सरकार ने क्या किया, अब वाली

(श्री सांवर लाल)

सरकार ने क्या किया? यह चीजें मैंने बता दी। कमलाजी ने एक बार चिट्ठी लिखी, उसके बाद माननीय अशोकजी गहलोत ने लिखी, क्योंकि कमलाजी के जवाब में चौटालाजी ने यह लिखा शारदा यमुना लिंक जो आपने बताया, उसका हवाला दिया है। उन्होंने लिखा कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरा माननीय सदस्य कह रहे हैं अपर यमुना में कैसे ले गये। तो जो समझौता हुआ था जिसमें पांचों स्टेट के मुख्य मंत्री थे, माननीय भैरोंसिंहजी हमारी तरफ से थे, उसमें लिखा हुआ है कि

"The allocation of available water flow amongst the beneficiary states will be regulated by the Upper Yamuna River Board within the over all frame work of this agreement."

और इसमें यह भी लिखा हुआ है कोई भी विवाद होगा तो यही जाएगा। इसलिए इस कारण से उनको एक मिला हुआ है। पानी की लड़ाई तो आप देख रहे हो। जब माननीय सदस्य एक एरिये से दूसरे एरिये में जाने के लिये भी कहते हैं मेरे यहां से आगे नहीं जाने दूंगा तो पानी का महत्व है और हमारे लिये जो पानी मिला है, इसका महत्व हमारे लिये है। हमारी जिम्मेदारी भी है। वह पानी हम हर स्टेट से लेवें। इसके लिये प्रयास किये हैं। हमारी सरकार के आने के बाद माननीय वसुन्धराजी ने चिट्ठी लिखी। मैंने लिखी। मैंने केन्द्रीय मंत्रीजी को भी लिखी। मैंने टेलीफोन से बातचीत अपने जो मंत्री दिल्ली में हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, चूंकि राजस्थान के हित की बात है तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं कोशिश करूंगा। अभी इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात आई है तो इसमें सी.डब्ल्यू.सी. ने कहा कि जब तक एम.ओ.यू. नहीं हो, हरियाणा उसके ऊपर साइन नहीं करेगा तब तक यह पैसा नहीं देंगे और मैंने जब यह देखा और हमारे अधिकारियों ने कहा था तो मैंने उनको निर्देश दिये कि यह चीज हम टोलरेट नहीं कर सकते हैं। चाहे एम.ओ.यू. हो या नहीं हो, कम से कम इसको इस दिशा में अपने यहां पर कुछ स्ट्रक्चर डवलप करने का प्रयास करना चाहिये और इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं कि कुछ न कुछ हम करें जिससे पंजाब के टाइम में पानी छोड़ा, वह मौका नहीं मिलेगा किसी को कहने का कि साहब, हम लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो इस दिशा में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रयत्न शुरू किये हैं हमने। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की बात माननीय नेता महोदय कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी सहारा है। एक बार इस ट्रिब्यूनल से फैसला होकर आने दीजिये और यहां पर हमारा पक्ष नहीं होगा तो निश्चित रूप से कानूनी सहारा हम लेंगे। टोडारायसिंह से आने

(श्री सांवर लाल)

वाले माननीय सदस्य ने जो-जो बातें बताई हैं, लगभग मैंने आपको बताई हैं। बाकी आपने सारी बातें बता दीं। यह तो 1994 में समझौता हुआ। भरतपुर में तो 1960 से भी पानी आ रहा है। यह सारी चीज रिकार्ड पर है। गुड़गांव कैनाल से 1960 में समझौता हुआ। उसके तहत भी पानी मिल रहा है तो मैं इस अवसर पर आपको यही कह सकता हूं कि राजस्थान के हित की पूरी चेष्टा यह सरकार करेगी और इस पानी को हम लेने के लिये प्रयास करेंगे। चाहे कोर्ट में जाने की आवश्यकता होगी तो इसमें भी हम पीछे नहीं रहेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं। यह जो गुडगांव कैनाल लिंक है, हरियाणा में 250 अन-आथोराइज्ड पम्प्स बना लिये हैं, और करीब 46 आउट-लेटस खोल लिये हैं। और यह स्थिति कर दी टोटल 500 क्यूसेक्स की कैपेटिसटी की, इसकी जो थी, पानी आने की, उसमें यह कर लिया। तो इसके लिये राजस्थान सरकार क्या प्रयास कर रही है? क्योंकि अगर एक बार वहां के किसानों ने जैसे पंजाब में हुआ है, इस पानी का यूज करना शुरू कर दिया, उन्होंने पम्प्स खोलकर 250 अन-आथोराइज्ड पम्प्स उन्होंने शुरू कर दिये, 46 आउट-लेटस कर लिये, वहां की गवर्नमैंट की कन्सेंट से, मिलीभगत से। यह किसान ऐसा कर रहे हैं और धीरे धीरे जितना पानी हमको मिलने वाला है गुडगांव यूटिलाइज करने की आलरेडी व्यवस्था कर लेंगे। जब कैनाल से, उसमें उस पानी को तक हम इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और एम.ओ.यू. साइन होगा और जब तक यह सारा डिसाइड होगा तब तक उन्होंने उस पानी का अगर यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया तो उसके बाद वह किसान उसका यूटिलाइजेशन नहीं छोड़ेंगे। तो इस संबंध में सरकार क्या प्रयास कर रही है? इसके बारे में सदन को जानकारी दें।

श्री उपाध्यक्ष : जजमेंट होने के बाद ही पता चलेगा। विधायी कार्य।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बात लगभग हो गयी है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है। उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया पानी का।..(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सीरियस हो तो बता दूं आपको। उपाध्यक्ष महोदय, नहरें जहां से आती हैं चाहे अपने कुओं का पानी जाता है वहां भी धोरों में कुछ किसान करते हैं तो उनको रोकने की कोशिश हम करते हैं। अब माननीय

(श्री सांवर लाल)

सदस्य ने जानकारी दी है अगर हरियाणा के हिस्से में ऐसा कर रहे हैं तो वहां की सरकार से हम बात करेंगे। हमारे अफसरों को भी कंट्रोलिंग के लिये भेजेंगे हम। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, यह बात हुई न। (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री, राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 एवं 201 के अन्तर्गत लौटाये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 के खण्ड-2 में संशोधन प्रस्तुत करते हुए विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को पुन: संशोधित रूप में विचारार्थ लिया जाये। और मैं यह पूरा हम संशोधन इसमें जो कर रहे हैं, वह भी मैं आपके सामने रखता हूं:-

"2. Amendment of section 167, Central Act No. 2 of 1974 :- In the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974). In section 167, in its application to the State of Rajasthan, in provise to sub-section (2),-

(i) For the existing paragraph (b) the following shall be substituted, namely:-

"(b) Where the accused is in police custody no Magistrate shall authorize detention in any custody under this section unless the accused is produced before him in person;

(bb) Where the accused is in judicial custody, no Magistrate shall authorise detention in any custody under this section unless the accused is produced before him either in person or through the medium of electronic video linkage;

(ii) For the existing Explanation II. following shall be substituted namely:-

" Explanation II.- If any question arises whether an accused person was produced before the Magistrate as required under paragraph (b) and (bb), the production of the accused person may be proved-

(i) by his signature on the order authorising detention, if he is produced in person; or

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(ii) by a certific e to the effect that he was produced through the med of electronic video linkage recorded by the Magistrate on the order thoris g dete ion, if he is produced through the medium of electronic video linkage.".

श्री उपाध्यक्ष : कोई सदस्य बोलेंगे? बहस हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं समझता हूं इसमें कोई नहीं, क्योंकि पिछली बार जो अपनी कमी रह गयी थी और उसको राष्ट्रपतिजी ने वापस अपने सुधार के लिये भेजा। उसको हमने करेक्ट करके आपके सामने रखा है, इसको इसी रूप में पास करें ताकि आगे का काम प्रारम्भ हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में उस समय भी गृह मंत्रीजी करने वाले थे लेकिन चूंकि उस समय यह प्रोसेस में हो रहा था, चूंकि करेक्ट होकर आ गया. इसलिये किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गृह मंत्रीजी को लेकिन उस समय हमने यह ध्यान दिलाया था कि यह ला बन रहा है। और ला में यह लेकुना हैं। अधिकारियों ने जिस तरह से इसको ड्राफ्ट कर के दिया है, इन अधिकारियों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा है। और मैंने उस समय भी सुझाव दिया था कि आप इस समय भी अमेंडमेंट मूव कर दीजिए। यदि उस समय अमेंडमेंट मूव कर दिया जाता तो यह स्थिति नहीं होती कि प्रेसिडेंट के यहां से वापस होकर आता।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि यह जो अधिकारी ड्राफ्ट करके दे देते हैं, स्पेसिफिकली कानून बनाने के मामले में, उनको आप अच्छी तरह से दिखवाइये।

शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, अभी प्राइवेट विश्वविद्यालय का बिल आया था और फिर प्रवर समिति को सौंपा तो हमने कितने गलतियां पकड़ कर उसको ठीक करवाया है। इसी तरह से पहले जे.डी.ए. का बिल आया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि केवल अधिकारियों के भरोसे हम लोग, स्पेसिफिकली जो ला बनाने का काम है हमारा यह टैक्निकल काम है। और विशेष रूप से सदन का इम्पोर्टेंट जो काम है वह ला बनाने का ही है। इसमें सरकार निश्चित रूप से ध्यान रखे आगे के लिए, भविष्य के लिए ताकि यह स्थिति नहीं हो कि राष्ट्रपति के यहां से वापस आ जाए लौट कर के। धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसका जो प्रारम्भिक आंध्र प्रदेश ने जाब लागू किया उसी को हमने जैसा था वैसा का वैसा उस प्रस्ताव को भेजा। और जो वर्डिंग उन्होनें चैंज किये, सेम। क्योंकि यह 2001 में राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत था और इसके कारण से यह सोचा कि हम इसको उसी रूप में भेजें तो यह होगा और उसमें भी यह वीडियो लिंकेज का भी जो काम है केवल दो जगह कर रहे हैं अभी। क्योंक हमारे पास साधन होंगे उतने ही तो जेल को भी हम कर पा रहे हैं। अभी तो केवल हम जोधपुर और जयपुर को कर रहे हैं। अभी तो राजस्थान की सारी जेलें भी हम इस प्रोसेस के तहत पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसमें जो कमी रही थी उसको जैसी भावना था उसके अनुसार हमने सुधार कर किया है।

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस कस्टडी का ही कन्फ्यूजन था।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 को संशोधित करने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकर किया गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को पुनः संशोधित रूप में पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को पुनः संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को पुनः संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 पुनः संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्रावइेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (उच्च शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय, 2005 को विचारार्थ लिया जाए

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढा, श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री संयम लोढा (सिरोही) : मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं, उपाध्यक्ष महोदय

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार यह राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 लेकर आयी है जैसा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को क्या ऐसी जल्दी हो गयी थी कि बिना प्रदेश के शिक्षाविदों से राय लिये और बिना प्रदेश की जनता से विचार-विमर्श लिये राजस्थान के शैक्षिक जगत में यह इतना बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 का हीडन एजेंडा बहुत अलग है। देश में जब एन.डी.ए. की गवर्नमेंट थी तब देश

(श्री संयम लोढ़ा)

के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बिड़ला और अम्बानी की एक कमेटी बनायी हिन्दुस्तान की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन लाया जाए। और उस कमेटी ने, उपाध्यक्ष महोदय, चैन्नई की एक संस्था के माध्यम से 150 पेज की एक रिपोर्ट बना कर तत्कालीन प्रधानमंत्री को दी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र से सरकार को हट जाना चाहिए। और, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो देश के क्षेत्र का बहुत भला हुआ कि हिन्दुस्तान की इस महान जनता ने उस सरकार को उखाड़ कर फैंक दिया जिससे उस रिपोर्ट पर देश में कार्यवाही नहीं हो सकी। लेकिन अब, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये 18 महीने के अन्दर राजस्थान की वर्तमान सरकार किस तरीके से काम कर रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है और क्या निजी क्षेत्र की भूमिका होगी, इस 18 महीने में इस सरकार के कामकाज से आप बहुत भलीभांति समझ सकते हैं। कितने सरकारी क्षेत्र में कालेज खोलने की सरकार ने कोशिश की और किस रूप में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का फैसला किया, आज कौनसा ऐसा कारण है कि जब....(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं, फ्लो मत तोड़ो आप।

श्री संयम लोढ़ा : ऐसा कौनसा कारण है कि जब प्रदेश में निजी क्षेत्र के इन्जीनियरिंग कालेज में 40 फीसदी सीटें खाली पड़ी हुई हैं? 20 हजार बेरोजगार डिग्रियां लेकर दरदर की ठोकरें खा रहे हैं? और ऐसे वक्त में 228 तो सामान्य शिक्षा की उच्च शिक्षा में कालेज खोलने की आपने एन.ओ.सी. जारी की और 388 आपने बी.एड. की एन.ओ.सी. जारी की। राजस्थान में राजस्थान की गरीब जनता का हजारों हजार करोड़ रुपया लग कर के जो संस्थान बने हैं। मुझे आशंका है कि इन निजी संस्थाओं के आने से एक ऐसी बीमारी शुरू होगी कि सरकार इस उच्च शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के लक्ष्य से पीछे हटने को न-केवल मजबूर होगी बल्कि यह निजी संस्थाएं सरकार को बाहर धकेल देंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह जो विधेयक लेकर आयी है, मैं सबसे पहले आपका ध्यान इसकी धारा 4 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें आपने यह प्रावधान किया है कि "प्राइवेट क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन, जिसमें प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट अन्तर्विष्ट हो, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाये, प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को किया जायेगा" और "परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टयां होंगी"।

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र परियोजना रिपोर्ट ही क्यों, आप जब इस 21वीं सदी में यह विधेयक लेकर आ रहे हैं। आपको एक बहुत खुली दृष्टि के साथ सोचना चाहिए था और यह पूरा विचार करना चाहिए था कि किस रूप में निजी क्षेत्र में आने वाले वक्त में हम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखते हुए राजस्थान के नौजवानों को ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के नौजवानों को एक बेहतरीन शिक्षा देने की कोशिश करेंगे।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोफेसर यशपाल वर्सेज, स्टेट आफ छत्तीसगढ़ के मामले में जो फैसला दिया है, यह फैसला आपके पास था, आपकी सलेक्ट कमेटी के पास भी था लेकिन क्यों नहीं हम उस फैसले को उस रूप में लागू कर सके जिस रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना थी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका कुछ अंश पढ़ना चाहूंगा।

(14.29)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

"As shown earlier, University is a whole body of teachers and scholars engaged at a particular place in giving and receiving instructions in higher branches of learning; and as such persons associated together as a society or corporate body, with definite organization and acknowledged powers and privileges and forming an institution for promotion of education in higher or, more important branches of learning and also the colleges, building and other property belong to such body. Other necessary attributes of university are plurality of teachers teaching more than on higher faculties and other facilities for imparting instructions and research, provision for residence and must have certain standard of instructions providing for graduate and post-graduate levels of study. It pre-supposes existence of a campus, class rooms, lecture theatres, libraries, laboratories, offices, besides some play grounds and also sport faculity for overall development of personality of the students. However, under the provisions of the impugned Act, a proposal which is only on paper and merely gives some kind of a plan or scheme to be done in future is notified as a University."

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हू यह सरकार सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जरिए अगर इस तरह के विश्वविद्यालय खोलने की कल्पना रखती है। तो यह आने वाले वक्त में नहीं, पीढियों पीढियों के लिए राजस्थान के नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करेगी। और जो एक लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए कि एक बेहतरीन शिक्षा प्राप्त हो समान सुविधाओं के साथ वह नहीं हो सकेगी। क्या हर्ज, क्या दिक्कत थी आप यह प्रावधान उसमें रख देते

(श्री संयम लोढ़ा)

कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना है इस भावना के आधार पर तमाम सुविधाओं से युक्त संस्थान हमारे सामने जब आएगा तब हम इसकी, प्रोजक्ट रिपोर्ट के क्या मायने हैं? वहां छत्तीसगढ़ के अन्दर इसी तरह की बात हुई। दो सौ यूनिवर्सिटी को एन.ओ.सी. दे दी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, और सर्वोच्च न्यायालय नै सैंतीस यूनिवर्सिटी की मान्यता निरस्त कर दी।

हम क्या राजस्थान में इस तरह की निजी क्षेत्र में शैक्षिक व्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं? और एक अंश का और माननीय सभापति महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में लिखा है -

"In the case of a private university it is necessary that it should be a pre-established institution for higer education with all the infrastrucural facilities and qualities which may justify its claim for being conferred with the status of a University and only such an institution can be conferred the legal status and a juristic personality of a University."

यह सारी बातें माननीय सभापति महोदय, प्रवर समिति के ध्यान में थी। लेकिन इसके बावजूद बहुमत के बल पर इन बातों को इनकारपोरेट किए बिना यह इस तरह का विधेयक प्रस्तुत किया गया है जो आने वाले वक्त में राजस्थान की उच्च शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा।

मैं एक बिन्दु और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के इसी फैसले का, "What is necessary is actual establishment of institutions having all the infrastructural facilities and qualified teachers to teach there. Only such colleges or institutions which impart quality education allure the best students."

अब मुझे आप बताओ जो आपने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, क्या इसके जरिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भावना प्रकट की है, जो अपेक्षा की है बहुत व्यापक अध्ययन के बाद, यह क्या वह दे पाएंगे? क्या हम देश के अच्छे नौजवानों को, मेधावी प्रतिभाओं को इन निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे? सिर्फ उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर हम अगर निजी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का अगर विचार रखकर चलते हैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी तो यह ठीक नहीं होगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इसमें यह प्रावधान करें कि यह तमाम अपेक्षाएं जो संस्थान पूरी करेगा, जो अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा उसके बाद निजी विश्वविद्यालय के काम की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूं इसी विधेयक के सैक्शन-5 की तरफ जिसमें यह कहा गया है आशय पत्र का जारी किया जाना और अनुपालना रिपोर्ट। धारा-(4) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना उचित है तो यह आशय पत्र जारी कर सकेगी और प्रयोजक निकाय को निम्नलिखित के लिए कह सकेगी।

इसमें मैं आखिरी बिन्दु आपके ध्यान में लाना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ऐसी अन्य शर्तों पूरी करने और ऐसी अन्य जानकारी देने के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परि .द या संघ या राज्य के विधि द्वारा स्थापित किसी कानूनी निकाय द्वारा विहित की जाए. माननीय सभापति महोदय, आपका तो बहुत लम्बा अनुभव है संसदीय कार्य का भी और उच्च शिक्षा का भी। आप बताइये कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बद्धता का प्रावधान नहीं हो और सिर्फ शर्तों के आधार पर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फ्लोट करना चाहते हैं तो यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा और राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में घोर अनर्थ यह सरकार करने जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा हमको राजस्थान में देनी है निजी विश्वविद्यालय के माध्यम से तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें सरकार को यह प्रावधान करना चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सम्बद्धता, आप शर्तो की बात मत कीजिए आप उसमें सम्बद्धता का प्रावधान रखिए जिससे एक नियंत्रण इन निजी विश्वविद्यालयों पर रखा जा सके..

श्री जीतमल खांट : इसमें आप संघ को शामिल कर रहे हो, कौन से संघ की बात कर रहे हो? आप तो बहुत विरोध करते हो वह कौनसा संघ है?

श्री संयम लोढ़ा : वह संघ की भी बात करेंगे। जब शिक्षा की बात है तो तिवाड़ी साहब शिक्षा मंत्री हों और इस संघ की बात नहीं करें तो यह हो नहीं सकता क्योंकि इनका हिडन एजेण्डा तो वो ही है।

अब माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे भी उसमें शामिल कर रखा है क्या?

श्री संयम लोढ़ा : अभी तो आप तो उसके रचनाकार हुए हो। आपको तो शिक्षा का काम दिया गया है। शिक्षा के जरिए ही आप सारी घुसपैठ करते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमने तो घुसपैठ के लिए आपको भी भेजा था।

श्री संयम लोढ़ा : शिक्षा का आपराधिक इस्तेमाल अगर कोई संस्था कर सकती है तो वो ही संस्था है जिससे आप ऊर्जा प्राप्त करते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दीक्षित करके आपको वहां भेजा है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा विश्वविद्यालय के 11 की तरफ इस अधिनियम की धारा जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी के समबन्ध में प्रावधान किया गया है। कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव, मुख्य वित्त लेखा अधिकारी और दूसरे अधिकारी अब कुलाध्यक्ष कौन होंगे, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल इन निजी विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष होंगे जो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी में शायद प्रेसीडेंट आफ इण्डिया होते हैं अगर मैं सही होऊं तो। अब इन कुलाध्यक्षजी के पास अधिकार क्या है, कुछ नहीं। इनका सिर्फ काम इतना रहेगा कि आप यह उपाधियां प्रदान करो, डिप्लोमा प्रदान करो और डिग्रियां प्रदान करो। सिर्फ इसीलिए कुलाध्यक्ष का प्रावधान आपने किया है कि निजी विश्वविद्यालयों को किसी भी तरीके से वैधानिकता प्रदान की जाए। इसलिए आपने यह कुलाध्यक्ष का प्रावधान किया है। आपने इसमें लिखा है कुलाधिपति और कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करेगा, कुलाधिपति प्रायोजक निकाय द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से ऐसी प्रक्रिया का पालन करके ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, तीन वर्ष की कालाविधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

जब प्रयोजक निकाय की उसकी अपाइन्टिंग आथोरिटी होगी, उसके द्वारा किया जाएगा तो फिर किस न्याय की उम्मीद रख सकते हैं। कुलाध्यक्ष का सिर्फ आपने अनुमोदन कराया है। कुलपति का चयन कैसे करेंगे यह, कुलपति की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा सिफारिश किए गए तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। कुलाधिपति कौन, जिसको यह अपाइन्ट करेंगे प्रयोजक निकाय और वो ही कुलपति की नियुक्ति भी करेगा। फिर यह कुलाध्यक्ष का क्या काम है यहां पर और सरकार का क्या रोल है

(श्री संयम लोढ़ा)

इसमें? कोई रोल नहीं है। पूरी तरह से आपने पूरा प्रबन्ध कर दिया है कि इस विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था बने कि वह ऐसी व्यवस्था बने कि चारों तरफ से समाज को डुबाने का काम करे।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें यह बहुत आवश्यक था कि सरकार इस बात का प्रावधान रखती कि उनका रिप्रजेन्टेटिव रहता, राज्यपाल महोदय के हस्तक्षेप की इसमें संभावना रहती। लेकिन यह सब प्रावधान इसके अन्दर नहीं किया है. मैं आपका ध्यान सैक्शन-20 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें विश्वविद्यालय के शासी निकाय के बारे में प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान है। कुलाधिपति, कुलपति और प्रायोजक निकाय द्वारा नाम निर्देशित पांच व्यक्ति जिनमें से दो शिक्षाविद होंगे। विश्वविद्यालय के बाहर से कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित एक विशेषज्ञ। सरकार का क्या रोल है या राज्यपाल का क्या रोल है। कुलाधिपति कौन जिसको प्रायोजक निकाय अपाइन्ट करेगा और वह नाम जो देगा उसी में से शिक्षाविद भी लोगे, उसी में वित्त विशेषक्ष भी लोगे तो सरकार की तो कोई भूमिका नहीं। और महामहिम राज्यपाल की भी कुलाध्यक्ष बनाने के बाद भी कोई भूमिका नहीं है इसमें। इसके बाद आपने क्या प्रावधान किया है। मैं सैक्शन-20 के (2) की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो एक बहुत खतरनाक प्रावधान आपने रखा है। इसको मैं रिलेट करूंगा सैक्शन 44 से। आपने यह प्रावधान किया है कि शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा। विश्वविद्यालय की समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति शासी निकाय में निहित होगी। ठीक है। और इसका विघटन हो गया तो आपने क्या प्रोविजन किया है। सैक्शन 44 के 9 में उप धारा 8 के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जायेगा और विश्वविद्यालय की समस्त आस्तिया और दायित्व ऐसी-ऐसी तारीख से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे। गवर्निंग बाडी में क्यों नहीं? प्रायोजक निकाय क्यों हैं? इसका मतलब अगर एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूं तो यह जो कानोडिया कालेज बना है, सपोज यूनिवर्सिटी के एंगल में ही आपको समझाना चाहूं। आप इसको डिजाल्व कर दो तो इसकी सारी प्रोपर्टी कानोडिया की जेब के अन्दर। यह व्यवस्था आपने इस एक्ट के

(श्री संयम लोढ़ा)

अन्दर की है। बहुत अच्छा होता कि आप किसी व्यक्ति, प्रायोजक निकाय में विघटन के बाद यह सारी सम्पतियां निहित करने की बजाय आप गवर्निंग बाडी में रखते। इससे जब कभी भी यह विघटन होगा उसकी प्रोपर्टी हो जायेगी। जमीन तो दोगे आप कम पैसे में, सड़क की आप व्यवस्था करोगे, दूसरी व्यवस्थाएं आप करोगे, राजस्थान की जनता का सारा पैसा लगेगा और जब भी विघटन होगा प्रायोजक निकाय के हाथ में।

सभापति महोदय, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है यह परिपूर्ण नहीं है। इसमें अभी और चर्चा की आवश्यकता है और सुझाव लेने की आवश्यकता है। शिक्षा का स्वरूप निजी क्षेत्र में किस तरह का होगा, आपको अनुभव है। आज हमारे इंजीनियरिंग कालेज की क्या हालत है। घोर कुपात्र लड़के पैसे के बल पर उसमें प्रवेश पा जाते हैं और दूसरी तरफ 40 परसेंट सीटें खाली पड़ी हुई हैं। आप अगर निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हो तो फिर ऐसा सैक्टर तो आप देखते कि जिसमें उनको लाने की जरूरत है। उन क्षेत्रों में इनको लाने की कहां आवश्यकता है जहां आलरेडी राजस्थान सक्षम तरीके से काम कर रहा है। आप आई.टी. के फील्ड में लाते इनको, आप बायो टैक्नोलोजी के फील्ड में लाते। लेकिन नहीं। आपने तो ओपन फील्ड कर दी। आज जब आलरेडी राजस्थान में 40 परसेंट इंजीनियरिंग की सीटें भर नहीं पा रहा है जो सैंक्शंड है, अब उसमें नये यह विश्वविद्यालय लाकर हम और क्या कर देंगे। क्या फीस का स्ट्रक्चर रहेगा? यह आपने इसमें सैंक्शन 33 में क्या प्रोविजन किया है फीस का। क्या आपका नियंत्रण है फीस के बारे में? एक कमेटी बनायेगी जो यह करेगी और इन निजी संस्थाओं के ऊपर सरकार का क्या नियंत्रण रहेगा। एक रेगुलरिटी अथोरिटी आप बनाकर इस पर नियंत्रण करना चाहते हो। जो विश्वविद्यालय और जो संस्थाएं हमारे पूर्ण नियंत्रण में है उसमें हम व्यवस्था नहीं देख पा रहे। इसमें क्लास नहीं लग रही है, उसमें घोर अनियमितताएं हो रही हैं, उसमें टीचर्स का पता नहीं, प्रोफेसर्स का पता नहीं। रेगुलरिटी अथोरिटी से हम विश्वविद्यालयों को कण्ट्रोल कर लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक हिडन एजेंडे के तहत यह विधेयक 2005 लाया है। कोई इतनी जल्दी नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले इसको प्रवर समिति को निर्देशित किया गया। अगर इसके प्रावधानों पर आप गौर करो और उसकी पूरी

(श्री संयम लोढ़ा)

कम्प्लायंस हो, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो तो दो साल से पहले कोई यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन इस सदन में मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, आप मेरी बात याद रखें कि यह सरकार इसी जुलाई से तीन संस्थाओं को निजी विश्वविद्यालय के रूप में काम करने की इजाजत देने जा रही है और इसमें एक वही केशव विद्यापीठ, जो आर.एस.एस. का प्रायोजित कार्यक्रम है और..(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : That is not an agenda. It has already established.

श्री संयम लोढ़ा : आपकी बात, आप बिराजिये।

श्री जालम सिंह रावलोत : आर.एस.एस. से जुड़ी संस्था है तो काम नहीं कर सकती?

श्री बंशीलाल खटीक : एक दिन ऐसा आयेगा नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी कि की उसी तले आपको सबको रहना होगा और उसी बैनर तले रहने में आपका और हमारा भला होगा। यह जान लेना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा : और जो नहीं रहेंगे उनको यह वहां से आने वाले माननीय सदस्य मजबूर कर देंगे कि यह जो इधर हैं..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह प्रवर समिति में विचार हो चुका है इसलिये थोड़ा समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा : मैं प्रवर समिति में नहीं था। विचार हो चुका है, उन्होंने क्या कहा, इससे मेरे अधिकार खतम नहीं होते सभापति महोदय..

श्री सभापति : हां, इसलिये थोड़ा आप समय का ध्यान रखें।

श्री तगाराम चौधरी : किस तरह की शिक्षा दी जा रही है उसमें कितना गुण है या अवगुण है उस पर जाओ (व्यवधान) इसके द्वारा यह क्या, उस पर मत जाओ।

श्री सभापति : तगारामजी, बिराजो। तगाराम जी, माननीय सदस्य बिराजो।

श्री संयम लोढ़ा : जैसा कि माननीय सभापति महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी तो पूरी तैयारी है यहां पर। मैं भी यही कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति : तगारामजी विराज जाएं।

श्री संयम लोढ़ा : यह इसलिये आनन-फानन के अन्दर यह तमाम कमियां रखते हुए यह बिल इसीलिये लाया गया है। कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इस सरकार के ऊपर दबाव था। इस दबाव की वजह से ऐसा विधेयक लाया गया है जो आने वाले वक्त में राजस्थान की पीढियों-पीढियों पर कुठाराघात साबित होगा। ऐसे विश्वविद्यालय खड़े किये जायेंगे कि जहां चार हजार रुपये का मास्टर, पांच हजार रुपये का मास्टर, आज 90 फीसदी अनुदान देकर जो संस्थाएं चल रही हैं, सब कांट्रेक्ट पर शिक्षक लगाये हुए बैठी हैं। चार हजार रुपये में लैक्चरर लग रहा है, पांच हजार रुपये में लग रहा है जिसमें कि आपका 90 फीसदी अनुदान है। तो ऐसे विश्वविद्यालय जिसमें आपका कोई अनुदान नहीं है, इस तरह के शिक्षक लगाये जायेंगे जिनकी तनख्वाह होगी मामूली और कैसे बच्चे तैयार करेंगे? एक व्यक्ति जब फ्रस्ट्रेट होगा, हताश होगा तो वह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को कैसे तालीम देगा, हम समझ सकते हैं। और एक ऐसी नस्ल राजस्थान में आप पैदा करोगे तो हताश लोगों के द्वारा तैयार की हुई होगी और वह नस्ल संवेदनहीन होगी। उस संवेदनहीन नस्ल के जरिये राजस्थान की आप बहुत भारी क्षति करोगे। बहुत भारी नुकसान करोगे। इसलिये माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे शिक्षा मंत्रीजी बहुत विद्वान हैं..

श्री तगाराम चौधरी : मैं निवेदन करूं जैसा कि राजीव गांधी पाठशालाओं के द्वारा और उसमें एक अध्यापक रखकर के हुआ, ठीक यही थी। उस तरह की बात कर रहे हैं आप।

श्री सभापति : बिराजिये-बिराजिये तगारामजी, यह आपका विषय नहीं। बैठ जाओ आप।

श्री संयम लोढ़ा : राजीव गांधी ने तो क्या किया, क्या नहीं किया, अभी तो 18 महीने...

श्री तगाराम चौधरी : राजीव गांधीजी ने कुछ नहीं किया, आपने

(श्री तगाराम चौधरी)

किया। राजीव गांधीजी ने यहां किया और शिक्षा को जिस राह पर आपने लेना सोचा था उसमें राय ही नहीं ली। कोई आधार ही नहीं था, कोई नियम ही नहीं थे इस स्थिति में आप खुद मान रहे थे..(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराज जाइये। यह बहस का विषय नहीं है। तगारामजी, बिराज जाइये..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्य जो बात कह रहे हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने निजी विश्वविद्यालय की तो छोडो इन 18 महीनों के अन्दर उदयपुर की दोनों यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, सब जगह आर.एस.एस. ब्रांड के लोगों को बैठा दिया। और शिक्षा, अब राजस्थान कि उस सबको ध्वस्त करने का काम यह सरकार कर रही है...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : सतरह महीने ही हुआ है पूरा..(व्यवधान) बाकी 16 महीने ही हुए हैं..(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री जालम सिंह रावलोत : अशोक गहलोत जोधपुर यूनिवर्सिटी की ही प्रोडक्ट हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं वह इसीलिये लीडर बने हैं। पांच साल में जोधपुर यूनिवर्सिटी के लिये अशोक गहलोत ने कोई काम नहीं किया। धिक्कार की बात है जिस जोधपुर विश्व विद्यालय ने अशोक गहलोत को राजनेता के रूप में डवलप किया है। अशोक गहलोत सरकार ने पांच साल में जोधपुर विश्वविद्यालय के लिये कोई काम नहीं किया। वह लोग बात करते हैं और यह भी जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। इन लोगों ने जोधपुर विश्वविद्यालय का सत्यनाश किया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। वह उत्तेजित करते हैं, आप उत्तेजित हो जाते हैं। आप बिराजिये। आप बिराज जाइये। वह उत्तेजित करते हैं आप उत्तेजित हो जाते हैं। बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दाढ़ी वालों पर ही उत्तेजित होते हैं, समस्या यह हो रही है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, अभी जैसा कि जिक्र हमारे सत्ता पक्ष के कुछ सदसय कर रहे थे। निजी क्षेत्र की तो छोड़िये, इस सरकार ने 18 महीने में सार्वजनिक क्षेत्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं हमारे अपने संस्थान उनको ध्वस्त करने का काम किया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। खड़े मत होइये।

श्री संयम लोढ़ा : आपने उदयपुर, अजमेर, कोटा, इन सारी यूनिवर्सिटीज के अन्दर आर.एस.एस. ब्रांड के लोगों को बैठाकर एक जो शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होता है, जो शिक्षा के मानवीय सरोकार होते हैं, जो शिक्षा के सामाजिक सरोकार होते हैं, उन सरोकारों को ध्वस्त करने का काम भी इस सरकार ने किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है, यह विधेयक आर.एस.एस. के दबाव में आनन-फानन में लाया गया है। आर.एस.एस. को लाभ पहुंचाने के लिये लाया गया है। और आने वाले वक्त में राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिये यह एक बहुत भारी घातक विधेयक होगा। इसके लिये मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री हरिमोहन शर्मा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : इन्हीं को हैंड ओवर कर दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें है क्या?

श्री सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति में इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हो गयी है इसलिए ज्यादा कुछ है नहीं तो कोई मुख्य बात हो तो वही आप पाइंट आउट करें। लेकिन भाषण नहीं दें क्योंकि आज शाम को सात बजे आप लोग वहां भी जायेंगे। उससे पहले दो विधेयक और आने वाले हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : दो मिनट, हां, हां, ठीक है।

श्री सभापति : इसलिए जो मुख्य बात हो वही पाइंट आउट करें, बाकी ठीक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उन्होंने कोई नोट डिसेंट नहीं लगाया है।

श्री सभापति : यह सलेक्ट कमेटी से यूनानीमसली तय हो गया है। इसलिए ज्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, यह सही है कि सलेक्ट कमेटी के द्वारा (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठे-बैठे बातचीत नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : इस बिल पर अलग से गंभीरता से विचार करके लाया गया है। दूसरी बात यह है कि चाहे कोई सा बिल हो, चाहे वह मार्केटिंग का हो, चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे स्ववित्तपोषी का हो, जो सरकार बिल लेकर आती है वह तो पास होना ही होना है। हमारे सुझाव की इस सदन में केवल अभिव्यक्ति है कि हम जो भी बात हमारे मन में बिल के संबंध में आये वह आपको बता दें। लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य चिंतित होते हैं तो वह हमें विचार अभिव्यक्त करने के हमारे अधिकारों से वंचित करते हैं। पास तो होना ही है, आप चिंतित क्यों हैं, पास तो यह बिल होगा, होते आये हैं, हमने 167 सी.आर.पी.सी. में जो अमेंडमेंट की बात की थी आपने नहीं मानी। हमारे संशोधन को नहीं माना, राष्ट्रपति ने अस्वीकार किया फिर आप संशोधित रूप में आज लेकर आये तो हमारा कहना और नहीं कहना तो बेकार है। लेकिन फिर भी मैं अधिक विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। जो माननीय संयमजी लोढ़ा ने जिस बात पर चर्चा की है, निश्चित बात है, गंभीरता से आपकी सोच प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है जिसको आप सत्ता के बहुमत के आधार पर कर रहे हैं। उस प्रवृत्ति को करें, हम रोकने का भी प्रयास करें तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। आप इस बात से भी चिंतित मत हों

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रयास तो कर लें, कुछ डीसेंट तो लगायें, आपके सारे मेम्बर थे उसमें।

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, मैं तो केवल एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं हो यूनिवर्सिटी कागजों में बनाना बिलकुल बेकार है। कागजों में अगर आप यूनिवर्सिटी बना देंगे लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं होगा, ना संकाय होगा, ना भवन होंगे, ना संकायों के अलग-अलग स्वरूप होंगे ना कोई भवन स्थापित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो-जो भी आवश्यक चीजें होती हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है उसके अनुरूप अगर नहीं होगी तो आप भले ही इनको बना दें। हमने अभी कितने डेंटल कालेज बना दिये, कितने इंजीनियरिंग कालेज बना दिये। शिक्षा का स्तर जिस ढंग से वहां गिर रहा है वह आपके सामने हैं। किस प्रकार

(श्री हरिमोहन शर्मा)

के लेक्चरर्स का अपाइंटमेंट वहां पर होता है। कौन से लोग इंजीनियर्स को पैदा करने के लिए पढ़ाने की योग्यता नहीं रखते हुए भी उन प्रावइेट इंजीनियरिंग कालेजों में वह काम कर रहे हैं। कौन से डेंटल कालेज में कर रहे हैं तो आगे जो प्रोडेक्ट इन यूनिवर्सिटी का आयेगा, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं है और कागजी आधार पर ही आप यह कार्यवाही करेंगे, अपनी विचाराधारा को पोषित करने की दृष्टि से ही कागजों पर ही बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप हुए ही कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो वह ठीक नहीं होगा।

सभापति महोदय, मेरा आपसे यही विनम्र अनुरोध है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिये हैं, उनको इधर-उधर, तोड़-मरोड़कर के अपने-अपने स्वं हित को ध्यान में रखकर के इस विधेयक के माध्यम से आप वह कार्यवाही नहीं करें जो सुप्रीम कोर्ट ने सौ फीसदी डायरेक्शंस दिये हैं उनकी ईमानदारी से पालना करते हुए उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी बनायें। बिल तो पास होना ही है लेकिन हमारा सुझाव यह है कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डवलप हो, पुराने जो कालेज काम कर रहे हैं या पुराने जो इंस्टीट्यूट चल रहे हों, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको आप इसकी अनुमति देते तो अच्छा कदम होगा फिर जैसा आप मुनासिब समझें, धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. चन्द्रशेखर बैद। (अनुपस्थित)

श्री सी.डी. देवल। (अनुपस्थित)

श्री जुबेर खान (अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, इसी में दे देता हूं सारा ही मेरा सौभाग्य है कि आप इस कुर्सी पर हैं क्योंकि आप उस सलेक्ट कमेटी में भी थे और विश्वविद्यालयों के बारे में आपको सारी जानकारी भी है. माननीय संयम लोढ़ाजी ने और श्रीमान हरिमोहनजी ने जो विचार रखे हैं मैं उनकी चिंताओं से स्वयं भी सहमत हूं। क्योंकि आनन-फानन में और जल्दी में न तो सरकार इस बिल को पास कराना चाहती थी, ना सरकार आनन-फानन में और जुलाई के महीने में किसी भी विश्वविद्यालय को चालू करना चाहती थी। अगर सरकार की मंशा ही होती कि इसको पास कराया जाये जैसा श्रीमान हरिमोहनजी ने कहा तो पिछले सत्र में ही पास करा लेते।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया। आप तो ले आये थे बिल। लेकिन वह अलग से आ गया ना सुप्रीम कोर्ट का, आपको उसके हिसाब से वापस चेंज करना पड़ा, नहीं तो कृपानिधान आप तो ले आये थे बिल तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया इसलिए मैंने स्वयं खड़े होकर सलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्ताव किया था।

श्री हरिमोहन शर्मा : वही तो करना था। अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आता तो आप तो ले आये थे ना और आप जो लेकर आये थे उसके दृष्टिकोण में और अब के दृष्टिकोण में अंतर तो था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि जो बिल हम पहले लेकर आये थे और अब जो संशोधित रूप में आ रहा है उसमें फर्क है। वह छत्तीसगढ़ के जो बैड अनुभव थे उनके आधार पर कुछ संशोधन करे थे, अब सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसके आधार पर संशोधन आया है।

सभापति महोदय, दो-तीन बात यहां बहुत जोर से उठी। सैक्शन 4 के बारे में, 5 के बारे में, 11 के बारे में 20 के बारे में और 33 के बारे में उठी इनका सलेक्ट कमेटी में पूरा विश्लेषण हुआ है। मूल रूप से पहली बात तो यह सोचने की है कि क्वाइस की आवश्यकता है। हम बिना आवश्यकता के कोई कानून बनाते हैं तो कानून का कोई मतलब नहीं है.

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह कहना चाहता हूं और मैं इस बात का विश्वास भी करता हूं कि आज हम जो कानून बना रहे हैं इस कानून की आवश्यकता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हम 57 साल बाद भी बहुत पीछे हैं। हिन्दुस्तान दुनिया में पीछे है और हिन्दुस्तान में राजस्थान पीछे है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं और किस प्रकार से पीछे है। एक छोटा सा अंदाज लगायें, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इंजीनियरिंग कालेजों की चर्चा हो रही थी कितने खाली सीटें हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जापान एक हजार व्यक्तियों में 110 साइंटिस्ट और टेक्निशियन हैं और रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट और टेक्निशियन 7.1 हैं, अन्य हैं, जर्मनी है, इजराइल है, यू.एस.ए. है, कोरिया, ब्राजील, चाइना यहां

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तक कि केन्या, लेकिन सबसे नीचे अगर किसी देश का नम्बर है तो हमारा है इंडिया 3.5 एक हजार आदमियों में, हमारे केवल 3.5 साइंटिस्ट हैं। और एक हजार टेक्निशियन में हमारे पास 0.3 जब कि दुनिया का औसत 110 है और यह काम कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कारण नहीं हुआ।

सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ था तब कितनी यूनिवर्सिटी थी, आज 300 यूनिवर्सिटी हैं, इनके बावजूद आज हमारी क्या हालत है। फिर एक तर्क यह दिया जाता है कि बेकारों की फौज खड़ी हो जायेगी। मैं कहना चाहूंगा कि आज बेकारों की फौज किनके कारण से खड़ी हुई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कारण खड़ी हुई है? आज जो बेकारों की फौज खड़ी है वह हमारे इन्हीं विश्वविद्यालयों के कारण से खडी हुई है। और प्राइवेट विश्वविद्यालय की हालत तो यह होगी कि अगर बनेंगे तो वह अगर इस प्रकार के बेकारों की फौज खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो कोई उनमें पढ़ने क्या उनमें झांकने भी नहीं जायेगा। रहा सवाल शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन का, यह मामला अगर हम शुरू से देखें तो ठीक होगा। आज शिक्षा में क्या स्थिति है। प्राथमिक शिक्षा सबके लिए खुली है। सरकार भी स्कूल खोल रही है और आम आदमी भी धड़ल्ले से स्कूल खोल रहा है। अपर प्राइमरी स्कूल सरकार भी खोल रही है और आम आदमी भी खोल रहा है। सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हम भी खोल रहे हैं और प्राइवेट भी खोल रहे हैं। फिर कालेज एजुकेशन हम भी चला रहे हैं और प्राइवेट भी चला रहे हैं। फिर विश्वविद्यालयों में क्या दिक्कत होती है और यह हमारा चिंतन जो रूढिवादी, है मैं उसको बुर्जुवा चिंतन कहूं । मैं आज अमरारामजी के शब्दों का प्रयोग करता हूं। जो प्रतिक्रियावादी चिंतन है, वह प्रतिक्रियावादी और बुर्जुवा चिंतन हमारी शिक्षा को आगे बढ़ने से रोक रहा है। यदि हिन्दुस्तान में राजस्थान का ऐवरेज उठा कर देखें, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अशोकजी गहलोत की सरकार को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि उन्होंने जब पिछली बार मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेज प्राइवेट रूप से खोलने का रास्ता साफ किया, उससे राजस्थान नेशनल ऐवरेज के बराबर आने की स्थिति में है। लेकिन पहले हमने क्या सोचा? सारे इन्जीनियरिंग कालेज खुल रहे हैं। तमिलनाडू में, कर्नाटक में, आंध्र में, महाराष्ट्र में और हमारे सारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं राजस्थान के, राजस्थान अब नेशनल लेवल के बराबर आने की स्थिति में आया है।

सभापति महोदय, अगर आप देखें तो स्टेटवाइज अवेलेबिलिटी आफ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सीट्स इन डिग्री कालेज तो उसमें हमारी स्थिति आज क्या है? तमिलनाडु की टोटल पापुलेशन है 6.21 करोड़, इन्टेक कैपेसिटी है 79447 की, सीट अवेलेबिलिटी पर लाख पापूलेशन 127.9, आंध्र की भी है, कर्नाटक की भी है, केरल की भी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सब हमारे से ऊपर हैं, केवल एक नीचे है बिहार। राजस्थान की 5 करोड़ 64 लाख की जनसंख्या में हमारी इन्टेक कैपेसिटी 13905 है और ऐवरेज है 24.01 । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट विश्वविद्यालय और प्राइवेट कालेजों की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि हमारी क्या स्थिति हो जाएगी जिस दिन हमें आवश्यकता होगी। सभापति महोदय, यूनिवर्सलाइजेशन आफ प्राइमरी एजूकेशन चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, उसमें कितनी आवश्यकता होगी? 2010 में जब हम जाएंगे तो हमें 6 हजार करोड़ रुपए की आवस्कयता होगी इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। माध्यमिक ओर उच्च माध्यमिक विद्यालय इस समय हमारे 5500 हैं, 2010 में हमें 10 हजार की आवश्यकता होगी, इसके लिए हमें 200 करोड़ की आवश्यकता होगी। महाविद्यालय इस समय 730 हैं, 1.25 लाख बच्चे प्रतिव: पंजीकृत होते हैं, 2010 में हमें 10 से 12 लाख विद्यार्थियों की व्यवस्था करनी होगी। और इसके लिए हमें लगभग 1 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार तकनीकी कोर्सेज, इन्जीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज के लिए 1000 से 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। और तब स्थिति यह बन जाएगी कि 1.25 लाख बच्चे होंगे तो प्रत्येक जिले में कम से कम एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता होगी. उसके हिसाब से हमको दस से ग्यारह हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

सभापति महोदय, सरकार चाहे बी.जे.पी. की हो या कांग्रेस की, वामपंथ की हो या दक्षिण पंथ की या उत्तर पंथ की, कोई भी हो, क्या 15 हजार करोड़ रुपए हम अपने बजट से सम्पूर्ण शिक्षा के लिए खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो आवश्यकता है कि जो गरीब आदमी हैं, पढ़ नहीं सकता, उसके लिए आप पढ़ने की व्यवस्था नहीं करेंगे, वह क्या आगे नहीं बढ़ेगा, उसको रोकने का प्रयत्न क्यों किया जाए? कुछ लोग तो इन कालेजों में भी पढ़ लेंगे लेकिन वहां वह पढ़ नहीं पाएंगे। जो जा नहीं पाएंगे उनको पढ़ाने के लिए, अगर दूसरी जगह जाने के लिए समर्थ हो तो उन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समर्थ व्यक्तियों को रोकने की आवश्यकता क्यों है? वह जाना चाहे तो जाएं। इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि राजस्थान में प्राइवेट मैम्बर्स विश्वविद्यालय खुलने चाहिए।

उस खुलने में मैं एक बात साफ बताना चाहता हूं कि चार बिन्दू प्रमुख रूप से उठाए गए हैं, उन चारों को हम डिस्कस करेंगे। किसी को भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर एन ओ सी उपलब्ध नहीं हो रही है। एक और गलतफहमी मैं सदन की मिटाना चाहता हूं कि सरकार कोई विश्वविद्यालय खोलने में समर्थ नहीं है। सरकार नहीं खोलेगी विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय खोलने का अधिकार, कानून पास करने का अधिकार केवल विधान सभा को है, सरकार को नहीं है। इसलिए इस बिल में विश्वविद्यालय खोलने के बारे में जो प्रावधान है, जो भी विश्वविद्यालय राजस्थान में खुलेगा वह राजस्थान विधान सभा में प्रस्ताव पास करने के बाद ही खुलेगा। वह सरकार की एन ओ सी देने के बाद नहीं होगा। इनका हमने बिल में प्रावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है प्रोफेसर यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य वाले फैसले में।

माननीय सभापति महोदय, आप भी प्रवर समिति में थे, वहां आपने इसको पढ़कर बताया भी था। नोटिफिकेशन के आधार पर विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है। यह अधिकार लेजिस्लेशन को है। इसलिए इसमें यह प्रावधान किया है कि सैक्शन 4 में पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर सरकार एक कमेटी गठित करेगी। और कमेटी यह देखेगी कि जिस कम्पनी, रजिस्टर्ड संस्था या सोसायटी, इसमें 3 इस प्रकार के हैं कि बना सकते हैं। उन्होंने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर उसके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, वह 3 आदमियों की कमेटी पहले बनेगी। हम प्रोजेकट रिपोर्ट के आधार पर एन.ओ.सी. जारी नहीं करेंगे। वह एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें विषय विशेषज्ञ होंगे तीन, वह केवल यह कहेगी कि यह संस्था जिसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है वह इसके लायक है कि नहीं। जब वह कह दे कि लायक है, इसके पास यह ढांचा होगा तो सैक्शन 5 के अंतर्गत हम उसको लैटर आफ इन्टेंट जारी करेंगे। वह लैटर आफ इन्टेंट भी एन.ओ.सी. नहीं है। वह लैटर आफ इन्टेंट यह होगा, वह कहेंगे कि आपको बनाना है, आपको जयपुर में स्थापित करना है तो 2 करोड़ रुपए का एण्डोनमेंट फण्ड जमा कराना पड़ेगा। आप जयपुर में जमा कराना चाहते हो, आपको इतना स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। आप दूसरी जगह करना चाहते तो इतना करना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पड़ेगा। आप बीकानेर में करना चाहते हैं तो आपको यह करना पड़ेगा, आप उदयपुर में करना चाहते हैं तो आपको यह करना पड़ेगा, आप आदिवासी इलाके में करना चाहते हैं तो आपको यह करना पड़ेगा। आप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के इलाके में करना चाहते हैं तो आपको यह ढांचा तैयार करना पड़ेगा। वह ढांचा तैयार करने के बाद वह सरकार को रिपोर्ट करेगी कि उसने आशय पत्र के हिसाब से ढांचा तैयार कर लिया है तो फिर हम तीन आदमियों की समिति बनाएंगे। वह समिति, सरकार के आदमी नहीं होंगे, उसमें उस विषय के विशेषज्ञ होंगे, वह विषय के विशेषक्ष जाकर, देखकर रिपोर्ट करेंगे कि उन्होंने आया इतना ढांचा तैयार किया है कि नहीं किया है। जब इतना ढांचा तैयार कर लेंगे तो आशय पत्र में दिया है, तो सरकार कहेगी कि हम आपको एन.ओ.सी. देते हैं। लेकिन काम वह तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक राजस्थान विधान सभा में वह संकल्प पारित न हो। ढांचा तैयार करने के बाद सरकार राजस्थान विधान सभा में संकल्प लेकर आएगी और जब राजस्थान विधान सभा उस संकल्प को पारित करेगी तब वह यूनिवर्सिटी अपना काम प्रारम्भ करेगी।

सभापति महोदय, हम इतने प्रकार के प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि किसी भी प्रकार की कोई दुकानदारी एजूकेशन में नहीं चलेगी। फीस का जो ढांचा है, मैं सदन में साफ-साफ बताना चाहता हूं कि मेरे लड़के कहीं भी पढ़ सकते हैं, वह सैल्फ फाइनेंस में भी पढ़ लेंगे, वह कहीं और जाकर भी पढ़ लेंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो उसमें किसी गरीब का लड़का तो पढ़ नहीं पाएगा। सरकार ने इसमें इसका भी प्रावधान किया है। मैं आज सदन में कहना भी चाहता हूं कि इसमें प्रावधान है कि उनको एडमिशन देना पड़ेगा यदि और आवश्यकता पड़ी तो राज्य सरकार ऐसे विश्वविद्यालय को गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी पड़ी तो करेगी और गरीब बच्चे को उसके पढ़ाने के लिए भी कहेगी और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण के लिए भी हमने इसमें लिखा है कि इनके आरक्षण की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी उनको। यह काम हमने किया है। यह लिखा है हमने इसलिए सभापति महोदय, आज हमारी क्या स्थिति है? 8 प्रतिशत बच्चे आठवीं के बाद नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं में जा सकते हैं, 95 प्रतिशत ड्राप आउट उसके बाद, हमारा ऐवरेज 6 प्रतिशत और दुनिया का ऐवरेज 60 प्रतिशत। 6 प्रतिशत बच्चों को पढ़ाकर हम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह प्रश्न उठाते हैं कि बेरोजगार फिर रहे हैं, किसने पैदा किए बेरोजगार? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने पैदा किए? किसने पैदा किए? बेरोजगार हमने पैदा किए, उन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जिसको आज हम स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं। मेरा दोष नहीं है। मुझे विधान सभा में कहने में आपत्ति है। राजस्थान में पिछले एक दशक में साक्षरता में जो प्रगति हुई है, उसके लिए मैं तीन लोगों को धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति : यह मोबाइल किसका बज रहा है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय कल्ला साहब, सी.पी. जोशी और गुलाबचन्द कटारिया, इन तीनों के शिक्षामंत्रित्वकाल में राजस्थान ने साक्षरता में जो कदम बढ़ाए हैं उससे राजस्थान का नाम हिन्दुस्तान में हुआ है। तो मैं कहां कहने जा रहा हूं कि कोई मेरे अकेले का ही ठेका है या सरकार का ठेका है? किसी का नहीं है। राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में सबने काम किया है। मुझे याद है कि जब मैं सीकर कालेज में पढ़ता था तो शिवचरणजी माथुर शिक्षा मंत्री थे और हमारी यूनियन का उदघाटन करने गये थे। तो योगदान सब का है। मैं यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो यह कहने में नहीं हिचकूं कि आपने इतना किया और हमने इतना किया। ठीक है, वो सब कहते हैं। लेकिन एक दशक में जो हमने तरक्की की है, आज मैं कहना चाहता हूं कि देश में इस समय जो विश्वविद्यालय हैं, गुलाबजी का भी है, उन्होंने शुरू किए उत्तरांचल में कांग्रेस का राज है, बिल पारित हुआ है सैल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी बनाई है। गुजरात में बी.जे.पी. का राज है, उन्होंने दो विश्वविद्यालय बनाये हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंहजी का राज है, उन्होंने भी दो विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, हिमाचल प्रदेश में अभी-अभी कांग्रेस ने प्रस्ताव पास करके संकल्प करके उन्होंने यह बनाया है। तो कोई बी.जे.पी. की सरकार बना रही है ऐसा नहीं है। कांग्रेस-बीजेपी सभी सरकारें बना रही हैं। यह हिडन एजेंडा हमारा नहीं है। किस बात का हिडन एजेंडा इसमें है?

इसी प्रकार से 1995 में सिक्किम मणिपुर विश्वविद्यालय पहले है जिसमें हिन्दुस्तान में नाम कमा लिया है, हमारे बच्चे भी वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यह स्थिति इसमें हुई है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस समय निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है भारत में भी शिक्षा के क्षेत्र में 60 प्रतिशत है। और हमने इसमें तय किया कि राजस्थान की जो आज स्थिति है और विश्व के ख्यातिप्राप्त जो विश्वविद्यालय हैं उनमें हमारे तो एक-दो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विश्वविद्यालयों का नाम आता है। 300 में से हमारा नाम ही नहीं आता। हमने स्टैण्डर्ड विश्वविद्यालय बनाये ही नहीं, हमने पैसा खर्च किया ही नहीं। आज हम प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो कहां से खर्च करते? अब हार्वर्ड, एन आई टी इत्यादि सारे निजी क्षेत्र में है। इसी प्रकार कलकत्ता यूनिवर्सिटी को छोड़कर के किसी यूनिवर्सिटी का नाम अखिल भारतीय यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आता ही नहीं। विश्वभर की यूनिवर्सिटी में ग्रेडेशन में हमारा नाम ही नहीं आता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली बात उसको आनन-फानन में नहीं किया जाएगा।

दूसरी बात यह कही गई कि इनकी सम्पत्तियों का क्या होगा। हमने कानून में यह प्रावधान नहीं किया है कि किसी भी विश्वविद्यालय को हम जमीन देंगे। हमने यह प्रावधान नहीं किया है कि उसको हम यह देंगे। हम यह कह रहे हैं कि तुमको यह करना पड़ेगा। जो विश्वविद्यालय आयेगा वह 30 एकड़ जमीन लेकर आयेगा, जो विश्वविद्यालय आयेगा वह यू.जी.सी. के हिसाब से इन मानदण्डों के हिसाब से प्रोफेसर्स और आफिसर्स की नियुक्ति करेगा, फैकल्टी बनायेगा, जो विश्वविद्यालय आयेगा वह ए आई सी टी, एम सी आई और यू जी सी, इनके मानदण्डों के आधार पर कोर्सेज चालू करेगा, उनसे अनुमति लेंगे। इसके अलावा कोई कोर्स चालू करेगा तो उनसे परमीशन लेगा, वह लेकर आयेगा तो ही कर पायेगा। तो इसमें हम किसी भी प्रकार का नहीं दे रहे हैं। फिर परिसम्पत्तियां विघटन के बाद उसके पास जाएगी। फिर यह यूनिवर्सिटी का ढांचा अगर बनेगा तो आज हमारे पास जो प्रपोजल आये हैं, 14 प्रपोजल टोटल आये हैं उसमें से हमने पांच को एन.ओ.सी. पहले जारी की थी जिनको हमने वापस कर लिया अब इसके हिसाब से दुबारा जारी करेंगे। उन प्रपोजल्स में कोई 200 करोड़ का, कोई 300 करोड़ का, कोई 100 करोड़ का प्रपोजल हमारे सामने लेकर के आया है तो जो 100 करोड़, 200 करोड़ और 500 करोड़ रुपया लगायेगा, अपने पैसे से लगायेगा। सरकार उसको कोई जमीन नहीं देगी, सरकार उसको कोई साधन उपलब्ध नहीं करायेगी, तो फिर वो विघटित होगा तो उसकी सम्पत्ति फिर उसी में जाएगी। लेकिन यदि किसी ने सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता ली और जैसे कानोडिया कॉलेज का उदाहरण दिया गया, जो मैंने सदन में कहा, मैं आज दुबारा कहता हूं कि कानोडिया कालेज को किसी भी प्रकार से प्राइवेट नहीं होने दिया जाएगा। उसमें प्राइवेट आदमी का है क्या? जमीन सरकार की और मकान बनाने में 50

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रतिशत राजस्थान का, 25 प्रतिशत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, 25 प्रतिशत उसका और 90 प्रतिशत उसका जो सारा खर्चा, रेकरिंग एक्सपेंडिचर है वह सरकार देती है। और 12 साल में उस आदमी ने केवल एक लाख रुपया लगाया है तो क्या सरकार उस जमीन को उसको दे देगी? अगर कभी न कभी होगा तो वह सरकार की ही बनेगी। इसलिए किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार की स्थिति में इस प्रकार के काम को नहीं होने दिया जाएगा।

सभापति महोदय, राजस्थान में जो कुलाधिपति की आपने बात कही है, जो सम्पत्तियों की बात कही है, मैं संक्षेप में दो ही बात कह सकता हूं कि कोई हिडन एजेंडा नहीं है। राजस्थान आगे बढ़े यह सरकार की आवश्यकता है यह पहला एजेंडा है। और अन्तिम एजेंडा है और शिक्षा में हम आगे बढ़े यह बहुत आवश्यक है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उदाहरण दे सकता हूं कि हम कितने शिक्षा के पिछड़े हुए हैं। मैं उदाहरण दूंगा कि कम्प्यूटर एजुकेशन के विरोध आये थे। पिछली सरकार ने प्रारम्भ किया तो उसमें शिकायतें भी हुई, हल्ला भी हुआ, जांच भी हुई, सारा काम भी हुआ लेकिन कम्प्यूटर एजुकेशन...

श्री जीतमल खांट : एक मिनट। कम्प्यूटर का जहां सवाल है, आज पूरे प्रदेश में कई एस.सी., एस.टी. के छात्र शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर की फीस जमा नहीं करा पाते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आ रहा हूं। इसलिए मैंने यह चर्चा की। तो कम्प्यूटर एजुकेशन प्रारम्भ की। अब कम्प्यूटर एजुकेशन में आज यह स्थिति है कि हमारे यहां के सामान्य लड़के 30-35 रुपये महीने की भी कम्प्यूटर एजुकेशन की फीस देने में असमर्थ हैं। यह स्थिति हमारी है और दूसरी ओर क्या स्थिति है? अभी जब मैं डबलिन में गया तो जिस प्रकार का शिक्षा में इनिसियेशन हुआ है वो अगर हम देखेंगे तो शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं। जोर्डन यूनिवर्सिटी उसका एक नाम दिया गया। बहुत से कंट्रीज में पहले हो गया, उसमें हम 17 तारीख को जाएंगे, उन्होंने पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक टोटल स्टडी बाई कम्प्यूटर, सारे कोर्सेज का उन्होंने साफ्टवेयर बना लिया। गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, साइंस, सारा पढ़ाने का काम इस प्रकार कर लिया और हम 11वीं, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को 30 और 35 रुपये फीस के लेकर ही कम्प्यूटर नहीं पढ़ा सकते। यह हमारी हालत हो रही है। इसलिए जो हम इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रकार के पिछड़े हुए हैं इसमें से एक जील के साथ प्रदेश को आगे निकालने की क्षमता के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प करने की आवश्यकता है। इसमें इस प्रकार की आलोचना-प्रत्यालोचना करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का बच्चा आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। इसलिए शिक्षा में तरक्की की, क्रांति की आवश्यता है। आज अगर सबसे बड़ा विषय चिंतन करने लायक है तो वो शिक्षा का विषय है। इसलिए मैं चाहूंगा और सदन को पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो प्रवर समिति के अन्दर माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर के आये हैं और हमने उसको स्वीकार भी किया। जो पांच बड़े-बड़े पाइंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहे उसमें पहला उन्होंने कहा कि स्टेट को अधिकार तो है लेकिन गवर्नमेंट को नहीं है, लेजिस्लेशन को है। हमने स्वीकार किया कि राजस्थान की विधान सभा प्रस्ताव पास करेगी तभी विश्वविद्यालय बनेगा।

दूसरा मैंने कहा कि वो ही कोर्सेज चलेंगे जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एम सी आई ने, ए आई सी टी ने जो कोर्सेज हैं उनके आधार पर उन्हीं को चलाने पड़ेंगे। उसी प्रकार के टीचर्स रखने पड़ेंगे, उसी प्रकार का ढांचा तैयार करना पड़ेगा और उसको एक बिजनेस के रूप में नहीं देखा जाएगा। इन सब बातों से उसकी आवश्यकता थी। सभापति महोदय, फिर हमने क्या तय किया है? चार पाइंट इसमें आये हैं कि 33 सैक्शन जो हैं उनमें प्रवेश मैरिट के आधार पर होगा, अपनी मर्जी से प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन नहीं दे सकेगी।

अध्यापकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार ही उनको करनी पड़ेगी, यह हमने तय किया है। तीसरा, अधिनियम की धारा पांच में यह तय किया है कि एक रेगुलेटरी बोर्ड होगा जो उसकी मान्यता के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा। धारा 14 में यह प्रावधान किय है कि चांसलर महामहिम होंगे। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय में वो ही डिग्रियां लागू करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से उसको एक्रेडिटेशन भी कराना पड़ेगा। धारा 38 में यह प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय को नेक से एक्रेडिटेशन कराना पड़ेगा, प्रत्यायन कराना पड़ेगा। और उस प्रत्यायन कराने को आवश्यक किया गया है। और प्रत्यायन वेबसाइट में आयेंगे, अखबार में प्रकाशित किये जाएंगे तो लोगों को पता लगेगा कि यह विश्वविद्यालय किस प्रकार का है। अगर वह विश्वविद्यालय ढकोसला होगा तो वह अपने घर चला जाएगा, उस विश्वविद्यालय को कौन पूछेगा?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसी प्रकार से धारा 38 में हमने यह प्रावधान किया है कि रेगुलेटरी बोर्ड होगा, अनुदान आयोग के नियमों की पालना करेंगे, असमानता को दूर करेंगे। और शिक्षा को व्यावसायीकरण के लिए रोकने के लिए हमने प्रावधान किया है कि अधिनियम की धारा 34 में कि शुल्क समिति बनेगी। और शुल्क समिति जो फीस तय करेगी वो ही फीस उनको लेनी पड़ेगी, उससे ज्यादा फीस वो नहीं ले सकता। इस प्रकार उसके व्यावसायीकरण को रोकने की बात करेंगे। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान भी हमने अधिनियम की धारा 4 में किया है। इसी प्रकार गरीब लोगों के लिए भी हमने इसका प्रावधान किया है। परीक्षाओं की निष्पक्षता की परीक्षाएं किस प्रकार होंगी उसका 35, 36 और 42 में हमने प्रावधान किया है। निरीक्षण का कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भी समय उनका निरीक्षण करेगा, मान्यता समाप्त कर सकेगा। उनके पेपरों के बारे में तय करेगा। यह सारी बातें करेंगे। वैसे भी कम से कम कोई ऐसा सामान्य विश्वविद्यालय भी बनायेगा तो 50 करोड़ रुपये से कम लागत में वो विश्वविद्यालय नहीं आयेगा। वह विश्वविद्यालय ऐसा नहीं बनेगा कि दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, तख्ती टांग दी विश्वविद्यालय कर दिया, कमरे अन्दर दो बैठने के लिए नहीं हैं, ऐसा विश्वविद्यालय नहीं बनेगा और ऐसा विश्वविद्यालय बनेगा तो उसको बिल्कुल नहीं चलाने देंगे, बनने ही नहीं देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : आपके जितने भी लॉ कालेज हैं, जितने भी राजस्थान में निजी विधि महाविद्यालय हैं, आपने इसी सदन में कहा था कि मानसरोवर में कितने विधि महाविद्यालय हैं, एक-एक कमरों में विधि महाविद्यालय चल रहे हैं, विश्वविद्यालय दो कमरो में चल जाएगा, इसमें कौन-सा फर्क पड़ जाएगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ठीक है, अमरारामजी, आपने बिलकुल ठीक कहा है, मैंने इस सदन में कहा था कि और इसीलिए 36 की मान्यता मैंने रद्द कर दी, एक 36 की मान्यता रद्द कर दी है, मैंने नहीं दी थी लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, मैं मतलब यहां खड़ा हूं तो घनश्याम तिवाड़ी नहीं खड़ा है। यहां खड़ा है तो शिक्षा मंत्री खड़ा है। तो पिछली सरकार है या यह सरकार है, सारी जिम्मेदारी मेरी है।

श्री संयम लोढ़ा : सबसे ज्यादा डर तो आपके सिद्धांत का ही है, मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह हमने उधर भेज रखा है प्रचार करने के लिए और यह भी कह रखा है कि बोल बोल कर देखो ऐसा दिखाओ, हमारे ऊपर कोई बैन नहीं है इसलिए वह आप पर होगा। तो, सभापति महोदय, इसलिए हमने कहा है कि हमने 36 की मान्यता रद्द कर दी है, उसके बारे में उसका सिस्टम भी हमने बदल दिया है। माननीय अमरारामजी ने सवाल उठाया, आप किसी भी कालेज को हम एन.ओ.सी. जारी नहीं कर रहे हैं। कालेज की एन.ओ.सी. जारी करने में भी पहले लैटर आफ इंटेंट जारी करने का प्रावधान कर दिया है। और लैटर आफ इंटेंट के हिसाब से जो 52 उप खंड हैं जहां पर इस समय कालेज नहीं हैं उनको छोड़कर किसी में भी 10 लाख रुपये पहले जमा कराने पड़ेंगे सरकार को। फिर उसको कितना ढांचा, कितने कमरे, कितने प्रोफेसरों की नियुक्ति यह 12 महीने में वह कार्यवाही करेगा। फिर तीन आदमियों की कमेटी उसकी जांच करेगी, फिर वह रिपोर्ट देगी उसके बाद में अब नये कालेज कालेज की एन.ओ.सी. मिलेगी। अब केवल एप्लीकेशन के आधार पर नये कालेज की मान्यता मिलेगी। एक और जिन 52 उपखंडों में कॉलेज नहीं हैं उन 52 उप खंडों में हमने प्रावधान किया है कि उनमें सरकार के स्कूल भी अगर खाली होंगे सायंकाल के टाइम पर तो इस प्रकार की व्यवस्था करने पर हम उनको प्राइवेट कालेजों में सरकार के निर्धारित रेट पर और फीस पर हम कालेज खोलने की परमिशन देंगे। क्योंकि कालेज खोलने के लिए इस समय अति आवश्यकता है।

तो, सभापति महोदय, मैंने करीब-करीब सारी बातें कह दी हैं। दूसरी बात, जो उठाया गया कि हमारे यहां पर बी.एड. कॉलेजों को हमने इतनी मान्यता दे दी, मैंने यह बात पहले भी स्पष्ट की है कि बी.एड. कालेज और बी.एस.टी.सी. कालेज अब यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अभी एक फैसला हो गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार एन.ओ.सी. दे या नहीं दे जिसको राष्ट्रीय अध्यापक परिषद चाहेगी उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मामलों में फैसला कर दिया है, हमने जो एन.ओ.सी. दी थी उनमें से एक को भी बी.एड. के कालेज चलाने की एन.ओ.सी. वहां से नहीं मिली है। क्योंकि हमने इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्यवाही की है कि जो हमारे पास आए और उनकी योग्यता है उसमें नीचे अगर यह छूट दी हैं कि किसको देंगे और किसको नहीं देंगे, तो वही काम निपटा लेंगे, हमारे तक आने की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने कहा कि जो हमारे को योग्य लगते हैं उन सब को हमने ऊपर भेज दिया, अब वह इसको राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है उसको देखकर जिनको देगी उनको बी.एड. के लोगों को परमिशन देगी। वह बी.एड. कालेज खोलेंगे, वह उनका संचालन भी करेंगे। वह उनको देखेंगे ।

तो कुल मिलाकर, माननीय सभापति महोदय, इसमें प्रवर समिति ने सदन की भावनाओं को देखते हुए अपना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले को बारीकी से देखते हुए और उसमें आप जैसे विद्वान सब लोगों की राय लेकर जिस प्रकार का बिल लेकर आए हैं, इस बिल के बारे में मेरी धारणा है कि यह बिल राजस्थान को शिक्षा जगत में आगे बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा करने वाला और राजस्थान को शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की भूमिका निभाने वाला होगा। मैं पुनः सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी जल्दीबाजी में एक महीने में, दो महीने में किसी को नहीं खोलने दिया जाएगा, कम से कम किसी को लगेगा तो 12 महीने से कम समय नहीं लगेगा। बिना विधान सभा की अनुमति के इसको एन.ओ.सी. नहीं जारी की जाएगी। और सब प्रकार की व्यवस्था करके हम कोशिश करेंगे, यह नहीं कोशिश करेंगे कि और आर्टस कालेज और कामर्स कालेज खोले जैसे लोग आ जाएं, हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में इस प्रकार के विश्वविद्यालय आएं जो पढ़ाए भी और नौकरी भी दिलाएं। उज्जवल भविष्य है। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं पांच करोड़ लोगों को आवश्यता है, यूरोपियन कंट्रीज में पांच करोड़ की आज वहां पर क्या स्थिति है, आज उन्होंने डेट आफ रिटायरमेंट 65 साल से बढ़ाकर 72 साल कर दी है। उनके पास काम करने वाले आदमी नहीं हैं और उनको आदमियों की आवश्यकता है। हमारे यहां से मुस्लिम कंट्रीज से वह घबराते हैं, आतंकवाद से डरते हुए, जो दाड़ी रखते हैं, उनसे डर जाते हैं। चाहे मुस्लिम हो या हिन्दू हो, उनको मतलब नहीं है। तो दाड़ी वाले जीतमलजी, आप सब लोगों के लिए खतरा है, उनके अलाउ भी बहुत मुश्किल से करते हैं तो उनको भी अलाऊ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की आवश्यकता है, और इसीलिए हमने पहले ही पहली ही क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई राजस्थान में प्रारंभ की है। भिन्न-भिन्न विषयों के लिए हम बच्चों को ट्रेंड करेंगे। सरकार इस प्रकार का प्रोविजन भी करेगी कि जो विश्वविद्यालय हैं वह उनसे संबद्ध हों और एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सुरेश मीणा : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, एक बार कहकर फिर जवाब दूंगा। एक बात कहकर समाप्त करूंगा। अब यह किसी को रोकने का बस भी नहीं है। आज हम कानून नहीं लगाते हैं तो 2007 के बाद में हमारे कानून लाने न लाने के बिना दुनिया भर के विश्वविद्यालय आकर हमारी छाती पर मूंग दलने लग जाएंगे। यह मैंने बैंगलोर के अधिवेशन में भी, वहां अर्जुन सिंहजी ने लाया था डब्ल्यू.टी.ओ. में। दुःख की बात है, सभापति महोदय, डब्ल्यूं.टी.ओ. में इसको एजुकेशन को कमोडिटी माना गया है। विश्व व्यापार संगठन में और दुनिया भर के लिए कमोडिटी बन जाएगा जब यह व्यापार का केन्द्र बनेगा तो चीन भी नहीं रोक पाया, उनके यहां भी दूसरे अमेरिका के, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय चले गए हैं। हमारे यहां भी आएंगे विश्व व्यापार के अन्तर्गत। इसलिए मैंने उस शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में तीन सुझाव दिए थे। और मैंने एक सुझाव दिया जिसके कारण से मैं धन्यवाद दूंगा उसमें सारे शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने स्वीकार किया। मैंने कहा कि पिछले दिनों मैं लन्दन गया था। सभापति महोदय, वहां पर लन्दन में बहुत बड़ा एक स्क्वायर है, वहां मैं चला गया। उस स्क्वायर में मुझे कुछ भारतीय लड़के मिले और एक प्रतिमा के सामने स्टेच्यू के पास मुझे कहा कि इसमें फोटो उतारेंगे, एक स्टेच्यू के पास में जाकर खड़ा हो गया। और सभापित महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैंने उनसे फोटो उतारने के लिए मना कर दिया। मना मैंने इसलिए किया कि वहां उस स्क्वायर पर जो स्टेच्यू लगी थी वह थी मेजर हक और उसके नीचे लिखा था कि उन्होंने 1857 में इस आदमी ने इंग्लैण्ड की इतनी बडी सेवा की है, भारत के गदर को दबाकर की, इंग्लैंड का राज उसके प्रति समपर्ति रहेगा। मैंने फोटो नहीं उतरवाई। और मैंने बैंगलौर में भी यही बात, हम विदेशियों को छूट तो देंगे लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण की छूट नहीं दे सकते। इसी प्रकार, मैंने ब्राइलन में जो उनकी रायल म्यूजियम है वहां पर डायर की फोटो लगी हुई है, कर्नल की, जलियावाला बाग के। तो यूनिवर्सिटी बाहर की आएंगी तो इसी आधार पर आएंगी कि हमारे सांस्कृतिक विरासत पर हमला नहीं कर सके। आएं, तकनीकी क्षेत्र में। और इसलिए हमने प्रस्ताव रखा कि बाहर के विश्वविद्यालय आएंगे, 20 परसेंट से ज्यादा प्रोफिट वह हिन्दुस्तान के बाहर नहीं ले जा सकेंगे। एक दूसरा, बाकी उनका इंवेस्टमेंट हिन्दुस्तान में होगा। तीसरा उनमें किसी भी प्रकार से कोर्सेज के अलावा पढ़ाई नहीं करा पाएंगे और वह उन्हीं क्षेत्रों में आएंगे जिन क्षेत्रों में हमको आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर्स में आएं, इलेक्ट्रोनिक्स में आएं, जीव वैज्ञानिक क्षेत्र में आएं, बायो टेक्नोलोजी में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बहुत से क्षेत्र खोले गए हैं। समय की पुकार है, समय की आवश्यकता है। यह बिल समय की पुकार के लिए, समय की आवश्यकता के लिए और शिक्षा में क्रांति लाने के लिए, मैं माननीय सभी सदन के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इस बिल का समर्थन करें और इसको विचारार्थ लिया जाए। धन्यवाद।

श्री जीतमल खांट : माननीय सभापति महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री काफी विद्वान हैं और आप पर हम सब को, पूरे सदन का नाज है।

श्री सभापति : आप थर्ड रीडिंग पर बोल लीजिए।

श्री जीतमल खांट : एक पाइंटेड प्रश्न है। पूरे ट्राइबल सब प्लान पर यह कम्प्यूटर फीस के बारे में सारे क्षेत्र के छात्र भयभीत हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप थर्ड रीडिंग पर बोलें। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : माननीय शिक्षा मंत्रीजी मैं चाहूंगा कि कम से निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा हो।

श्री सभापति : अब यह थर्ड रीडिंग पर जवाब देंगे तब दे देंगे।

श्री सुरेश मीणा : मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप इसके बाद ही थर्ड रीडिंग पर आ रहे हैं, प्लीज सिट डाउन। अब तक कोई आपका प्रस्ताव नहीं है, थर्ड रीडिंग पर बोल लेना, मैं आपको परमिशन दूंगा। अभी तो जनमत जानने का प्रस्ताव है। थर्ड रीडिंग आने वाली है उस पर जो बोलना चाहें बोल लेना।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्ववित्त पोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्ववित्त पोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए।

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 47 कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि ख़ण्ड 2 से 47 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाएं

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किए गए।

अनुसूची

कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र नाम आदि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पारित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पारित किया जाए।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय बिल, 2005 शिक्षा मंत्रीजी लेकर आये हैं और इन्होंने बड़े भावनात्मक रूप से कहा है कि 10 साल बाद में हमें 15 हजार करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा और कोई सरकार इसको वहन नहीं कर पाएगी। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में सबसे बेहतरीन लाभ वाला जिसमें कोई रिस्क नहीं है वह शिक्षा व्यवसाय है। पिछले सालों से जो निजीकरण की बात राजस्थान में आयी है। निश्चित रूप से राजस्थान में आज से 10 साल पहले किसी भी रूप में निजी शिक्षण संस्थाएं बहुत कम थीं। आजादी के वक्त कुछ पैसे वालों ने इस तरह की संस्थाएं चलायी थीं और उनका मकसद शिक्षा का व्यवसाय करना नहीं था, उस क्षेत्र के लोगों को पढ़ाने का था। लेकिन आज सबसे बड़ा फायदे का व्यवसाय है जिसमें कोई रिस्क नहीं है वह शिक्षा का व्यवसाय है। वह इसलिए है जहां आप कानून, नियमों की बात कर रहे हैं मैं नहीं समझता कि राजस्थान में जितने भी प्राइमरी से लेकर कालेज हैं, जितने भी प्राइवेट कालेज हैं, स्कूल हैं

(15.20 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति पदासीन)

उनमें हालत क्या है? यह प्रोत्साहन हमारी सरकारों ने दिया है। आज हमारी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर कालेज और विश्वविद्यालय तक हालत यह है कि किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों की कितनी कमी है। बारहवीं तक सीनियर स्कूल होगी और दो टीचर होंगे। आठवीं तक स्कूल होगी और दो टीचर होंगे। सैकण्डरी स्कूल है और तीन टीचर हैं। तो मजबूरन वे पेरेंट्स अपने विद्यार्थी को उस स्कूल में भेजते हैं जहां निजी विद्यालय है। निजी विद्यालय में क्या हालत है? दोनों तरफ लूट है। आप कह रहे हो कानून में विश्वविद्यालय में यू.जी.सी. के मापदण्डों के अनुसार लेक्चरर नियुक्त करेंगे। क्या हालत है? तमाम निजी विद्यालय दोनों तरफ से लूट रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे माफिया पैदा हो गये। सीनियर स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी से सालाना फीस 11 हजार से लेकर, आज जयपुर में बहुत से माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, जो निजी विद्यालय चला रहे हैं 50 हजार रुपये एक लड़के की साल भर की फीस है। दूसरी तरफ मेरा दावा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सरकारी स्कूल के टीचर के बराबर एक भी स्कूल में तनख्वाह नहीं है। विद्यार्थी से कई गुना फीस वसूल करेंगे, पढ़ाने वाले को पूरा वेतन नहीं देंगे और आज राजस्थान में एक

(श्री अमराराम)

शिक्षा माफिया हो गया। शिक्षा मंत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम को जिस तरह से प्रभावित करते हैं, जिस तरह से इन्वीजिलेटर, सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को उनकी इच्छाओं से बदल जाता है आज भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में। पूरा का पूरा माफिया पैदा हो गया। मैरिट में किस स्कूल का बच्चा फर्स्ट आएगा इसके लिए तमाम कोशिशें आज वे कर रहे हैं। वे सरकार के प्रशासन को प्रभावित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल केवल इस बात के लिए हैं, उन लोगों को जो पैसे वाले हैं, इस बेहतरीन सबसे बड़े मुनाफे में व्यवसाय करने का मौका खुले रूप से मिले। फीस उनको तय करने के लिए होगा। सरकार का उसमें कुछ नहीं होगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से कह दिया, सरकार का इसमें कोई लेना-देना नहीं होगा। पाठ्यक्रम भी वे तय करेंगे और मैं कहना चाहूंगा और मुनाफा नहीं होगा तो सेवा करने के लिए कोई पूंजी नहीं आएगी। सभापति महोदय, कोई भी निजी निवेशक है अगर मुनाफा नहीं होगा, पूंजी उधर दौड़ेगी, पूंजी का धर्म है और जिधर सबसे ज्यादा मुनाफा होगा पूंजी उधर ही दौड़ेगी। जितना ज्यादा मुनाफा होगा पूंजी का मालिक अपनी नाड़ भी देने के लिए तैयार होगा। बांग्ला देश की आजादी के वक्त पैसा कमाने वाले, फौजी तो आदेश से गये और पैसा कमाने वाले युद्ध के अंदर पहुंच गये। उनको मुनाफा होना चाहिए। इसलिए पूंजी आएगी कि कई गुना मुनाफा जिसमें कोई रिस्क नहीं है, बाकी निर्माण उद्योग लगाएगा उसमें बिक्री होगी या नहीं होगी, माल आएगा या नहीं आएगा, स्ट्राइक होगी, उसमें पैसा नहीं जाएगा। या तो शिक्षा में पैसा आएगा या सट्टा में पैसा जाएगा। आज हमारे सामने है। क्या हालत है कौन पढ़ पाएगा?

राजस्थान में निजी मेडिकल और डेंटल कालेज हैं। क्या हालत है राजस्थान में? अभी पकड़े गये राजस्थान में। जो आपने व्यवस्था कर रखी है कि वो पी.एम.टी. के माध्यम से आएंगे राजस्थान में, वे जेल के सींखचों में रहें! जो अपने मेडिकल कालेज में एडमिशन देने के लिए 15-15 लाख रुपए लिए। आपने व्यवस्था की है क्या राजस्थान में एक प्रतिशत से ज्यादा लोग हैं जो अपने बच्चे की एक लाख 85 हजार रुपये सालाना फीस देकर डाक्टर बना सकते हैं? आप आश्चर्य कीजिए उस दिन क्या होगा जब राजस्थान की पांच

(श्री अमराराम)

मेडिकल कालेज भी प्राइवेट हो जाएंगी और हर मेडिकल कालेज में पढ़ने वाले बच्चे की फीस एक लाख 85 हजार होगी? आप कहते हैं बहुत बढ़िया तनख्वाह और भत्ते हैं। यहां बैठे हुए माननीय सदस्य भी अपनी पूरी तनख्वाह और भत्ते पूरे देते हैं तो भी मेडिकल की फीस नहीं चुका पाएंगे। क्या हालत होगी? राजस्थान का 70-80 प्रतिशत किसान जिसको उत्पादन की लागत नहीं मिलती क्या उस निजी मेडिकल और डेंटल कालेज में अपने बच्चे को डाक्टर या डेंटल डाक्टर बना पाएगा? यह व्यवसाय है। आपने पाठ्यक्रम बनाने की जो छूट दी है इस तरह के पाठ्यक्रम बनाएंगे और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हिडन एजेण्डा है वह इस देश की एकता को तोड़ने वाले विश्वविद्यालय भी स्थापित होंगे और वे अपने कार्यक्रम जारी करेंगे। शिक्षा मंत्रीजी, यह सरकार का दृष्टिकोण है।

अभी राजस्थान में चार साल के बाद स्लेट की एग्जाम आर.पी.एस.सी. से कंडक्ट करने के लिए आपने विज्ञापन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजा। 20 सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपने उर्दू को उसमें शामिल नहीं किया। आपने संस्कृत को किया है, आपने हिन्दी को किया है, आपने इंग्लिश को किया है, आपने हिन्दी को किया है, आपने इंग्लिश को किया है, लेकिन आपने उर्दू को नहीं किया। माइनोरिटी के लोगों के प्रति, उर्दू पढ़ने वाले लोगों के प्रति सरकार का यह दृष्टिकोण है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्लेट की एग्जाम होगी, जिसकी 30 अप्रैल लास्ट डेट है उसमें आपने उर्दू को नहीं किया। आपको स्लेट पास करने में क्या दिक्कत है? किसी निजी महाविद्यालय में भी कोई उर्दू चलाएगा वह स्लेट पास किया हुआ नहीं मिलेगा। चार साल के बाद हो सकता है फिर की एग्जाम नहीं करेंगे। यह दृष्टिकोण है। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह राजस्थान के 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र, शहर के उस गरीब के साथ सबसे बड़ा अन्याय करेंगे क्योंकि सरकार निवेश से अपने हाथ हटा रही है। शिक्षा पाना जो मूल अधिकार है उससे राजस्थान की सरकार अपने दायित्व से हटने के लिए यह विधेयक लेकर आयी है। मैं समझता हूं निश्चित रूप से निजी महाविद्यालय खुलें, विश्वविद्यालय से कम से कम कंट्रोल तो रहेगा, कम से कम इस बात के लिए रहेगा कि उनमें सिलेबस क्या पढ़ाया जाएगा, उनकी परीक्षाएं किस तरह से होंगी, मैं समझता हूं आप जो कह रहे हैं उस तरह से नहीं है। सरकार अपने दायित्व से हट रही है। यह आम जनता के लिए नहीं है, उन पैसे वालों के लिए है जो इस

(श्री अमराराम)

शिक्षा के माध्यम से मुनाफा कमाकर अपनी सम्पत्तियों को कई गुना बढ़ा सकें। इसके लिए सरकार इस बिल के माध्यम से उनको प्रोत्साहन देने के लिए आयी है। राजस्थान की आम जनता की सुविधा और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्रीजी कह रहे हैं कि वह ड्रोप–आउट 85 प्रतिशत है तो ये निजी विश्वविद्यालय में, निजी मेडिकल कालेज में ड्रोप-आउट होने वाले ये महंगी फीस देकर के पढ़ पायेंगे? इससे स्पष्ट है कि यह राजस्थान की सरकार में आने वाली भावी पीढ़ी, विद्यार्थियों के लिए विधेयक लेकर नहीं आई है और उन पैसों वालों के मुनाफे के लिए लेकर आई है। इसलिए मैं इसका सखत विरोध करता हूं। और सरकार को वापस लेना चाहिए इसको, किसी भी रूप में राजस्थान की जनता के हक या नाम लेकर पास नहीं किया जाना चाहिए। आपने समय दिया सभापति महोदय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री सुरेश मीणा।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहता हूं, अभी माननीय मंत्रीजी कह रहे थे कि प्राइवेट कालेजों के लिए एस.सी. एस.टी. के लिए व्यवस्था की जायेगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में अभी जो प्राइवेट कालेज चल रहे हैं। उनमें जो एस.सी. एस.टी. के विद्यार्थी हैं, वे इतनी फीस दे रहे हैं जितनी जनरल के विद्यार्थी फीस दे रहे हैं। डेढ-डेढ़ लाख रुपये उनसे फीस ली जा रही है। और मैं आपके पास आया भी था लेकिन बाद में जो पढ़ने वाले हैं, वे क्यों करेंगे आज इस प्रकार का हुआ है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये हैं। अमरारामजी ने उठाये हैं और खांट साहब ने वहां के लिए कम्प्यूटर एजुकेशन के लिए कहा है। सुरेशजी पहले ही मेरे से मिले थे। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि सरकार अपने उत्तरदायित्व से नहीं भगेगी। सरकार को जो काम करना है, सरकार जरूर करेगी इसलिए सरकार का जो शिक्षा का बजट 47 अरब रुपये का है, एक बात। सरकार ने चार काम किये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं। अगर सरकार भगती तो 60 करोड़ रुपये की 1.20 करोड़ बच्चों को किताबें नहीं बंटती, अगर सरकार भगती तो 13000 नये स्कूल नहीं खोलते, अगर सरकार भगती तो 52,000 नये लोगों को नियुक्ति नहीं देते। यह सरकार भग नहीं रही है। सरकार की तो जिम्मेदारी है, सरकार नहीं बच सकती लेकिन सरकार की जिम्मेदारी किसके प्रति पहले है? सरकार की जिम्मेदारी वह जो गांव के पास एक ढाणी में 60 आदमियों की बस्ती लेकर बैठा है और 10 बच्चे होने पर जिसके प्राइमरी स्कूल हो सकती है, पहली जिम्मेदारी सरकार की उसके प्रति है। उस अमीर के प्रति नहीं है जो जिसके लिए कालेज खोलने की जरूरत है सभापति महोदय, उसके प्रति है। इसलिए उसको किताब, उसको मास्टर, उसको विद्यालय भवन, यह बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसको बनायेगी। हमारा लक्ष्य है कि एक किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल हो। दो पर एक। पूरा पिरामिड हमने बताया है। हम बिल्कुल नहीं भगेंगे और मैं यह भी कह रहा हूं और मैंने शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी कहा है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मानव संसाधन मंत्रीजी को, मैं अप्रैल में रिपोर्ट भी दे रहा हूं। यूनिवर्सलाइजेशन आफ सैकंडरी एजुकेशन के लिए उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया है हिन्दुस्तान की कमेटियों का, हम 4-5 शिक्षा मंत्री और हैं। हम अप्रैल में रिपोर्ट दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2010 में जो सर्वशिक्षा का काम खतम होगा, उसके पहले अन्तरिम रूप से सैकण्डरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की प्रक्रिया को प्रारम्भ कर देना पड़ेगा। तो यह सैकण्डरी तक की एजुकेशन है, सीनियर सैकण्डरी तक की एजुकेशन है, यह सरकार की प्रायोरिटी ड्यूटी है। हर सरकार को इस काम को तो पूरा करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं, मुझे तकलीफ है एस.सी. एस.टी. के बच्चे जो इन डैंटल और मेडिकल कालेज में भर्ती हो गये और जो फीस पर अभी हाई कोर्ट ने फैसला किया, उसके बाद में बहुत से लोगो को तो बाहर निकलना पडेगा क्योंकि वह फीस नहीं दे सकते। और इसलिए उस फीस की व्यवस्था के लिए भी हम कदम उठा रहे हैं। उसकी हमने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है, सरकार समाधान करेगी उसका। सरकार की जिम्मेदारी है कि एक बार वह उस फीस पर भर्ती हो गया तो उसके आगे तक उसके पास फीस नहीं होती तो वह भर्ती कहां से होता, उसकी व्यवस्था करेंगे। हम रिव्यू भी करा रहे हैं, माननीय देवनानीजी से समझौता भी कराया है और प्रयत्न हम कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल कालेज बन्द नहीं होगी अमरारामजी, सरकारी मेडिकल कालेजों का प्राइवेटाइजेशन भी नहीं होगा। हमने तो उनको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। सरकार को और मेडिकल कालेज खोलने पड़ेंगे तो सरकार खोलेगी। पर उन पर मेडिकल कालेजों में उन गरीब लड़के आयेंगे या वह आयेंगे जो मेरिट में आ गये, जो आर.पी.एम.टी. की परीक्षा में आयेंगे या किसी मेरिट में पढ़कर आयेंगे, वे तो सरकारी कम खर्चे पर पढ़ेंगे। लेकिन जो मेरिट में नहीं आयेंगे और फिर भी पढ़ना चाहेंगे, उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा। नहीं आप कर दो डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब होता ही नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता शिक्षा मंत्रीजी, आप तो मुझे यह बता दो कि राजस्थान के पांच मेडिकल कालेज में हमारी सीटें थी उनमें बढ़ोत्तरी कब की हमने?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, बता रहा हूं। हमने नहीं की, मैं कह रहा हूं, नहीं की। हां, नहीं की है ना, मैं कब कह रहा हूं कि की है।

श्री अमराराम (धोद) : पिछले शायद 10 साल में नहीं हुई बढ़ोत्तरी पर हमारी मंशा जो सरकारी मेडिकल कालेजों की है, उनमें पढ़ने वाले डाक्टर्स की संख्या कैसे बढ़े. इसके लिए हमारी सरकारें चिंतित नहीं है राजस्थान की। चाहे आपकी सरकार हो और चाहे इधर बैठे हुए कांग्रेस के माननीय सदस्यों की सरकार थी, वह नहीं बढ़ाई। और बाकी स्टेट्स की जहां आप कर्नाटक की, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ी, हमारी नहीं बढ़ी। हम मेडिकल कालेज में जांच प्राइवेट दे दें और कल कालेज प्राइवेट दे देंगे, यह निश्चित रूप से होगा!

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं बढ़ाई। मैं यह भी आंकड़े दूंगा आपकी आंख खुल जायेगी। यह बहुत अच्छा पाइंट आया है। सरकार को जो एम.सी.आई. ने नोटिस दिया है कि तीन मेडिकल कालेजों की हमारी मान्यता समाप्त की है। सरकारें सीमित संसाधनों के आधार पर सब व्यवस्था लेकर चलती है। इसलिए हमने 238 प्रोफेसर्स की नियुक्ति की हैं अभी वरना हमारे मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त हो जाती, तो वह हमने की है। और पिछले चार सालों से लगातार अकाल पड़ा, वे यह नहीं कर पाये। नोटिस इनके टाइम में भी आ गया था पर उनकी प्रायोरिटी अकाल हो गई। जिस समय आकल प्रायोरिटी हो, पानी प्रायोरिटी हो, उसमें मेडिकल कालेज की संख्या नहीं बढ़ेगी। और जिस समय अकाल और पानी की प्रायोरिटी नहीं होगी उस समय मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज की प्रायोरिटी भी आ जाएगी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार की अपनी प्रायोरिटीज होती है। और यह कहना भी गलत है कि पिछले पांच वर्ष में सरकारी मेडिकल कालेजों की सीटें एक प्रतिशत, दो प्रतिशत से ज्यादा किसी भी स्टेट में नहीं बढ़ी हैं। केवल प्राइवेट मेडिकल कालेजों में सिर्फ संख्या बढ़ी है और यह भी दुकानदारी के लिए चारों दक्षिणी राज्यों ने हमको सबको लूटकर रखा है इतने दिन तक।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने एक मुद्दा उठाया उर्दू का मुद्दा उठाया। वह मैं बता देता हूं। यह मेरे हाथ में नहीं था। उर्दू की स्लेट के हिसाब से परीक्षा कराना मेरे हाथ में नहीं है। आप तो समझदार आदमी हो। आपके अलावा कोई दूसरा आदमी उठाता तो मैं जवाब दे देता। यू.जी.सी. स्वीकृति देता है और इन-इन विषयों के इतने-इतने पदों के लिए स्लैट की परीक्षा होगी। उसमें उन्होंने उर्दू को नहीं दिया, हमने लिखकर भेजा उनको कि उर्दू को भी दे दो। उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है क्या? नहीं, उर्दू हिन्दुस्तान में पैदा हुई है। उसका इस धरती से उतना ही सम्बन्ध है जितना संस्कृत का सम्बन्ध है, जितना हिन्दी का सम्बन्ध है, जितना तमिल तेलुगू का है। मैं इसको कोई सम्प्रदाय की भाषा नहीं मानता हूं और बहुत से हिन्दू शायर हुए हैं जो सारे हिन्दुस्तान भर में नामी हैं। इतनी बढिया भाषा है यह और इसके उर्दू के टीचर्स लगा रहे हैं...

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जब से आप केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रीजी के सम्पर्क में आये हैं, विचारों में बड़ा व्यापक परिवर्तन आया है। यह संयम लोढ़ा जो हैं, इसको आप शक नहीं करना चाहिए कि पूरी ट्रेनिंग ले ली, विदेशों में हो आये, सारी बातें कर दी और पूरा का पूरा आपमें परिवर्तन आया है, यह बहुत शुभ लक्षण है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कम्प्यूटर एजुकेशन के बारे में बात कही है। पूरे ढांचा पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति बना दी है और समिति की रिपोर्ट आ गई है। सरकार बहुत गम्भीर है, बिना पैसे से, सरकार के बिना सहायता दिये कम्प्यूटर एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए हम बहुत अधिक चिंतित हैं और इसकी निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। और विशेष रूप से ट्राइबल सब एरिया में भी और भी गांवों में सारा एक सा ही है, सिर्फ जनजातीय नहीं, बाकी भी जो गांव हैं, जो छोटी-छोटी स्कूलें हैं, 10वीं-12वीं के जिनमें 30-35 लड़के पढ़ते हैं, उनकी स्थिति क्या है? मैं जानता हूं। और आज मैं यह कहना चाहता हूं कि इन प्राइवेट स्कूलों का इतना हौवा मत खड़ा करो। एक करोड़ 70 लाख बच्चों में से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक करोड़ 40-45 लाख तो सरकारी स्कूलों में ही हैं। कौनसे को ये पढ़ा रहे हैं? किस बात का हौवा है यह? सारा का सारा काम सरकारी स्कूलों को ही करना है। वही पढ़ रहे हैं सारे के सारे लोग तो उनको तो कम्प्यूटर भी देना है, उसको टीचर भी देना है, यह सारे सब्जैक्ट्स पर चिंता हो रही है, मैं आपकी चिंता से अवगत हूं और मैं आप सारे सदन को धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको पारित किया जाये। हां कल्लाजी, आप अपने सुझाव दे दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मुझे स्पीकर साहब ने बुला लिया था, इस कारण से मैं बोल नहीं पाया। यहां पर जो आप प्रवर समिति के बाद बिल लेकर आये हैं। प्रवर समिति को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बिल को ठीक करने में काफी बड़ा योगदान दिया है। लेकिन अभी भी कुछ खामियां मुझे दिख रही हैं जिसमें मैं कंस्ट्रक्टिव सुझाव आपको देना चाहता हूं। एक तो आपने यूनिवर्सिटी का उद्देश्य बताया है, शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण। शिक्षण और अध्यापन तक तो यह सही है, प्रशिक्षण का काम यदि आपने प्रावेट यूनिवर्सिटी को दे दिया तो यह बंटादार कर देगी। मेरा आपको यह सुझाव है कि आप प्रशिक्षण का काम, जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है उसी तक आप सीमित रखें और उसका क्षेत्राधिकार जो है, मैं समझता हूं, पूरा राजस्थान होगा जो आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो फिर जो आटोनोमस यूनिवर्सिटी है जिसको आप ब्लाक ग्रांट दे रहे हैं जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर, महावीर जैन यूनिवर्सिटी, कोटा, बीकानेर यूनिवर्सिटी, बीकानेर, अजमेर यूनिवर्सिटी इनका कार्यक्षेत्र तो आपने एक तरह से बांट रखा है अलग-अलग प्रकार से और यह यूनिवर्सिटी पूरे राजस्थान की होगी तो यह कामर्शियल स्तर पर चलेगी। और कामर्शियल स्तर पर चलेगी तो उसका नुकसान स्टेट का होगा और लोगों की जेब को काटेंगे। परीक्षा का स्टैण्डर्ड, इवेल्यूएशन, परीक्षाएं ढंग की नहीं होगी। इसलिए इनका भी क्षेत्राधिकार तय करना चाहिए। क्षेत्राधिकार इस रूप में तय करना चाहिए, यह ऐसी यूनिवर्सिटीज विदेशों में बहुत हैं लेकिन वह यूनिवर्सिटीज रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज के रूप में काम करती हैं। आप रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी तक यदि इनको अलाउ करते तो हमें कोई एतराज नहीं है। यदि इनको आपने पूरा राजस्थान क्षेत्र दे दिया तो मैं समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी अपनी जो पुरानी यूनिवर्सिटी है जहां अच्छे प्रोफेसर, अच्छे रीडर, अच्छे लेक्चरर पुराने लगे हुए हैं। उनके मुकाबले में यहां पढ़ाई भी नहीं होगी और यह केवल मात्र पाकेट इंस्टीट्यूट की तरह बनेगी और इससे लोगों का एक्सप्लायटेशन होगा।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके बाद आपने धारा 4 (5) (2) में तीस एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी के लिए प्रावधान किया है। मैं समझता हूं इसमें कम से कम पचास से सौ एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी आप बनाते हैं तो यूनिवर्सिटी का भविष्य है आगे दो सौ साल, तीन सौ साल। दो सौ, तीन सौ साल में उसका डवलपमेंट होगा और दो सौ, तीन सौ, चार सौ साल में जब डवलपमेंट होगा तो यह तीस एकड़ जमीन स्कूलों के लिए भी, भवानी निकेतन बना हुआ है सीनियर सैकण्डरी स्कूल। मेरे ख्याल में आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि उसके पास कितनी जमीन है। इसलिए यूनिवर्सिटी के लिए तीस एकड़ जमीन बहुत ही मामूली है। और दस हजार वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्र यदि किसी के पास हो तो उसको आप यूनिवर्सिटी बना दोगे। यह भी मैं समझता हूं कि सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में इतने बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन के काम किये हुए आपको मिल जायेंगे। दस हजार स्क्वायर मीटर से ज्यादा अनेक राजस्थान के सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में इतना कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, उन सारे के सारों को आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना देते। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें एक लाख स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन कम से कम होना चाहिए तब उसको यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। फिर प्रथम वर्ष में आपने दस लाख की पुस्तकें, पुस्तकें, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए लाइब्रेरी, इक्विपमेंट्स, प्रयोगशालाएं जितनी अच्छी होंगी, उस यूनिवर्सिटी की उतनी ही महत्ता ज्यादा होगी। इसलिए इसकी मिनिमम जो शुरूआत होनी चाहिए वह पचास लाख रुपये की पुस्तकें मिनिमम एक यूनिवर्सिटी में शुरूआत में होनी चाहिए। उसके बाद में उसका विस्तार आगे होना चाहिए।

फिर आपने उसके प्रथम वर्ष में 20 लाख और प्रथम पांच वर्ष में एक करोड़ रुपये के उपस्कर, इसी धारा 4(5) की फिफ्थ में यह प्रोवीजन किया है। इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि फर्नीचर वगैरह की भी यह राशि बहुत कम है। यह पहले वर्ष में एक करोड़ रुपये की होनी चाहिए और पांच वर्ष में पांच करोड़ तक की होनी चाहिए जिसमें कम्प्यूटर वगैरह भी सम्मिलित हैं। फिर धारा 9 विन्यास विधि के बारे में आपने प्रोवीजन किया है उसमें एक करोड़ रुपये, एस.सी.एस.टी. के क्षेत्र में पिचहत्तर लाख रुपये, जो भी इसमें रखो, इसका पचास प्रतिशत एस.सी. एस.टी. के क्षेत्र में रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में यह राशि करीब-करीब पांच करोड़ रुपये की होनी चाहिए, आपने दो करोड़ का प्रावधान आगे किया है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो आदमी खोलेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी। कभी तनख्वाह की प्रोब्लम आयेगी, कभी और कोई। कोई ग्रांट आप दे नहीं रहे हैं, कोई ब्लाक ग्रांट उसको मिल नहीं रही है। यू.जी.सी. से उनको पचास प्रतिशत ग्रांट मिल सकती है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

यूनिवर्सिटी का एक पे बिल होता है वही पांच-छह-सात करोड़ रूपये का हो जाता है तो कम से एक एक दो महीने की तनख्वाह का तो उसके पास में कोई ऐसा फंड होना चाहिए जिसके माध्यम से कहीं दो महीने मान लीजिये उसने तनख्वाह नहीं दी तो सरकार इंटरवीन करके उन कर्मचारियों को तनख्वाह वगैरह दिला सके, उनके वेलफेयर का ध्यान रख सके।

इसके अलावा धारा 20 में आपने शासी निकाय के बारे में उपबंध किये हैं। इसमें आपने पांच व्यक्ति, जो व्यक्ति इंस्टीटयूशन बनायेगा या मान लीजिये यूनिवर्सिटी बनायेगा, उसके रखें हैं, यह मैं समझता हूं, बहुत ज्यादा है। इसमें तीन से ज्यादा आदमियों की इस शाषी निकाय में जरूरत नहीं है। लेकिन आप यदि पांच भी करें तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्रबंध बोर्ड जो आपने बनाया है, प्रबंध बोर्ड में मेरे ख्याल में आपने राजस्थान में तो यह पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसमें जन प्रतिनिधियों का, सभापति महोदय, अभाव रहेगा। हमारे राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं उसमें प्रत्येक में दो एम.एल.ए. होते हैं। तो जन प्रतिनिधियों को जरूरत इसमें गई करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी यह भी यह थर्ड स्टेज है, इस थर्ड स्टेज में इसका यदि आप समावेश कर लेंगे तो निश्चित रूप से इसमें अच्छा रहेगा। फिर इसमें यू.जी.सी. नोमिनी का भी अभाव है। है इसमें यू.जी.सी. नोमिनी? यू.जी.सी. नोमिनी होनी चाहिए और इसमें भी यह होना चाहिए कि शासी निकाय के जो तीन आदमी वाइस चांसलर को नियुक्ति करेंगे, उसमें एक यू.जी.सी. का नोमिनी होना बहुत आवश्यक रूप से जरूरी है। बिना उसके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको मान्यता नहीं देगा। मैं समझता हूं कि इन सुझावों को यदि आप मान लें तो यह आपका बिल कम्प्रिहेंसिव रूप में अच्छा रहेगा और प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छा काम करेगी। मैं पुनः आपसे यह कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी बनाते वक्त अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि सरकारी स्तर पर सहायता दी जाने वाली यूनिवर्सिटी की स्थिति यह है परीक्षाओं के लिए हमको पुलिस भेजनी पड़ती है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बनायेंगे, जिस आधार पर, इसकी जो व्यवस्थाएं की गयी हैं यह व्यवस्थाएं इतनी कम हैं कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए तैयार हो जायेगा। इसलिए बहुत ही जो ट्रस्टड संस्थाएं हैं, जो वर्षों से, पचास साल से, सौ साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं उन संस्थाओं को और उसके पास फाइनेंशियल मेनेजमेंट अच्छा हो, उनके पास 15-20 करोड़ रुपये की राशि हो और यह यूनिवर्सिटी को डवलप कर सकता हो जो मानदण्ड मैंने आपको सुझाये हैं, तभी आपको यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा..

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो यह बिल लेकर आये हैं, कोई टेक्नीकल यूनिवर्सिटी भी खोलना चाहेगा, उसके लिए क्या उपबंध हैं? आज कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलना चाहे, कोई टेक्नीकल यूनिवर्सिटी खोलना चाहे तो उसके लिए तो पांच-दस करोड़ रुपये कुछ भी नहीं है।

श्री सभापति : वह आ गया जी, जवाब दे देंगे मंत्रीजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं-नहीं। इसमें टेक्नीकल यूनिवर्सिटी के लिए, सभापति महोदय, एक करोड़ रुपये की राशि यदि वह रखेंगे तो कुछ नहीं है। एक-एक इक्विपमेंट सात-सात, साढ़े सात करोड़ रुपये के, लीनियर एसक्लेरेटर जैसे और आज गामा कैमरा ढ़ाई करोड़ रुपये का आता है तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी? तो इसके लिए, टेक्नीकल यूनिवर्सिटी के लिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सारे प्रावधान यदि आप कर दें तो यह आपका बिल अच्छा हो सकता है।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कल्ला साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही विचार दिये हैं तो अब तो दो स्टेज आती हैं कि एक तो इसमें रूल्स बनायेंगे उसमें या बाकी कोई बाद में संशोधन करने होंगे। बाकी आपके सुझाव सब बहुत ठीक हैं। पहले ही मैंने धन्यवाद दिया है, क्योंकि सारा काम तो आपकी उप समिति ने ही किया था मुख रूप से।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उन्होंने काम ठीक किया है, मैंने धन्यवाद भी दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, वह तो प्रवर समिति को दिया है। प्रवर समिति के पहले जो समिति बनी थी प्रभु, वह भी आपकी ही थी जिसमें यह पांच करोड़ रुपये के बजाय दो करोड़ रुपये तय किये, वह आपकी ही समिति थी। मैंने नहीं किये हैं। मैं बोलता नहीं हूं, मंत्रिमण्डलीय उप समिति में प्रद्युम्न सिंहजी और आप सब थे तो अब उसका कारण है, आपने ठीक किया। इसलिए किया कि पांच करोड़ जमा करायेंगे तो काम्ट एजुकेशन की उतनी ही बढ़ती जायेगी, समय-समय पर अपन इसको ठीक करते रहेंगे। अपना लक्ष्य एक ही है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि काम्प्रेहेंसिव बने और सब मिलकर अपन इसको ठीक कर सकें। जहां तक यह. यह बात आपकी बिलकुल ठीक है. इसको दुबारा देखेंगे कि पूरा राजस्थान इसका इलाका हो जायेगा और हमारी. जो यूनिवर्सिटी हैं वह रीजनल यूनिवर्सिटी हो रही है। तो इस संबंध में जो भी बात करनी होगी, अपन आपस में बैठकर तय करेंगे। सभापति महोदय, कुल मिलाकर सारा सदन इस बात पर है कि हम सब मिलकर इसको एक इस प्रकार का संस्थान का रूप दें कि वह राजस्थान के भविष्य के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए बढ़िया हो और इसलिए राजनीति से परे यह विधेयक है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको पारित करायें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत).

राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005

माननीय श्री प्रभूलाल सैनी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधयक 2005 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाय।

(16.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय डा. एन.एस. गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, मैंने जो जनमत जानने के लिए दिया है वो इसलिए दिया है कि मुझे इस पर बोलने का मौका मिल सके क्योंकि परिपाटी यह रही है कि जब तक अमेंडमेंट नहीं दें तो इस पर बोल नहीं सकते।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

सभापति महोदय, यह जो अमेंडमेंट आया है यह समयानुकूल है बहुत पहले आना चाहिए था। आप जानते हैं इसमें जो प्रावधान किये गये हैं वो उ` अलग-अलग जो मंडियां थी उनका क्लासिफिकेशन किया गर.. है और एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. और महिलाओं को रिजर्वेशन जो पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है उसी तर्ज पर इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्.. की गर` है। यह वांछित था। को-आपरेटिव के चुनाव होंगे उनमें भी इस तरह की व्यवस्था सरकार करने का इरादा रखती है और कई वर्षों से इनके चुनाव नहीं हुए तो यह अमेंडमेंट आने के बाद निश्चित रूप से ये जो चुनाव हों.. उनमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा, पारदर्शिता होगी और यह जो मंडियों की स्थिति है इसमें सुधार होगा।

सभापति महोदय, आप तो स्वयं ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां मंडियों को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। मंडियों में आज क्या हालत है। पहले कुछ मंडियां बड़ी हुआ करती थी उनको आजकल मंडी यार्ड बना दिर .. छोटी अब उनको क्या बोलते हैं छोटी मंडी। गौण मंडी बोलते हैं उसको मैं क्षम.. चाहता हूं उसके नाम से मैं कन्फ्यूज कर रहा हूं। क्योंकि गौण मंडी ..र उपबंध और निर्बल आजकल जो हिन्दी चली है वो भी बडी विचित्र और बड़ी कठिन लैंग्वेज है। मैं इसको हिन्दी में पढ़ता हूं तो आधे शब्द तो मैं समझ ही नहीं पाता हूं कठिन टैक्निकल वर्डस की ऐसी हिन्दी की है। और इसलिए कहावत, मुहावरा चल ..या है लोगों में कि इसकी ज्यादा हिन्दी मत करो। दिस इज वैरी बेड। लैंग्वेज वो ही चलती है जो सिम्पल हो जिससे केवल विच..रों का कन्वे एक दूसरे को हो जाए। तो जिस तरह से किया गया है, ट` जो ..ौण मंडियां हो उनमें उमें हालत यह है कि सभापति महोदय, कि बैठने के लिए किसानों को वहां छाया की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्.. नहीं है। ठहरने के लिए कई जगह मंडियों में गैस्ट हाउसेज बनाये गये उनकी हालत क्या हो गई उनमें आप ठहर नहीं सकते। उनके बाथरूम्स की हालत यह है कि वहां घुस नहीं सकते आप। यह व..ों में जो व्यवस्था हुई है क्योंकि चुनाव हुए नहीं वर्षों से कोई देखने वाला नहीं है वहां जो वहां पर प्रशासक बनकर के बैठे हैं....।

श्री हरि..हन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, ये अव्यवस्थाओं के मामले में तो आपकी सरकार के मंत्रीजी से बैठ करके बात कर लो। यहां ट` यह जो मार्केटिंग का जो यह आया है इस पर चर्चा करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आपके समय की बात कर रहा हूं। जब आपकी सरकार थी आप जिम्मेदार थे आपने इतने साल तक उनको ठीक नहीं किया। इतने साल तक चुनाव नहीं कराये यह आपके लिये है। हमारी सरकार तो एक सवा साल पहले आयी है। और ये ले आये, अमेंडमेंट ले आये इसमें क्या आप कर रहे हो, इनका क्लासिफिकेशन किया है जिसमें 4-5 तरह की इसमें मंडियों का सिस्टम बनाने की बात कही है क्लासिफिकेशन करने की यह बहुत ही स्वागत योग्य है तो कर रही है। हमारी सरकार तो कर रही है। ये तो आपने जो नहीं किया वो मैं बता रहा हूं कितने वर्षों से नहीं किया आपने। इनके ही नहीं आपकी एक मंशा रही...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : ये सवा साल से बाथरूम भी ठीक नहीं करा सके क्या और बात जो छोड़ो आप, सवा साल में बाथरूम भी ठीक नहीं करा सकी आपकी सरकार।

श्री सभापति : आपका बोलने में नाम है आप जब समय आये तब बोल लेना।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपने 18-18 साल तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये आपने वर्षों तक को-आपरेटिव के चुनाव नहीं कराये, आपने वर्षों तक इन कृषि उपज मंडियों के चुनाव नहीं कराये। जब-जब आप शासन में बैठे आप लोगों ने किसी भी चुनी हुई संस्था में विश्वास ही नहीं किया कि नीचे के लेवल पर चुनाव हों चुनाव ही नहीं कराया आपने।...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : 30 साल हो गये चुनाव हुए।

श्री अर्जुन सिंह : तीस साल में बी.जे.पी. की सरकार कभी आयी नहीं क्या? पांच साल की सरकार को कोस रहे हो उसके बीच में कंटीन्युस 8 साल तक सरकार चली उस समय नहीं करा सकते थे?

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री अर्जुन सिंह : नहीं तो बराबर पांच साल को कोस रहे हो तो आठ साल भी गिनो न।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह क्रम तो मान लो आप आने और जाने का तो आप निश्चित रहो जाओगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : ऐसा है अभी तो चार साल तो सपने देखो मुंगेरीलाल के सपने देखो चार साल तो।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय सदस्य, अभी साढ़े तीन साल है और तीन साल बाद में सबके हाथ-पांव हिलने लग जाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब तो जो है आपने खुद ने तय कर दिया कि कांग्रेस तो आयी गयी हो गयी अब तो वामपंथी और बी.जे.पी. दो ही रहनी हैं।

श्री सभापति : विराजिये-विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप एक बार आते हो और एक बार जाते हो। आपकी तो यह आदत है एक बार आते हो। एक बार जाते हो और एक बार आते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका तो कुछ पता ही नहीं है कहां आते हो और कहां जाते हो। आपका तो मुझे सब पता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री अर्जुन सिंह : मुख्य सचेतक होने के नाते सबसे खतरा आज की तारीख में आप पर ही मंड़रा रहा है।

श्री सभापति : आप विराजें।

डा. एन.एस. गुर्जर : अभी आप करीब चार पौने चार साल तक तो मुंगेरीलाल के सपने देखते रहो।

श्री सभापति : अब आप इस पर आओ बिल पर।

डा. एन.एस. गुर्जर :... अभी कोई चांस नहीं है आपके लिए। इसलिए सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आपने प्रोविजन किये हैं इसके आब्जैक्ट्स में पढ़ कर सदन का समय खराब नहीं करना चाहता। इनके आब्जैक्ट्स में बहुत ही क्लियर गवर्नमेंट ने कहा है कि किस तरह से सुपर क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, और डी क्लास ये मार्केट एरियाज हैं

(डा. एन.एस. गुर्जर)

इनका क्लासीफिकेशन होगा। इनके मैंबर्स की संख्या बढ़ा कर 17 मैंबर्स फिर छोटियों में 10 मैंबर्स और उनमें भी सबसे बड़ी चीज जो कि है सरकार ने जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि 8 मैंबर्स रूरल एरियाज से जो किसान हैं उनको लिया है। और उसके लिए फिर अलग-अलग वर्गों के लोग इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे उनको लिया गया है। इसलिए एक बेलेंस यानी मैनली ये मंडियां किसानों के उपयोग के लिए होती हैं। किसान पहले वाली प्रमुखता है दूसरे रूप में व्यापारी होता है इसलिए किसानों की सुविधाओं का इसमें ध्यान रखा गया है। और चुनाव के लिए इन्होंने यह कह दिया कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर 18 महीनों से ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकेगा' इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब आगे के लिए लंबे समय तक आप चुनाव को नहीं टाल सकेंगे। जो अब तक टालते आये हैं इसके साथ-साथ ये जो सैक्शन 6,7, 27-36 इनके अंदर अमेंडमेंट्स किये गये हैं और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बाकी लोगों के बारे में ये कौन-कौन इसके मैंबर्स होंगे यह इसमें दिया गया है कि ये कांस्टिट्यूट किस तरह होंगी वो इसमें दिया जाता है. किन-किन के रिप्रजेंटेटिव ईवन को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज के भी इस एरिया के लोग इसमें रिप्रजेंटेटिव होंगे। सेन्ट्रल को-आपरेटिव फाइनेंस एजेंसी के होंगे एग्रीकल्चरिस्ट और दूसरे जो ट्रेडर्स हैं उनमें होंगे ब्रोकर्स हैं उनके होंगे मेजर सर्वेयर्स ये सब इनके रिप्रजेंटेटिवस में होंगे। तो इस तरह से इस एक्ट में जो कमियां थीं उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा एस.पी./एस.टी. ओ.बी.सी. और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत और 33 प्रतिशत ये व्यवस्थाएं इनमें की गयी हैं. इसके अलावा इनके एरियाज डिफाइन किये गये हैं और टाइम पीरियड तय किया गया है इलेक्शंस के लिए इसलिए कुल मिलाकर यह समय की आवश्यकता इस समय थी ये अमेंडमेंट लाने की सरकार इसको लायी है। यह पहले आना था।

इसलिए सभापति महोदय, मैं सरकार से इतना जरूर कहूंगा कि जो मंडियों की अव्यवस्था है आज आपके जो सड़कें मंडियों के द्वारा बनायी गयी हैं उनकी हालत बड़ी खराब है। उन मंडियों की सड़कों की हालत ऐसी है कि कोई देखने वाला है नहीं उनको। मंडी ने सड़क बनायी है तो वो टूटी-फूटी ऐसी खराब हालत में है कि न तो उसका पैसा, उसकी रिपेयर के लिए पैसा नहीं दिया जाता। तो गांव वालों को उल्टा वह फायदा करने के बजाय नुकसानदेह

(डा. एन.एस. गुर्जर)

साबित हो गई। इसी तरह से जो गांव की रोड़ सलेक्ट करते हैं कहां इन मंडियों की रोड़ बनेगी, उसका कोई क्राइट ऐरिया नहीं है। और आपके जो छोटे छोटे मंडियों के आफिसर्स बने हुए हैं वह अपनी मर्जी से जहां चाहे सड़क पास कर देते हैं। न तो वहां के जो इलेक्टेड विधायक हैं उनकी राय ली जाती है। तो आप इस तरह की कोई व्यवस्था करें कि उन विधायकों की राय ले, उसके हिसाब से वह रोड़ बनायें। क्योंकि उनको मालूम है कि कहां पी.डब्ल्यू.डी. की रोड पास है। कई बार तो यह हो जाता है कि पी.डब्ल्यू.डी. की रोड पास हो रही है और वहीं पर कृषि उपज मंडी रोड पास कर देती है। जो टूटी हुई सड़के हैं उनकी मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है। पैसा आता है वह कहां जाता है, कहां नहीं जाता कोई देखने वाला वहां नहीं है, हिसाब लेने वाला नहीं है। जो कर्मचारी है वह वर्षों से, चपरासी से लेकर आफिसर तक वर्षों से वहां जमे बैठे हैं। उन्होंने वहां पर काकस बना लिया। इसलिए जब यह चुनाव कराये जायेंगे आप ओपन मेम्बरशिप खोलिये सबके लिये। आज यह हालत हो गई चाहे को-आपरेटिव हो, चाहे मार्केटिंग हो, बोर्ड हो इनमें इन्होंने काकस बना लिया। लिमिटेड लोगों को मैम्बर बनायेंगे, घूम फिरकर चुनकर वही लोग वापस आ जायेंगे। इसलिए इसके लिये कोई भी इसका मैम्बर बन सके इस तरह की व्यवस्था कराएं और इसके साथ ही जो जमे हुए लोग हैं आप कम से कम कुछ क्राइटेरिया बनाइए कि तीन साल से पांच साल एक मंडी में वह रहे। मैं कई जगह देख रहा हूं वर्षों से वही आदमी बैठे हुए हैं। वह कुछ भी कर रहा है कोई उसको देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, जांच करने वाला नहीं, कोई उसकी शिकायत करने वाला नहीं। क्योंकि उसने काकस बना रखा है वहां पर। कोई शिकायत करेगा उसका माल नहीं तोला जायेगा। अभी जैसे सरसों बिकी, सभापति महोदय, गवर्नमेंट को छापे मारने की आवश्यकता पड़ गई। क्यों हुई? दो विभाग देख रहे हैं इस मामले को। को-आपरेटिव देख रहा है, कृषि उपज मंडियां भी देख रही है। छापा डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कई जगह तो माल उस जगह तुलता ही नहीं था। कहीं और ही तुलता था उसकी पर्ची कट जाती थी। पर्ची वहां से कटती थी माल कहीं और सीधा जा रहा है। इसी तरह से वहां पर 2-2 सौ ट्रेक्टर की लाइन लग जाती थी और जिसको मर्जी आया ले लिया, जिसको मर्जी आया नहीं लिया।

मैं गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूं, विशेष रूप से मुख्य मंत्रीजी को

(डा. एन.एस. गुर्जर)

उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर छापे डलवाये जगह-जगह और उसका परिणाम यह हुआ ज्यों ही छापे पड़े इस व्यवस्था में तुरन्त सुधार हुआ। और जो काकस बन गया था जो व्यापारी किसानों से 1300 रुपये क्विंटल में सरसों लेकर 1700 रुपये में मंडियों में बेचते थे उस पर तुरन्त रोक लगी और जो बिचौलिये थे उन पर रोक लगी और उनके कई लोग इसमें पकड़े गये। एक भय उनमें व्याप्त हुआ। इस तरह आप कानून तो बनाने जा रहे हो लेकिन कानून सही रूप में लागू हो, इस कानून की सही क्रियान्विति हो इसके लिये आवश्यक है आपको कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। वहां के सिस्टम को बदलना होगा। व्यावहारिक तौर पर जो लोग वर्षों से बैठे हैं उनको हटाना पड़ेगा। सड़कों की मरम्मत कैसे हो, मंडियों की व्यवस्था ठीक कैसे हो, आज मंडियों में जाइए वहां की हालत देखिए, मंडियों में क्या हालत हो रही है? छाया नहीं, पानी नहीं, कोई और व्यवस्था नहीं, बहुत हालत खराब है। इसलिए इनमें सुधार हो इस बात की और यह फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे हो इस बात की भी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि सरकार यह करेगी" इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा और जो मैंने जनमत जानने के लिये प्रस्ताव दिया था उसको मैं वापस लेने की आपसे इजाजत चाहता हूं, उसके बाद मैं वापस लूंगा अगर आप इजाजत दें।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे मेरे प्रस्ताव को वापस लेने की परमीशन दी जाये"

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डा. एन.एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मैं जनमत जानने के मेरे प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री संयम लोढा।

श्री संयम लोढा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 लेकर आई है। सभापति महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मंडियों के चुनाव

(श्री संयम लोढ़ा)

कराने के निर्देश दे रखे हैं और उसकी निश्चित रूप से सरकार को भी पालना करनी है। और यह जो संशोधन सरकार लेकर आई है यह संशोधन अपने आप में इस सरकार की मंशा को जाहिर कर देता है कि यह सरकार क्या करना चाहती है। सभापति महोदय, जो यह वर्गीकरण का प्रस्ताव इस विधेयक के माध्यम से लाया गया है और इसमें "क" वर्ग की मंडी में 17 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि यह सरकार ऐसी समिति का निर्माण करना चाहती है जो किसानों के हित में काम नहीं कर सके। आपने 17 सदस्यीय मंडी का प्रस्ताव तो रखा लेकिन उसमें किसानों की संख्या 8 ही रखी। मतलब उसमें भी आप किसानों का बहुमत नहीं रखना चाहते और आप ऐसी व्यवस्था विकसित करना चाहते हो जो इस मंडी समिति का अध्यक्ष बने वह दूसरे उन 9 सदस्यों के दबाव में लगातार काम करता रहे और मंडी समिति बजाय किसानों के हित में काम करने के उन व्यापारियों, दलालों और दूसरे लोगों के 9 नुमाइंदे जो आप चुनकर इसमें ला रहे हो, उनके प्रभाव में और उनके हित में काम करे। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार को पहले तो यह जो 17 सदस्यीय समिति का प्रस्ताव है इसमें किसानों का बहुमत रखना चाहिये। 8 का आपने प्रावधान किया इसको बढ़ाकर किसानों की संख्या उतनी रखनी चाहिये कि वह बहुमत के साथ किसानों के हक में काम कर सके।

दूसरा आपने 8 कृषक का प्रावधान किया। (व्यवधान) हमने तो गड़बड़ियां की इसलिए हम 56 रह गये, आप तो सही करो वरना यह 120 के आगे से एक हट जायेगा और पीछे 20 ही रहोगे। सभापति महोदय, यह जो 8 कृषक का प्रावधान किया है, 8 कृषक में भी सरकार यदि कमजोर किसान को, छोटे किसान को इस बात का मौका देना चाहती है। और उसकी नीयत अगर साफ है तो आप लघु और सीमांत काश्तकार के लिये इसमें प्रावधान करना चाहिये कि इस श्रेणी से यह इतने काश्तकार इसमें आयेंगे। आपने इस बात का प्रावधान कर दिया कि छोटा किसान इसमें नहीं आ सके।

इसके अलावा सभापति महोदय, जो यह प्रावधान किया गया है कि एक विधान सभा का ऐसा सदस्य होगा जो राजस्थान सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाये। सभापति महोदय, बाकी संस्थाओं के लिये तो एक विधायक मनोनीत होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं पर यह किसानों से जुड़ा

(श्री संयम लोढ़ा)

हुआ मसला है। और कई ऐसी मंडियां है जिसमें एक एक मंडी के क्षेत्र में 2 या 3 विधायक लगते हैं। और किसानों के हित में काम करने का अवसर राजस्थान विधान सभा के हर सदस्य को मिलना चाहिये। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसमें यह प्रावधान करना चाहिये कि उस मंडी के क्षेत्राधिकार में जितने विधान सभा क्षेत्र लगते हैं उसके अनुरुप हम विधान सभा सदस्यों के मनोनयन की इसमें व्यवस्था करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके सब सैक्शन 7 में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति ऐसा होगा जो नगर पालिका, बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम या ग्राम पंचायत जिसमें मुख्य मंडी यार्ड अवस्थित है, द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया गया हो। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार को भली भांति ध्यान होगा कि पंचायत समिति भी हमारी एक इलेक्टेड बाडी है। जिला परिषद भी हमारी एक इलेक्टेड बाडी है। हम उसको क्यों बाहर रखना चाहते हैं? और यह नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद इनका क्या काम है कृषि मंडी में? और इनका चुना हुआ नुमाइंदा वहां मंडी में क्या कर लेगा? इसलिए इन तीनों को हटाकर निगम, नगर पालिका वगैरह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आपको रखना चाहिये जिससे ग्रामीण क्षेत्र का नुमाइंदा इस समिति में आ सके और ग्रामीण क्षेत्र की जनता और किसानों की भलाई के लिये अपनी बात कर के किसान समुदाय को लाभान्वित कर सके।

इसके अलावा सभापति महोदय, सब सैक्शन 8 में जो प्रावधान किया है दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये गये हों। दो व्यक्ति ऐसे कौन?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो हम चाहेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : आप चाहेंगे वो तो होंगे ही क्योंकि सरकार आपकी है, राजस्थान की जनता ने आपको जनादेश दिया है। लेकिन किसानों के हित में काम करने के लिये जरूरी है कि इसमें आप बराबर उल्लेख करें कि वह कौन से क्षेत्र के लोग होंगे। क्या कृषि विशेषज्ञ होंगे, क्या कृषि क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले लोग होंगे? इस क्षेत्र के लोग राज्य सरकार मनोनीत करेगी। इसका प्रावधान चूंकि इसमें स्पष्ट नहीं है और इसीलिए इस बात की पूरी सम्भावना है कि ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इसमें मनोनीत कर दिया जाए जिनका कृषि और किसान से कोई लेना देना नहीं हो। इस प्रावधान का

(श्री संयम लोढ़ा)

हो। आने वाले वक्त में जो किसानों की भलाई का मकसद इस समिति के माध्यम से पूरा किया जा सकता है और वह पूरा नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, इसलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसमें इसको पूरी तरह परिभाषित करें कि किस क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार इसमें मनोनीत करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इसमें यह प्रावधान किया है सैक्शन 5 के संब-सैक्शन टू में कि छह मास की कालावधि। किन्तु कुल मिलाकर अट्ठारह मास से अनाधिक की कालावधि के लिए कोई नयी मण्डी समिति गठित कर सकेगी। सभापति महोदय, यह बहुत प्रतिक्रियावादी प्रावधान है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार एक ऐसी प्रक्रिया को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है तब उसको बहुत साफ होना चाहिए, बहुत पारदर्शी होना चाहिए। ऐसे प्रावधान लाने चाहिए जिससे कि कृषि उपज मण्डियों के चुनाव एक निरन्तर प्रक्रिया बने। इसके लिए किसी भी सूरत में सरकार को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वह छह महीने से अधिक अवधि के लिए नई समिति का गठन कर सकें।

यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, चूंकि इन सब प्रावधानों को नहीं किया गया है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब इतने साल रुके हुए रहे हैं तब एक बार जब हम प्रावधान करने जा रहे हैं। तो सरकार को पूरी गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए। आम जनता, आम किसान के विचार भी इसमें जानने चाहिए और विचारों को समाहित करते हुए संशोधन विधेयक लाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको एक बार जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 विचार के लिए सदन में रखा गया है। मैंने इस विधेयक पर जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता, अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य अपनी अभिव्यक्ति दे रहे थे कि इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

विधेयक पर अपने विचार जानने की दृष्टि से जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, इसी उद्देश्य से मैंने भी जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान की मुख्यमंत्रीजी को और राजस्थान के कृषि मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाकर उन्होंने इस बात की मंशा को प्रकट कर दिया कि अब राजस्थान की कृषि उपज मंडियों का प्रबंधन राजस्थान के किसान के हाथ में जाना चाहिए। इससे एक कदम आगे बढ़कर मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य इस बात की चिन्ता व्यक्त कर रहे थे कि इसमें जो प्रावधान किया गया है सैक्शन 7 के उपखंड (1) में जो 17 सदस्यों की कृषि उपज मंडी समिति का गठन होगा उसमें 8 कृषक होंगे और 9 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कृषक वर्ग से नहीं होंगे। माननीय सभापति महोदय सैक्शन 7 के आगे उल्लेख किया है और इस बात का प्रावधन किया है प्रत्येक मण्डी समिति अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना अध्यक्ष और किसी दूसरे सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी। परन्तु अध्यक्ष धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड क के उपखण्ड (1) या यथास्थिति खण्ड "ख" के उपखण्ड (1) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से होगा।

माननीय सभापति महोदय, यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे 17 सदस्यों की कृषि उपज मंडी होगी जिसमें 8 किसान होंगे। और चाहे 10 सदस्यों की जो कृषि उपज मण्डी होगी जिसमें 6 कृषक होंगे, कृषि उपज मण्डी का नेतृत्व, उसके अध्यक्ष का दायित्व किसान के हाथ में रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मामूली सा अनुरोध माननीय मंत्री महोदय से करना चाहता हूं, आपकी मंशा भी बहुत पवित्र है, सरकार का उद्देश्य भी पवित्र है। किसान के बारे में अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य कृषि उपज मण्डियों की दयनीय स्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। इस बारे में समय-समय पर हर स्तर पर चर्चाएं हुई हैं, चिन्ताएं हुई हैं। बल्कि किसानों का जहां प्रसंग आता है तो सब लोग एक कदम आगे बढ़कर इस बारे में चर्चाएं करते हैं, चिन्ता करते हैं कि किसान की माली हालत में सुधार होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह चिन्तन आज से नहीं चल रहा है। यह

(श्री प्रह्लाद गुंजल)

जो हमारे कृषि उपज मण्डी कानून, इसकी प्रस्तावना को आप उठाकर देख लीजिए जो 1961 में बना। इसमें लिखा है कि भारत में अंग्रेजी शासन के समय भी यह अनुभव किया गया कि कृषि विपणन के मामले में गरीब किसान कुशल व्यापारी का सदैव दबैल रहा है। ब्रिटिश सरकार ने 1928 में कृषि के विषय में एक रायल कमिशन बैठाया, जिसने अपने प्रतिवेदन में लिखा कि भारतीय किसान सामान्यतया अनपढ़ और प्रचलित भाव से अनभिज्ञ रहता है, विशेषत: वाणिज्यिक फसलों के भावों के मामले में। इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता।

सभापति महोदय, मैं केवल आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का, जिस प्रकार की चिन्ता इस विधेयक के समय और इसके पहले भी लगातार किसानों की कृषि उपज मण्डी और डवलपमेंट कृषि उपज मण्डी के बारे में जो हो, इसके बारे में होती रही है। मैं इस अधिनियम की धारा 8 धारा 18 और 19 जो मूल हमारा अधिनियम है 1961 का, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

धारा 8 में लिखा है मण्डी समिति एक स्थानीय निकाय होगी। और इसमें उल्लेख किया है चूंकि मण्डी समिति राजस्थान कृषि उपज अधिनियम के अन्तर्गत गठित होती है, कार्य करती है, इसलिए सरकार उसको स्थानीय निधि पर नियंत्रण रखने और व्यवस्थित करने का भार सुपुर्द करती है।

माननीय सभापति महोदय, यह अधिकार कृषि उपज मण्डी समिति को अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 2(द) की स्थानीय निधि का सारा का सारा नियंत्रण रखने और व्यवस्थित करने का भार कानूनन उसको मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, धारा 18 में जो प्रावधान है. धारा 19 में, प्रयोजन के लिए निधि में से खर्चा किया जाना। और इसमें वह सारी चीजों का उल्लेख है जो डवलपमेंट के सन्दर्भ में है, सुविधाओं के लिए प्रावधान करना जैसे पशु, गाडिया, पशु जो मण्डी में आवे उनके ठहरने का स्थान, गाड़ी खड़ी करने का, पानी की सुविधा, मण्डी क्षेत्र से जुड़ने वाली सड़कें, पुलियाएं आदि-आदि, बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज हालत क्या है, हम कानून बना देंगे, कानून बनाकर वहां की व्यवस्था भी उनके हाथ में सौंप देंगे, कानूनन सारे पैसे का इस्तेमाल करने का अधिकार, नियंत्रित और व्यवस्थित करने का अधिकार कृषि

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उपज मण्डी के पास है। धारा 18 में इस बात का उल्लेख है प्रत्येक मण्डी समिति प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले निर्धारित रकम बोर्ड को भुगतान करेगी, बोर्ड को भुगतान करेगी। वह राशि लाइसेंस शुल्क, मण्डी शुल्क का न्यायालय द्वारा लगाया जुर्माना की आमदनी की 10 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं होगी। यह इस कानून का क्लाज है कि मण्डी समिति की जो आमदनी होगी उसकी 10 प्रतिशत से ज्यादा राशि बोर्ड को नहीं दी जाएगी। लेकिन आज उठाकर देख लें, अभी जब कृषि पर चर्चा हो रही थी तब भी इस बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य कई बार चिंता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मण्डी जो समृद्ध है, उनको अपने क्षेत्र में विकास करने का कोई राइट उनके पास नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा कृषि उपज मण्डी की इनकम का लाकर बोर्ड के सुपुर्द कर दिया जाता है। और बोर्ड के माध्यम से वह पैसा ऐसे-ऐसे मदों में ट्रान्सफर कर दिया जाता है जिनका कृषि उपज मण्डी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका किसान से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसलिये अगर आज हम सोचें मन से इसको लाना चाहते हैं, सभापति महोदय, इस विधेयक को पारित कराना चाहते हैं और इस विधेयक को पारित कराने के बाद चाहते हैं कि इसका लाभ राजस्थान के किसान को मिले और राजस्थान की कृषि उपज मण्डियां, जहां किसान को सुविधा की आवश्यकता है, जहां किसान के लिये नाना प्रकार की सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, सुविधाओं के अलावा उस कृषि उपज मण्डी के अलावा किसान के क्षेत्र में डवलपमेंट की आवश्यकता है। यह सारी की सारी व्यवस्था किसान अपने हाथ में ले और इस सारी की सारी व्यवस्था पर किसान का अपना नियंत्रण रहे। अगर इस मंशा से हम इस एक्ट को लाना चाहते हैं तो हमें इस कानून के प्रावधानों का मजबूती से पालन करना पड़ेगा। और इस बात का संकल्प व्यक्त करना पड़ेगा कि कृषि उपज मण्डियों की जहां स्थानीय आय है, उस स्थानीय आय का सारा का सारा पैसा उस स्थानीय क्षेत्र के डवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। जब तक हम इस प्रकार के इस कठोर कानून का पालन नहीं करेंगे, सभापति महोदय, इस एक्ट को लाने के पीछे जो हमारी मंशा है उसके अनुरूप परिणाम हम नहीं ला पायेंगे। हम बैठा देंगे वहां पर किसान, हम बैठा देंगे वहां पर बोर्ड बनाकर। लेकिन बोर्ड बनने के बाद बोर्ड डवलपमेंट

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मामलें में, बोर्ड कृषि उपज मण्डी के केम्पस के डवलपमेंट के मामलें में, वहां पर व्यापारी के लिये, हमाल के लिये, ट्रेक्टर ट्राली के लिये, रात को रुकने के लिये, क्षेत्र को जोड़ने के लिये, सम्पर्क के डवलपमेंट के लिये, उस बोर्ड को मर्सी पर रहना पड़ेगा कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन की या कृषि विभाग के मंत्री की। फिर किसी अपोजिट पार्टी का बोर्ड बन गया, सरकार अपोजिट पार्टी की है तो कृषि उपज मण्डी का बोर्ड पंगू बनकर बैठा रह जाए। मार्केटिंग बोर्ड से उसको डवलपमेंट के नाम पर पैसा नहीं मिलेगा। इन स्थितियों में जो डेमोक्रेटिक विचार के साथ हम लोकतांत्रिक भावना से इस एक्ट को लाना चाहते हैं तो उसको हमें मजबूती के साथ इस बात के प्रावधान को, जो आलरेडी जो 1961 का हमारा यह एक्ट बना हुआ है। और इस एक्ट को लाने के पीछे भी एक बिल्कुल एक बड़े सामाजिक बदलाव की मानसिकता रही। सामाजिक बदलाव इस सेंस में कि किसान की स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है जब तक हम कानून बनाकर उसके कृषि विपणन के काम को ठीक तरीके से करने का प्रबन्ध नहीं दें। और हमने उससे एक कदम आगे सोचा कि यह प्रबन्ध ठीक तरह से करने के बाद इस कृषि विपणन बोर्ड की जो कृषि मार्केटिंग की व्यवस्था है वह सारी की सारी डेमोक्रेटिक तरीके से उसको संचालित करने के लिये उसके हाथ में सौंप दें। हम अगर इस पवित्र मंशा के साथ इस एक्ट को पास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज हमको इस बात का संकल्प दोहराना पड़ेगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को अनुरोध करता हूं कि इस एक्ट में जो जिस प्रकार के उस राशि के उपयोग के उसके भार को संचालित करने का जो सारा का सारा दायित्व है वह कृषि उपज मण्डी के हाथों में रहे उसको कृषि विपणन बोर्ड की मर्सी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। तो मैं समझता हूं कि वहां स्थानीय स्तर पर किसान जो अपने क्षेत्र के वाजिब डवलपमेंट के वाकिफ है। वह अपनी व्यवहारिक परेशानी से वाकिफ है। उसको रोजमर्रा की परेशानियां जो मण्डी के क्षेत्र में और मण्डी आते-जाते रास्ते के क्षेत्र में, तकलीफें भुगतनी पड़ती हैं जो उसको बिलकुल रोजगार के दुःख-दर्द जैसी महसूस होती हैं। ईमानदारी से उस प्रकार की किसान की तकलीफों को वहां किसान के प्रतिनिधि के रूप में जो भी अध्यक्ष बनेगा, वह बैठकर उसका समाधान कर सके, ऐसे विचार सदन के सामने, मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लेने की अनुमति आपसे चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने जनमत जानने के प्रस्ताव को वापस लेने का जो प्रस्ताव रखा है, उनको अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी

माननीय श्री सी.पी. जोशी

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये उनको आगे बढ़ाता हुआ मैं मंत्रीजी का ध्यान दो-तीन बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहता हूं जैसा रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कृषि उपज मण्डी एक्ट जो बनाया गया था उसके अन्दर जो मंशा थी उस मंशा की पूर्ति करने के लिये हम अमेण्डमेंट नहीं ला रहे हैं हम अमेंडमेंट ला रहे हैं हाई-कोर्ट के डाइरेक्शन में इलेक्शन कराने के लिये अब जब इलेक्शन कराने के लिये हम इसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं, सभापति महोदय, तो जो प्रिंसीपल एक्ट है उस प्रिंसीपल एक्ट का जो सैक्शन-7 है उसमें हमने अमेंडमेंट किया, उसके प्रोविजन को ही बदल दिया। उसमें सैक्शन-7 में प्रोविजन यह किया है, अब हमने 7 की जगह यहां पर 8 मेम्बर कर दिये पर मैं उसको रीड-आउट करना चाहता हूं प्रिंसीपल एक्ट को। प्रिंसीपल एक्ट में 7 में लिखा हुआ है

"…. Seven shall be persons eleceted by such recognised organisations of agriculturists in the market area for which it is established as the State Government may prescribe and, where no such organisation exist, by the agriculturists paying not less than ten rupees per year by way of rent or revenue and residing in the market area, in the manner prescribed;…"

यह प्रिंसीपल एक्ट में प्रोविजन था इस प्रिंसीपल एक्ट के इस प्रोविजन को जिसमें 10 रुपये देकर उस एरिये के रहने वाला कृषक मेम्बर बन सकता है, उसको आपने अमेंड किया उस प्रोविजन को हटा दिया उसमें आपने प्रोविजन खाली लिख दिया

"…. Eight shall be agriculturists elected in the prescribed manner by such agriculturists or institutions of the market area as the State Government may prescribe ;…"

अब मुझे बतायें कि प्रिंसीपल एक्ट में जो प्रोविजन कर रखा था उस

(डा. सी.पी. जोशी)

इलाके में रहने वाले कृषक 10 रुपये देकर मेम्बर बन सकते हैं, इसको अमेंडमेंट करने की क्या आवश्यकता पड़ी? जैसा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आपने 17 मेम्बर बनाये। इसमें और दूसरी श्रेणी के मेम्बर 10 बनाये। उसमें 10 में से 6 आदमी तो आपने इलेक्ट रखे हैं। इसमें 17 में से 8 आदमी इलेक्ट रखे हैं। तो 17 में से 8 आदमी इलेक्टेड होंगे, 9 आदमी नान इलेक्टेड इन्फ्लुएंस करेंगे और दूसरी कैटेगिरी में आपने अमेंडमेट किया है उसमें आपने टोटल मैम्बर 10 रखे। उसमें आपने 6 मेम्बर को इलेक्टेड रखा है यह जो अनामॉली रखी है इस अनामोली को ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बहुत पापुलर्स्टिक मेजर है, यह मण्डी क्यों बनाई, मण्डी के यह कानून क्यों बनाये हमने? कृषक को मिडिल मैन से छूट मिले। उसका जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है उसको पूरी प्राइज मिले। अब इस इकानामिक और कामर्शियल एक्टीविटी को करने के लिए हमने यह प्रोविजन किया कि इसमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी, का रिजर्वेशन करेंगे। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हमने जब पंचायती राज में अमेंडमेंट किया, उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का प्रोविजन किया था। चेयरमैर की पोस्ट तो हमने रिजर्व कर दी थी, वाइस चेयरमैन की पोस्ट हमने रिजर्व नहीं की। तो सारे इलेक्टेड जो चेयरमैन बन गये थे एस.सी., एस.टी. के, बाकी आदमियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको हटा दिया और वाइस चेयरमैन चेयरमैन बन गया। अब आप बताइये कि आपने जो अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट में सैक्शन-7 में यह प्रपोजल आपने दिये हैं उसमें आपने यह तो रिजर्व कर दिया, चेयर पर्सन की पोस्ट तो आपने रिवर्ज कर दी, 16-12-21 प्रतिशत तो कर दी चेयर पर्सन की। वाइस चेयरपर्सन की रिजर्व नहीं की। चेयरमैन भी इलेक्ट होगा वाइस चेयरमैन भी इलेक्ट होगा। तो एस.सी. का आदमी तो बन जाएगा चेयरमैन, जनरल आदमी बन जाएगा वाइस चेयरमैन और वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर चेयरमैन को हटा देगा। और वह वाइस चेयरमैन चेयरमैन बन जाएगा। तो आपने जो रिजर्वेशन का क्लाज रखा है उस क्लाज की मंशा क्या है? जब तक हमने पंचायती राज में जो अमेंडमेंट किये कि यदि उस कैटेगिरी की आदमी हटता है तो उसके बाद चार्ज उसी कैटेगिरी के आदमी को मिलेगा यह प्रोविजन आप नहीं करेंगे तो कितना ही अच्छा प्रोविजन आपने किया हो चेयर पर्सन का, यह एक कुर्सी की रेस को

(डा. सी.पी. जोशी)

कर देगा। और जो बाकी आपका परपज है वह डिफीट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस सम्बन्ध में भी सरकार को, यह एक जो पापुलस्टिक मेजर लिया है उसमें यह राड़र लगाने की आवश्यकता है कि यदि हमने रिजर्वेशन किया है, हालांकि रिजर्वेशन, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 8 आदमियों को आपने इलेक्टेड से होना रखा है। वह 8 आदमी ही इलेक्ट कर पायेंगे उन आदमियों में आपने रिजर्वेशन कर दिया 16, 12 और प्रतिशत का तो किसान आदमी तो ज्यादातर ओ.बी.सी. के कैटेगिरी के आदमी हैं तो ओ.बी.सी. कैटेगिरी का रिजर्वेशन कितना होगा, ओ.बी.सी. केटेगिरी का रिजर्वेशन भी करने के बाद भी वोटर तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में ओ.बी.सी. का आदमी होगा। अब ओ.बी.सी. का आदमी, एस.सी. में 33 प्रतिशत महिला कर कर दिया आपने, एक महिला इलेक्ट होगीं तो इलेक्शन फार गोन कंफ्यूजन हो गया। आपे भले सारे 17 आदमी ही कर दें। एक ही आदमी इलेक्ट होकर आया तो चेयरमैन तो वह एक ही आदमी बन रहा है। एस.सी. की महिला 33 में आ गयी तो 33 प्रतिशत अगर एक ही महिला तो एक ही वह इलेक्ट होगी चेअर पर्सन की। जैसे आज किसी म्युनिसिपैलेटी के वार्ड में एक ही आदमी म्युनिसिपैलेटी का एस.सी. की पापुलेशन का है वह वार्ड मैम्बर बन जाता है। और चेयर पर्सन यदि एस.सी. का आ गया तो वह जो इलेक्टेड मैम्बर है एस.सी. के वार्ड का वह चेयर पर्सन बनता है। बाकी आदमी कितने ही इलेक्ट होकर आ जाएं मैम्बर नहीं बनते हैं। यह जो अनामोली है, इस अनामोली का हमने पापुलिस्टिक मेजर लेने के सम्बन्ध में ध्यान नहीं रखा।

आपने प्रिंसीपल एक्ट में जो प्रोविजन थे जिसमें गोण मण्डी या मुख्य मण्डी के बीच में जो म्युनिसिपैलेटी आती है, पंचायत आती है, पंचायत समिति आती है उनका हर तरह का रिप्रजेंटेशन उसमें दे रखा था। उन सबको क्लब करन के आपने एक तरह का रिप्रजेंटेशन कर दिया कि प्रमुख पंचायत समिति का ज्यादा आयेगा तो चुनाव कैसे होगा, कम आयेगा तो कैसे होगा, उस एक्ट में जो प्रोविजन थे। उस एक्ट के प्रोविजन को आपने सारा करके एक तरह का प्रोविजन कर दिया। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भी आपको कुछ निश्चित तौर पर कुछ विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, मुझे बतायें, अब आपने एक और बनाया, एक जो आपन अमेंडमेंट किया है तीसरे सैक्शन में उसमें आपने यह प्रोविजन रखा है- "Provided further that the State Government may, at any time, reduce the number of noninated members for any market committee and in their place may increase the number of members to be

(डा. सी.पी. जोशी)

elected under sub-clause (i) and sub-clause (ii) of clause (a) or, as the case may be, under usb-clause (i) and sub-cluase (ii) of clause (b) as it thinks fit. आपने यह अधिकार भी ले लिया कि नामिनेटेड को इलेक्टेड कर देंगे, इलेक्टेड को नामिनेटेड कर देंगे। यह भी पावर आप लेना चाहते हैं तो फिर आखिर यह प्रोविजन क्यों रखना चाहते हैं। एक तरह से आपने यह अधिकार ले लिया कि इसमें 8 आदमी इलेक्टेड रखेंगे, आप चाहें तो इस 8 को कम भी कर सकते हैं और आप चाहें तो जो नामिनेटेड 9 आदमी हैं उनकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। तो यह जो आप प्रोविजन लाना चाहते हैं वह इलेक्टेड प्रोविजन के अन्तर्गत दूसरा जो आपने अधिकार लिया है वह सारी उस मंशा को खतम कर देता है। सभापति महोदय, या तो आप उस क्लाज को विद्र-ड्रा करिये कि आठ आदमी जो इलेक्टेड हो रहे हैं उनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने कहा है, सूट करेगा तो हम इसको चेंज करेंगे, यह अधिकार भी आप लेना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भी आपको अपने विचार व्यक्त करने चाहिए कि यह क्लाज रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो रिजर्वेशन के जो कांसिक्वेंशल इम्पैक्ट उसको आपने एनविसेज नहीं किया है और दूसरी तरफ जो दूसरे प्रिंसिपल एक्ट में कुछ टेम्पर करके आपने अमेंडमेंट कर दिया, वह अमेंडमेंट हमारी जो नीड्स हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। यह टोटल एग्रीकल्चर प्रोडयूस बेचने का और बेचकर अपनी इण्ट्रेस्ट को किसान के पक्ष में प्रोटेक्ट करने के लिए मण्डी एक्ट बनाया है। और यह एक्ट में, जिस तरह से उसको पावर देना चाहते हैं; उसका लाभ वह आदमी, इलेक्टेड आदमी तो कोई हो जाएगा, जैसे आज पंचायत में बहुत से आदमियों की शिकायत है कि एक आदमी चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद उसमें सरकारी, जो ग्राम सेवक है, वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा है और सरपंच नाम का बैठा हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यह एग्रीकल्चर की इतनी बड़ी इकानोमिक एक्टीविटीज में भी, आप यह क्लाज रख रहे हैं इसके सम्बन्ध में भी आपको कुछ सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आप मुझे यह बताइये कि आपने यह कैटेगरी करने के सम्बन्ध में कोई आधार नहीं बनाया। आपने बताया कि हम यहां पर इसमें कैटेगरी करेंगे, ए, बी, सी, डी, ई कैटेगरी करेंगे, पर क्यों कैटेगरी

(डा. सी.पी. जोशी)

करेंगे आप? आप कैटेगरी करेंगे तो 17 और 10, चुनाव करने के लिए करेंगे कैटेगरी या आपको जब मण्डी का आप कैटेगरी करेंगे तो इनका आधार क्या होगा? क्या क्राइटेरिया होगा, जिसके आधार पर आप मण्डी को करेंगे? मण्डी की आमदनी के आधार पर करेंगे? मण्डी की आमदनी के आधार पर नहीं करेंगे तो कौनसा प्रोड्यूस हो, उसके आधार पर करेंगे? कोई आधार आब्जेक्टिव आपको इसमें रखना चाहिए। नहीं तो जो मण्डी बनी हुई है, साइट पर मण्डी, एक गौण मण्डी है और जो उसके साथ में जो प्रमुख मण्डी है, उसकी आमदनी ज्यादा है। गौण मण्डी की आमदनी ज्यादा नहीं है, वह उसके ऊपर डिपेंडेड है और उसकी अपन डवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें यह भी आधार निश्चित करना पड़ेगा कि हमें हम जो यह क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उस क्लासिफिकेशन का आधार क्या बनेगा, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में भी हमें निश्चित तौर पर कुछ व्यवस्थाएं करने का प्रोविजन इसके साथ कर देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह जो हम लिख रहे हैं आब्जैक्टिव में-

" Welfare of the agriculturists is the basic objective of market committees."

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, वह अमेंडमेंट इन नीड्स को पूरा नहीं करता है। इसलिए मेहरबानी करके ...I यह हेस्ट में ला रहे हैं, इनकी कांसिक्वेंशेज को भी आप एनेलाइज कर लें और उसके बाद करो।

अन्त में माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई रेशनेल किया कि आप 18 महीने तक, 6 महीने की जगह 18 महीने, मैं आज भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने यह अधिकार लिया है कि 6 महीने की जगह 18 महीने तक हम कर सकते हैं। Why 18 months? Why not 18 years?

आपने जब पंचायती-राज के एक्ट में प्रोविजन किया है, कांस्टीट्यूशन में हमने प्रोविजन किया है कि पंचायत के एक चुनाव और दूसरे चुनावों के बीच में 6 महीने का अन्तर होना चाहिए Then why are you proposing 18 months?

(डा. सी.पी. जोशी)

आज की डेट में अगर चुनाव कराना चाहते हैं तो चुनाव के बाद आपका कमिटमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि उसके पांच र ल के टर्म के खतम होने से पहले, जैसे इसमें तीन की जगह पांच साल की है, पं यत एक्ट में जिस तरह का (विजन है उसके टर्म खतम होने से पहले इलेक्शन कम्प्लीट हो जाते हैं। तो आपको इसमें प्रोविजन रखना पड़ेगा कि ५ च र ल की टर्म खतम होने से पहले आप चुनाव करवा लें, यह तो समझ में आता है लेकिन आपने यह (विजन ले लिया है कि-

"......t e St e Government may, in its discretion, by order e l r co stitute a new m ket c ittee under section 7 or m e such r ge e s for carrying o f ns of the m ket committee as it s f r a period of six m hs a t ne but not exceeding eighteen months..."

अब अ. ने थिंक्स फिट, यह सब्जैक्टिव क्राइटेरिया क्यों? There has to be objective cr erion. आज जब लोक सभा में फैसला हो र कि वि न सभा भंग करने के द बोम्मई केस में फैसला हो गया कि आर्टिकल 356 को कैसे लागू करें। आप पंचायत और नगरपालिका के सम्बन्ध में नहीं करें, आपको कोई र बनाना पड़ेगा। उसको नोटिस देंगे, क्या उसमें खराबी है, कैसा सारा आ र है, बिना नोटिस दिये आपकी सरकार जो महसूस करे उसमें हम किस को भं कर देंगे, यह अधिकार भी आप लेना च हते हैं। तो एक तरफ तो डे क्रेटिक इलेक्टेड की बात करना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह अधिकार ले चाहते हैं कि आप अपनी मनमर्जी से उसको भं कर देंगे। मैं समझत हूं कि उसमें भी आपको यह लिखना पड़ेगा, यह थिंक्स फिट नहीं है। There as to be an objective criterion. क्या क्राइटेरि है? (व्यवधान) क्या टिस दिया है, क्या गड़बड़ हुई है, क्या बन हुआ है, जिसके आधार पर प उसको भंग कर रहे हैं? यह भंग का आ र ने नहीं रखा तो सरकार जो भी है वह पॉलिटिकल आधार पर भी इनके चु को, इनके चुने हुए आदमियों को, प्रतिनिधियों को भंग करती रहे उसका सारा आब्जैक्टिव ही खतम हो जाएगा। इसलिए सरकार को यह निर्णय उ ने ऊपर लेना पड़े । र यदि हम डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, बातें करना चाहते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्टेड में जो चीजें होनी चाहिए, वह उसके अन्दर (विजन का पार्ट होना चाहिए।

(डा. सी.पी. जोशी)

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं के जिस उद्देश्य के लिए आप यह ला रहे हैं, चाहे आप हमें कण्डेम करें, यह 1961 का एक्ट है। माननीय मंत्रीजी, 1961 से लगाकर 2005, 2005 तक में कितनी बार चुनाव हुए? कितनी बार एग्रीकल्चरिस्ट के नाम पर हम जो एक्ट लगा रहे हैं, उस एग्रीकल्चरिस्ट के लिए हमने जो उसके प्रोड्यूस को ज्यादा देकर, उसकी माली हालत सुधारने का काम किया? हमने केवल मात्र उसके पैसे को कलेक्ट करके सरकारी अधिकारियों ने चोरी करके बेईमानी करके सड़क का, घटिया सड़क का निर्माण करके अपना पेट भरा होगा। किसान के भले का काम नहीं किया, सभापति महोदय, हमने कितनी कृषि उपज मण्डी के यार्ड के प्रबन्ध में उन आदमियों को, किसानों को सुविधा उपलब्ध करवायी है? मण्डी की हालत जाकर देखें, गर्मी में आकर किसान खड़ा होता है, उसके ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था की है, हमने और दूसरी व्यवस्था की है? हमने उसमें कितना खर्चा किया? 1961 से लगाकर आज दिन तक हमने केवल मात्र सड़क, राजस्थान सरकार सड़क की रिपेयर के नाम पर पैसे को डाइवर्ट करके किसान की डवलपमेंट की बात करती है। हमने यह काम कर दिया है, अब तो प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना नई लागू हो गयी है। प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना नई लागू होने के बाद कृषि उपज मण्डी बनाये यह काम ईर्रलेवेंट हो गया है। अब तो पैसा भार सरकार से मिलेगा। पापुलेशन के आधार पर बराबर मिलता जाएगा आपको। क्या हमने यह सोचा कि अब जब यह पैसा सड़क निर्माण करने का प्रधान मंत्री रोजगार योजना से मिलेगा तो उस कृषक की जिन्दगी में परिवर्तन करने के लिए जो पैसा हम ले रहे हैं वह मण्डी उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या काम करेगी, क्या हमने कभी यह सोचा है? इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं के जो एक्ट के प्रोविजन है, इसके अन्दर उस एक्ट के प्रोविजनों को हम पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो अमेंड्मेंट लाये हैं, मैं उस पर भी बोलूंगा आपको बताऊंगा मैं कि उसमें सैक्शन 18 और 19 में जो प्रोजिवन किये है, 18 और 19 के प्रोविजन फुलफिल नहीं करके हम नये आब्जैक्टिव के आधार पर दूसरी बात करना चाहते हैं। Be concrete. Be precise. किसान के भले से आप मतलब क्या समझते हैं? किसान के भले का आपका आधार क्या है?

यह मैंने कल जो आपको उदाहरण दिया है कि जो स्वामीनाथन ने

(डा. सी.पी. जोशी)

नया एक कन्सेप्ट दिया है और जो पेपर दिया है भारत सरकार के आधार पर एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जैक्ट है। राजस्थान सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाये हैं। आप आपने ओलावृष्टि का पैसा दिया, अच्छा काम किया। आपने आबियाना माफ किया, अच्छा काम किया। आप किसान की पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन किसान के इस पैसे का जुडिशिय उपयोग करने के लिए आपके मन में क्या कल्पना है इसकी निश्चित तौर पर इसमें प्रोविजन की व्यवस्था की जानी चाहिए तब तो इसका लाभ होगा। और बाकी हम प्रोविजन करके एक्ट को पास कर लें, सभापति महोदय, और वापस यहां पर आये, चुनाव सम्पन्न नहीं हो तो मैं समझता हूं कि इसका परपज पूरा नहीं होगा।

जैसा रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं फिर कहना चाहता हूं कि ऐसे अमेंडेमेंट के साथ में हमें रिव्यू करना चाहिए और इण्ट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और भविष्य के सम्बन्ध में हमें कल्पना करनी चाहिए और कम्प्रिहेंसिव बिल अमेंडमेंट लाकर चुनाव करें तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि सरकार की जो मंशा है उसका लाभ किसान को मिलेगा। मिडल मैन के चंगुल से वह हटेगा और उसका जो प्रोड्यूस है उसका लाभ निश्चित तौर पर उसको (व्यवधान) एक्टीविटी बनाने को मिलेगा। यह उद्देश्य पूरा होगा, अन्यथा हम यह जो बिल ला रहे हैं यह बिल हेस्ट में लाया गया है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, अभी इसको पास नहीं किया जाए।

श्री सभापति : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह दोनों कृषि के जो बिल हैं, इनके पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट बिल, 2005 और राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट-द्वितीय, अमेंडमेंट बिल, 2005 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

सदन का समय पारित होने तक बढ़ाया गया।

माननीय श्री हरिमोहन शर्मा।

विधेयक पर विचार

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय,...(व्यवधान)

श्री सभापति : सारी बातें आ गयी हैं, अब रिपीटिशन ही है।

श्री हरिमोहन शर्मा : जी

श्री सभापति : सारी बातें आ गयी हैं, सी.पी. साहब ने बता दी हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, कुछ शेष रह गयी हैं उनको बता देता हूं।

श्री सभापति : हां, शेष रह गयी वह बताइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, वैसे तो बोलिये।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य श्री सी.पी. जोशी ने उनकी बहुत बातों से और जो माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, उनसे सहमत हैं। जो यह कृषि मण्डी एक्ट बना है, और जो जिस उद्देश्य के लिए यह एक्ट बना था, बनने के बाद ही उद्देश्य तो समाप्त हो गये और केवल यह पैसा कलेक्ट करने के लिए ही रह गये।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह प्रभुलालजी साहब जो कन्सर्निंग मिनिस्टर हैं, फिर यह क्या बोलेंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह भी बोलेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप भी टौंक के हो, आपको मौका नहीं मिला तो उनके बजाए जवाब आप देना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि 40 साल से इस पर ध्यान नहीं दिया गया और केवल इस बात पर ध्यान दिया गया कि हम कैसे पैसे वसूल करें और इस पैसे को किस प्रकार से लगाये। तो काश्तकार के विषय में यह एक्ट लाया गया था कि उसकी लूट बंद हो, उसको रोका जाए। और काश्तकार को इससे बढ़ावा मिले।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

और वह अपनी फसल को ठीक प्रकार से बेच सके और किसी प्रकार से कोई मीडिया, कोई व्यक्ति आये नहीं। तो उस उद्देश्य की ओर तो ध्यान नहीं दिया गया। न ग्रेड की तरफ ध्यान दिया गया और न उसमें जो-जो उसके उद्देश्य थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अभी तो जो आया है वह केवल चुनावों की दृष्टि से आया है। अभी मतलब सम्पूर्ण रूप से यदि इसको, मैं समझता हूं कि सबको बैठकर विचार करना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : तो आप चुनावों की दृष्टि से लाये हैं तो मतलब इन सब बातों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? आपके कहने का मतलब यह हो गया?

श्री सभापति : करो-करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, यह ध्यान नहीं दिया गया है। यह मैं कह रहा हूं जब आप मंत्री थे न उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, यह मैं कह रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं कि आपने 7(बी) में रिजर्वेशन किया है।

" Out of the total meber of offices of the Chairman of the market committees in the State..." इतना परसेंट शिड्युल्ड कास्ट, शिड्युल्ड ट्राइब के लिये होगा, इंधर आपने मण्डी का जो वर्गीकरण किया है वह ए, बी, सी, डी चार भागों में चार तरीके से वर्गीकरण आपने मण्डी कमेटी का किया है। स्टेट लेवल पर आप रिलक्सेशन का फैसला करेंगे, लाटरी ड्रा करेंगे, जो भी करेंगे तो ए मण्डी क्लास है उसकी टोटल राजस्थान की संख्या जो बी क्लास मण्डी टोटल राजस्थान की और जो सी क्लास है और डी क्लास है, इन चारों मण्डियों के जो चेयरमैन हैं, उनका टोटल मैम्बरशिप के आधार पर ही आप करने जायेंगे तो उसका नतीजा क्या आयेगा? आपको ए के लिये अलग रिवर्जेशन करना चाहिये, बी के लिये अलग रिजर्वेशन करना चाहिये, सी के लिए अलग रिवर्जेशन करना चाहिये और डी के लिये अलग रिजर्वेशन करना चाहिये। अगर टोटल चेयरमैन्स का जो पद है पूरे राजस्थान में, उनके हिसाब से आपने ड्रा निकाली तो यह सम्भव है कि ए वाले छूट जाये, बी वालों का नम्बर आ जाये, सी वालों का आ जाये, डी वालों का आ जाये। इसलिए आपने स्टेट लेवल पर

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जो यह किया है, इसमें कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि हम जो यह रिजर्वेशन करेंगे, इस रिजर्वेशन को हम वर्गीकरण के आधार पर करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है, उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम सबका वर्गीकरण करेंगे। माननीय सभापति महोदय, यह इस बिल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और जब तक यह नहीं लिखा होगा जो मैंने आपसे निवेदन किया कि यह परिस्थितियां पैदा होंगी कि सभी भले ही वर्गीकरण कर दें लेकिन, चेयरमैन का जहां तक सवाल है इस कानून में यह भी परिस्थिति बन सकती है कि ए क्लास में तो कोई एस.सी. का चेयरमैन चुना ही नहीं जाये, बी क्लास में एस.सी. कोई चुना ही नहीं जाये या बी और सी में ही चुना जाये, ए मुक्त हो जाये। ए दूसरों के लिये आ जाये तो जिस समय अमेंडमेंट आपने पेश किया, विभाग ने पेश किया उस समय उनको इस बात की कल्पना करनी चाहिये थी। इसलिए मेरा आपको यह सुझाव है कि इस प्रकार के संशोधन के बिना इस बिल का पास करने का जो उद्देश्य है, वह आपका पूरा नहीं होगा.

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय डा. सी.पी. जोशीजी ने आपके सामने कहा कि यह सही बात है कि आपने 18 महीने की अवधि प्रशासक की कर दी। 18 महीने की अवधि की जरूरत क्या है? अगर अपनी नीयत ठीक है। जैसा कि कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट से आपने नगरपालिकाओं को और इसके साथ ही पंचायती राज का जो अमेंडमेंट हुआ था, चाहे आपके उधर बैठने वालों की और चाहे इधर बैठने वालों की कितनी ही अपनी मंशा हो, परिस्थितियों को देखकर, कि यह अपने अनुकूल नहीं है। चुनाव नहीं होना चाहिये लेकिन अपनी चलने वाली नहीं है। तो वैसा का वैसा। किसानों के लिये अगर आपकी नीयत ठीक है, आपकी सोच ठीक है आपका दृष्टिकोण ठीक है आप राजस्थान के किसान के हित में चुने हुए प्रतिनिधियों को केवल अधिकार देना चाहते हैं तो 18 महीने की अवधि के बजाय इसमें प्रावधान होना चाहिये कि विदिन सिक्स मंथ्स के अंदर यह चुनाव करवा दिये जायेंगे और कोई प्रशासक आगे आने वाले समय में मनोनीत नहीं होगा और इलेक्टेड बाडी ही इसका काम करेगी। नहीं तो होगा क्या? आप भले ही प्रस्ताव पास कर लो, 18 महीने अगर आपका नहीं बैठा मामला या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इधर उधर का डायरेक्शन नहीं दिया या अपन को परेशान नहीं किया चुनाव कराने के लिये तो यह तो अपने हाथ की बात है। 18 को 26 कर देंगे, 26 को 32

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कर देंगे और वही जो 30 साल में चुनाव नहीं हुए, वापस उसी परिणति में हम पहुंचा देंगे।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि 18 महीने का जो प्रोविजन है, इसको हटाकर इसके स्थान पर समयावधि निश्चित करके जो चार्ज लें, इलेक्टेड पर्सन से वह दूसरे इलेक्टेड पर्सन ही ले और इसके बीच में प्रशासक का कोई कार्यकाल नहीं हो। प्रशासक का भी कार्यकाल जहां-जहां भी है चाहे किसी भी स्थान पर हो, चाहे वह को-आपरेटिव में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे किसी भी स्थान पर हो, प्रशासक का कार्यकाल सबसे सर्वाधिक खराब रहता है इलेक्टेड पर्सन के मुकाबले में। इलेक्टेड पर्सन से तो आप और हम वह अगर पांच पैसा भी इधर-उधर गडबड़ करता है तो कान खींचते हैं, आलोचना करते हैं, न्यूज पेपर में देते हैं, टी.वी. में देते हैं। और अगर जहां सरकारी प्रशासक है, उन्होंने अगर विज्ञापन दे दिया, उन अखबार वालों को और उन सबको ओब्लाइज कर दिया, एक अक्षर छापने वाले नहीं है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्रशासक के बजाय आप इसमें ऐसा संशोधन करें कि जिससे समयबद्ध चुनाव हों और प्रशासक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं हो।

मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो आपने सीट का रिजर्वेशन किया। एक सीट फोर एस.सी., एक फोर एस.टी. और एक फोर ओ.बी.सी.। जैसा कि अभी माननीय डा. सी.पी. जोशीजी बता रहे थे कि सभी जातियों के वर्गीकरण में ओ.बी.सी. सभी जातियों में एक बड़ी जाति के रूप में आ जाती है, आपने एक-एक किया। एक आदमी चुनकर आया और एक आदमी चुनकर आया तो पूरा का पूरा बोर्ड जो आपका है, वह चाहे उसको पसन्द हो या न हो, बिना वोटिंग दिये हुए, बिना वोट के प्रस्ताव के अकेला ही वह आदमी जीतकर आयेगा तो वही बनेगा। तो च्वाइस तो होनी चाहिये। आप इसके एक के बजाय दो कर दें। चूंकि सभी लोग कहते हैं, आप कहते हैं- आप हमसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बहुत ज्यादा हितैषी हैं। ऐसा आप बार-बार में कहते हैं। मेहरबानी करके एक के बजाय हमारे लिये दो च्वाइस कर दो आप। दो आदमी तो जीतकर आयें। एस.सी. वाले को तो बहुत मुश्किल से रिजर्वेशन के आधार पर ही आ पायेगा। एस.टी. वाला तो हमारी तरफ से एरिये के हिसाब से तो जनरल से भी निकलकर आ जायेगा। लेकिन एस.सी. वाला है वह उस रिजर्वेशन की सीट पर

(श्री हरिमोहन शर्मा)

ही आ पायेगा और अगर उसका रिजर्वेशन नहीं है तो जनरल सीट से वह नहीं आ पायेगा। इसलिए जहां भी एस.सी. का रिजर्वेशन है, वहां तो हमारी च्वाइस केवल एक तक रह जायेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस बात पर विचार करे।

मैं इसके बाद एक निवेदन करना चाहता हूं आपने यह जो इलेक्टेड बाडी बनाई कि यह चेयरमैन को ठीक है, आपने कर दिया, एग्रीकल्चरलिस्ट ही चेयरमैन बनेगा। वह ठीक संशोधन है और यह ठीक प्रस्ताव है आपका कि एग्रीकल्चर लिस्ट ही इस कानून के हिसाब से चेयरमैन बन जायेगा। लेकिन आपने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वोटिंग राइट किसको है? आपका पूरा है पढ़ लो। आज तक आपने यह साफ नहीं किया कि चेयरमैन को चुनने के वोटिंग राइट इन 17 आदमियों में और इन 10 आदमियों में जो इलेक्टेड हैं, उनको है या जो नोमिनेटेड हैं, उनको भी है।

(16.56 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर नोमिनेटेड हैं, उनको भी आपने दिया जब तो काहे को चुनाव कराते हो। जब तो आपको तीन आदमी नोमिनेट करना ही है अपनी-अपनी पसंद्र के। 17 में से 5-7 इधर-उधर से हो जायेंगे। आप अल्पमत में आओगे तो भी सरकार में रहने के बाद वह तो माहिर हो, पंचायत राज में हमारे जीते तो भी आप प्रलोभन करके इधर-उधर करके कर लेते हो। यह तो सीधा ही अधिकार अपने हाथ में ले रहे हो कि इन तीन को आप नोमिनेट कर दो। उनको वोटिंग राइट दे दो। पांच में कोई पांच और छह आयेंगे, तीन आपके पास उधर बढ़ा दो और आप अपना चेयरमैन बना दो। और यहां आकर समय आर जब भाषद दे दो कि लोकतंत्र में सारी जनता और सारे किसान हमको चाहते हैं। यह तरकीब आपकी ठीक नहीं है। इसलिए आपको यह भी साफ करना पड़े कि इनको वोटिंग राइट है कि नहीं। इस मामल में जब मेरा संशोधन आये। क्लाजवाइज तब, उसमें अलग से आपके सामने अनुरोध करूंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसी प्रकार जो हालात हैं जो फण्ड हैं, मार्केटिंग फण्ड, 10 प्रतिशत तो आप अभी यहां ले रहे हो स्टेट का और 10 प्रतिशत लेने के बाद यह बहुत सही है कि सारा का सारा पैसा जो भी कृ. उपज मण्डियों का है, चाहे वह बूंदी का हो, चाहे वह कोटा का हो, चाहे कहीं का भी हो, उस कृषि उपज मण्डी को अपने क्षेत्र में किन-किन स्थान पर वह

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सुविधाएं खुद दे सकते हैं। इसका कोई अधिकार उनको नहीं है। जो भी सड़क मंजूर होगी, आप करेंगे। कोई काम मंजूर होगा, आप करेंगे। जो भी बात है वह सब आप करेंगे तो फिर वह इलेक्टेड बोर्ड क्या करेगा। इलेक्टेड बोर्ड को कोई पावर नहीं होगा तो इलेक्टेड बोर्ड वहां बैठा रहेगा। न इस पैसे को खर्च कर पायेगा और न वह उस पैसे का उपयोग कर पायेगा। स्थानीय मण्डी की समस्याओं के सम्बन्ध में जो जानकारी स्थानीय लोगों को है, वह राजस्थान सरकार के न मंत्री को हो सकती है, न यहां बैठे रहने वाले कृषि सचिवजी को हो सकती है, न प्रमुख शासन सचिव को हो सकती है। वह तोगेदर करते हैं इन्फोर्मेशन, जो आदमी उनका आकर देते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट जो परेशानी है, उसका निर्णय करने का अधिकार तो उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बात और कहना चाहता हूं कि किसान को जो स्नैक बाइटिंग पर और इन बातों पर अपन रिलीफ देते हैं, जो पचास हजार का आपने किया, यह बहुत अच्छी योजना है। लेकिन आप यकीन करो, इस बात पर बहुत गंभीरता से लें कि इस योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिये, जो इसके पात्र हैं, वह भी स्थानीय कृषि उपज मण्डी के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण जब तक सेवा शुल्क उनको नहीं मिल जाता समय-समय पर, जब तक उनकी उन पत्रावलियों को भी वह तैयार नहीं करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिस पर भी सरकार को और माननीय कृषि मंत्रीजी को विस्तार से सब बात सोचनी चाहिये। और आखिरी में मेरा यही आपसे विनम्र अनुरोध है कि अनेक मण्डियां आपने बना दीं, यार्ड बना दिये। यार्ड बनाने के बाद लाखों रुपये आपने खर्च कर दिये। वह मण्डी आज तक चली नहीं चाहे वह हिण्डौली की हो, चाहे वह देई की हो, अनेक स्थानों पर इस बात को देखिये। पूरे राजस्थान में घूमिये। हमको भी अवसर मिला था एस्टीमेट कमेटी के हिसाब से इधर-उधर जाने का। पूरे राजस्थान में आकर देखिये, करोड़ों रुपये के भवन आपके बेकार पड़े हैं और ऐसी जर्जर अवस्था में हो गये कि वह सारा पैसा लगाना ही अपना बर्बाद हो गया और वहां वह मंडियां विकसित नहीं हो पायी। इसलिए मेरा आप से विनम्र अनुरोध है कि इन सब परिस्थितियों पर विचार करके इन सब बातों के हिसाब से जो हमने आपके सामने तथ्य रखे हैं और जो विधि सम्मत बात बतायी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को सम्मिलित करेंगे। और

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अमेंडमेंट बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए।

(17.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रशेखर बैद। (अनुपस्थित) मोहम्मद माहिर आजाद। (अनुपस्थित) श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 को मैंने प्रस्ताव दिया है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कृषि उपज मंडियों की स्थापना से जो एक व्यवस्था थी कि जहां कृषि उपज मण्डी में वह अधीन में जो गांव आते हैं वहां के किसान वहां अपना अनाज लेकर आते हैं और यह मंडियों की व्यवस्था थी कि उन ग्रामीण इलाकों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण करेंगे। और यह काफी लम्बे समय तक होता रहा है। अब कुछ वर्षों से यह देखने में आया है कि कहीं की मण्डी की कमाई का सारा पैसा जयपुर लेकर आ जाते हैं और जयपुर से उस इलाके में जहां के किसानों का माल आ रहा है, जहां के किसानों का हक बनता है वहां सड़कों पर पैसा नहीं लगाया जाता आज यह व्यवस्था हुई पड़ी है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं सम्पर्क सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा, ना तो पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से हो रहा है ना कृषि उपज मण्डी के माध्यम से हो रहा है।

तो, मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह चुनाव करा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, यह अमेंडमेंट लेकर आये हैं इस एक्ट में। लेकिन कहीं की, मान लो अलवर मण्डी का पैसा, खेड़ली मण्डी का पैसा, डीग मण्डी का पैसा आप वहां के लोगों में नहीं लगा कर, स्थानीय नहीं लगा कर आप उन इलाकों में लगाना चाहते हैं, वहां से उनका लेना-देना कोई नहीं है. इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था कीजिए जो इस एक्ट का मूल प्रारूप था कि यह स्थानीय मंडियां वहां के स्थानीय विकास के लिए काम करेंगी, सब यार्ड बनायेंगी, सम्पर्क सड़क बनायेंगी, वहां मण्डी को डवलप करेंगी, वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायेंगी, वहां किसानों के लिए विश्राम गृह बनायेगी और आपने इसका पूरा सिस्टम बदल दिया।

(श्री जुबेर खान)

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी बात नहीं कहते हुए मेरा आप से निवेदन है कि आप इसमें एक घोषणा कीजिए कि जिस मण्डी समिति का पैसा है, इन्कम है उसी मण्डी क्षेत्र में लगेगी और जैसे पहले निर्धारित था कि 60 परसेंट पैसा लगता था सम्पर्क सड़कों के लिए। आज क्या स्थिति होती है, आप क्या लगा रहे हैं? आप जरा बता दीजिए कि जो मण्डी समिति ने सड़कें बना दी हैं उनकी मरम्मत कौन करेगा? आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। पी.डब्ल्यू.डी. करती नहीं है कि मार्केटिंग बोर्ड ने बनायी है। आपके पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, यहां जयपुर में मार्केटिंग बोर्ड है, बड़ा दफ्तर है, चीफ इन्जीनियर बैठते हैं, एस.ई. बैठते हैं, एक्स.ईएन. बैठते हैं, स्थानीय जिलों में ए.ईएन. हैं, जे.ईएन. हैं, आपका पूरा एक डवलपमेंट का इन्फ्रास्ट्रैक्चर है, इन्जीनियरिंग विंग है उसका मतलब क्या रह गया? जब उनसे कहते हैं कि इस कृषि उपज मण्डी की सड़क को मरम्मत करिये, वह कहते हैं कि हमको पैसा ही नहीं है। कहां जा रहा है पैसा, कि सारा स्कूल बना लिया इस राजस्थान स्तर का। जयपुर में मंगवा लेते हैं और फिर मनमाने तरीके से, राजनीतिक भेदभाव से या कहीं अपने एरियों के हिसाब से माननीय मंत्री महोदय और बडे अधिकारी इधर-उधर पैसा लगाते हैं। यह परम्परा बिलकुल गलत है जब आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो आप यह भी देखिये कि स्थानीय लोगों को उसका कुछ फायदा मिले।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था, आगे अमेंडमेंट है बोलेंगे, आप तो यह व्यवस्था जरूर करिये कि कृषि उपज मण्डी का वहीं, स्थानीय लेवल पर सम्पर्क सड़क बने, निर्माण हो, उनकी मरम्मत हो और वहां के किसानों को सुविधाएं मिले। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : आदरणीय सभापति महोदय।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री प्रभुलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बार-बार सभापति महोदय कहने के पीछे तात्पर्य क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री युनूस खां : एक ही बार कहा है इन्होंने तो, अब नहीं कहेंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान कृ. उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में दो विधेयकों पर, संशोधित विधेयकों पर सदन में चर्चा हो रही है, संशोधित विधेयक संख्या-15 और विधेयक संख्या-12 ।

जहां तक विधेयक संख्या-12 का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव 1974 और 75 के बाद में नहीं हुए और आज सदन में विद्वान माननीय सदस्यों ने मण्डी चुनाव के बारे में इस संशोधन विधेयक के बारे में अपने-अपने सुझाव प्रकट किये। और वास्तव में इन सुझावों से ऐसा महसूस हुआ कि सभी माननीय सदस्य कृषि उपज मंडियों के चुनाव शीघ्र करवाना चाहते हैं और एक बार फिर से मण्डी समितियों में लोकतंत्र की बहाली यह करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान का, मण्डी का और चुनाव का ऐसा सम्बन्ध है कि अभी एकदम से किसान कृषि उपज मंडियों से कटसा गया है। माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि वहां पर प्रशासक बैठे हुए हैं, मनमानी करते हैं। जितना भी मण्डी का पैसा होता है उसका भी दुरुपयोग होता है। और सदन में यह भी चर्चा के दौरान आया कि जो वहां पैसा खर्च किया जाता है उसके बारे में जनप्रतिनिधियों से राय भी नहीं ली जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि किसान के हित में पोषक और किसान की भलाई की बात करने वाले सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचारों से सारगर्भित जो चर्चा हुई, मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान की विधान सभा में माननीय सदस्य किसानों के हित के प्रति चिंतित हैं। और वह इसलिए कि मेरा काफी जुड़ाव है। क्योंकि यहां जितने बैठे हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं और किसानों की क्या मूलभूत समस्याएं हैं, किसानों को किस प्रकार की समस्या खेत से मण्डी तक आने में उनको होती है, यह भी मैंने रूबरू देखा है, मैंने महसूस भी किया है। इसलिए इन चुनावों के बारे में सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि आखिर 1974 और 1975 के बाद राजस्थान में कृषि उपज मंडियों के चुनाव क्यों नहीं हो पाये। इसके बारे में शायद कारण यही रहा होगा कि किसानों के हित के प्रति इतनी चिंता कभी किसी ने जाहिर नहीं की होगी।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

लेकिन मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी देना चाहूंगा कि 23 अप्रैल, 2002 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक रिट पिटिशन पेश हुई और उसमें माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया, मैं संक्षेप में उन पंक्तियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।

" Consequently we allow the writ petition and direct the respondent to.......”...? (interruptions)

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी में है तो थोड़ा हमें भी ज्ञान मिल जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : हाई कोर्ट का फैसला हिन्दी में नहीं होता है।

श्री रामप्रताप कासनिया : नहीं, नहीं, मैंने मेरी आंखों से पढ़ा हिन्दी का भी फैसला हाई कोर्ट का।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसकी हिन्दी ट्रांसलेशन करके आपको बता देंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : बता देंगे तो ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो इंग्लिश में तो मुश्किल ही है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री प्रभुलाल सैनी : "...to hold the elections of Rajasthan Agricultural Marketing Board as well as Krishi Upaj Mandi Samiti within a period of six months...It will be open for the State Governmemt to bring in the amendment in the Act within the aforesaid period."

माननीय उपाध्यक्ष. महोदय, माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि छह महीने के अन्तर्गत चुनाव करवाए जाएं। और राज्य सरकार के लिए इसके लिए खुला भी रखा है कि वह चाहे तो इस एक्ट में अपना अमेंडमेंट भी कर ले। 2002 में निर्णय के बाद में तत्कालीन सरकार ने एक सब कमेटी बनाई और उस कमेटी की आठ बैठकें हुई जिसमें से पांच बैठकें निरस्त कर दी गयीं। और तीन बैठकें हुईं जिनमें भी कोई भी कार्य इस ओर नहीं हो पाया. राजस्थान में ज्योंहि माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी की सरकार ने सत्ता संभाली और बारहवीं विधान सभा के पहले सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय ने मण्डी समितियों के चुनाव शीघ्र कराने का सदन में उदबोधन दिया। और सरकार ने उसको गंभीरता से लेते हुए 16 सितम्बर, 2004 को संशोधन

(श्री प्रभुलाल सैनी)

विधेयक का प्रारूप बनाकर मंत्रिमंडल से अनुमोदन करवाया। उसके बाद में इस विधेयक की विधिक परीक्षा करवाई गई और सारी सब कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में, व्यापारी के हित में वहां के तौलेदारों को ध्यान में रखते हुए, सबके हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का एक अमेंडमेंट बिल जो आज सदन में चर्चा हो रही है सभी प्रकार के वर्गों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि हमारी सरकार के सकारात्मक एवं किसानोमुखी सोच का परिणाम है कि आज हम राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में संशोधन मण्डी समितियों के चुनाव करवाकर किसान को मण्डी समितियों का सिरमौर बनाने की हम बात कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है, सभी माननीय सदस्यों ने इस पर सारगर्भित, विधिक और अपने अनुभव के आधार पर इतनी ज्ञानवर्द्धक बातें बताई हैं। मैं भी संक्षेप में आपको यह जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस अधिनियम का मूलभूत रूप से चार धाराओं में विशेष रूप से संशोधन किए जा रहे हैं। जिनमें विद्यमान अधिनियम की धारा-6 धारा-7, 27 और 36 इन चारों धाराओं में समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले धारा-6 की मैं बात करूंगा संक्षेप में, धारा-6 में...

श्री महावीर प्रसाद जैन : वापस ले लो।

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी तो खुद ही सन्तुष्ट नहीं हैं बोलने से। नहीं, आप बोलो।

श्री प्रभुलाल सैनी : धारा-6 में जैसा कि हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य खुद तो सन्तुष्ट हैं, नहीं है यह उनका विषय है लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा कि जिन धाराओं में संशोधन यहां विधेयक के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी अन्तर आत्मा से चाहे आप विपक्ष में बैठकर किसी प्रकार की कोई बात कर लें लेकिन मैं आपको जिस विधेयक में जिस मंशा के साथ राजस्थान सरकार ने प्रस्तुत किया है, मेरा प्रयास होगा, हमारी सरकार का प्रयास होगा और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम आप लोगों को भी सन्तुष्ट करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके दिल में उतर जाएंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : इनके तो केवल नाथूसिंहजी और महावीरजी सन्तुष्ट नहीं होते हैं, मैं तो सन्तुष्ट हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी भावना और इनकी भावना से किसी को कोई एतराज नहीं है। हम तो सिर्फ दो चीज चाहते हैं। एक तो आप इसका श्रेणीकरण बहुत समय हो गया कब करेंगे, दूसरा जिस मण्डी का पैसा है उसका उपयोग वहीं की सड़कों पर हो। दो बात करनी है और जल्दी पास कराएं। आपको पता है आज क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो चुनाव के लिए...

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि नगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने चिन्ता की है मण्डियों का श्रेणीकरण किस प्रकार होगा। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि राजस्थान में वर्तमान में 124 कृषि उपज मण्डी समितियां हैं और उन मण्डियों का श्रेणीकरण 1985 में एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा किया गया था। और उस प्रशासनिक आदेश में संशोधन करके 1986 में फिर दुबारा एक संशोधन हुआ और उसमें पांच प्रकार की मण्डियां श्रेणीकरण के रूप में प्रशासनिक आदेश से हुई। उस प्रशासनिक आदेश को वैधानिक रूप देने के लिए आज सदन में यह विधेयक संशोधन के लिए पेश किया गया है और उसमें जो श्रेणीकरण किया गया उसका आधार क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, उस बात से सब सहमत हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी : मैं वही बात कह रहा हूं, आपके हर वि .य में यह है कि श्रेणीकरण का आधार क्या होगा उसमें पांच प्रकार की मण्डियां (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कृषक के मामले में समझते तो हो नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कपड़े की दुकान है आप ही ने ठेके ले रखे हैं क्या सबके ।

श्री जुबेर खान : महावीरजी, आपके पास आएंगे खेती के बारे में समझने के लिए। क्योंकि इनका फार्म हाउस आपके रास्ते में ही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी आंखों में बड़ा झलकता है वो। बहुत

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मजा लेते हो आजाद कृषि फार्म तो आपके बड़ी मरोड़ी उठती है, बड़ी मेहनत से सींचा है उसको हमने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां बिस्मिल्ला करते हैं बिस्मिल्ला।

मोहम्मद माहिर आजाद : वो तो आपका भी नम्बर आ रहा है किसी दिन चिन्ता मत करो आप।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने तो काश्तकारों के हित के लिए...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : भाई साहब, एक मिनट बोल लेने दो बाद में कर लेंगे सारी बात।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह महावीरजी नहीं चाहते हैं कि आप आपकी परफारमेंस अच्छी रिकार्ड हो।

श्री प्रभुलाल सैनी : नहीं, ऐसा नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो चाह रहे हैं वह आपको इसीलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इनकी भावना की वजह से ही संशोधन हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो सदन के सितारे हैं। यह समझ लो आप।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मंत्रीजी की भावना से ही संशोधन हुआ है काश्तकारों को फायदा देने के लिए।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पांच प्रकार की मण्डियों का श्रेणीकरण किया है। जिसमें दो करोड़ रूपए से अधिक की जिन मण्डियों की वार्षिक आय है उन मण्डियों को विशिष्ट श्रेणी की मण्डियों में सम्मिलित किया गया है। ए श्रेणी की मण्डियों में एक करोड़ से दो करोड़ तक जिनकी इन्कम है वार्षिक आय है उनको सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में 31 ऐसी मण्डियां हैं जो "ए" श्रेणी की हैं। "बी" श्रेणी की मण्डियों के लिए चालीस लाख से एक करोड़ रूपए का इसमें रखा गया है और यह 42 की संख्या में अभी वर्तमान में हैं। "स" श्रेणी की मण्डी में जिसकी वार्षिक आय पन्द्रह लाख से चालीस लाख के बीच में है, उन मण्डियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। "द" श्रेणी की मण्डियों में जिनकी वार्षिक आय पन्द्रह लाख से

(श्री प्रभुलाल सैनी)

नीचे है और उनकी संख्या राजस्थान में मात्र पांच है। इस प्रकार से श्रेणीकरण किया गया है। यह प्रावधान पहले प्रशासनिक था अब इसको वैधानिक देकर इस धारा में संशोधन किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि धारा 7 में मूलभूत रूप से जो परिवर्तन किया गया है उसमें...

श्री जुबेर खान : आप तो यह बताइये कि जिस मंडी का पैसा है वहीं खर्च करेंगे ना?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप लिंक तोड़ रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी : अमेंडमेंट मंडी के पैसों का नहीं हो रहा, अभी तो चुनाव की बात हो रही है, वह भी बता दूंगा दो मिनट में..

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी नजर पैसों पर बहुत है। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : धारा 7 में जो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, धारा 6 में जो मंडियों का वर्गीकरण हुआ है उनमें सुधार ए और ए क्लास की जो मंडियां हैं उनके लिये 17 सदस्य होने का इसमें प्रावधान किया गया है। ब, स और द, इनमें दस सदस्यों के लिये रखा। इसमें कृ .क वर्ग के सदस्य होंगे ए और सुपर ए में, लाइसेंसधारी व्यापारी 2 होंगे, तोला एवं अन्य 1 होगा, विधायक एक होगा, क्रय विक्रय सहकारी समिति का 1 सदस्य विहित रीति से जो राज्य सरकार करेगी। एक सदस्य सहकारी वितीय संस्था, नगर पालिका और ग्राम पंचायत में से एक और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 2, यह प्रावधान इस विधेयक में प्रस्तुत किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आगे इसमें और भी प्रावधान किये गये हैं, संक्षेप में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। एक तो इसके कार्यकाल में..

श्री जुबेर खान : देखिये आप विद्वान हैं, पूरी स्टेडी है यह तो लिखा हुआ है। यह खण्डवाइज भी बात आयेगी क्योंकि अमेंडमेंट दिये हुए हैं, बहुत टाइम लगेगा। आप तो स्पेसिफिक जो माननीय सदस्यों ने कुछ बात कही है जैसे पैसा वहां लगायेंगे, नहीं लगायेंगे? यह तो हमारे पास भी लिखा हुआ है कितने मैम्बर कहां से होंगे और इन्होंने अमेंडमेंट दिये होंगे, फिर भी आपको बोलना पड़ेगा। तो अब तो आप वह मुद्दे की बात बताइये कि मंडियों का आप विकास कैसे करेंगे, सड़कें कैसे बनायेंगे.. (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : पहले लागू तो होने दो, सब काम हो जायेगा। अभी तो राष्ट्रपति शासन है कृषि विपणन बोर्ड में..

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों को बड़ी जल्दी है..

मोहम्मद माहिर आजाद : राष्ट्रपति शासन कहा है कृषि विपणन बोर्ड में। यह निकाला जाए कार्यवाही से। प्रशासक है, राष्ट्रपति शासन नहीं है मंडियों के अन्दर। गलत बात है। पीलीबंगा से आने वाले सदस्य ने गलत कोट किया है। वह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिये। मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह रिकार्ड से निकाला जाए...

श्री रामप्रताप कासनिया : मेरा भावार्थ प्रशासन से है...

मोहम्मद माहिर आजाद : भावार्थ कुछ भी हो सकता है लेकिन आपने राष्ट्रपति शासन का नाम लिया है..

श्री रामप्रताप कासनिया : मैं माफी चाहूंगा राष्ट्रपतिजी का नाम मैंने लिया है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रशासक के बारे में, प्रशासक जो हैं वह आपको पता है किस श्रेणी में है।

श्री प्रभुलाल सैनी : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य एवं अन्य माननीय सदस्यों ने आज सदन में एक बात रखी है कि मंडी समिति का जो पैसा है वह सारा पैसा यहां मंगवा लिया जाता है जिससे उस क्षेत्र के मंडी यार्ड का या उसकी सड़कों का विकास नहीं हो पाता है। इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि 2003 में तत्कालीन सरकार के द्वारा 191 करोड़ की सड़कें मिसिंग लिंक और सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य स्वीकृत किया गया और उसमें पैसे नहीं थे। साथ में यह भी निर्देश दिये गये कि राजस्थान की उन मंडियों से जो सक्षम मंडियां हैं उनसे अंशदान के रूप में राशि मंगाकर इनका भुगतान किया जावे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार हो या यह सरकार हो, सरकार-सरकार होती है और उस सरकार के द्वारा जितनी लायबिलिटी फिक्स की थी उसको चुकाने के लिये यह व्यवस्था चालू है।

इसके अलावा आपको दूसरी एक और जानकारी देना चाहूंगा। मंडी समिति का जो कोष है वह दो भागों मे विभक्त होता है। एक तो चालीस प्रतिशत पैसा मंडी के संस्थापन पर व्यय होता है और उसके बाद जो पैसा

(श्री प्रभुलाल सैनी)

बचता है उस बचत में से चालीस प्रतिशत पैसा मंडी यार्डस के अंतर्गत डवलपमेंट के लिये मंडी यार्ड के अन्दर सड़के हैं, चबूतरे हैं, प्लेटफार्म है, पानी है, बिजली है। जैसा कि अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे वहां पेशाबघर ठीक नहीं है। उस काम के लिये इस वर्ष माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा इस वर्ष पहली बार लगभग 40 करोड़ रुपये..

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य की बात मानना ही मत, नहीं तो परेशानी में रहोगे...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपसे मिले हुए हैं क्या वह?

श्री प्रभुलाल सैनी : 40 करोड़ रुपये सड़कों के अलावा जो मंडी के यार्डस हैं उनके लिये स्वीकृत किये। उसके बाद जो पैसा बचता है। उस पैसे का चालीस प्रतिशत पैसा.. बाकी जो.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 6 बजे तो हम कृषि मंत्रीजी की बात नहीं मानेंगे। मुख्य मंत्रीजी का निमंत्रण है हम चले जायेंगे। अब आप देख लो। दोनों बिल है। हम अगर नहीं जाएं तो आप कह दोगे सहयोग नहीं है और अब हम सहयोग करने के लिये तैयार हैं तो अब आप..

श्री प्रभुलाल सैनी : मैं उसके पहले कर दूंगा। बस दो मिनट।

इसके अलावा जो बचत होती है उस बचत का 70 फीसदी पैसा सामान्य कोष में जाता है जिसकी सड़कें निर्धारित मापदंड की, यह 1971 की मास्टर प्लान की जो सड़के हैं, पंचायत हैड क्वार्टर से जो नहीं जुड़ा हो या मंडी के द्वारा किसी गांव को गोद लिया हुआ हो या 1991 की जनगणना के अनुसार जिनकी आबादी एक हजार से अधिक हो, उनके लिये वह सत्तर फीसदी पैसा खर्च होता है। तीस प्रतिशत जो पैसा बचता है वह मंडी के स्वविवेक से मंडी के क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिये, सड़कों की मरम्मत के लिये, पुलिया निर्माण के लिये मंडी अपने प्रस्ताव पारित करके उसको खर्च करती है।

श्री जुबेर खान . मंत्री महोदय, पुरानी बात कह रहे हैं। अब तो पांच सौ तक की आबादी के तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बन रही है। आप एक हजार का चक्कर छोड़िये। अब आपकी वह प्रक्रिया नहीं रही है। अब तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में आज की तारीख में पांच सौ तक के गांवों को

(श्री जुबेर खान)

लिया जा रहा है। आप सीधी सी बात करिये कि मंडी समिति के अधीन जो यह क्षेत्र आता है उनमें सम्पर्क सड़क के लिये पैसे का इस्तेमाल करिये. आप कहीं का पैसा कहीं ले जाकर लगाएं, यह वहां के किसानों के साथ अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष : मंडियों का चुनाव होने के बाद ही होगा...

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार की जनसंख्या का गांव सूरतगढ़ कृषि उपज मंडी में सुरजनसर गांव है। सुरजनसर गांव है और कृषि उपज मंडी की रोड बनायी हुई है 5 किलोमीटर उसकी एक हजार की जनसंख्या है और..

श्री अमराराम (धोद) : पैसे तो यह मंगा लेंगे। पैसे जब यह मंगा लेंगे तो चुनाव वाले क्षेत्र में काम क्या करेंगे..

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार बीच बीच में बोलना नियमों में है क्या..

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह नहीं था।

श्री बंशीलाल खटीक : ऐसा नहीं है. माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य होने दें। बीच-बीच में टोककर यह अपनी-अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, यह कौन से नियमों का पालन कर रहे हैं..

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय। मंत्री महोदय को यह टोक नहीं रहे हैं माननीय सदस्य। यह टोक नहीं रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : टोक रहे हैं बीच-बीच में। हां, वक्तव्य होने दें जो हो रहा है इनका। बाद में पूछ लेना, पूछना है जो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय, सब संतुष्ट हैं आप बिराजो...

श्री महीपाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के हृदय में किसानों के प्रति बहुत बड़ी पीड़ा है और जैन साहब विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। मंत्रीजी ने पिछली बार भी बहुत दबंग तरीके से सारी बातें सदन के सामने रखी हैं और यह नहीं चाहते कि किसानों के लिये यह जो पीड़ा लेकर आए हैं उन बातों को कहां रखें...

श्री उपाध्यक्ष : यह वहम मत करें आप।

श्री महीपाल यादव : मैं मंत्रीजी से एक चीज का और खुलासा चाहूंगा कि हमारे यहां पर...(व्यवधान) अब यह मजाक की बातें हैं थोड़ी। मैं आपसे यह कह रहा हूं...

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपके लिये कह रहा हूं। उनको तो साथ में ले लिया था ऐसे ही..

श्री महीपाल यादव : संसार में कहीं भी किसान की अनाज की बोली नहीं लगती...

श्री उपाध्यक्ष : अब यह बात छोड़ो आप महीपालजी..

श्री युनूस खान : वह आप बात कह दो...(व्यवधान) माली वाली बात कह दो।

श्री उपाध्यक्ष : अभी उस भाषण की आवश्यकता नहीं है...

श्री महीपाल यादव : ऐसा भी प्रावधान करो कि बोली ना लगे...

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप देरी में देरी करवा रहे हो।

श्री महीपाल यादव : यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान रहे हैं..

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसका इलाज है केन्द्र सरकार और आप वहां से करवाओ एक, दो, तीन वाली कहानी बंद।

श्री उपाध्यक्ष : वह सब हो जायेगा, माननीय मंत्रीजी।

श्री रामप्रताप कासनिया : उनमें सीधे ही नहीं तय कर दें...(व्यवधान)

श्री लालचंद मेघवाल : वापस मंडी समिति में आ चुका है और इन मंडियों को प्रमोशन दिया जाये जिनका दायरा है। माननीय रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने जो कहा है यह बिलकुल सही बात है कि हमारे क्षेत्र में मंडी समिति का पैसा है, उस मंडी समिति के जरिये से ही पैसा लेना चाहिए ताकि उस क्षेत्र में सड़कें, पुलियाएं बनें। इसलिए मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि वह घोषणा करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अधिनियम की धारा 18(ए) विद्यमान है और उस धारा में एक एम.डी.एफ. मंडी विकास कोष की

(श्री प्रभुलाल सैनी)

स्थापना की गयी है। जैसा कि माननीय रामगढ़ से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि 500 की आबादी तक के गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लिये जायें। तो क्या कृषि उपज मंडी भी लेगी? तो मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि एम.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की वहां पर पाबंदी नहीं है। और 500 की आबादी वाले जो गांव हैं उनको भी यदि मंडी समितियां प्रस्ताव देती हैं। एम.डी.एफ. में सिर्फ सी और डी क्लास की वह मंडियां जिनकी हालत कमजोर है उनके पास पैसा नहीं है वह सुपर ए, ए और बी तीनों मंडियों से सुपर ए से 30 प्रतिशत, ए से 20 प्रतिशत और बी से 10 प्रतिशत पैसा जो अंशदान का आता है। वह पैसा उन मंडियों के विकास के लिए, सड़कों के लिए उनके यार्डस के विकास के लिए खर्च किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जैसा सदन यह चाहता है कि 500 की आबादी वाले गांव भी लिये जायें- इसमें प्रावधान है लेकिन प्राथमिकता तय की हुई है, 500 वाले आबादी के गांव भी इसमें लेने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह व्यवस्था कब हुई' यह कौनसी सरकार के और कौन से सन में यह व्यवस्था हुई कि पैसे को जयपुर मंगवाया जायेगा। आप इसको बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें...(व्यवधान)

श्री बत्तीलाल : मंत्री महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि कृषि उपज मंडी इटावा से करीब दो करोड़ की इनकम सालाना होती है। मैंने तीन प्रस्ताव आपके यहां भेजे हैं। आपने तीनों वापस लौटा दिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें.. (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार। खण्ड 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 । श्री भरत सिंह, संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री भरत सिंह (दिगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (संख्या-12) पर मैंने जो संशोधन दिया है, उसमें मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 70 प्रतिशत जनता राजस्थान की कृषि पर आधारित है। यह जो हम चुनाव कराने का प्रस्ताव ला रहे हैं उससे सीधे ही तौर पर ग्रामीण जनता प्रभावित होती है। प्रश्न यह है कि इस बिल को Statement of objects and reasons. उस पर मैं आपका ध्यान दिलाऊं, "Welfare of the agriculturists is the basic objective of market committees. It is, therefore, desirable that the market committee should be headed by an agriculturist member. Provision is also sought to be made to ensure smooth conduct of election process. It is also proposed to provide that administrator should not continue for a period more than 18 months in place of the elected committee. It is also desirable to provide reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women in the constitution of the market committee."

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उठता है कि हम इस मौजूदा व्यवस्था के अंदर, मैं इस बात का तो स्वागत करता हूं कि चुनाव करवाना प्रस्तावित है। मगर जो चुनाव आप जिस स्वरूप में करा रहे हैं क्या उससे हमारे राजस्थान के कृषकों की और कृषि उपज मंडी के स्वरूप में परिवर्तन आयेगा। उसको कोई लाभ मिलेगा? हम तो मरे हुए घोड़े पर काठी कसने की तैयारी कर रहे हैं। मरीज तो मर चुका है उसके खून चढ़ाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें ताकत आयेगी। आज यह जो मंडियां हैं। कोटा की मंडी की मैं बात

(श्री भरत सिंह)

कर रहा हूं, जो सुपर ए क्लास मंडी है जिसकी आमदनी 11 करोड़ रुपये है और मैंने पिछले साल एक प्रश्न किया सुलतानुपर जो उस मंडी का भाग है, उस मंडी के विकास पर, उस क्षेत्र के विकास पर एक पैसा खर्च नहीं कर सके। इस चुनाव को आप करवा लेंगे तो चुनाव करवाने के बाद आपके लक्ष्य की प्राप्ति क्या होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने जो अमेंडमेंट दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे से पहले बोलने वाले सदस्यों को कि उन्होंने किसी न किसी रूप में उसका उल्लेख किया है। जिस प्रकार से आपके मंत्रीजी ने सदन का इतना समय लिया, मैं सदन का इतना समय नहीं लेना चाहता। मैं तो मेरी बात बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिडयूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन का आधार इसमें रखना चाहते हैं, दूसरा उसका स्ट्रेन्थ करना चाहते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को आप करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं इसमें बेसिक अमेंडमेंट लाये। हमारी जो जिला परिषद हैं, जो पंचायत समितियां हैं उनके अंदर जो प्रावधान है। चुने हुए लोगों का, केवल एक बहुत बड़ा, वह एक बहुत बड़े इलेक्टोरल के अंदर जीतकर आते हैं। जिला परिषद के नीचे की पूरी जिले की मंडियों का एक जगह करायें और जो जिले की मंडियां हैं वह जिले में रहें और जो पंचायत समिति में हैं वह पंचायत समिति में रहें। जो मतदाता वहां है उसी को मत देने का अधिकार आप दीजिये। अभी आपके पास न तो यह जानकारी है कि कौन तो उसमें वोट देगा, किस प्रकार से वह वोट देगा। सिर्फ इसमें एक काम होगा कि जो आप नोमिनेट करेंगे वह मेरे हिसाब से पालिटिकल नोमिनेशन हो जायेगा और चुनाव हो जायेगा। मगर चुनाव होने के बाद इसका लाभ अगर राजस्थान की जनता को नहीं मिले तो यह सबसे बड़ा धोखा है। 30 साल के बाद हम चुनाव करायें और चुनाव कराने के बाद हमारे कमजोर लोगों को कुछ नहीं मिले। कोटा मंडी में जो 11 करोड़ की मंडी है उसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो किसको क्या मिलेगा सभी सदस्यों ने अपनी सीमाओं में रहकर के चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, उन्होंने भी इसी बात को रखा है और जो विपक्ष के सदस्य हैं वह भी इस बात को कह रहे हैं। मैं चुनाव कराने की आपकी नीयत का तो स्वागत करता हूं मगर जिस स्वरूप में आप चुनाव करना चाहते हैं उससे राजस्थान की जनता का कोई लाभ नहीं होगा और उनके सामने वही दिक्कत आयेगी। शहद-शहद तो पूरा कृषि विपणन बोर्ड के पास चला गया और वह खाली छत्ता जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं उनके पास वह

(श्री भरत सिंह)

रह जायेगा। उसके अंदर कुछ कराने की क्षमता ही नहीं है। इस बात को आप दोहरा रहे हैं। समझने वाले तो इशारे में समझ जाते हैं। इतनी बात आप कह रहे हैं, हर सदस्य उस बात को कह रहा है। क्या लाभ मिलेगा इसके अंदर। आप बहुमत के आधार पर, बहुमत के नशे में आप चुनाव करा लीजिए मगर इस राजस्थान की धरती पर यह इतिहास में एक काला दिन आयेगा कि कृषि मंत्रीजी को जो बात सब पार्टी के सदस्यों ने उजागर की आपके सामने उसके बावजूद भी आप हठधर्मिता के आधार पर, बहुमत के आधार पर आप इस बिल को पास करा रहे हैं और राजस्थान की जो 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता जो अपनी बात कहने में असमर्थ है।

उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों दरख्वास्तें हमारी कोटा मंडी की हमारे पास आती हैं कि हमारे गांव की छोटी सी पुलिया बना दीजिये पर उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारा जो पैसा है, हमारी कोटा की जिला परिषद में यह प्रस्ताव आया कि पूरा पैसा हमारी मंडी का यहां दे दीजिये, हम जिला परिषद से इसका संचालन करेंगे। और प्रधानमंत्रीजी ने जो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की थी उसके अंदर भी यही बात कही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ताकत दें। आप ताकत देने के बजाय हमें असहाय और कमजोर कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। आप ऐसा बेहूदा चुनाव का तरीका अपनाकर ग्रामीण जनता को कमजोर कर रहे हैं। मैंने जो इसमें संशोधन दिया है उसमें ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि किसी न किसी सदस्य ने जो संशोधन दिया है उसको उठाया है। आपने आठ सदस्य रखे हैं, नीयत क्या है आपकी। आपने 17 सदस्य रखे हैं बहुमत कम से कम 10 तो किसानों को रखें। आप म्युनिसिपैलिटी के किसी आदमी को रखना चाहते हैं, जिला परिषद के किसी आदमी को रखें। आप 2 आदमी नोमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन बहुमत जो है वह किसानों का करें। दस आदमी जो हैं उस कमेटी के अंदर उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व हो और उसमें व्यापारी का तो एक प्रतिनिधि बहुत है। व्यापारी के हाथ में तो यह ताकत है कि वह जब चाहे मंडी बंद करा देता है। किसान तो जिस दिन ट्राली लेकर आयेगा तो व्यापारी कहेगा कि आज कोटा मंडी बंद है। पिछले साल 12 दिन जो चीज उनको पसंद नहीं आयेगी। उसको तो आप नहीं रखें तो भी अपनी बात को रखने में सक्षम हैं। व्यापारियों का एक ही व्यक्ति बहुत है। इसके अन्दर आपकी जो मंशा है चुनाव कराने की। मगर आप चुनाव करा लें बहुमत के आधार पर आप जैसा भी चाहेंगे। अगर वास्तव में

(श्री भरत सिंह)

आप गांव के आदमी को ताकत देना चाहते हैं तो इस कृषि विपणन बोर्ड को ही भंग कर दें और वापस से सदन में यह पूरे अधिकार जिला परिषद को दें। क्योंकि जिला परिषद के चुनाव में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड टाइब्स, सब प्रकार के लोग बाग हैं।

मैं मेरे कोटा जिला परिषद का उदाहरण देता हूं। 21 सदस्य उसमें है, इसके लिए आपको पूरी प्रोसेस ही जिला परिषद के अंदर रिवाइज करनी पड़ेगी, आप इस मौजूदा स्वरूप में नहीं कर सकेंगे। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये थे कि जनमत जानने के लिए भेजा जाए, यह आपकी हठधर्मी है कि आप इसको इसी रूप में पास कराना चाहते हैं। आप भेजिए जिला परिषद को। वहां जिला परिषद में आपका प्रमुख बैठा है, वह भी हमारी बात से सहमत होगा। वह आपको यही सुझाव देगा कि इसको जिला परिषद के अंदर जो स्वरूप है उसके अंदर किया जाए; पूरे जिले का पैसा एक जगह पूल हो, उसके बाद जितनी तनख्वाह कर्मचारियों को देनी है, उनको तनख्वाह वह दे उसके बाद विकास के कार्यों का निर्णय वहां हजारों गांवों के जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं जिला परिषद में वह करें। वर्तमान में आपने सारे अधिकार ले लिए हैं, इससे पूरे प्रदेश की जनता का अनहित ही होगा। आप चुनाव करा दें और वहां आप किसी को बैठा दें मगर उससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि इस बिल को इसी रूप में पास करवाने की हठधर्मी नहीं अपनाएं और किसानों के हित में इस बिल को पास करवाने के बजाय जनमत जानने के लिए वापस लोगों के बीच में भेजा जाए उसके बाद उनकी राय आए और तब आप इसको पारित करवाने की बात करें। धन्यवाद.

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन दिया था कि नोमीनेशन जो आप करेंगे एम एल ए और दूसरे दो लोगों का तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। मैं समझता हूं माननीय मंत्रीजी ने यह आश्वस्त किया है अपने भाषण में, यदि उनकी ऐसी भावना है संशोधन की और उसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान सरकार मेरे सुझाव को स्वीकार कर रही है इसलिए मैं मेरे अमेंडमेंट को विद्ड्रा करता हूं

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक छोटा सा अमेंडमेंट दिया है अगर उदार मन से यह अमेंडमेंट कर दें तो अच्छा है, यह यदि नहीं करेंगे, जिद करेंगे तो विदड्रा कर लेंगे। यह जिस तरह से सुपर क्लास और ए क्लास में इन्होंने

"... One shall be the member of Legislative Assembly, as nominated by the State Government;....." मैंने यह अमेंडमेंट दिया है कि बी सी और डी में आप एक एम एल ए को रखिए, जिस तरह से इनमें रखे हैं तो मैंने एक क्लाज दिया है, इसमें एडीशन के लिए पांच के बाद छठा दिया है, एक एम एल ए, "After the sub-section (b) (v) the new sub-section (vi) shall be added as follows- (vi) one shall be the member of Legislative Assembly in the market area for which it is established as nominated by the State Government;" जब आप बड़ी मण्डियों में एम एल ए को प्रतिनिधित्व दे रहे हो तो छोटी मण्डियों में भी तो आपको जनप्रतिनिधि किसी भी एम एल ए को नोमीनेट करिए जो उन मण्डियों के अधीन आता हो। मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप क्यों दूर रखना चाहते हैं एम एल ए को। आप अमेंडमेंट ला रहे हैं बड़ी हेतु तो छोटी में भी रखिए। मैं यह तिवाड़ीजी के विवेक पर छोड़ता हूं। जो बी सी डी श्रेणी की मण्डियां हैं उनमें भी कोई न कोई जनप्रतिनिधि विधायक को आप नोमीनेट कर दें तो चाहे सरकार की तरफ से ही मान लीजिए। इसमें आपत्ति कहां है? या तो आप पहले ही नहीं रखते, सुपर क्लास और ए क्लास में, गांवों में भी उसका महत्व होता है। आप किसी एम एल ए को नोमीनेट कर दें जो उनके अधीन आते हों, आपको इस अमेंडमेंट को मानना चाहिए। और अगर आपने बिलकुल ही जिद कर रखी है चूंकि अमेंडमेंट सरकार की तरफ से नहीं आया, पहले भी सदन में यह परम्परा रही है 1993 से 1998 के बीच में, दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर बिल पर एक प्राइवेट मैम्बर का अमेंडमेंट वाजिब था, उसको माना गया था। तो मेरा निवेदन है कि इसको आप रख दें। आप एम एल ए को रखिए ताकि कोई भी एक एम एल ए, तीन-तीन मण्डियां एरिये में आती है, आप मर्जी आए जिसको रख लें उसमें जनप्रतिनिधि के रूप में, वहां कोई न कोई ऐसी बात हो सकती है, यह अमेंडमेंट लाए अगर सरकार यह कहती है कि हम नहीं मानेंगे तो मैं विड्रा कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नोमीनेट कर देंगे एम एल ए को, इसमें नहीं रखेंगे, नोमीनेट कर देंगे।

श्री जुबेर खान : जैसा इसमें कर रहे हैं वैसा उसमें भी कर दें। यदि आप इस अमेंडमेंट को मानते हैं तो पास करवाइए।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से जो विषय रखा, वास्तव में उनकी चिंता वाजिब है। और उन्होंने कहा है कि कृषक प्रतिनिधि 8 बनाए जाएं सुपर और ए में उनकी स्थान पर 10 किए जाने चाहिए। व्यापारिक प्रतिनिधि दो के स्थान पर एक किया जाना चाहिए और जिला परिषद के मैम्बर भी उसमें शामिल हों और सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्य के स्थान पर एक सदस्य किया जाए।

(17.45 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, इस क्रम में मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि उन छोटी मण्डियों में जहां इनकम के सोर्सेज कम हैं और खास तौर से 6 कृषक प्रतिनिधि रखे गए हैं, इसके पीछे एक यही मंशा थी कि उसमें 6 प्रतिनिधि रखने से 50 प्रतिशत आरक्षण का जो भाग होता है उसमें एस सी, एस टी और ओ बी सी का आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा न हो। इसलिए सबसे विचार करके, विधिक राय लेकर 6 और 8 कृषक प्रतिनिधि रखे हैं और खास तौर से जब कृषक हित की बात हो रही है तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि इसमें जो भी अध्यक्ष बनेगा वह किसान ही बनेगा, इसमें सीधा प्रावधान है। और जिला परिषद के मैम्बर के लिए आपने कहा, इसके जो नियम बनेंगे चुनाव के उनमें इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि इसमें कौन वोटर होंगे। तो जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और ग्राम पंचायत के मैम्बर्स और ग्रामदानी ग्राम सभा के मैम्बर्स को सम्मिलित करने की कार्यवाही चल रही है। और आपके अच्छे सुझाव हैं, इस पर नियम बनाते समय गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

व्यापारिक प्रतिनिधियों का जहां तक प्रश्न है, आपने कहा कि दो के स्थान पर एक होना चाहिए। तो इसमें बी सी और डी में तो एक ही व्यापारिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया हुआ है। और बड़ी मण्डियों में चूंकि मण्डियां मुख्य रूप से किसान, व्यापारी, वहां उपभोक्ता के रूप में जो बेचने आते हैं और दलाल, इन चारों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा, चारों लोग अपने अपने हितों की बात अपनी मण्डी समिति में बैठकर वही के निर्णय वहीं नहीं

(श्री प्रभुलाल सैनी)

पारित कर लेते तब तक मैं समझता हूं कि जो सपना है, इस प्रकार का विचार है, राजस्थान सरकार कृषि उपज मण्डी के चुनाव संशोधित करके करवाना चाहती है, वह सार्थक नहीं होगा। इसलिए दो बड़ी मण्डी में रखे हैं।

माननीय सदस्य ने कोटा की बात कही, वह इतनी बड़ी मण्डी है, 2004-05 में वहां कोई काम नहीं हुआ आपने कहा, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 261.18 लाख रुपए के काम इस वर्ष वहां स्वीकृत किए गए हैं।

श्री भरत सिंह : मैं सुल्तानपुरा गौण मण्डी की बात कर रहा हूं, आप बताएं उसके अंदर कितने काम करवाए हैं?

श्री प्रभुलाल सैनी : गौण मण्डी भी मण्डी का ही भाग होती है और सारे के सारे वहां जो भी प्रस्ताव आते हैं वह मण्डी के यहां ही आते हैं गौण मण्डी से नहीं। 2 करोड़ 61 लाख 18 हजार के कार्य इस वहां स्वीकृत हुए हैं।

श्री भरतसिंह : लाडपुरा में सड़क पर सड़क बना दी, एक ही जगह पर आपने पूरा पैसा खर्च कर दिया। आप क्यों बुलवाना चाहते हैं, सारा पैसा एक ही जगह पर खर्च हो रहा है।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई विषय है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं उसकी जांच करवाकर जो दोषी होगा उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : गौण मण्डी का पैसा गौण मण्डी पर ही खर्च करने का प्रावधान करें।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकोर्डिंग टू अवर बिजनस रूल्स, रामगढ़ और हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो संशोधन दिए थे, वे वापस लेना चाहते हैं तो हाउस की परमीशन से ही वापस ले सकते हैं। अध्यक्षजी, हाउस से पूछ कर उनको परमीशन देंगी। They cannot withdraw their amendments without the prior permission of the House. आप प्रस्ताव करके हाउस से इसकी इजाजत लें। क्योंकि अब यह सदन की सम्पत्ति हो गया, अकेले इनके हाथ में नहीं है चाहे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जो कह दें कि मैंने वापस ले लिया हाउस परमीशन देगा इनको आप उसको वापस लेंगे.

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने क्लाज 3 के 1, 2, और 3 में जो संशोधन दिये हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संशोधन दिया है तो लेंगे ना' क्लाज कर दिया वह तो लेना पड़ेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने इस क्लाज पर जो संशोधन दिये हैं मैं उनको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं.

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है उन संशोधनों को वापस लिया जाए? मि. जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : आपने रूलिंग दे दी कि एम.एल.ए. को नहीं जोड़ना है, सुपर क्लास ए में आप जोड़ रहे हैं, बी. सी. और डी में नहीं जोड़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि जिस तरह से आप सुपर और ए क्लास में एक एम.एल.ए. को रख रहे हैं उसी तरह से बी, सी और डी श्रेणी में एक एम.एल.ए. को रखा लीजिए, सरकार नोमिनेट कर देगी उसमें कहां आपत्ति है? अगर आपको नहीं करना है तो आप बता दीजिए, मैं विड्रा कर लूंगा, वरना तो आप एम.एल.ए. को क्यों रखते। जब दो श्रेणियों में रख रहे हैं बाकी तीन में नहीं रख रहे है। एम.एल.ए. होता नहीं है उस इलाके में उस इलाके के एम.एल.एज. को रख लीजिए।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक..

श्री अध्यक्ष : स्टेट गवर्नमेंट 4 को नोमिनेट करेगी, एक एम.एल.ए. हो तो क्या दिक्कत है

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब, स और द मण्डियों में जिस प्रकार से विधायक के नोमिनेशन का प्रश्न है वह इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वह छोटी मण्डियां होती हैं, छोटी मण्डियों में वहां कम है.

श्री अध्यक्ष : सब एम.एल.एज. आग्रह कर रहे हैं आपको। (व्यवधान) घनश्यामजी नहीं कहेंगे तब तक नहीं करेंगे। सीनियर मिनिस्टर नहीं कहेंगे तब तक नहीं करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश हो गया।

श्री प्रभुलाल सैनी : संपूर्ण सदन की अगर यह इच्छा है तो जब इसके नियम बनाये जाएंगे इस व्यवस्था को भी इसमें लागू किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपका मंजूर हो गया।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मेरा अमेंडमेंट जो क्लाज तीन में दिया है मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जब लेजिस्लेटिव असेम्बली के मैम्बर का हो गया तो आप क्या वापस ले रहे हैं?

श्री जुबेर खान : अमेंडमेंट।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

श्री जुबेर खान : मुख्य सचेतक महोदय, इसमें नियम की क्या जरूरत है, एक क्लाज जोड़ने की ही तो बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जोड़ देंगे।

श्री जुबेर खान : लास्ट में क्लाज है, इसको जुड़वा दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। पहले भी सदन में कोई अच्छे सुझाव आये हैं उन अमेंडमेंट को स्वीकार किया गया है। आप जोड़ लीजिए लास्ट में ही तो जोड़ना है।

श्री अध्यक्ष : क्या दिक्कत है? उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या सदन की अनुमति है श्री जुबेर खान ने जो संशोधन प्रस्तुत किया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा है एक अमेंडमेंट ये सरकार की तरफ से अभी पेश कर देंगे। इस सरकार की तरफ से एक अमेंडमेंट पेश कर देंगे उसको पारित कर देंगे, यह विदड्रा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। उसे वापस लेने की सदन की अनुमति है। अब सब के हो गये। भरतसिंहजी, आप भी वापस लीजिए।

श्री भरत सिंह : मैं इनसे अनुरोध करूंगा..

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखिए। कोई बात हो तो दो मिनट में कह दीजिए।

श्री भरत सिंह : एक बात संशोधन में यह कहना चाहूंगा 8 की जगह 9 सदस्य तो रखें, एग्रीकल्चर में ऐसा करें, आप बहुमत काश्तकारों का रख रहे हैं उसमें हम आपसे क्या मांग रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : इनकी भावना का भी ध्यान रखा जाए।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कृषक की परिभाषा को बहुत सीमित सोच की बात कर रहे हैं, इसमें कृषक से तात्पर्य जो खेती करेगा, खेती का काम करेगा, जिसकी जमीन होगी। जितने भी नोमिनी वगैरह आएंगे सब किसान ही तो होंगे और कौन होंगे यह कोई अधिकारी थोड़े ही होंगे। वे भी किसानों में से होंगे, प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। उसमें मैं समझता हूं बढ़ाने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, आपकी अनुमति से मैंने जो संशोधन दिया है मैं उसे वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री भरत सिंह, श्री हरिमोहन शर्मा (व्यवधान) ले लिया, ठीक है। वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए?

श्री जुबेर खान : यह तो संशोधित करना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खण्ड 3 को संशोधित रूप में।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव करिए।

श्री जुबेर खान : इसी को मान लिया जाए इसमें क्या खराबी है? आपकी कोई तौहीन थोड़े ही हो रही है। (व्यवधान) जब महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय का एक्ट पास हुआ था तब माना था। आप भी मान लो।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से ब, स और द मण्डियों में विधायक को सदस्य के रूप में मनोनीत करने का संशोधन प्रस्ताव सरकार की तरफ से प्रस्तुत है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है प्रभारी मंत्री ने जो संशोधित रूप में प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन जो मंत्रीजी ने रखा है उसके हिसाब से स्वीकार किया गया।

क्या सदन की अनुमति खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 से 6 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 6 स्वीकार किये गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री प्रभुलाल सैनी।

विधेयक का पारण

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब क्या बोलेंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला : थर्ड रीडिंग पर तो हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : अधिकार आपका पूरा है, आप जो बोलेंगे सदन सारी बात सुनेगा, लेकिन सदन को आज समय पर स्थगित करना है।

श्री सांवर लाल : आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपका तो हमेशा ही अधिकार सुरक्षित है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक तो इसमें इलेक्टोरल कालेज क्या होगा, कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष क्या होंगे, इसके बारे में यह विधेयक मौन है। मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इसमें इलेक्टोरल कालेज कैसे बनेगा। दूसरी बात आप एम.एल.एज. की बात कर रहे थे, पंचायत समिति के प्रधान को भी आपको इसमें नोमिनेट करना चाहिए था। इसके अलावा आपने जो 17-17 सदस्य इसमें लिये हैं, 11 सदस्य लिये हैं, बी, सी, डी जो तीन प्रकार की कृषि उपज मण्डी समितियां हैं मैं यह जानना चाहता हूं इसका गठन आप किस आधार पर करेंगे। आपने कहा जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे करेंगे, उसका आधार आपको टर्न ओवर बनाना चाहिए था। जिस मण्डी में जितना टर्न ओवर या जितना टैक्स आएगा उसके आधार पर ए, बी, सी, डी. कैटेगरी आपको बनानी चाहिए। इसके अलावा मण्डी के रिजर्वेशन वगैरह का कहा वह तो ठीक है, लेकिन इलेक्टोरल कालेज की आपने बात नहीं बतायी। दो तीन सुझाव हैं, चूंकि कोई भी कृषि उपज मण्डी से संबंधित बात आई उसमें जो सड़कें बनायी जा रही हैं वे बिलकुल सब स्टेण्डर्ड की हैं। मैं चाहता हूं इन सड़कों का निर्माण पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से किया जाए और जनसंख्या के आधार पर पंचायतों को और 500 तक की आबादी के गांवों को और 500 तक की आबादी कवर हो जाए तो उसके बाद उसके नीचे की आबादी के गांवों को आपको जोड़ना चाहिए। जहां कृषि उपज जिंस पैदा होती है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां पर सब्जियां पैदा होती हैं, कृषि उत्पाद पैदा होते हैं वहां सड़कों का अता-पता नहीं है और जो फण्ड्स की इधर-उधर बंदरबांट होती है उससे निश्चित रूप से राजस्थान का नुकसान हो रहा है। इसलिए सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से कृषि जिंस पैदा होती है वहां पर इनको प्रोत्साहन देना चाहिए।

(18.00 बजे)

इसके अलावा, जो कृषि उपज मंडी समितियों और कृषि उपज मंडियों बनी हुई हैं उनकी हालत ऐसी है कि वहां पेयजल की सुविधा ही नहीं है। किसानों के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

लिए वहां पर रहने के लिए कोई आवास वगैरह नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप चारों प्रकार की मंडियों में कम से कम पेयजल वहां पर विश्राम गृह और किसान जब कभी भी अपना माल वगैरह लेकर आए तो उसके लिए बैंकिंग सुविधाएं, पोस्ट आफिस की सुविधाएं अनेक प्रकार की सुविधाएं वहां पर करनी चाहिए। ताकि कृषि उपज मंडी में काम करने वाले या किसान जो दिन रात इसको उपयोग लेते हैं मंडियों को, उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके। और इसके फंड्स का जो दुरुपयोग हो रहा है, फिजूलखर्ची हो रही है उसको रोकना चाहिए। आपके पास प्रतिवर्ष डवलपमेंट का बहुत बड़ा फंड होता है, उसका यूटिलाइजेशन प्रापर तरीके से नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कृषि मंत्रीजी आपके पास जितने भी फंड्स हैं वह किसानों के हित में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा सड़कों के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए खर्च करना चाहिए।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेताजी ने कुछ बातें कही। जहां तक सड़कों के वर्गीकरण का प्रश्न है, सदन को इसकी पूरी जानकारी पहले विस्तृत दी जा चुकी है। और वर्गीकरण मंडी की वार्षिक आय को आधार मानते हुए ही की जाती है, यह मैंने सदन को भी जानकारी दे दी थी। दूसरा आपका जो प्रश्न था, कृषि जिंसों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने जहां पर उत्पादन वहां पर विपणन की नीति के सिद्धांत का पालन करते हुए पूरे राजस्थान में जहां जो जिंस सबसे ज्यादा पैदा हो रही है वहां पर विशेष मंडियां स्थापित की जा रही हैं ताकि वहां के किसानों को, वहां के व्यापारियों को और वहां के उपभोक्ताओं को सब को उसका लाभ मिल सके।

चौथी बात आपने कही थी कि पेयजल, विश्राम गृह और ये सुविधाएं भी मण्डी यार्ड में होनी चाहिए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पहली बार गत वर्ष मात्र 2003-04 में 8 करोड़ रुपए मंडी यार्डस पर खर्च हुए थे, अब की बार 40 करोड़ का प्रावधान रखा है जिसमें बिजली, नल, सड़क और स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी जिस प्रकार के भी सुझाव और प्रस्ताव दे रहे हैं, हमारे सब की एक ही मंशा

(श्री प्रभुलाल सैनी)

है हम सब एक ही चाहते हैं किसानों का भी भला हो, वहां पर सभी वर्ग को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले ताकि हमारा जो कृषि उपज मंडी अधिनियम जो संशोधन हम लेकर आ रहे हैं उसका लाभ आम जनता को मिले। यही मेरा सदन से आपसे कहना है।

श्री अध्यक्ष : पारित का कह दिया?

श्री प्रभुलाल सैनी : जी, मैंने कह दिया

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2005 संशोधित रूप में पारित किया गया

दूसरा, श्री प्रभुलाल सैनी

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कृषि उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

जनमत में तो आपने अभी कहा कोई नहीं बोल रहा है,

श्री सी.पी. जोशी : विचारार्थ तो अभी लिया आपने।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

श्री सी.पी. जोशी : पहले बोलने का है, उसके बाद पास करें

श्री अध्यक्ष : बोलेंगे? अच्छा बोलेंगे, बोलिए।

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमने जनमत जानने के लिए इसलिए प्रस्तावित किया कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से यह सरकार अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादे को पूरा करने का एक कदम उठा रही है और जो हकीकत है उसको जनता के सामने नहीं लाया जा रहा। अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्ट है उस एक्ट का प्राविजन 18 है जिसमें मार्केटिंग कमेटी के फंड के संबंध में प्राविजन कर रखा है, उसमें 18 ए में लिख रखा है, "Contribution to Marketing Development Fund. Every market committee shall pay to the Board before 15th of every month such amount as may be prescribed but not exceeding 10 per cent out of the income derived by it from licence fees, market fees and fines imposed by the Courts." यह 18 ए का आलरेडी प्राविजन 10 परसेंट का इसमें है। अब अध्यक्ष महोदय, इसमें नया एक और प्राविजन ला रहे हैं, "Every market committee shall pay to the fund such amount as may be specified by the State Government. But not exceeding 5 per cent of the income derived by it from licence fees, market fees and fines imposed by the Courts." 18 ए के प्राविजन में 10 परसेंट के अलावा यह नया प्राविजन ला रहे हैं, 5 परसेंट और का, इसका मतलब 15 परसेंट को इसका प्राविजन है, वह प्राविजन आलरेडी इसमें बुक हो जाएगा। क्योंकि जो 5 परसेंट के बारे में राजस्थान में यह जो इनके घोषणा पत्र में था कि हम किसान कल्याण कोष की स्थापना कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उसको पूरा करने के संबंध में, अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के अन्दर "Purpose for which the funds shall be expended" यह इसमें लिखा रखा है 11 परपज के लिए, I don't want to repeat all this.

यह 11 परपज के लिए जो एक्ट में प्राविजन था जिसके लिए फंड इकट्ठा किया गया उसका 10 परसेंट तो पहले ही इन्होंने 18 ए में प्राविजन कर दिया। वे एक्ट में जो प्राविजन कर रखा है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं और आप नया प्राविजन लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय Kisan Kalyan Kosh shall be utilised for the following purposes, namely; ए से लगाकर जेड तक आपने नये क्लाज और लेकर आए, 11 तो इसमें आलरेडी एक्जिस्ट कर रहे हैं, जेड तक आप नया इन्क्लूड कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, और आप इसमें आब्जेक्टिव में कह रहे हैं "Provisions are drawn for development of human resources for agricultural marketing with a view to provide marketing infra-

(श्री सी.पी. जोशी)

structure for organically produced agricultural commodities includes fruits and all things."

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, आप यह स्पष्ट करें कि क्या 1961 से जब से एक्ट बना हुआ है जिस एक्ट के अन्तर्गत किसान से पैसा इकट्ठा करके इस एक्ट की धारा 19 के अन्दर जो परपज लिखे हुए हैं उन परपज पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है? उस परपज पर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। 10 परसेंट हमने पहले ब्लाक कर लिया, 5 परसेंट हम अब और ब्लाक करना चाहते हैं। और किसान को हम कहना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं. यह केवल मात्र जो हमारा पालिटिकल एजेंडा है, उस पालिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए एक आवरण बनाया गया है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि यह 19 सैक्शन के अन्दर जो प्राविजन है उसका किस किस हैड में कितना कितना खर्चा किया और किसान के भले के लिए काम किया। अब जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मेरा एप्रिहैंसन है आर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर सेमिनार के नाम पर, यह जो आपने लिखा है उसमें इस पैसे का मिसयूज होगा। और मिसयूज होकर आप सेमिनार कराकर वाहवाही लूटेंगे कि किसान की भलाई के लिए हमने काम किया और किसान के भले के लिए जो पैसा खर्च करना है वह पैसा आप नहीं खर्च करेंगे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इसमें दो में लिखा हुआ है, "...to provide financial and technical assistance to organizer.. "The word I am repeating it"... to provide financial and technical assistance to organizer the aforementioned activities jointly with the private agencies, autonomous bodies, and cooperative societies."

इसके साथ आप आर्गेनाइज करने के लिए हम फंड का 5% परसेंट जो कलेक्शन करेंगे, वह खर्च करेंगे। अब बताएं कि किसान का इसमें क्या भला होगा? आप प्राइवेट एंटरप्रिन्योर्स को प्रमोट करना चाहते हैं प्राइवेट एंटरप्रिन्योर्स आकर पैसा इन्वेस्ट करेगा, वह आर्गेनाइज करेगा सेमिनार, उस सेमिनार में आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। यह किसान का भला होगा? यह किसान के भले के लिए जो आपने 11 प्राविजन कर रखे हैं उस प्राविजन को आप खर्च नहीं करना चाहते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं यह जो संशोधन लाया गया है, यह किसान के पक्ष का संशोधन नहीं है यह संशोधन लाया गया है इस एक्ट में 19 धारा के अन्तर्गत जो 11 परपज लिखे

(डा. सी.पी. जोशी)

हुए हैं उसकी नीड्स को कैटर करने वाला नहीं है। यह संशोधन केवल मात्र एक पालिटिकल माइलेज लेने के लिए कि सरकार ने आर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में यह किया, प्राइवेट एंटरप्रिन्योर्स को अट्रेक्ट करने के लिए काम किया, को-आपरेटिव के लिए काम किया। उसकी सेमिनार में पैसा खर्चा करने के लिए पांच परसेंट के फंड को ब्लाक करने का काम कर रहे हैं जिससे किसान का भला नहीं होगा। वह निश्चित तौर पर, अध्यक्ष महोदय, यह हमने 1961 के एक्ट में जिस उद्देश्य से किसान को बिचौलियों से मुक्त कराकर पैसे से उनका भला करने का काम करने का था। उससे विपरीत कदम उठाने का काम कर रहे हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यह स्पष्ट करे कि मैं यह कह रहा हूं जो उद्देश्य नहीं है तो फिर यह अमेंडमेंट लाने के पीछे आपकी मंशा क्या है? यह स्पष्ट इस बात का द्योतक है कि आप अपने राजनैतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस पैसा का कोष बनाकर के दुरूपयोग करना चाहते हैं। आप इस पर फैसला करते कि किसान बीमार होगा तो उसको पैसा देंगे। किसान के लिए और दूसरी व्यवस्था करेंगे जैसे हमने बी.पी.एल. फैमिली की व्यवस्था कर रखी है, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में व्यवस्था कर रखी है, ऐसी किसान के घर में बीमार हो जाए तो उस बीमारी के पैसे की व्यवस्था करें तो समझ में आता है कि कोष काम में आयेगा। लेकिन पांच प्रतिशत का को . इकट्ठा करके सरकार अपनी मनमर्जी से ऐसे सेमिनार करने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्रमोटर के लिए पैसा खर्च करे इससे किसान का भला नहीं होगा। इस हिडन एजेंडा को कम्पलीट करने के लिए आप यह पांच प्रतिशत का कोष बनाने का काम कर रहे हैं। इसका हम सख्त विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि इसलिए इस बिल को लाने की आवश्यकता नहीं है। कृपया इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रेषित करें, लोगों की ओपिनियन लें। यहां पर पंजाब का काश्तकार नहीं है, एन्लाइटन काश्तकार नहीं है, उस काश्तकार के नाम पर आप अपने पैसे के लिए कुछ लोगों को बैनेफिट करना चाहते, यह राजस्थान के गरीब काश्तकार का भला नहीं होगा यह मैं आपसे निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

अध्यक्ष : और कोई बोलेंगे?

डा. सी.पी. जोशी : एक ही काफी हैं। आप जवाब दें, हम संतुष्ट हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, डा. एन.एस. गुर्जर।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि जल्दी है। जैसे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बिन्दु उठायें, यह लगता है कि यह कोष बनाकर गलत तरीके से हो सकता है। मैं तो यह भी कहूंगा कि आप पिक एण्ड चूज करके आपके आदमियों को कही सेमिनार के नाम से घुमाने भेजें, कही और भेजें। मैंने यह संशोधन दिया है कि इसको विधान सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको पास कराना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए जिस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल आपने प्रवर समिति को सौंपा, इसको भी प्रवर समिति बनाकर सौंप दिया जाए ताकि इसकी स्टडी अच्छी तरह से हो जाए। और किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों को मौका मिलेगा कि किसानों का कैसे भला हो। इससे कोई भला नहीं होगा कि किसानों के नाम से आप किसी को भ्रमण पर भेज दें, कहीं सेमिनार कराने के लिए भेजे दें। और यहां तक कि आपने कहा है कि जो सेमिनार कण्डक्ट करेंगे, जो रिसर्च करायें तो उन लोगों को इस कोष से पैसा दिया जाएगा, यह गलत बात है। जहां के किसानों का पैसा है, आप वहीं के किसानों पर खर्च करने की व्यवस्था करें। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमने यह संशोधन दिया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए और प्रवर समिति में सभी सदस्य रहेंगे। और इसका प्रारूप नये ढंग से लाकर के फिर से पास कीजिये, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, यह बता दें कि कंसोलिडेट फण्ड से पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं हम? आपकी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम किसान कोष बनायेंगे 50 करोड़ रुपये का तो आप कंसोलिटेड फण्ड से तो एक पैसा नहीं दे रहे हैं और किसान से पांच प्रतिशत लेकर के वाहवाही लेना चाहते हैं। सरकार यह बताये कि कंसोलिटेड फण्ड से पैसा देने में क्या तकलीफ है? आपका कोष बना है तो कंसोलिटेड फण्ड से प्रोविजन करिये, हम उसका स्वागत करते हैं। पर वह मण्डी के टैक्स से पांच प्रतिशत लेकर के आप राजनैतिक वाहवाही लेना चाहते हैं उससे किसान का भला नहीं होगा। पहले यह स्पष्ट करिये आप।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो किसान कल्याण कोष का गठन किया जा रहा है वह मात्र राशि का दुरुपयोग है, यह इनकी भ्रामक सोच है। कृषि उपज मण्डी खासतौर से वहां जो भी नियम, जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, किसानों के कल्याण के लिए बनी हुई हैं और इस अधिनियम में जिस प्रकार से कल्याण कोष का दायरा बढ़ाकर के जो बात कही गई है...

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा वालों की बात तो खतम हुई। आप तो इन्होंने कहा है, प्रवर समिति वाले पर कह दो। प्रवर समिति पर बोलो आप तो।

श्री जुबेर ख़ान : आप प्रस्ताव कर दो कि प्रवर समिति को सौंपा जाए।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए, मैं समझता हूं कि यह अव्यावहारिक है और उचित भी नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि किसान के कल्याण को जिस प्रकार से करना चाहते हैं, माननीय सदस्य क्यों इसको रोकना चाहते हैं? अभी आपने कहा कि इसका गठन होने से निश्चित रूप से किसानों में जागृति पैदा होगी। और जहां विपणन वहां उत्पादन की सीमाएं बढ़ेंगी और जिस प्रकार से इसमें कहा गया है, सेमिनार का जिस प्रकार से जिक्र किया गया है, उस सेमिनार के जिक्र का मतलब यह है कि वहां पर जब तक किसानों को जानकारी नहीं होगी नई तकनीक की, नई

(श्री प्रभुलाल सैनी)

की वहां पर प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, श्रेणीकरण, पैकिंग, प्रोसेसिंग और विक्रय, निर्यात, इन सब की जानकारी जब तक किसानों को नहीं होगी तब तक किसान आगे नहीं बढ़ सकता। और आजादी के इतने वर्ष के बाद भी जो हमारी स्थिति बनी हुई है वो यही बनी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : बस, विराजो आप। ठीक है।

श्री प्रभुलाल सैनी : इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के लिए और जोशी साहब के लिए कहना चाहूंगा-

चमकती रेत को दरिया बताओगे कब तक,

हवा में लहराते रिश्ते निभाओगे कब तक।

नई सर्दी के मुकद्दर से दोस्ती कर लो,

गये जमाने के किस्से सुनाओगे कब तक।।

डा. सी.पी. जोशी :... परिंदों को उड़ाया करो। मान गये. पार कराओ आप।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आप तो सरकार से कहिये कि कुछ पैसा सरकार की तरफ से भी दे। किसानों के लिए उनके कोष के लिए तो किसानों से ही पैसा लेंगे और दूसरे कोष के लिए सरकार पैसा देगी. यह कहां का न्याय है? आप तो इनसे कहिये कि सरकार की तरफ से भी इसमें कुछ पैसा डाले। अब पांच प्रतिशत किसानों से ले लें पर पांच प्रतिशत सरकार डाले अपना। कुछ तो डाले इसमें ताकि लगे कि सरकार किसानों के प्रति चिंतित और संवेदनशील है। आप घोषणा कीजिये कि पांच प्रतिशत किसानों से ले रहे हैं, पांच प्रतिशत राशि सरकार इसमें डालेगी। आप कहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। मंत्रीजी

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

(श्री प्रभुलाल सैनी)

प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड-2, श्री भरत सिंह, आप संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं या वापस लेना है?

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं मेरे संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की संशोधन वापस लेने की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आज जो ''वीरजारा'' फिल्म का कार्यक्रम सात बजे का था, चूंकि विलम्ब हो गया है इसलिए साढ़े सात बजे इसको प्रारम्भ करेंगे। और उसके बाद मुख्य मंत्रीजी का नाना प्रकार के व्यंजन के साथ भोज भी है। इसलिए यह आपकी सूचनार्थ है। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक और प्रार्थना है कि कल का कोई कार्यक्रम, अभी लोग कह रहे थे कि आपने बड़ी कृपापूर्वक बाबा रामदेव को विधान सभा में आमंत्रित किया है, अगर किया हो तो वह बता दो ताकि हम सभी को पता रहे।

श्री अध्यक्ष : बता दूंगी। स्थगित करने से पूर्व बता दूंगी। पहले यह करवा दूं। पारित करने का प्रस्ताव। मंत्रीजी।

विधेयक का पारण

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या बोलेंगे?

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन विधेयक है, आपकी यह सरकार बड़ी किसानों की हमदर्दी की बातें करती है कि हम उनकी आर्मेनिक खेती के लिए करेंगे, उनके लाभ हैं। जहां उत्पादन हो वहीं बिक्री करेंगे। और मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जहां आप खुशहाली की बात कर रहे हैं, उत्पादन हो वहीं विपणन की बात कर रहे हैं। और आज राजस्थान में जो सरकार ने पिछले साल प्याज 285 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा था, सैकड़ों करोड़ रुपयों का, कृषि विभाग की मांग थी, कृषि मंत्रीजी ने कहा था कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे। और आज वहां 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पूरे राजस्थान में जहां-जहां प्याज होता है...

श्री अध्यक्ष : यह बात आप पहले पूर्व में उठा चुके हैं माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसमें व्यवस्था दी थी कि हम खरीदने की व्यवस्था शुरू करेंगे लेकिन उसके बाद आज की तारीख तक भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप किसान के अगर हमदर्द हैं तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 285 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज खरीदने की शुरूआत कब करेंगे, कृषि मंत्री यह बता दें जिससे सैकड़ों करोड़ रुपये की चपत राजस्थान के किसानों को नहीं लेगे। जो उत्पादन लागत है वह आज नहीं मिल रही है तो किस तरह से किसानों की हम भलाई करना चाहते हैं। मंत्रीजी, इस पर निश्चित समय सीमा बता दें क्योंकि कल सदन साइनेडाई हो जायेगा इसलिए उसके लिए आप बतायें।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने प्याज के बारे में चिंता व्यक्त की है, मैं इसके बारे में आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में इस वर्ष लगभग 25,000 हैक्टेयर भूमि में प्याज की फसल बोई गई थी और लगभग 3.50 मैट्रिक टन फसल के उत्पादन होने का अनुमान है। लेकिन जहां तक जैसा आपने कहा, भाव गिर गये, अभी आज की तारीख में माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जानकारी की गई है कि वह औसतन अभी सीकर के अलावा, और जगह प्याज की रेट सही है। अजमेर में 350 रुपये प्रति क्विंटल, जयपुर में 325 रुपये प्रति क्विंटल और सीकर में....

एक माननीय सदस्य : यह वही से आते हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको खरीदना हो तो बतायें और नहीं खरीदना हो तो वह बताइये।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर में 19.4.2005 को 2448 क्विंटल प्याज मंडी में आया, 189 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वह बिका लेकिन राजस्थान की अन्य मंडियों में...

श्री अमराराम (धोद) : आपने पिछली साल क्या भाव में खरीदा था, वह भी बता दो।

श्री प्रभुलाल सैनी : राजस्थान की अन्य मंडियों में... गत वर्ष इंटरवेंशन आफ द मार्केट यानी बाजार में हस्तक्षेप योजना लागू करके कृषि मूल्य एवं लागत आयोग को यहां से प्रस्ताव भिजवाये गये थे। 280 रुपये प्रति क्विंटल...

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, मैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, 189 तो आपकी हाइएस्ट है। यह तो जो आपकी रेट है वह हाइएस्ट है। बाकी तो 125 रुपये प्रति क्विंटल में भी मिल रहा है। 125 रुपये और 150 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रहा है। आप जो भाव बता रहे हैं वह केवल 10 प्रतिशत प्याज का है सीकर जिले में और सीकर और नागौर जिले में प्याज हाइएस्ट ज्यादा पैदा होता है। वहां सीकर और नागौर का किसान मारा जा रहा है। अजमेर में उतना ही होता है जितनी अजमेर में खपत हो जाती है। सीकर

(श्री अमराराम)

और नागौर का प्याज उत्तरी भारत की तमाम मंडियों में जाता है। सबसे ज्यादा किसान गेहूं से डाइवर्ट होकर प्याज पर आया है और जो डाइवर्ट हुआ है उसकी जो मार पड़ रही है, अगर सरकार इसमें खरीदना चाहे तो बहुत बढ़िया है, नहीं खरीदना चाहे तो मना कर दीजिये आप।

श्री प्रभुलाल सैनी : आपके यहां हाइएस्ट 265 रुपये है, हाइएस्ट जो रेट है वहां 265 रुपये है और 189 रुपये आपके वहां पर बिका है इसलिए अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आपने उठा दी अपनी बात। आप इस पर अपना जवाब देना चाहो तो दीजिये वरना इधर-उधर की बात मत कीजिये।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से जानकारी दी है, बाजार में हस्तक्षेप योजना राजस्थान की सारी मंडियों में जब भाव गिरते हैं तब यह लागू की जाती है, अभी यह राजस्थान में जो भी इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है, वह 254 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कृषि मूल्य लागत आयोग की रेट है, इसलिए यह अभी लागू नहीं की जा सकती है अकेले सीकर जिले में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक. 2005 को पारित किया गया।

सूचना

स्वामी रामदेवजी महाराज की योग-क्रियाओं का प्रदर्शन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि कल 4.30 बजे बाबा स्वामी रामदेवजी महाराज यहां पर पधारेंगे, आयेंगे और वे आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. जो सीखना चाहेंगे योग की क्रियाएं और आसन, वे सब माननीय सदस्य यहां पर 4.30 बजे... हाउस में नहीं, बाहर जहां अपना यह पीतल वाला गेट है, हाउस में तो कैसे करेंगे, इतने कहां बैठेंगे, कुर्सियों पर

(श्री अध्यक्ष)

बैठकर थोड़े ही किया जाता है आसन...(व्यवधान) वह तो नीचे बैठकर होगा इसलिए..

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, वहां भवानी निकेतन में हो ही रहा है, जिसको जरूरत हो वहां चला जायेगा।

श्री अध्यक्ष : भवानी निकेतन की बात और है। मैंने विशेष आग्रह किया है और वे 4.30 बजे यहां आयेंगे और जो उसका लाभ लेना चाहते हैं, वे आमंत्रित हैं (व्यवधान)

इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि चूंकि 4.30 बजे सदन में स्वामी रामदेवीजी महाराज आयेंगे इसलिए शाम को 4.30 बजे तक सदन का काम निपटा सके, उसके लिए प्रश्नकाल के बाद में जीरो आवर नहीं होगा। 295 पढ़े हुए मान लिये जायेंगे। (व्यवधान) जीरो आवर के अन्दर पर्चियां नहीं ली जायेंगी। बाकी स्थगन प्रस्ताव यदि कोई बहुत जरूरी, ऐसा कोई रीसेंट इवेंट हुआ हो और उसके बारे में कोई स्थगन प्रस्ताव हुआ तो दो मिनट बोलने की अनुमति दी जायेगी बाकी पर्चियां कल नहीं ली जायेंगी।

सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 21 अप्रैल, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.27 बजे, गुरुवार दिनांक 21 अप्रैल, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बस्सी विधान सभा क्षेत्र के लम्बित कृषि कनेक्शन

402. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कार्यालय सहायक अभियन्ता, बस्सी तथा सहायक अभियन्ता, चाकसू द्वारा दिसम्बर, 2003 से अब तक किस-किस माह में कितने कृषि कनेक्शन दिये गये? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मार्च, 2005 तक जिन काश्तकारों द्वारा डिमाण्ड राशि व सिक्योरिटी राशि जमा करवा दी गई है, को कृषि कनेक्शन नहीं दिये गये? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार इन्हें कब तक कनेक्शन जारी कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) नियत तिथि तक डिमाण्ड राशि जमा शुदा काश्तकारों का कनेक्शन जारी नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार तीन वर्षों से अधिक अवधि वाले विशेष श्रेणी फार्म हाउस, नर्सरी योजनाओं में जो कनेक्शन दिये गये हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सहायक अभियंता (पवस), बस्सी तथा सहायक अभियन्ता (पवस), चाकसू द्वारा माह दिसम्बर, 2003 से माह मार्च, 2005 तक जारी किये गये कृषि कनेक्शनों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	श्रेणी	दिये गये कनेक्शनों की संख्या	
		बस्सी	चाकसू
1.	कृषि सामान्य	79	54
2.	कृषि अनुसूचित जाति	48	24

(ऊर्जा मंत्री)

क्र.सं.	श्रेणी	दिये गये कनेक्शनों की संख्या	
		बस्सी	चाकसू
3.	कृषि विशेष	302	108
4.	फार्म हाऊस	122	44
5.	कृषि नर्सरी	13	0
	कुल योग	**564**	**230**

माहवार व उपखण्डवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" और "ब" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। यह सही है कि जयपुर जिला वृत्त के अधिनस्थ सभी उपखण्डों में माह मार्च, 2005 तक जमा मांग पत्र वाले आवेदकों को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। वर्तमान में माह अक्टूबर, 2004 तक विवाद रहित जमा मांग पत्र वाले आवेदकों को कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। माह मार्च, 2005 तक जमा मांग पत्र वाले आवेदकों को प्राथमिकतानुसार एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार (विवादग्रस्त नहीं होने पर) शीघ्र कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) डिमाण्ड राशि जमाशुदा काश्तकारों को, कृषि कनेक्शन नियमानुसार/प्राथमिकतानुसार एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार जारी किये जाते हैं। इसमें किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध जान-बूझकर देरी करने की शिकायत प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

(4) कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 18 के अनुसार ऐसे समस्त कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में उसी गांव के नीचे वरीयता वाले आवेदकों के कनेक्शन जारी होने की तिथि से सामान्य श्रेणी में बिलिंग करने का प्रावधान है।

परिशिष्ट 'अ'

बस्ती उपखण्ड कार्यालय (अन्तर्गत-जिला खण्ड-प्रथम) के तहत माह दिसम्बर. 2003 से मार्च, 2005 तक जारी कृषि कनेक्शन की माहवार एवं श्रेणीवार विवरण सूची

क्र.सं.	माह	कृषि सामान्य	कृषि अनु. जाति	कृषि विशेष	फार्म हाउस	नर्सरी	कुल योग	रिमाण्ड
1.	दिसम्बर. 2003	3	3	30	6	1	43	
2.	जनवरी. 2004	5	1	39	4	-	49	
3.	फरवरी. 2004	-	-	32	-	-	32	
4.	मार्च. 2004	-	1	9	-	-	10	
5.	अप्रैल. 2004	-	-	8	-	-	8	
6.	मई, 2004	-	-	-	-	-	-	
7.	जून. 2004	-	1	2	-	1	4	
8.	जुलाई. 2004	1	1	5	2	1	10	
9.	अगस्त, 2004	-	-	-	-	-	-	

क्र.सं.	माह	कृषि सामान्य	कृषि अनु. जाति	कृषि विशेष	फार्म हाउस	नर्सरी	कुल योग	रिमाण्ड
10.	सितम्बर, 2004	4	2	10	22	-	38	
11.	अक्टूबर. 2004	24	24	120	18	4	190	
12.	नवम्बर, 2004	7	-	3	9	-	19	
13.	दिसम्बर, 2005	10	3	20	5	1	39	
14.	जनवरी, 2005	20	10	15	20	3	88	
15.	फरवरी. 2005	1	-	-	13	-	14	
16.	मार्च, 2005	4	2	9	23	2	40	
कुल योग :-		**79**	**48**	**302**	**122**	**13**	**564**	

अधिशासी अभियन्ता (जिखप्र)

परिशिष्ट 'ब'

सहायक अभियंता चाकसू द्वारा दिसम्बर, 2003 से मार्च, 2005 तक माहवार किये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण

क्र.सं.	माह	श्रेणी का विवरण			
		General	SC	Spl.	Farm number
1.	दिसम्बर, 2003	2	5	11	-
2.	जनवरी, 2004	2	1	2	8
3.	फरवरी, 2004	1	-	11	3
4.	मार्च, 2004	-	-	1	4
5.	अप्रैल, 2004	-	-	-	-
6.	मई, 2004	-	1	-	-
7.	जून, 2004	1	1	-	-
8.	जुलाई, 2004	2	-	-	-
9.	अगस्त, 2004	3	-	1	-
10.	सितम्बर, 2004	1	4	14	11
11.	अक्टूबर, 2004	19	1	36	17
12.	नवम्बर, 2004	1	1	2	1
13.	दिसम्बर, 2004	-	2	12	-
14.	जनवरी, 2005	5	5	10	-
15.	फरवरी, 2005	2	-	4	-
16.	मार्च, 2005	15	3	4	-
	कुल योग :-	54	24	108	44

श्री कन्या सदाचार पाठशाला, जयपुर में व्याप्त अनियमितताएं

403. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री कन्या सदाचार पाठशाला, जयपुर पंजीकृत संस्था है? यदि हां, तो इसके पंजीयन की प्रति मय वक्त दर वक्त संशोधन के साथ सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्था के 1992 के बाद कौन-कौन सदस्य रहे व कब-कब इसके चुनाव हुए? किन-किन सदस्यों की सदस्यता किन-किन कारणों से कब कब समाप्त की गई? कब कौन-कौन से पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य चुने गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस संस्था के अवैधानिक चुनावों के संबंध में वर्ष 1996 में ज्ञापन दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? ज्ञापन पत्र की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन चुनावों को अवैध मानकर इस संस्था पर प्रशासक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि इस संस्था द्वारा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 1995 से अब तक लगातार हटाया जाना जारी है? यदि हां, तो किन-किन लोगों को किन-किन कारणों से व किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर हटाया गया?

उत्तर

(1) जी हां। संस्था के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत विधान की प्रति मय संशोधनों के परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) संस्था द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्री कन्या सदाचार पाठशाला जयपुर के वर्ष 1992 के बाद रहे सदस्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। वर्ष 1992 के बाद संस्था के चुनाव दिनांक 14.5.1995, 23.6.1998, 24.6.2001 एवं 23.6.2004 को हुए हैं। संस्था द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री शिवराम शर्मा एवं श्रीमती किरण

(सहकारिता मंत्री)

शर्मा पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की सदस्यता दिनांक 14.7.1996 को पाठशाला विरोधी गतिविधियों के कारण समाप्त की गई। वर्ष 1992 के पश्चात चुनी गई कार्यकारिणी की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। परन्तु राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत रजिस्ट्रार, संस्थायें को अवैधानिक चुनावों के संबंध में कोई कार्यवाही करने की शक्तियां नहीं है

(4) जी नहीं। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार संस्थायें प्रशासक लगाने के लिए सक्षम नहीं है।

(5) जी हां। संस्था द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 1996 में श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री शिवराम शर्मा एवं श्रीमती किरण शर्मा पत्नि श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा को शाला विरोधी गतिविधियों के कारण स्कूल के भविष्य एवं वर्तमान की सुरक्षा की दृष्टि से "राजस्थान राजपत्र" 18 फरवरी, 1993 के गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 39 के पैरा (2) के खण्ड-ज के उपखण्ड (III) के अंतर्गत हटाया गया।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निगम बस सेवा

404. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बाड़मेर से फलसूंड, बाड़मेर से डण्डू, बाड़मेर से आरण, बायतु से बाटाडू होते हुए आरंग बायतु से रामदेवरा (जैसलमेर) बायतु से सिणधरी आदि मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की यात्री बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा प्रस्तावित मार्गों में से केवल बाड़मेर से डण्डू-फलसूण्ड मार्ग पर बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। शेष प्रस्तावित मार्ग आर.टी.ए. रिकार्ड में खुले हुऐ नहीं होने के कारण उन पर निगम बस सेवाओं के संचालन किये जाने का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

बाड़मेर से डण्डू-फलसूण्ड-रामदेवरा मार्ग पर निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण

बाड़मेर	डण्डू	फलसूण्ड	रामदेवरा	रामदेवरा	फलसूण्ड	डण्डू	बाड़मेर
0530	1730/0740	0830/0840	1030	1330	1530/1540	1600/1630	1830
1000	1230/1240	1400/1410	1600	1000	1150/1200	1340/1350	1545
1500	1700/1710	1830/1840	2030	0630	0815/0825	1010/1015	1215
बाड़मेर	डण्डू	फलसूण्ड	हरिद्वार	हरिद्वार	फलसूण्ड	डण्डू	बाड़मेर
0730	0900/0910	1000/1010	0730	1500	1315/1325	1400/1410	1530
बाड़मेर	डण्डू	फलसूण्ड	बीकानेर	बीकानेर	फलसूण्ड	डण्डू	बाड़मेर
0830	1000/1010	1115/1125	1730	0500	1050/1100	1220/1230	1400
1230	1400/1410	1515/1225	2200	0915	1550/1600	1710/1715	1845
बाड़मेर	डण्डू	फलसूण्ड	फलौदी	फलौदी	फलसूण्ड	डण्डू	बाड़मेर
1345	1540/1550	1715/1725	2000	0700	0950/100	1130/1140	1330
बाड़मेर	डण्डू	राजाबेरा		राजाबेरा	डण्डू	बाड़मेर	
1600	1800/1810	1830		0630	0810/0815	1015	

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत

प्राप्त राशि का उपयोग

405. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना राज्य में कब से शुरू की गई एवं अब तक इसके अन्तर्गत राज्य को कितना धन कब प्राप्त हुआ व कितना-कितना धन किन-किन जिलों को कब आबंटित किया गया?

(2) जिलों में उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन कार्यों की स्वीकृति किस तिथि को की गई व किस-किस तिथि को कौन-कौन से कार्य कितने कितने श्रमिकों की स्वीकृति के साथ प्रारम्भ किये गये? प्रत्येक कार्य पर श्रमिक सीमा क्या स्वीकृत की गई व कितने-कितने श्रमिक नियोजित किये गये? श्रमिक नियोजन सूचना माहवार सदन की मेज पर रखें। प्रतिदिन औसत कितनी मजदूरी भुगतान की गई?

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों पर कितना-कितना धन कब-कब व्यय हुआ? जानकारी जिलेवार, तहसीलवार, कामवार सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य को कुल आबंटित राशि में से कितनी राशि दिनांक 1 मार्च, 2005 तक व्यय की गयी?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना राज्य में नवम्बर, 2004 से शुरु की गई है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 के लिये रुपये 3532.69 लाख एवं 36269 मैं. टन गेहूं जिला परिषदों को भारत सरकार द्वारा आबंटित किया गया है, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-क में उपलब्ध है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत सभी पांचों जिलों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही एवं करोली में माह फरवरी, 2005 तक स्वीकृत कार्यों के नाम, वितीय स्वीकृति क्रमांक, स्वीकृत राशि, माहवार व्यय राशि व सृजित मानव दिवसों की संख्या व प्रतिदिन औसत मजदूरी की सूचना क्रमशः संलग्न परिशिष्ट-1, 2, 3, 4 एवं 5 में उपलब्ध है। कार्यवार स्वीकृत श्रमिक संख्या एवं प्रतिमाह औसत श्रमिक नियोजन की बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही एवं

(ग्रामीण विकास मंत्री)

करोली जिलों की सूचना क्रमश: संलग्न परिशिष्ट 6, 7, 8, 9 एवं 10 में उपलब्ध है।

(3) स्वीकृत कार्यों पर हुए व्यय की जिलेवार, पंचायत समितिवार, कार्यवार सूचना संलग्न परिशिष्ट 1, 2, 3, 4 एवं 5 में उपलब्ध है।

(4) कुल आबंटित संसाधनों में से 1 मार्च, 2005 तक किये गये व्यय की सूचना संलग्न परिशिष्ट-क में दी गई है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में रिवाल्विंग फण्ड योजनान्तर्गत लाभान्वित सहरिया परिवार

406. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरिया परिवारों के लिए क्या-क्या योजनायें विगत तीन वर्षों से प्रारम्भ की गई व इनका लाभ कितने परिवारों को मिल रहा है? पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004-05 में कितने सहरिया परिवारों को किस-किस योजना में कितना अनुदान दिया गया?

(3) रिवाल्विंग फण्ड योजना में सहरिया कृषकों को पंचायतवार कितना-कितना ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। जिससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरिया परिवारों के लिए विगत तीन वर्षों में प्रारम्भ की गई योजनाओं की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। इन योजनाओं से 4815 सहरिया परिवारों को लाभान्वित किया गया। लाभान्वित परिवारों की योजनावार एवं पंचायतवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2004-05 में 868 सहरिया परिवारों को विभिन्न योजनाओं में 25.044 लाख रुपये (पच्चीस लाख चार हजार चार सौ रुपये मात्र) अनुदान दिया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभान्वित परिवार	व्यय राशि (लाख रुपये में)
1	डीजल/विद्युत पम्प सेट पर अनुदान	50	5.000
2	गाय क्रय अनुदान	01	0.075
3	अंशपूंजी क्रय अनुदान	500	2.500
4	सौलर इलेक्ट्रिफिकेशन	130	17.00
5	कृषि उपकरण क्रय अनुदान	187	0.469
	योग	868	25.044

(3) रिवाल्विंग फण्ड योजना में वर्ष 2004-05 में आगर पंचायत के 21 कृषकों को राशि रुपये 29125/- का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। (लाभान्वित की सूची परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बस स्टैण्ड जहाजपुर में बाबा साहेब अम्बेडकरजी की प्रतिमा की स्थापना

407. श्री शिवजी राम मीणा (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बस स्टैण्ड जहाजपुर में अम्बेडकर सर्किल पर बाबा साहब अम्बेडकरजी की मूर्ति लगाने की स्वीकृति का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से एवं अब तक स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण है?

(2) क्या यह सही है कि टोंक में तिराहे पर स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधीजी की प्रतिमा एवं निवाई में पंचायत समिति के बाहर बीच सड़क पर स्मारक बनवाया गया है? यदि हां, तो इन दोनों के निर्माण की स्वीकृति किस सक्षम अधिकारी द्वारा किन नियमों के तहत जारी की गई? स्वीकृति आदेश एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें.

(3) क्या सरकार जहाजपुर में अम्बेडकरजी की प्रतिमा लगाने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह प्रकरण जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के यहां अप्रैल, 2001 से विचाराधीन है। नगर पालिका मण्डल जहाजपुर द्वारा डा. अम्बेडकर की मूर्ति स्थापन के संबंध में अभी तक स्थान का चयन नहीं किया गया है।

(2) जी हां। टौंक शहर के छांवनी तिराहे पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी की मूर्ति की स्थापना सार्वजनिक निर्माण विभाग, टौंक द्वारा की गई है। इस मूर्ति स्थापना की स्वीकृति सम्भाग स्तरीय गठित समिति द्वारा दिनांक 13.11.2000 को प्रदान की गई है।

अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड टौंक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 30.4.2003 प्राप्त कर, निवाई पंचायत समिति के बाहर मुख्य सड़क के मध्य में अहिंसा सर्किल का निर्माण करवाया गया है। स्वीकृति आदेशों व नियमों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) प्रश्न का उत्तर भाग संख्या एक में निहित है। स्थान के चयन एवं बोर्ड द्वारा उचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलक्टर/सम्भागीय आयुक्त से अनुमति प्राप्त की जाकर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।

क्रमांक प9(16)/मूर्ति स्थापना/97/वो2/202 दिनांक 13.11.2000

<u>आज्ञा</u>

शासन उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.29(5)/मूर्ति/विविध/डी.एल.बी/97/2266-2516 दिनांक 1.3.1997 के द्वारा सार्वजनिक स्थानों एवं राष्ट्रीय मार्गों पर लगाई जाने वाली प्रतिमाओं के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु सम्भागीय स्तर पर गठित समिति के समक्ष तिराहा छावनी ट्रेफिक आइलेण्ड के भीतर, टोंक शहर में भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार की मूर्ति लगाये जाने की स्वीकृति हेतु नगर परिषद, टोंक के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 28.8.2000 एवं जिला कलक्टर, टोंक के प्रस्ताव संख्या 3716/सामान्य/2000 दिनांक 2.9.2000 प्राप्त होने पर समिति की बैठक दिनांक 10.11.2000 को अपरान्ह 3.00 बजे आयोजित की गई। उक्त बैठक में संलग्न सूची के अनुसार

अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में तिराहा छावनी ट्रेफिक आइलेण्ड के भीतर, टोंक शहर में भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

निर्णयानुसार भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति तिराहा छावनी ट्रेफिक आइलेण्ड के भीतर, टोंक शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित एवं प्रस्तावित स्थल पर लगाये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1- उक्त मूर्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित नक्शे एवं प्रस्तावित स्थल (तिराहा छावनी ट्रेफिक आइलेण्ड के भीतर, टोंक शहर) में ही लगाई जावेगी अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी

2- जिस भूमि पर मूर्ति की स्थापना की जायेगी उस पर स्वामित्व राज्य सरकार/नगर परिषद का रहेगा।

3- मूर्ति स्थापना से किसी प्रकार का यातायात व्यवधान नहीं होना चाहिये तथा यातायात पुलिस के निर्देशों की पालना की जावेगी।

4- इस मूर्ति की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा नगर परिषद द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जावेगा।

5- इस स्वीकृति के संबंध में जारी शर्तों की पालना करने हेतु संबंधित टोंक डिवीजन पी.डब्ल्यू.डी. यूनियन, टोंक को जिला कलक्टर, टोंक के कार्यालय में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा।

6- इस स्वीकृति के संबंध में समिति के निर्णय/स्वीकृति के पश्चात आवश्यकता होने पर लिये गये निर्णय की समीक्षा, पुनरावलोकन, स्थगन एवं निरस्ती आदि राज्य सरकार किसी भी समय कर सकेगी।

ह.

सम्भागीय आयुक्त,

अजमेर।

परिशिष्ट-'अ'

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड

क्रमांक : दिनांक 30.6.2004

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका निवाई

विषय :- झिलाय रोड गांधी पार्क के पास सर्किल बनाने बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 425 दिनांक 24.4.03 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि झिलाय रोड गांधी पार्क के पास जयपुर टोंक रोड पर सर्किल निर्माण की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

(1) सर्किल, डिवाइडर व सड़क का निर्माण कार्य नगर पालिका को अपने खर्चे पर P.W.D. Specification के अनुसार करवाना होगा।

(2) सर्किल व डिवाइर के दोनों तरफ डामर सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर होनी चाहिए एवं इसके बाद दोनों तरफ 2.5 मीटर बक्से की चौड़ाई होनी चाहिए।

(3) निर्माण कार्य करवाते समय यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जानी चाहिए।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड, टोंक

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:एफ29(5)मूर्ति/पिपिय/डीएलबी/97/2266-2516 जयपुर, दिनांक 1.3.1997

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक एफ 29(5) विविध/ डीएलबी/87/268 दिनांक 23.1.1987 द्वारा राजकीय स्तर पर गठित समिति

को भंग (निरस्त करते हुये सार्वजनिक स्थानों एवं राष्ट्रीय मार्गों पर लगाये जाने वाली प्रतिमाओं के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु राज्य सरकार एतद द्वारा सम्भागीय स्तर पर निम्न प्रकार से समिति गठन करती है :-

1.	सम्भागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2.	संबंधित जिला कलक्टर	सदस्य
3.	सम्भागीय स्तर पर कार्यरत मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियंता	सदस्य
4.	सम्भागीय स्तर पर कार्यरत नगर नियोजक/उप नगर नियोजन	सदस्य
5.	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
6.	अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त	सदस्य सचिव

उक्त गठित समिति निम्नानुसार कार्यवाही करेगी :-

(अ) चयन योग्य व्यक्ति :-

राष्ट्रीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी तथा अन्य ऐसी डी श्रेणी के दिवंगत व्यक्तियों की प्रतिमायें सार्वजनिक स्थानों एवं राज्य मार्गों पर उक्त गठित समिति की स्वीकृति प्राप्त कर लगाई जा सकेगी।

(ख) व्यक्ति व स्थान के चयन हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति के समक्ष निम्नांकित विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे :-

1. प्रतिमा स्थापित किये जाने वाले स्थान का पूर्ण विवरण।
2. प्रस्तावित स्थान का यातायात की दृष्टि से विवेचन।
3. प्रतिमा तैयार करने वाले शिल्पकार का विवरण।
4. नगर निगम/परिषद/पालिका/नगर विकास न्यास मण्डल एवं प्रस्ताव।
5. जिस धातु की प्रतिमा तैयार की जानी है उसका विवरण।
6. प्रतिमा की माप एवं प्लेट फार्म की ऊंचाई तथा उसके अधीन प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण।

7. प्रतिमा हेतु चयनित व्यक्ति यदि राष्ट्रीय/राज्यीय स्तर का या स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहा हो तो उसके व्यक्तिगत (बायोडाटा) का पूर्ण विवरण।

8. प्रतिमा लगाने पर सम्भावित वित्तीय व्यय एवं उसके प्राप्ति के संशाधनों का विवरण साथ ही किसी भी प्रकार की मूर्ति आदि निर्माण व स्थापना आदि पर निगम परिषद/पालिका कोष से व्यय नहीं किया जावे व इसके लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को ही व्यय भार वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जावे।

9. प्रतिमायें यातायात दृष्टि से किसी चौराहे के मध्य स्थापित नहीं की जावे।

(स) मूर्ती स्थापना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में एवं भविष्य में दिये जाने वाले दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना की जावे।

नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं/प्राधिकरण नगर विकास न्यास जब कभी अपने क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव भेजे तो उप उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण करें तथा सम स्वीकृति मिलने पर ही प्रतिमा स्थापित होने दे।

नोट :- उक्त समिति के निर्णय/स्वीकृति के पश्चात आवश्यकता होने पर लिये गये निर्णय की समीक्षा, पुनरावलोकन, स्थगन एवं निरस्ती का अधिकार राजय सरकार में निहित होगा।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव

गोगामेडी (हनुमानगढ़) का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

408. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ के गोगामेडी मेले में वर्ष 2004 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कोई प्रकरण पकड़ा गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पकड़े गये प्रकरण से किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

(3) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में कौन कौनसी सामग्री एवं नकदी पकड़ी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2004 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही के पश्चात् किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) विगत पांच वर्षों में गोगामेडी मेले के दौरान सरकार को कितनी कितनी आय प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार भविष्य में लोक देवता गोगाजी के गोगामेड़ी को पर्यटक स्थल के घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला हनुमानगढ़ की तहसील नोहर के अन्तर्गत गोगामेडी में प्रतिवर्ष लगने वाले श्री गोगाजी महाराज के मेले सन् 2004 की मेला अवधि (दिनांक 30.8.2004 से 28.9.2004 तक की) समाप्ति के पश्चात् मंदिर में प्राप्त चढ़ावे की राशि रेजगारी तथा अन्य सामान को देवस्थान विभाग, बीकानेर के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 6.10.2004 को रात्रि 11.30 बजे गोगामेडी से बीकानेर ले जाते हुए मिनी ट्रक को रास्ते में रोक कर आकस्मिक जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, हनुमानगढ़ द्वारा पकड़ा जाकर चढ़ावे की राशि के अवैध अर्जन, हिसाब-किताब नहीं रखने तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन नहीं करने आदि के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कर ली गई है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ द्वारा दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. के आधार पर श्री शिवभगवान पुरोहित, सहायक आयुक्त, देवस्थान, बीकानेर एवं श्री रामदीन ग्वाला, निरीक्षक को निलम्बित किया जा चुका है। श्री बुलाकीदास, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बित कर उसका मुख्यालय अन्यत्र करने हेतु निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लिखा गया है, क्योंकि उनके नियुक्ति अधिकारी वहीं हैं। उक्त सब के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

(देवस्थान मंत्री)

(3) प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ द्वारा चैकिंग के दौरान निम्नलिखित नकदी/रिकार्ड/सामग्री पकड़ी गई :-

1. कर्मचारीगण की तलाशी में – रुपये 28,252/-
2. ट्रक में रखे गये बक्से में- रुपये 3,18,767.50 पैसे
3. देवस्थान विभाग, कैम्प कार्यालय गोगामेड़ी की तिजोरी में रुपये 1,29,500/-
4. देवस्थान विभाग, बीकानेर कार्यालय के केश रूम में रुपये 1,97,130 /-

उपरोक्त के अलावा कैश बुक, बिल पंजिका, टेण्डर रजिस्टर, चालान पत्रावली, बिल पत्रावली, मेले से संबंधित रिकार्ड, दुकाने ठेके पर देने सम्बन्धित रिकार्ड एवं बिजली, पानी, टेलीफोन, स्नानघर आदि की व्यवस्था संबंधी पत्रावलियां भी ब्यूरो द्वारा जब्त की गई।

(4) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आकस्मिक चैकिंग हेतु की गई उक्त कार्यवाही के पश्चात् निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई :-

1. श्री दाऊ लाल, वरिष्ठ लिपिक (केशियर)
2. श्री नन्दलाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
3. श्री भागीरथ, पुजारी
4. श्री जोगेन्द्र सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
5. श्री श्रवण कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
6. श्री दिनेश रावत, फण्ड लिपिक (अस्थाई)
7. श्री करणी सिंह, फण्ड लिपिक (अस्थाई)
8. श्री गोपाल आचार्य फण्ड लिपिक (अस्थाई)
9. श्री राजेन्द्र सिंह, फण्ड लिपिक (अस्थाई)
10. श्री रामदीन, निरीक्षक, देवस्थान

(देवस्थान मंत्री)

11. श्री बुलाकीदास, कनिष्ठ लेखाकार

12. श्री शिवभगवान राजपुरोहित, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारीगण के विरुद्ध FIR दर्ज कर प्रकरण महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किया है।

(5) विगत पांच वर्षों में गोगामेडी मेले की आय इस प्रकार है-

मेला वर्ष (आय राशि-लाखों में)

मद	99-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
नकद भेंट	18.11	20.27	25.95	25.69	23.70	25.76
अस्थाई दुकानों के भूखण्डों की नीलामी से आय	18.75	26.75	34.88	23.53	32.38	35.31
योग :-	**36.86**	**47.02**	**60.83**	**49.22**	**56.08**	**61.07**

(6) राज्य सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाकर केवल विकसित किया जाता है। अत: क्षेत्र की आवश्यकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधन के अनुरुप विकास कार्यों पर व्यय किये जाने का विचार रखती है।

प्रतापगढ़ चीनी उत्पादक सहकारी समिति लि. प्रतापगढ़ का अवसायन

409. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स प्रतापगढ़ इण्डस्ट्रीज, प्रतापगढ़ का चीनी उत्पादक सहकारी समिति लि. प्रतापगढ़ में सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया था? यदि हां, तो कब व इस समिति में कौन-कौन सदस्य थे एवं इनकी कितनी-कितनी हिस्सा राशि समिति में जमा की गई?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में समिति के सदस्यों को जमा हिस्सा राशि लौटा दी गई? यदि हां, तो क्या जिन नियमों एवं शर्तों के आधार पर समिति का पंजीयन कर राजस्व भूमि आबंटित की गई थी, उसके

(श्री नन्दलाल मीणा)

उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाने के कारण 99 वर्ष की लीज को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये था? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) समिति द्वारा किये गये उत्पादन का गोशवारा वर्ष में कितनी बार भेजा जाना चाहिए था? क्या यह भी सही है कि सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 78 के अन्तर्गत उक्त समिति को अवसायन में लाने का सुझाव दिया था? वह अवसायक को अधिनियम की धारा 80 के अन्तर्गत समस्त शक्तियों को अधिकार देते हुये अवसायन की कार्यवाही 3 माह में पूर्ण कर अंतिम अवसायन रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हेतु श्री हरिप्रसाद भटनागर को अपने आदेश दिनांक 30 अगस्त, 1989 द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो अवसायक श्री हरिप्रसाद भटनागर द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहकारी अधिनियम के अंतर्गत मै. प्रतापगढ़ इण्डस्ट्रीज प्रतापगढ़ का पंजीयन नहीं किया गया है किन्तु सहायक रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी संस्था अधिनियम के तहत 10.9.1960 को क्रमांक 373 "एच" पर प्रतापगढ़ चीनी उत्पादक सहकारी समिति लि. प्रतापगढ़ का पंजीयन अंकित है। वक्त पंजीयन संस्था के सदस्यों एवं उनके द्वारा जमा कराई हिस्सा राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अवसायन रिपोर्ट के अनुसार सदस्यों को हिस्सा राशि नहीं लौटाई गई है। समिति को भूमि औद्योगिक एरिया अलोटमेंट रूल, 1959 के प्रावधानों के तहत 99 वर्ष की लीज पर उक्त चीनी उत्पादक सहकारी समिति को जिला कलक्टर चित्तौडगढ़ के आदेश संख्या राजस्व-199 दिनांक 2.3.1967 के द्वारा आबंटित की गई थी। उक्त सहकारी समिति द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण विभाग द्वारा अवसायन में लाई जाकर पंजीयन रद्द किया जा चुका है।

(3) समिति द्वारा उत्पादन का गोशवारा वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाता है। समिति द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 78 के तहत अवसायन में लाने का नोटिस दिनांक 30.8.1989 को दिया जाकर समिति को सहायक रजिस्ट्रार,

(सहकारिता मंत्री)

सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक 67-71 दिनांक 8.4.1993 से समिति को अवसायन में लाया जाकर श्री गजराज सिंह, निरीक्षक को अवसायक नियुक्त किया और अधिनियम की धारा 80 के तहत अवसायक की शक्तियां दी गई तत्पश्चात स्थानान्तरणों के कारण अवसायक बदले जाते रहे और रमेश कुमार पुरोहित, निरीक्षक (कार्यकारी) द्वारा समिति की अन्तिम अवसायक को रिपोर्ट 30.3.1999 को प्रस्तुत की गई जो परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इस रिपोर्ट के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार के आदेश क्रमांक 1394-96 दिनांक 31.3.1999 को पंजीयन रद्द कर दिया गया। उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर श्री हरिप्रसाद भटनागर को इस मामले में कभी भी अवसायक नहीं लगाया गया।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा-खातौली-श्योपुर मार्ग पर निजी बसों का अवैध संचालन

410. **श्री प्रभुलाल वर्मा** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में किस-किस मार्ग पर निजी बस मालिकों को बसें संचालित करने का परमिट जारी किया हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि कोटा से खातौली एवं कोटा से श्योपुर मार्ग पर नियमित निगम बसें प्रत्येक घंटे में संचालित हैं? इसी मार्ग पर निजी बस मालिकों द्वारा 2x2 कोच डीलक्स एवं सामान्य बसें भी संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि इस मार्ग पर निजी बसों को संचालित करने का परमिट दिया गया है? यदि हां, तो ऐसी कितनी निजी बसों हेतु परमिट कितनी अवधि के लिये जारी किया गया? क्या सरकार इन अवैध बसों के संचालन पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इन अवैध बसों को बन्द करने एवं इनके संचालन को रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) कोटा जिले में जिन मार्गों पर निजी बस मालिकों को बसें संचालित करने हेतु परमिट जारी किये हुए हैं, उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जहां तक कोटा से खातौली एवं कोटा से श्योपुर मार्ग पर निजी बसों के संचालन का प्रश्न है। इन मार्गों पर निजी बसों को स्थाई परमिट जारी नहीं हैं, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 88(9) के तहत पर्यटक अनुज्ञापत्र प्राप्त वाहन, धारा 88(8) के तहत विशेष अनुज्ञापत्र प्राप्त वाहन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित किये जा सकते हैं।

(3) इन मार्गों पर निजी बसों को परमिट जारी नहीं किये गये हैं। चैंकिग के दौरान इन मार्गों पर बसों का अवैध संचालन पाये जाने पर इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जांती है।

(4) इन मार्गों पर चलने वाली बसों के अवैध संचालन के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। गत एक वर्ष में अवैध रूप से चलने वाली 9 बसों के चालान बनाये जाकर 0.17 लाख रुपये प्रशमन राशि वसूल की गई है एवं 2 बसों को सीज किया. गया है। इस प्रकार विभाग द्वारा अवैध संचालन को रोकने की कार्यवाही की गई है। अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट 'क'

कोटा जिले के निजी मार्गों की सूची

क्र.सं.	मार्ग का विवरण	जारी अनुज्ञा पत्रों की संख्या
1.	कोटा से इन्द्रगढ़ वाया केशव राय पाटन	27
2.	कोटा से खानपुर वाया जे.के. डी.सी.एम.	12
3.	सागोद से खानपुर वाया हिंगी	10
4.	कोटा से सागोद वाया जे.के. डी.सी.एम.	13
5.	कोटा से खटकड़ वाया केशव राय पाटन	15

क्र.सं.	मार्ग का विवरण	जारी अनुज्ञा पत्रों की संख्या
6.	कोटा से कामरेन वाया केशव राय पाटन	19
7.	कोटा से रोटेदा वाया केशव राय पाटन	1
8.	सागोद से मागरोल वाया अन्ता	1
9.	अन्ता से सीसवाली वाया सीसवाली	1
10.	अन्ता से सीसवाली वाया काचरी	2
11.	अन्ता से ढीबरी वाया सीसवाली	3
12.	इटावा से ढिबरी वाया बरेड़ा	5
13.	गुडली से ढिबरी वाया केथूदा	1
14.	निमोबा से खतौली वाया शेरगढ़ मोड़	2
15.	सागोद से सुल्तानपुर वाया निमोदा खुर्द	2
16.	इटावा से खातौली वाया नौनेरा	3
17.	ढिबरी से मागरोल वाया पटपडिया	6
18.	कोटा से मण्डावरा वाया चन्द्रसेल	1
19.	सागोद से अन्ता वाया कुन्दनपुर	1
20.	कोटा से केथून वाया खेड़ा रसूलपुर	28
21.	चम्बलडेम से रावतभाटा वाया जवाहर नगर	2

बूंदी जिले में केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न आवास योजनान्तर्गत प्राप्त राशि

411. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्र प्रवर्तित इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना एवं क्रमोन्नत आवास योजना के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

अन्तर्गत बूंदी जिले की विभिन्न पंचायतों के लिए वर्ष 2003-04 व 2004-05 के लिए कितनी राशि आबंटित की गई और प्रत्येक पंचायत में इन तीनों श्रेणियों के कितने-कितने आवास किस-किस को आबंटित किये गये? कितने आवास पूरे हुए और कितने अपूर्ण हैं तथा कितना-कितना लाभार्थियों को भुगतान हो चुका और कितना बाकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बूंदी में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (प्रथम) के अन्तर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05 के लिए कुल कितना बजट प्राप्त हुआ और 22.5 प्रतिशत से कुल कितनी राशि इस हेतु उपलब्ध हुई? इसके अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में कितने-कितने व्यक्तियों का व्यक्तिगत लाभ योजना के अन्तर्गत चयन किया गया तथा कितने कार्य पूर्ण और कितने अधूरे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सम्पूर्ण ग्रामीण योजना (द्वितीय) में जिला बूंदी की किस-किस ग्राम पंचायत के लिए वर्ष 2003-04, 2004-05 में कितनी राशि आधारभूत संरचना के लिए आबंटित की गई, कितने कार्य पूरे हुए और कितने अधूरे हैं, कितना भुगतान किया गया और कितना बाकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृत व्यक्तियों का चयन ग्राम सभाओं में किया गया था?

उत्तर

(1) केन्द्र प्रवर्तित इन्दिरा आवास योजना (नवीन एवं क्रमोन्नत) के तहत जिले को वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में क्रमशः 69.28 लाख रुपये एवं 92.30 लाख रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (नवीन एवं क्रमोन्नत) के तहत जिले को वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में क्रमशः 13.80 लाख रुपये एवं 13.77 लाख रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ है। योजना में प्राप्त आबंटन के आधार पर ज़िले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को स्वीकृत आवासों के लक्ष्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आबंटित आवासों का लाभार्थीवार आवासों के पूर्ण, अपूर्ण, भुगतान एवं बकाया भुगतान का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (प्रथम) के तहत जिले को वर्ष

(ग्रामीण विकास मंत्री)

2003-04 में 197.51 लाख रुपये का नकद एवं 1846 मै. टन गेहूं कीमत 84.916 लाख रुपये कुल 282.426 लाख रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में योजना के तहत प्रथम धारा में 172.485 लाख रुपये नकद एवं 1308 मै. टन गेहूं कीमत 60.166 कुल 232.651 लाख रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ है। योजना मद में 22.5 प्रतिशत व्यक्तिगत लाभार्थ हेतु वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के लिए क्रमशः 63.546 एवं 52.346 लाख रुपये उपलब्ध हुए। उपलब्ध 22.5 प्रतिशत राशि के तहत वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में क्रमशः 508 एवं 211 लाभार्थियों का चयन किया जाकर आवास स्वीकृत किये गये। स्वीकृत आवासों में वर्ष 2003-04 में 331 एवं वर्ष 2004 2005 में 41 आवास पूर्ण कराये गये तथा अपूर्ण 347 आवासों की सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की द्वितीय धारा के तहत वर्ष 2003-04 में 167.06 लाख रुपये नकद एवं 1851 मै. टन गेहूं कीमत 85.146 लाख कुल 252.206 लाख रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार योजना में वर्ष 2004-05 में 156.80 लाख रुपये नकद एवं 1308 मै. टन गेहूं कीमत 60.168 कुल 216.973 लाख रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। आबंटित राशि से वर्ष 2003-04 में 567 कार्य स्वीकृत किये जाकर 566 कार्य पूर्ण कराये गये शेष एक कार्य अपूर्ण है। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में 360 कार्य स्वीकृत किये जाकर 358 कार्य पूर्ण कराये गये। शेष दो कार्य अपूर्ण हैं। वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध किये गये व्यय के विरुद्ध क्रमशः 206.071 एवं 185.636 कुल 391.707 लाख रुपये का भुगतान किया गया है एवं कोई भुगतान किया जाना बकाया नहीं है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) जी हां। इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृत व्यक्तियों का चयन ग्राम सभाओं में किया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जनजाति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत योजनाएं

412. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2002-03 में धारा 275 (1) के अन्तर्गत भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14020/9(13) 2002 एस.जी. एण्ड सी. दिनांक 18 मार्च, 2003 द्वारा राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो किस-किस योजना हेतु एवं किस-किस क्षेत्र के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन-जिन योजनाओं हेतु स्वीकृति जारी की गई उन योजनाओं पर राशि खर्च कर दी गई व क्या कार्य पूर्ण हो गये? यदि हां, तो कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत योजनाओं में हैण्डपम्पों की स्थापना भी करनी थी? यदि हां, तो क्या स्वीकृत हैण्डम्प लग चुके हैं व नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2002-03 में धारा 275 (1) के अन्तर्गत भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 14020/9/13/2002 एसजी एण्ड सी दिनांक 28.3.2003 द्वारा 2000.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अनुसूचित क्षेत्र में 1522.28 लाख रुपये एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 477.72 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। योजनावार एवं क्षेत्रवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जिन योजनाओं हेतु स्वीकृत जारी की गई थी उन योजनाओं पर अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1586.31 लाख रुपये राशि व्यय की गई है। क्षेत्रवार एवं योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। कार्यवार सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। कार्य अपूर्ण रहने के निम्न कारण हैं :-

1. बड़े निर्माण कार्य जैसे बालिका महाविद्यालय छात्रावास, एमबीसी म्यूजियम तथा जीएनएम केन्द्र छात्रावास निर्माण में अधिक समय लगना स्वाभाविक है।

2. निर्माण कार्य में भूमि आबंटन तथा टेण्डर आदि की प्रक्रिया में समय लगना

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) जी हां। यह सही है कि स्वीकृत योजनाओं में हैण्डपम्प स्थापना भी करनी थी। इस प्रयोजनार्थ 200 हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु 80.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। अभी तक 170 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। हैण्डपम्प अपूर्ण रहने के निम्न कारण हैं :-

1. स्वीकृत राशि से कार्य की लागत अधिक आना (बाड़मेर जिला)

2. कुछ स्थानों पर हैण्डपम्प पूर्व से ही स्थापित होने के कारण (सवाई माधोपुर)

3. ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाना (उदयपुर जिला)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा कम्प्यूटरीकरण पर व्यय

413. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या नगरीय एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर में वर्ष 2002 से राजकाम के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण का कार्य कराया गया? यदि हां, तो वर्तमान में कम्प्यूटरीकरण कार्य की क्या स्थिति है तथा इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्तमान में ठप्प है तथा इसके लिए छपाई गई सामग्री तथा चैक आदि अनुपयोगी हो गये हैं? यदि हां, तो उक्त कम्प्यूटीकरण कार्य का सुचारू संचालन कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा वर्ष 2002 में कम्प्यूटरीकरण का कार्य राजकाम्प जयपुर के माध्यम से करवाया गया है। वर्तमान में न्यास कम्प्यूटरीकरण की स्थिति निम्नानुसार है :-

1. हाडवेयर खरीद किया जा चुका है।

2. नैट वर्किंग पूर्ण हो चुका है।

(नगरीय एवं आवासन राज्य मंत्री)

3. राजकाम्प द्वारा साफ्टवेयर का आंशिक भाग तैयार किया गया है।

तथा न्यास द्वारा कम्प्यूटरीकरण कार्य पर लगभग 11,83,737/- रुपये राशि व्यय की गई है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि कम्प्यूटरीकरण का कार्य ठप्प है। इसके लिए छपाई गयी सामग्री यथा हस्तांतरण अनुमति, नामान्तरण स्वीकृति आदि का उपयोग निरन्तर हो रहा है छपाये गये चैक का उपयोग कम्प्यूटर के बजाय मैन्यूअल हो रहा है। उक्त कम्प्यूटरीकरण में कार्मिकों के पूर्ण दक्ष होने में समय लगना स्वाभाविक है पूर्ण दक्षता से लगभग पांच वर्ष में सुचारू संचालन प्रारम्भ हो सकेगा। वर्तमान प्रक्रिया में उत्तरोत्तर सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।

हर्ष पर्बत (सीकर) पर स्थापित पवन ऊर्जा इकाइयों से विद्युत उत्पादन

414. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर की हर्ष पर्बत पवन ऊर्जा के उत्पादन की इकाइयों का लागत मूल्य क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कम्पनी द्वारा सरकार के साथ किए गए अनुबन्ध की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त कम्पनी द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2005 तक कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया तथा कितना भुगतान किया गया?

उत्तर

(1) सीकर के हर्ष पर्वत पर निजी क्षेत्र में स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन की इकाइयों की अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये है।

(2) एनरकान इंडिया लिमिटेड एवं उसकी भिन्न-भिन्न इकाइयों में भागीदार कम्पनियों द्वारा अ.वि.वि.नि.लि. के साथ किये गये अनुबंध में से एक अनुबन्ध की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

(3) उपरोक्त इकाइयों द्वारा 28 फरवरी. 2005 तक 23,82,000

(ऊर्जा मंत्री)

यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया एवं इसके सापेक्ष 56,90,074/- रुपये का भुगतान किया गया।

(अनुबंध की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीम विधान सभा क्षेत्र के क्रेडिट कार्डधारक कृषकों को ऋण

415. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करें :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्ष 2004-05 में कितने किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि क्रेडिट कार्ड धारकों को बैंक द्वारा ऋण देने में आना-कानी की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इन बैंकों को इस सम्बन्ध में दोषी मानकर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्ष 2004-05 में 1325 सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र भीम में कार्यरत पंचायत में वर्ष 2004-05 में वितरित किसान क्रेडिट कार्डों की सूचना

क्र.सं.	नाम पंचायत	वितरित किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या
1	भीम	14
2	कुकरखेड़ा	19
3	टोंगी	5
4	बली	42

क्र.सं.	नाम पंचायत	वितरित किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या
5	कूकड़ा	48
6	थामेटा	34
7	लसाडिया	3
8	बरार	35
9	कुशलपुरा	35
10	ठीकरवास	63
11	छापली	38
12	दीवेर	48
13	कालागुमान	32
14	बाघाना	48
15	बरणाल	35
16	सीमा खेड़ा	17
17	लाखागुड़ा	16
18	बग्गड़	93
19	मण्डावर	102
20	पीपलीनगर	30
21	काछवाली	62
22	कालादेह	27
23	समेलिया	28
24	अजीतगढ़	69
25	जेतगढ़	42
26	बार	51

क्र.सं.	नाम पंचायत	वितरित किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या
27	सारोठ	104
28	डूंगरखेड़ा	68
29	शेखावास	56
30	लगेत खेड़ा	30
31	बोरवा	31
	योग	1325

केन्द्रीय ऋणभार को कम करने हेतु केन्द्रीय सहायता

416. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान सरकार पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक केन्द्र का कितना ऋण बकाया था? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार ने अपने ऋण भार को कम करने के लिए केन्द्र से कोई सहायता मांगी है? यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

विभागीय आंकड़ों के आधार पर केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 को 25 हजार 752 करोड़ 01 लाख रुपये का ऋण बकाया था। विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य के ऋण भार को कम करने के निम्न मुख्य सुझाव दिये :-

(i) बकाया ऋणों को किसी एक तिथि पर समेकित (Candidates) कर उन पर ब्याज दर में कमी करना।

(ii) योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि में ऋण का अनुपात 70 से घटाकर 50 प्रतिशत करना।

(वित्त मंत्री)

(iii) केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज दर में कमी करना।

(iv) बकाया ऋणों में से एक निश्चित तिथि तक के ऋणों का अपलेखन करना।

बारहवें वित्त आयेाग की अनुशंसाओं को मानते हुये केन्द्र सरकार ने अब यह मान लिया है कि राज्य पर 31.3.2004 तक के केन्द्र सरकार के ऋणों की 31.3.2005 की बकाया को समेकित (Candidates) कर पुन: 20 वर्षों के लिए नये ऋणों के रूप में माना जायेगा और इन ऋणों पर ब्याज 7.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय होगा।

परिशिष्ट 'क'

राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार के बकाया ऋण का विवरण

(राशि करोड़ों में)

संस्था का नाम	31 दिसम्बर, 04 को बकाया
केन्द्र सरकार से ऋण	
1. गैर आयोजना ऋण	
(अ) अल्प बचत ऋण	8092.89
(ब) अन्य ऋण	571.02
योग-1	**18663.91**
2. आयोजना अन्तर्गत योजनाओं के लिए ऋण	6492.80
3. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत ऋण	170.09
4. केन्द्र सरकार से अध्युपाय अग्रिम	0.00
5. 1984-85 के पूर्व के कर्जे	425.21
योग-केन्द्र सरकार के ऋण	**25752.01**

झुन्झुनूं जिले में पायलेट प्रोजेक्ट योजना की क्रियान्विति

417. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला झुन्झुनूं में पायलेट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

का विचार रखती है? यदि हां, तो उसकी कार्य योजना में कौन से कार्य कब किस प्रकार किये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पायलेट प्रोजेक्ट के प्रारूप को बनाने में क्षेत्रीय विधायक के सुझाव शामिल करने व विचार-विमर्श करने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(3) पायलेट प्रोजेक्ट में किये जाने वाले कार्यों की राशि कहां से प्राप्त होगी तथा इसे किस प्रकार खर्च करने का प्रावधान है तथा इनमें नोडल एजेन्सी कौनसी होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनान्तर्गत जिला झुन्झुनूं में पायलेट प्रोजेक्ट योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(3) विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनान्तर्गत पायलेट प्रोजेक्ट योजना विचाराधीन नहीं है।

आमेर विधान सभा क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण

418. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर का बहुत बड़ा हिस्सा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की परिधि में आता है? यदि हां, तो कौन-कौन-सा क्षेत्र? नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आमेर के जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नई सड़कें एवं नालियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो नयी प्रस्तावित सड़कों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र आमेर के उक्त क्षेत्र में नई सड़कों एवं नालियों का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आमेर विधान सभा का एक बड़ा क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की परिधि में आता है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। नक्शा परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'स' व 'द' पर सलंग्न है।

(3) स्वीकृत कार्य मार्च, 2006 तक कराये जाने की संभावना है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में नवीन ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना

419. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के कितने ग्रामों में 132 व 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम दलपुरा, कन्जोली, कमालपुरा व तालवेडा में 33 के.वी. सब-स्टेशन नहीं होने के कारण किसानों को बिजली संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

(3) उपरोक्तानुसार।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन पाडला (टोडाभीम) में पूर्व से ही कार्यरत/स्थापित है। इस विधान सभा क्षेत्र में अन्य 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं हैं। विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के अन्तर्गत 33/11 के.वी. का नया सब-स्टेशन ग्राम तालचिडा में बनाना विचाराधीन है। ग्राम शेखपुरा में 33/11 के.वी. का नया सब-स्टेशन माह मार्च, 2005 में स्थापित किया जा चुका है।

(2) ग्राम तालचिडा में 33/11 के.वी. का सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ग्राम दलपुरा, कन्जोली एवं कमालपुरा में सब-स्टेशनों

(ऊर्जा मंत्री)

की स्थापना के प्रस्ताव तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य पाये जाने पर उन्हें स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में किसानों को 33 के.वी. सब-स्टेशन न होने से बिजली संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(3) उपरोक्तानुसार।

बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लम्बित विद्युत कनेक्शन

420. श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्ष 2004-05 में कितने काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन दिये गये व कितने शेष हैं? उक्त में से अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को कितने कनेक्शन दिये जाने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्ष 2004-05 में 168 काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन दिये गये तथा 313 आवेदकों के डिमाण्ड नोटिस जमा हैं जिन्हें कनेक्शन देना शेष है। दिये गये कनेक्शनों में से अनुसूचित जाति के 9 तथा अनुसूचित जनजाति के 7 आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं। अब अनुसूचित जाति के 14 एवं अनुसूचित जनजाति के 13 आवेदन बकाया हैं जिनके डिमाण्ड नोटिस जमा हैं। जिन आवेदकों के डिमाण्ड नोटिस जमा हैं उन्हें उनकी वरीयता क्रम में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

बापी (दौसा) के 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन से स्थानीय कृषकों को विद्युत आपूर्ति

421. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दौसा के ग्राम बापी में 32

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन है? यदि हां, तो उक्त ग्रिड से किस-किस गांव को बिजली आपूर्ति हो रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बापी को उक्त ग्रिड से बिजली आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों को समय पर बिजली उपलब्धत नहीं हो पाती है? यदि हां, तो अब तक उक्त गांव के काश्तकारों को नियमित विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र दौसा के ग्राम बापी के रीको औद्योगिक क्षेत्र में 33/11 के.वी. का एक सब-स्टेशन है। इससे केवल उक्त औद्योगिक क्षेत्र को ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) जी नहीं। ग्राम बापी के 33/11 के.वी. सब-स्टेशन नाभावाला से विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जो सामान्यत: नियमित एवं ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु घोषित नीति के अनुरूप ही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वाणिज्यिक कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण हेतु आमंत्रित निविदाएं

710. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी व संचार व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए वर्ष 2004 में निविदाएं आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निविदाओं को स्वीकृत होने के बाद उन्हें निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त प्रकरण के पश्चात् कोई कार्य योजना बनाई गई? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। जब निविदाएं आमंत्रित एवं स्वीकृत ही नहीं की गई तो इन्हें निरस्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) वर्तमान में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सीमावर्ती चैकपोस्टों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य विभागीय स्तर पर प्रारम्भ किया गया है। चैकपोस्टों पर एकत्रित किये जा रहे दस्तावेजों का कम्प्यूटर में डेटा एन्ट्री अनुबन्ध के आधार पर कराया जाकर मुख्यालय के Server तक पहुंचाया जा रहा है। प्राप्त Data को कर निर्धारण अधिकारी तक इन्टरनेट के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त मुख्य 7 चैकपोस्टों पर राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों (out to out) का कम्प्यूटर में आन लाइन संधारण कराया जा रहा है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सब रजिस्ट्रार पद पर पदोन्नतियां

711. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

राजस्थान सब रजिस्ट्रार सर्विस रूल्स 1954 के तहत मंत्रालयिक कर्मचारियों में से सब रजिस्ट्रार पद पर पदोन्नतियां की जाती रही है? यदि हां, तो अब तक उक्त नियमों के तहत किस अवधि तक कितनी पदोन्नतियां हुई? विवरण मय सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त नियमों के अन्तर्गत कितनी पदोन्नतियां किस अवधि में होना लम्बित है तथा उनका बैकलाग कब तक पूर्ण हो जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सर्विस रूल्स 1954 निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(2) वर्तमान में ऐसी पदोन्नतियों का प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं।

करौली जिला मुख्यालय में सिविल लाइन निर्माण

712. **श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली को जिला बने हुऐ करीब 7-8 वर्ष हो जाने के पश्चात् भी अभी तक सिविल लाइन नहीं बनी है?

(2) क्या सरकार करौली में सिविल लाइन का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अभी तक उपयुक्त भूमि का चयन नहीं होने से सिविल लाइन का निर्माण नहीं हुआ है। भूमि का प्रस्ताव राजस्व विभाग में विचाराधीन है।

(2) भूमि का चयन होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 48 विभिन्न श्रेणी के आवासों का निर्माण वर्ष 2005-06 में प्रस्तावित है।

धौलपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिजनों को देय सुविधाएं

713. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में किस-किस व्यक्ति को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा दिया गया? वर्तमान में उनमें से कितने मृत एवं कितने जीवित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिजनों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों का नामकरण किये जाने के संबंध में क्या-क्या प्राथमिकताएं हैं?

(4) क्या सरकार राजकीय सदर अस्पताल, धौलपुर का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय डा. मंगल सिंह के नाम पर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) (अ) जिला धौलपुर में राज्य सरकार द्वारा निम्न को स्वतत्रंता सेनानियों का दर्जा दिया गया है :-

1. श्री छुटटानियां, 2. श्री ओमप्रकाश 3. श्री गौरे 4. श्री गैंदा, 5. श्री केदार नाथ, 6. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, 7. श्री धुगलदास, 8. श्री टुण्डाराम

(ब) राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वतत्रंता सेनानियां में से निम्न को केन्द्र सरकार द्वारा भी स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा दिया गया है :-

1. श्री युगलदास, 2. श्री केदारनाथ, 3. श्री ओमप्रकाश, 4. श्री टुण्डाराम इनमें से श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता को छोड़कर शेष मृतक हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा स्वतत्रंता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(3) स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों का नामकरण

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

किए जाने के संबंध में निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है :-

1. जीवित स्वतंत्रता सेनानी के नाम से प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता है।
2. स्वतंत्रता सेनानी स्थानीय निवासी हो।
3. जिन भवनों का नामकरण किया हुआ हो उन पर विचार नहीं किया जाता है।
4. सम्बन्धित विभाग से सहमति प्राप्त की जाती है।
5. एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से एक ही प्रस्ताव पर विचार किया जाता है।
6. नामकरण किए जाने वाला स्थान विवादास्पद न हो।

(4) डा. मंगलसिंह के नाम से राजकीय सदर अस्पताल, धौलपुर का नामकरण किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थानी के पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतत्रंता सेनानियों/आश्रित को दी जाने वाली सुविधाएं :-

1. पेंशन

स्वतंत्रता सेनानी को वर्तमान में 1500/- रुपये प्रतिमाह स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन देय है।

2. आश्रित पेंशन

स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नि या आश्रित को भी स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु की तिथि से आश्रित पेंशन रुपये 1500/- प्रतिमाह देय है।

3. चिकित्सा भत्ता

रुपये 300/- प्रतिमाह देय है। (प्रतिमाह सम्मान पेंशन के साथ)

4. केन्द्रीय सम्मान पेंशन स्वीकृत स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों के समान पेंशन सुविधाएं देय हैं।

5. राजकीय समारोह में आमंत्रण

स्वाधीनता दिवस समारोह/गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किए जाते हैं।

6. शिक्षा

1. बच्चों को छात्रवृत्ति स्वीकृति (जिन स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक आय रुपये 1200/- प्रतिमाह होगी।)
2. राजकीय स्कूल एवं महाविद्यालयों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पौत्र-पौत्रियों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ेगी।
3. मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क या अर्द्ध शुल्क पर प्रवेश की विशेष सुविधा।
4. मान्यता प्राप्त स्कूलों तथा महाविद्यालयों से संबद्ध छात्रावासों में सभी को स्थान दिए जाने की सुविधा।
5. स्वतंत्रता सेनानी के छात्र-छात्राओं को सीमित संख्या में प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक भत्ता एवं पुस्तकों की सुविधाएं।

7. यातायात

स्वतंत्रता सेनानी एवं एक सहायक को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई है।

8. नगरपालिका/परिषदों में कर मुक्ति

स्वतंत्रता सेनानी के नगरपालिका/परिषद में स्थित भवनों अथवा भूमियों अथवा दोनों के वार्षिक किराये पर कर के भुगतान से मुक्त किया गया है।

9. डाक बंगले में ठहरने की सुविधा

राजकीय नौकरी वालों की तरह डाक बंगलों में ठहरने की सुविधा दी गई है।

10. नियम 3(ग) में वर्णित परिस्थितियों में अधिकृत, सम्पहृत खोई हुई या क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की वापसी या उसके लिए प्रतिकर तथा जुर्माना प्रतिदाय।

11. चिकित्सा सुविधा

1. वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) में चिकित्सा पुनर्भरण के लिए रुपये 10,000/- तक देय है।
2. स्वयं की बीमारी में राजकीय चिकित्सालय में नि:शुल्क चिकित्सा प्रदान करने का प्रावधान।
3. शल्य चिकित्सा दवाइयों सहित राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क प्रदान की जा रही है। काटेज वार्ड नि:शुल्क देय है।

12. अनुदान

1. स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री की शादी पर रुपये 4000/- तक अनुदान देय है।
2. स्वतंत्रता सेनानी के देहावसान पर उनके दाह संस्कार के लिए रुपये 2000/- की राशि का अनुदान उनके निकटतम रिश्तेदार को देय है।

13. आवास सुविधा

1. राजस्थान आवासन मण्डल में भवन आबंटन में 1 प्रतिशत का आरक्षण।
2. नगर विकास न्यास/नगरपालिका क्षेत्र में 220 वर्ग गज का प्लाट आरक्षित दर के 50 प्रतिशत तक भुगतान पर आबंटन।

14. राजस्थान भूमि एवं भवन पर अधिनियम, 1964 में स्वतंत्रता सेनानी को कर मुक्त।

15. स्वतंत्रता सैनानियों की यादगार में

1. राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम राजकीय भवन, सड़क, चौराहे, स्कूल. अस्पताल आदि का नामकरण किया जा रहा है।
2. स्वतंत्रता संग्राम समृति भवन व अनुसंधान केन्द्र के निर्माण की योजना।

शासन सचिवालय में मंत्रालयिक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति

714. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शासन सचिवालय में मंत्रालयिक संवर्ग के पदोन्नति व सीधी भर्ती के किस-किस प्रकार कि कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से नियमित भर्ती योग्य किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सीधी भर्ती के अनेक पदों पर संविदा/ठेके पर कर्मचारी नियुक्त कर रखें हैं? यदि हां, तो किन-किन पदों पर कितने वेतन पर नियुक्त हैं?

(4) क्या सरकार संविदा/ठेके पर नियुक्त कर्मचारियों को हटाकर नियमित आधार पर रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शासन सचिवालय में मंत्रालयिक संवर्ग में पदोन्नति व सीधी भर्ती के निम्न प्रकार पद सृजित हैं :-

पदोन्नति से भरे जाने वाले स्वीकृत पद

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद
1.	वरिष्ठ निजी सहायक	37
2.	निजी सहायक	120 1 प्रारथंगित पद-119
3.	सहायक	210
4.	व.लि.	414
5.	क.लि.	कुल स्वीकृत पदों में से 15 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाते हैं।

(कार्मिक मंत्री)

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले स्वीकृत पद

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद
1.	शीघ्रलिपिक	207-34 प्रास्थगित-173
2.	कनिष्ठ लिपिक	623-45 प्रास्थगित—578

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से नियमित भर्ती योग्य निम्न श्रेणी के पद रिक्त हैं :-

पदोन्नति में भरे जाने वाले रिक्त पद

1.	निजी सहायक	04
2.	सहायक	06
3.	वरिष्ठ लिपिक	16

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पद

1.	शीघ्रलिपिक	11 पद	राजसथान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं।
2.	कनिष्ठ लिपिक	73 पद	राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं।

(3) जी हां। शासन सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री/मंत्रीगणों के कार्यालय में कार्मिक (क-1) विभाग के आदेश सं. 9(61)कार्मिक/क-1/76 दिनांक 28.2.04 के अनुसरण में संविदा के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री मंत्रीगणों की अनुशंषा पर उनके पदासीन रहने तक नियुक्तियां की जाती हैं। वर्तमान से निम्न प्रकार व्यक्ति संविदा पर कार्यरत है:

1. **निजी सहायक**-12 कर्मचारी कार्मिक (क-1) विभाग के आदेश सं. 9 (61)कार्मिक/क-1)76 दि. 28.2.04 के तहत इन्हें रुपये 4600/- स्थिर वेतन एवं अन्य भत्ते देय हैं।

2. **वरिष्ठ लिपिक-** 2. कर्मचारी कार्मिक (क-1) विभाग के आदेश सं. 9(61)कार्मिक/क-1/76 दि. 28.2.04 के तहत इन्हें रुपये 3500/- स्थिर वेतन एवं अन्य भत्ते देय है।

(कार्मिक मंत्री)

(4) शासन सचिवालय में संविदा के आधार पर नियुक्तियां केवल माननीय मुख्यमंत्री/मंत्रीगणों के कार्यालयों में ही कार्मिक (क-1) विभाग के आदेश सं. व. 9(61)कार्मिक/क-1/76 दि. 28.2.04 में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में दी जाती है। यह नियुक्तियां माननीय मंत्रिगणों के पदासीन रहने तक अथवा उनको सहमति होने तक के लिए ही की जाती है। संविदा पर नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए हुए हैं। अतः संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को उक्त नियमों में दिए गए प्रावधान के अनुसार ही हटाया जाता है।

लीव रिजर्व/प्रतिनियुक्ति हेतु पदों की गणना

715. **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिड़ावा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार के अधिकारी/कर्मचारियों के संवर्ग में लीव रिजर्व प्रतिनियुक्ति हेतु पदों के निर्धारण एवं गणना के सीधी भर्ती/पदोन्नति से भरे जाने के क्या नियम हैं?

(2) क्या यह सही है कि लीव रिजर्व की रिक्तियों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से बराबर-बराबर संख्या में भरने के नियम हैं?

(3) क्या यह सही है कि लीव रिजर्व के पदों को सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु संधारित रोस्टर हेतु संवर्ग सीमा में सम्मिलित किया जाता है?

(4) क्या लीव रिजर्व के पदों को बिना यह देखे कि उस तिथि को कोई अधिकारी लम्बें अवकाश अथवा प्रतिनियुक्ति पर है, किसी भी संवर्ग में केडर स्ट्रेन्थ में स्थायी रूप से सम्मिलित किया जा सकता है?

(5) लीव रिजर्व के पदों की गणना वर्तमान में वर्ष में अधिकारियों के लम्बे अवकाश/प्रति नियुक्ति के आधार पर की जाती है अथवा पूर्ववती वर्षों की रिक्तियों पर भी लीव रिजर्व की गणना की जाकर पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति की जा सकती है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में?

उत्तर

(1) सरकार के अधिकारी/कर्मचारियों के संवर्ग में लीव रिजर्व प्रतिनियुक्ति हेतु पदों के निर्धारण एवं गणना के सीधी भर्ती/पदोन्नति से भरे

(कार्मिक मंत्री)

जाने के कोई नियम नहीं है। इनकी संख्या इनकी वास्तविक उपयोगिता एवं संवर्ग के बाहर इनकी आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित की जाती है।

(2) प्रत्येक वर्ष रिक्तियां सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु संबंधित नियमों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार भरी जाती है।

(3) रोस्टर किसी भी संवर्ग के कुल पदों को आधार मानकर संधारित किया जाता है जिसमें लीव रिजर्व के पद भी शामिल होते हैं।

(4) जी नहीं।

(5) एक वर्ष से अधिक लम्बे अवकाश (Long leave) की अवधि एवं एक वर्ष से अधिक की अवधि की प्रतिनियुक्ति से हुए रिक्त पद के विरुद्ध ही पदोन्नति की जा सकती है।

शासन सचिवालय जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के रिक्त पद

716. श्री कालूराम (हिण्डौन) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद कई वर्षों से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सचिवालय में लगे संविदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित या फिक्स वेतन पर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा गैर आयोजना मद के रिक्त पद भरने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है।

(2) राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता को देखते हुए नियमानुसार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जब भी नियमित नियुक्ति की जायेगी, तब शासन सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी स्तर के कार्य पर लगे संविदा के ठेका श्रमिकों को उसमें नियमानुसार महत्व (weigttage) दिया जायेगा।

देशी/विदेशी मदिरा के ठेकों में अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता

717. **श्री महीपाल सिंह यादव** (बानसूर) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में शराब विक्रय हेतु वर्तमान में क्या प्रक्रिया निर्धारित है? नियमों/आदेशों/परिपत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में देशी-विदेशी मदिरा विक्रय हेतु दिये गये ठेकों में समूह निर्धारित है? यदि हां, तो कितने तथा उनके ठेकेदार कौन कौन है? समूहवार नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समूहों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की संख्या नगण्य है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन वर्गों के व्यक्तियों को प्राथमिकता से ठेके आबंटित किये जाने बाबत कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार शराब विक्रय की वर्तमान प्रक्रिया को अधिक जनहितकारी व राजस्व प्राप्ति योग्य बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) देशी मदिरा एकाकी विशेषाधिकार राशि पर निविदा आमंत्रित कर ठेके स्वीकृत किये जाते हैं। भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री के लिये दुकानें स्वीकृत की गई हैं। प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर हैं।

(2) जी हां। देशी मदिरा के विक्रय हेतु ठेकों के समूहों की संख्या 25 हैं। जिनकी समूहवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका क्षेत्र में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर खुदरा दूकानात की संख्या दो हजार हैं एवं देशी मदिरा के अनुज्ञाधारियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का एक प्रतिशत आवेदन शुल्क की राशि व रुपये 25,000/- अथवा रूपये 50,000/- मात्र अनुज्ञा शुल्क की राशि जमा राज कराने पर खुदरा भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की 2500 दुकानें स्वीकृत करने के प्रावधान हैं।

(आबकारी मंत्री)

(3) आबकारी नीति वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को प्राथमिकता देने के प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां। शराब विक्रय की वर्तमान प्रक्रिया को अधिक जनहितकारी व राजस्व प्राप्ति योग्य बनाया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर निगम जयपुर के दोषी कर्मियों के विरुद्ध लम्बित चालान प्रकरण

718. **श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा नगर निगम जयपुर के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध चालान पेश करने के लिए अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। इसमें से कितने प्रकरणों में कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा चालान प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई प्रकरणों में निगम द्वारा चालान प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई? यदि हां, तो ऐसे प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जयपुर नगर निगम के निम्न कर्मचारियों के विरुद्ध चालान पेश करने के लिये अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव भिजवाए :-

1. श्री संजय कुमार शर्मा, सहायक अग्निशमन अधिकारी
2. श्री विजयभान सिंह, वरिष्ठ लिपिक
3. श्री मालीराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक
4. श्री श्याम प्रकाश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक
5. श्री रामकल्याण मीणा, गैंगमेन

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

उक्त प्रकरणों में से निम्न कर्मचारियों के विरुद्ध चालान पेश किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :-

1. श्री मालीराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक

2. श्री रामकल्याण मीणा, गैंगमेन

(2) जी हां। निगम के बोर्ड द्वारा निम्न कर्मचारियों के विरुद्ध चालान पेश करने की अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं की गई :-

1. श्री संजय कुमार शर्मा, सहायक अग्निशमन अधिकारी

2. श्री विजयभान सिंह, वरिष्ठ लिपिक

3. श्री श्याम प्रकाश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक

राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास एवं स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत नगरपालिका नावां को प्राप्त राशि

719. श्री हरीश चन्द (नावां) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका कुचामन सिटी को कच्ची बस्तियों के विकास एवं राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 6.48 लाख रुपयों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो वह राशि कब भेजी गई व नहीं, तो अब कब तक भिजवा दी जावेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका कुचामन सिटी को स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 5.60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो वह राशि कब भिजवाई गई व नहीं, तो अब कब तक भिजवा दी जावेगी?

(3) सरकार द्वारा कुचामन शहर व नावां नगरपालिका क्षेत्र हेतु ग्यारहवां वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की द्वितीय किश्त की कितनी कितनी राशि उपलब्ध कराई गई व इसके अन्तर्गत कौन-कौन से निर्माण कार्य चालू कर दिये गये हैं? स्वीकृत राशि का उपयोग कब तक कर लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीश चन्द)

(4) वर्ष 2004-05 में रहवासी भूखण्डों को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के अन्तर्गत नगरपालिका कुचामन सिटी तथा नावां शहर में कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितने लोगों के रूपान्तरण प्रकरणों का निस्तारण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) नगरपालिका कुचामन सिटी व नगरपालिका नांवा को 11वां वित्त आयोग के तहत 4.13 लाख रू. व 3.27 लाख रू. तथा राज्य वित्त आयोग के तहत 7.38 लाख रुपये व 6.57 लाख रुपये द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त हुए हैं जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। नगरपालिका नावां को स्टेशन नाडा मन्दिर से प्लाटो के रास्ते तक डामर सड़क निर्माण लागत रू. 7.53 लाख के निर्माण कार्य की निविदा स्वीकृति दी जा चुकी है। राशि का उपयोग जुलाई, 2005 तक कर दिया जावेगा।

(4) वर्ष 2004-05 में रहवासी भूखण्डों को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के न.पा. कुचामन सिटी को 5,67,767/- की राशि प्राप्त हुई तथा 20 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। नगरपालिका नावां में भी एक प्रकरण का निस्तारण किया गया। जिसकी राशि 48,763/- प्राप्त हुई।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, कुचामन सिटी

राज्य वित आयोग अनुदान अन्तर्गत चालू कार्यों की सूची

1.	वार्ड नं. 24 व 25 रामसुख के जाव से धनजी का बाग तक सीमेंट सड़क निर्माण	4.67 लाख
2.	वार्ड नं. 4 व 8 अमीरूदीन तेली के मकान से मोड़ूराम चौधरी के मकान तक सीमेंट सड़क निर्माण	4.87 लाख
	कुल योग	9.54 लाख

राज्य वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत कार्य जिनके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है

1.	वार्ड नं. 5 डूंगर राणा के मकान से भागीरथसिंह सवा के मकान तक सीमेंट सड़क	0.88 लाख
2.	वार्ड नं. 5 भंवरलाल विश्नोई के मकान से देबुराम के मकान तक ग्रेवल रोड	1.07 लाख
3.	वार्ड नं. 22 में विभिन्न स्थानों पर नाली	0.54 ल ख
4.	वार्ड नं. 13 गोरधननाथ द्वार से मथुरा ..ल तक सीमेंट सड़क व रामप्रसाद कनोई के मकान से लक्ष्मी मार्केट तक नाली	0.49 लाख
5.	वार्ड नं. 25 गांवाई कुआं से रतनाराम मण्डावरियां के मकान तक खुर्रा निर्माण	0.30 ल ख
6.	वार्ड नं. 25 गांवाई कुआं से रतनाराम मण्डावरिया के मकान तक व भंवरलाल ऊजी..ल के मकान तक सीमेंट सड़क	0.60 लाख
7.	वार्ड नं. 7 नानुराम अडावनिया के मकान से स्कूल के रास्ते में सीमेंट सड़क	2.49 लाख
	कुल ...	6.27 लाख

ग्याहरवां वित्त आ... ...नुदान अन्त..त कार्य जिनके लिये निविदाएं ... मंत्रित की गई हैं।

1.	वार्ड नं. 16 टोडूरामजी के मकान से जोधाराम बारवाल के मकान तक सीमेंट रोड	0.69 लाख
2.	वार्ड नं. 13 छीतरजी बुडसू वाले के मकान की दक्षिणी पश्चिमी कूट से गिरीराजसिंह के मकान तक सीमेंट सड़क	0.30 लाख
3.	वार्ड नं. कड़वों का बासड़ा में पेशाबघर निर्माण	0.25 लाख
4.	वार्ड नं. 11 मोहम्मद भाई के मकान से हमीद खां के मकान तक सीमेंट सड़क निर्माण	0.66 लाख
5.	वार्ड नं. 18 लेखराम झांवर के मकान से गोरधननाथ द्वार तक सीमेंट सड़क निर्माण	0.41 लाख
6.	वार्ड नं. 20 जगन्नाथ भार्गव के मकान से श्रवण बंजारा के मकान तक सीमेंट सड़क	0.55 लाख

7. वार्ड नं. 10 झंवरों की गली में सीमेंट सड़क 1.50 लाख

8. वार्ड नं. 19 बानुड़ा जलाशय से प्रभुजी सुनार के मकान तक सीमेंट सड़क निर्माण 0.79 लाख

कुल योग 5.15 लाख

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका कुचामन सिटी

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, कुचामन सिटी

वर्ष 2004-05 में रहवासी भूखण्डों को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के अन्तर्गत प्राप्त राशि का विवरण

क्र.सं.	पत्रावली सं.		राशि
1	1/04/-05	श्री विनोदकुमार रविकान्त जम्बुकुमार पुत्र श्री माणकचन्द जैन कुचामन	65268.00
2	2/04/-05	श्री हणमान पुत्र घीसूलाल सीकर रोड़, कुचामन	30528.00
3	6/04/-05	श्री रतनलाल पुत्र विठ्ठललाल काबरा स्टेशन रोड़, कुचामन	2200.00
4	7/04/-05	श्री रामस्वरूप पुत्र रत्नाकर शर्मा, सैन्ट्रल बैंक की गली, कुचामन	7443.00
5	8/04/-05	श्रीमति आशा गुप्ता पत्नी चन्द्रप्रकाश, कुचामन	8712.00
6	9/04/-05	श्री महावीरप्रसाद पुत्र रामजीवन काबरा, कुचामन	9227.00
7	10/04/-05	श्री द्वारकाप्रसाद पुत्र बंशीधर काबरा, सीकर रोड़, कुचामन	7067.00
8	11/04/-05	श्री सोहनसिंह पुत्र शिवराजसिंह, शाहजी का बगीचा, कुचामन	85596.00

क्र.सं.	पत्रावली सं.		राशि
9	12/04/-05	श्री बोदुराम नाथूराम किशनाराम जाट, सीकर रोड़ कुचामन	6728.00
10	14/04/-05	श्री शकूर अहमद पुत्र अब्दुल गफूर तेली, कुचामन	9120.00
11	15/04/-05	श्री हरिप्रसाद पुत्र कामख्यालाल अग्रवाल, कुचामन	66530.00
12	16/04/-05	श्री रामदेव जांगिड़ पुत्र जसकरण जांगिड़, कुचामन	15665.00
13	17/04/-05	श्री खेमाराम पुत्र वेनाराम सारण, कुचामन	15665.00
14	19/04/-05	श्री जीतमल पुत्र प्रेमचन्द कुमावत, कुचामन	61182.00
15	20/04/-05	श्री जीतमल पुत्र प्रेमचन्द कुमावत, कुचामन	14544.00
16	22/04/-05	श्रीमति विमलादेवी पत्नी श्रवणकुमार मढ़ावाला, कुचामन	9100.00
17	23/04/-05	श्री जीतमल पुत्र श्री प्रेमचन्द कुमावत, कुचामन	61182.00
18	26/04/-05	श्री रामावतार पुत्र गिरधारीलाल अग्रवाल, धनकोली हाऊस कुचामन	65600.00
19	27/04/-05	श्री झूमरमल पारसमल बेट पोता नेमीचन्द जैन, बालाजी बाजार, कुचामन	19890.00
20	28/04/-05	श्रीमति सुशीला पत्नी ओमप्रकाश जैन, बालाजी बाजार कुचामन	6720.00
			567,967/-

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, कुचामन सिटी

स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मियों के रिक्त पद

720. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सफाई निरीक्षकों, आशुलिपिकों एवं वरिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त पदों को भरने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। उक्त पदों को अब कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) राज्य में सफाई निरीक्षकों, आंशुलिपिकों एवं वरिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सफाई निरीक्षक-प्रथम व वरिष्ठ लिपिक के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। उक्त पदोन्नति की कार्यवाही पदोन्नति मण्डल द्वारा की जाती है। सफाई निरीक्षक-द्वितीय व आशुलिपिक के पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति, पदोन्नति मण्डल द्वारा की जाती है तथा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के संबंध में जिला सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिये पदोन्नति मण्डल की बैठक शीघ्र आयोजित कर, कार्यवाही की जा रही है तथा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद वित्त विभाग से प्रतिबन्ध हटने के बाद ही भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट "अ"

राज्य में सफाई निरीक्षकों, आशुलिपिकों एवं वरिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों का विवरण

1. सफाई निरीक्षक-प्रथम	39
2. सफाई निरीक्षक-द्वितीय	91
3. आशुलिपिक	16
4. वरिष्ठ लिपिक	151

बाड़मेर शहर की श्मशान भूमि पर अतिक्रमण

721. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर में खसरा नम्बर 1636 रकबा 60 बीघा 16 बिस्वा सार्वजनिक श्मशान की भूमि है? यदि हां, तो क्या इस श्मशान पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो किसका? इस अतिक्रमण को हटाने हेतु सरकार द्वारा कब-कब क्या-क्या प्रयास किए गये?

(2) क्या सरकार अब उक्त श्मशान भूमि से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्मशन भूमि का खसरा नम्बर 1638 है, जिसका रकबा 57 बीघा 04 बिस्वा है, जिस पर श्री केवलचन्द पुत्र श्री सोहन राज बोहरा वगैरह व धर्मसिंह का अतिक्रमण है। वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1895/02 उनवान खीमराज बोहरा वगैरह बनाम राजस्थान स्टेट वगैरह में दिनांक 17.6.2002 के तहत स्थगन आदेश पारित है एवं धर्मसिंह बनाम न.पा. बाड़मेर का माननीय ए.डी.जे. कोर्ट में उनवान 12/2004 व 17/2004 विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है।

(2) प्रकरण में न्यायालय के निर्णयानुसार समुचित कार्यवाही की जावेगी।

नागौर जिले में नवीन नगरपालिका का गठन

722. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नई नगर पालिका के गठन के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मानदण्डों के आधार पर जिला नागौर में कौन-कौन से कस्बे नगरपालिका के गठन के दायर में आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(3) क्या उक्त जिले में कुछ स्थानों पर नई नगरपालिकाओं का गठन प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां नई नगरपालिका गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 व भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(क्यू)(1)(क) में नगरपालिका गठन का मानदण्ड दिया गया है। उक्त अनुच्छेद के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के संक्रमणशील क्षेत्र के लिये कोई नगर पंचायत (नगरपालिका) गठित की जा सकती है। उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) में प्रावधान है कि राज्यपाल चाहे तो ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिये प्राप्त राजस्व, कृषि के अलावा नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्वतता व अन्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमणशील क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। संक्रमणशील क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4486 दिनांक 9.8.1994 के द्वारा 1 लाख तक की जनसंख्या के क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित किया है। इस हेतु न्यूनतम संख्या एवं अन्य न्यूनतम मानदण्डों का निर्धारण नहीं हुआ है।

(2) भाग संख्या 1 के अनुसार मानदण्ड निर्धारित नहीं होने के कारण आंकलन नहीं किया गया है, प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जिला नागौर के प्रस्तावानुसार कस्बा डेगाना का प्रस्ताव प्रेषित किया है, जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण

723. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बढ़ते हुये अवैध अतिक्रमण को गम्भीर समस्या मानते हुये सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने बाबत 01 मार्च से 15 मार्च, 2005 तक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अभियान चलाने के पूर्व प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्रों में अतिक्रमियों को चिन्हित किया गया? यदि हां, तो नगर पालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ में कितने अतिक्रमी चिन्हित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(3) चिन्हित अतिक्रमियों में से किस-किस अतिक्रमी को नहीं हटाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें

(4) प्रतापगढ़ नगरपालिका की भूमि पर अवैध निर्माण के कितने प्रकरणों पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है व कितनों पर नहीं? सूची सदन की मेज पर रखें.

उत्तर

(1) जी हां

(2) यह सही है कि अभियान चलाने के पूर्व प्रत्यक नगर पालिका क्षेत्रों में अतिक्रमियों को चिन्हित किये जाने के निर्देश थे, परन्तु नगर पालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ में शिवरात्रि मेला एवं बोहरा समाज के धर्मगुरू डा. सैयदना साहब के प्रवास के कारण अभियान नहीं चलाया गया.

(3) भाग संख्या 2 में इसका उत्तर निहित है

(4) नगर पालिका भूमि पर हुए अवैध निर्माणों को चिन्हित कराया जा रहा है, उक्त कार्यवाही के पश्चात पाये जाने वाले अवैध निर्माणों के मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी नगर पालिका द्वारा भाटपुरा बाहर के 6 अतिक्रमण के प्रकरणों में कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण हटाते हुए रास्ता चौड़ा करवा दिया गया है

विश्वेसरिया नगर जयपुर में आवश्यक सुविधाएं

724. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वेसरिया नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर में सीवरेज का कार्य सम्पन्न हुये छह माह बीत जाने के पश्चात भी कालोनी में सड़कों पर डामर नहीं बिछाई गई तथा जगह जगह गड्डे हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में डामर की सड़क डालने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त कालोनी में सीवरेज कनेक्शन शीघ्र देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में सीवरेज कनेक्शन का क्या शुल्क निर्धारित है?

उत्तर

(1) जी हां। प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विश्वेसरिया नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर में सीवरेज का कार्य अधिकाशंत: रोड़ के बर्म (कच्चा हिस्सा) में किया गया है। इस कालोनी में लगभग 415 मीटर की लम्बाई में रोड़ कट किया गया है जिस पर डामरीकरण का कार्य शीघ्र सर्दी के बाद पूर्ण कर दिया जावेगा।

(2) उक्त कालोनी में वर्तमान में सीवर कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

(3) जयपुर नगर निगम द्वारा वर्तमान में सीवर कनेक्शन शुल्क निम्न प्रकार लिया जा रहा है-

घरेलू कनेक्शन	210/-रु.
व्यावसायिक कनेक्शन	510/- रु.
औद्योगिक कनेक्शन	1010/- रु.

ईदगाह कच्ची बस्ती क्षेत्र जयपुर में सीवरेज लाइन

725. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर शहर के वार्ड नं. 49 ईदगाह कच्ची बस्ती में सीवर लाइन डालने की योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो कब? क्या उसकी क्रियान्विति हो चुकी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आर.यू.आई.डी.पी. योजना के अन्तर्गत उक्त कालोनी एवं आसपास की कालोनी में सीवर लाइन डालने के टेण्डर किये गये थे? यदि हां, तो कब तथा कितनी राशि के? दिनांक एवं वर्ष सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के चार बार टेण्डर हो जाने पर भी अधिकारियों की मनमानी एवं खींचतान के कारण उक्त टेण्डर बार बार निरस्त कर दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इस कार्य हेतु मानदण्डों एवं नियमों में शिथिलता

(श्री विजय बंसल)

एवं संशोधन कर इस वित्तीय वर्ष में पुनः टेण्डर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा जयपुर शहर के वार्ड नं. 49 ईदगाह कच्ची बस्ती में सीवर लाइन डालने की योजना बनाई गई थी जिसके अंतर्गत दिनांक 11.9.2002 को निविदा आमंत्रित की गई थी। किन्तु प्राप्त निविदा की न्यूनतम दर ज्यादा होने के कारण निविदा निरस्त कर पुनः दिनांक 12.12.2002 को निविदा आमंत्रित की गई परन्तु दरें अधिक होने के कारण निरस्त कर दिया गया है।

(2) जी हां। आर.यू.आई.डी.पी. योजना के अन्तर्गत उक्त कालोनी एवं आसपास की कालोनी में सीवर लाइन डालने के लिये दिनांक 25.8.2003 को 400 लाख रु. की निविदाएं आमंत्रित की गईं, जिसे तकनीकी कारणों से निरस्त कर दिया गया था। पुनः दिनांक 19.2.2004 को 550 लाख रु. की निविदाएं आमंत्रित की गईं परन्तु वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थगित कर दिया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

गुणवत्ता नियंत्रण समिति, राजस्थान आवासन मण्डल की बैठकें

726. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में घटिया निर्माण व गुणवत्ता में कमी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों का जिलेवार ब्यौरा तथा मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आवासन मण्डल में आयुक्त की अध्यक्षता में गुणवत्ता नियंत्रण समिति गठित है? यदि हां, तो इस समिति की गत तीन वर्षों में कब-कब बैठकें आयोजित की गईं तथा आवासों का गुणवत्ता सुधार के संबंध में क्या निर्णय लिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) आवासों में निम्न स्तर के निर्माण के सन्दर्भ में मण्डल स्तर पर कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही लंबित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) "जी हां" अभी हाल ही में नसीराबाद में निर्मित किये जा रहे ई.डब्ल्यू. एवं एल. आई.जी. के आवास तथा किशनगढ़ में न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्मित किये जा रहे आवासों में घटिया निर्माण एवं गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसके सम्बन्ध में नसीराबाद योजना का उप आवासन आयुक्त (गुण. नियं.) एवं किशनगढ़ योजना का मुख्य अभियन्ता एवं उप आवासन आयुक्त (गुण. निंय.) द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित कर्मियों को सम्बन्धित ठेकेदार से ठीक करवाया जा रहा है तथा नसीरबाद में पदस्थापित परि. अभि.(व/क) क अन्यत्र स्थानान्तारण कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) आवासों में निम्न स्तर के निर्माण के सम्बन्ध में मण्डल स्तर पर बिन्दु संख्या 1 में उल्लेक्षित प्रकरणों के अलावा कोई अन्य प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं।

पत्रकार/सूचना जनसम्पर्क कर्मियों हेतु आवासीय योजना

727. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर में पत्रकार आवास योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो कहां?

(2) क्या यह सही है कि पत्रकार आवास योजना में भूखण्ड आबंटित करने के लिए पत्रकार आवास समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सूचना एवं जन-सम्पर्क कर्मियों को भी पत्रकार आवास योजना के समान ही आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अब तक राज्य के अनेक विभागों के कर्मियों के लिए रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन विभागों के कर्मियों को कहां-कहां भूखण्ड उपलब्ध कराये गये विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी की तहसील बस्सी में कहां कहां आवास योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं? उक्त योजनाएं वर्तमान में किस स्थिति में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2003 में पत्रकार आवासीय योजना के अन्तर्गत पृथ्वीराज नगर में पत्रकार कालोनी योजना का प्रारम्भ किया गया था।

(2) सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में पत्रकार आवास योजना के अन्तर्गत पत्रकार आवासीय समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(3) जी नहीं। सूचना एवं जनसम्पर्क कर्मियों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। राज्य कर्मचारियों को रियायती दर पर भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण की विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक: प6(4) एफ/अक-3 2002 जयपुर **दिनांक 15 फरवरी, 2002**

<u>स्वीकृति</u>

राज्य के पत्रकारों की आवासीय समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :-

1- श्री के.एल. मीणा, सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास अध्यक्ष
2- श्री जी.एस. संधु. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
3- श्री श्रीमत पाण्डे, सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग सदस्य
4- श्री दीपक उप्रेती, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त विभाग सदस्य

5- श्री गोविन्द चतुर्वेदी, प्रेस सलाहकार, मुख्य मंत्रीजी। सदस्य

6- श्री सनी सबेस्टियन, वरिष्ठ पत्रकार सदस्य

7- श्री आनन्द जोशी, वरिष्ठ पत्रकार सदस्य

8- श्री सत्य पारीक, वरिष्ठ पत्रकार सदस्य

9- श्री रजनीश छंगानी, वरिष्ठ पत्रकार सदस्य

10. श्री आशुतोष गुप्त, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग सदस्य सचिव

यह समिति राज्य भर के पत्रकारों को आवासीय सुविधा के लिये रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने की मांग पर विचार कर राज्य सरकार को ठोस सुझाव देगी तथा उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगी।

यह समिति योजना के क्रियान्वयन के लिये पत्रकारों से आवेदन आमंत्रित करने के नार्म्स तय करेगी तथा पत्रकारों के आवास समस्या के संबंध में सभी कठिनाइयों का निराकरण करने के लिये उपाय सुझायेगी।

समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा समिति का प्रशासनिक विभाग सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग होगा।

आज्ञा से
उप शासन सचिव
प्रशासनिक सुधार (अनु. 3) विभाग

परिशिष्ट 'ब'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राज्य कर्मचारियों को रियायती दर पर आबंटित किये गये भूखण्डों का विवरण :-

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्थान	आबंटित भूखण्डों की संख्या	दर
1.	विधान सभा सचिवालय	विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना	ग्राम धाउवास	215	आवासीय आरक्षित दर 950/- रु. के 50 प्रतिशत पर अर्थात 475/- रु. प्र.व.मी.
2.	शासन सचिवालय	सचिवालय कर्मचारी आवासीययोजना	ग्राम बाल मुकुन्दपुरा	499	आवासीय आरक्षित दर 950/-रु. के 50 प्रतिशत पर अर्थात 475/- रु. प्र. व. मी.

अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अजमेर शहर के मास्टर प्लान में भू-उपयोग आदेशों का समायोजन

728. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अजमेर शहर के मास्टर प्लान 200 में परिवर्तित भू-उपयोग आदेशों का समायोजन ड्राफ्ट मास्टर प्लान में पूर्ण रूप से किया गया है? यदि नहीं, तो क्या सक्षम अधिकारी को यह अधिकार थे?

(2) क्या यह सही है कि "संयोगिता नगर व्यवसायिक योजना" नगर सुधार न्यास, अजमेर की अधिसूचित योजना है?

(3) क्या ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2023 में नगर सुधार न्यास की अधिसूचित योजना वैशाली नगर का एक भाग आवासीय से खुला क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है? यदि हां, तो उसका आधार क्या है?

(4) क्या यह सही है कि अजमेर मास्टर प्लान की अवधि 200 में समाप्त हो चुकी थी? यदि हां, तो वर्तमान में किस मास्टर प्लान के तहत नगर सुधार न्यास द्वारा नियमन किया जा रहा है?

(5) क्या यह सही है कि अजमेर शहर में नगर सुधार न्यास द्वारा नियमन कार्य अप्रमाणित राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के आधार पर हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, अजमेर शहर के ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2023 में एक प्रकरण में राज्य सरकार ने भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति पर पुनर्विचार कर निर्णय लिया गया है।

(2) जी हां

(3) जी हां सुधार न्यास की अधिसूचना वैशाली नगर योजना का आंशिक भाग आनासागर के डूब क्षेत्र में होने के आधार पर उक्त भूमि का भू-उपयोग प्रारूप मास्टर प्लान-2023 में खुला क्षेत्र दर्शाया गया है। भूमि मौके पर रिक्त है तथा किसी प्रकार का निर्माण नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(4) जी नहीं। अजमेर मास्टर प्लान की अवधि 200 में नहीं अपितु जून, 2002 में समाप्त हुई थी। दिनांक 28.2.2002 प्रारूप मास्टर प्लान अजमेर 2023 अधिसूचित किया गया है उसके अनुसार नियमन किया जा रहा है.

(5) जी हां। यह सही है कि नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा कृषि भूमि नियमन कार्य अप्रमाणित जमाबन्दी के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि अजमेर शहर में राजस्व रिकार्ड अप्रमाणित जमाबन्दियां ही प्रचलित अभिलेख है।

न्यू ग्रीन एवेन्यू नगर योजना गजसिंहपुरा, जयपुर का अनुमोदन

729. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि न्यू ग्रीन एवेन्यू नगर गजसिंहपुरा, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है? यदि हां, तो उक्त कालोनी के प्लाटधारियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सोसायटी कब बनी एवं उक्त योजना में धारा 90बी की कार्यवाही कर योजना का अनुमोदन जयपुर विकास प्राधिकरण से कब करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम गजसिंहपुरा विजय गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना न्यू ग्रीन एवेन्यू नगर न होकर ग्रीन एवेन्यू है। यह योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है।

(2) विजय गृह निर्माण सहकारी समिति का पंजीयन क्रमांक 2425/ एल. है व पंजीयन दिनांक 14.3.1968 है

उक्त योजना की 90बी की कार्यवाही नहीं की है और न ही अनुमोदित है

रामनगर शास्त्री नगर जयपुर के सर्वेधारियों को पान कियोस्क का आबंटन

730. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नवरतन राजोरिया)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1992 में पान कियोस्कों का आबंटन करने हेतु सर्वे कराया गया था? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में? शास्त्री नगर के सर्वेधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के कुछ सर्वेधारियों ने जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 31 जनवरी, 1994 को चालान द्वारा तीन-तीन हजार रुपये भी जमा करवाये थे? यदि हां, तो किस-किस ने? नाम, चालान नम्बर एवं राशि का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) क्या यह भी सही है कि आयुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 24/ए.सी./वी.एन.जे.उ. दिनांक 24 जनवरी, 2002 द्वारा कुछ पत्रावलियां आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को कियोस्क आबंटन हेतु प्रेषित की गई थी? यदि हां, तो किस-किस की एवं उक्त पत्रावलियों पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित था जो कब-कब की गई एवं वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? उनमें से अब तक किस किस सर्वेधारी को कियोस्क का आबंटन किया जा चुका है एवं किसको किस वजह से अब तक आबंटन नहीं किया गया?

(4) क्या सरकार अब उक्त सर्वेधारियों को पान कियोस्क आबंण्टित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्रावली सूची में क्रम संख्या-26 पर अंकित सर्वेधारी (सर्वे संख्या-89, शास्त्री नगर सर्किल) द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1994 को कियोस्क की लीज राशि तीन हजार रुपये भी चालान संख्या 39641 द्वारा जमा करा दी गई थी एवं आज तक उक्त व्यक्ति को कियोस्क का आबंटन नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त को अब कब तक कियोस्क आबंटित करा दिया जावेगा?

(6) उक्त सर्वेधारी 89, शास्त्री नगर, रामनगर, जयपुर द्वारा इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण को कब-कब पत्र लिखे गये एवं उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें

(7) क्या यह सही है कि उक्त आवेदक द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2002 को दिये गये पत्र पर आश्वासन दिया गया था कि दिनांक 13 जनवरी, 2002 तक आबंटन कर दिया जावेगा लेकिन सरकार द्वारा अभी तक आबंटन

(श्री नवरतन राजोरिया)

नहीं करने के क्या कारण रहे व इसमें कौन दोषी पाया गया? सरकार अब-तक उक्त सर्वेधारियों को कियोस्क आबंटित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 199 से 1994 तक जयपुर शहर के चारों ओर पान कियोस्कों के आबंटन हेतु मौके पर सर्वे सत्यापन किया गया था। शास्त्री नगर क्षेत्र की सर्वे सूची परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 31.1.1994 को चालान द्वारा तीन-तीन हजार रुपये जमा करवाये थे। सूची मय विवरण परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(3) जी नहीं। आयुक्त विद्याधर नगर जोन, नगर निगम जयपुर से पत्र क्रमांक 24/ए.सी./वी. एन.जे.अ. दिनांक 24 जनवरी 2002, के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में कोई पत्रावली प्राप्त नहीं हुई थी किन्तु आयुक्त, विद्याधर नगर जोन नगर निगम, जयपुर के पत्र क्रमांक 24/एमसी/वीएन दिनांक 31.1.2002 के साथ 47 पत्रावलियां प्राधिकरण को प्रेषित की गई थी जिसकी सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। यह पत्रावलियां दिनाक 10.3.2004 को नगर निगम को अग्रिम कार्यवाही हेतु वापस भिजवाई गई। जयपुर नगर निगम की लाईसेंस समिति द्वारा लाईसेंस के सन्दर्भ में उक्त पत्रावलियों पर अभी तक नीतिगत निर्णय नहीं किया गया है।

(4) जयपुर नगर निगम की लाइसेंस समिति द्वारा इन पत्रावलियों पर कोई नीतिगत निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। लाइसेंस समिति का गठन होने के उपरान्त विधिक पहलुओं का परीक्षण कर निर्णय लिया जा सकेगा

(5) जी हां। क्र.सं. 26 पर अंकित सर्वेधारी सर्वे सं. 89 श्री दिनेश माथुर द्वारा शास्त्री नगर सर्किल पर पान बूथ आबंटन हेतु लीज राशि 3000/- चालान संख्या 39641 दिनांक 31.1.1994 को जमा कराई थी। प्रार्थी के आबंटन की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश एवं उक्त क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र में होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई थी। नगर निगम को प्राप्त पत्रावलियों पर लाइसेंस समिति द्वारा नीतिगत निर्णय नहीं लिया। लाइसेंस समिति का गठन होने के पश्चात विधिक पहलुओं

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

का निरीक्षण कर निर्णय लिया जा सकेगा।

(6) सर्वेधारी 89, श्री दिनेश माथुर द्वारा जो पत्र प्राधिकरण को लिखे गये थे, वे मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र क्रमांक 269 दिनांक 12.2.2002 द्वारा आयुक्त, नगर निगम जयपुर को भिजवा दिये थे।

(7) जयपुर विकास प्राधिकारण से नगर निगम को प्राप्त उक्त पत्रावली के अनुसार 21.9.2002 का कोई पत्र एवं आश्वासन नहीं पाया गया है। आबंटन के संबंध में लाईसेंस समिति का गठन होने के उपरान्त विधिक पहलुओं का परीक्षण कर निर्णय लिया जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या-731

(स्थगित)

विज्ञान नगर कोटा की कब्रिस्तान भूमि

732. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विज्ञान नगर कोटा में कब्रिस्तान हेतु भूमि आबंटित की गई थी।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस भूमि पर कब्रिस्तान का आवंटन निरस्त कर इसे अन्य उपयोग अथवा किसी संस्था के नाम आबंटित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विज्ञान नगर कोटा में एक्जीक्यूटीव डारेक्टर रीको जयपुर के पत्र दिनांक 17.9.2003 एवं उप शासन सचिव उद्योग (ग्रुप-1) विभाग के पत्र दिनांक 24.9.2003 से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त कब्रिस्तान हेतु भूमि आरक्षित (सैट-ए-पार्ट) की गई थी न कि आबंटन।

(2) जी नहीं।

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालयों पर मिनी स्टेडियम

733. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बत्ती लाल मीणा)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के प्रत्येक विद्यालयों में खेल मैदानों को अच्छा बनाने तथा खेल सामग्री उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु आबंटित बजट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के तहसील मुख्यालयों पर मिनी स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) स्कूलों में खेल मैदानों के विकास एवं उपकरणों की खरीद हेतु भारत सरकार की "बुनियादी आधारभूत खेल सुविधाओं के विकास योजना" को पूरे राज्य में लागू किये जाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार की योजना के अनुसार वर्तमान में केवल जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम विकास का कार्यक्रम किया जा रहा है।

मन्दिर श्री खाटूश्यामजी परिसर के विस्तार हेतु अधिग्रहीत स्थल

734. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर स्थित मन्दिर श्री खाटूश्यामजी की मन्दिर जीर्णोद्धार समिति द्वारा मन्दिर परिसर के विस्तार का प्रस्ताव लिया गया है? यदि हां, तो कब? प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विस्तार में मन्दिर के आसपास की किस-किस व्यक्ति की दुकान/मकान/जमीन के अधिग्रहण का फैसला/निर्णय/प्रस्ताव किया गया है एवं किस-किस व्यक्ति की जमीन/मकान/दुकान को छोड़ने का प्रस्ताव किया गया? छोड़े गये मकान, दुकान, जमीन का वर्तमान में मालिकाना हक किस किस व्यक्ति का है एवं उक्त परिसम्पत्तियों को किस आधार पर अधिग्रहण से मुक्त रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण वर्तमान में किस स्तर पर कब से विचाराधीन है? क्या सरकार उक्त प्रकरण में हो रहे भेदभाव/पक्षपात/अन्यायपूर्ण तरीके को उचित मानती है? यदि हां. तो किस प्रकार एवं यदि नहीं, तो पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला सीकर स्थित श्री खाटूश्यामजी मन्दिर जीर्णोद्धार समिति ने कोई प्रस्ताव नहीं किया।

(2) जी हां। मन्दिर विस्तार के लिए आसपास के दुकान/मकान/जमीनों के अधिग्रहण के प्रस्ताव श्री श्याम मन्दिर कमेटी द्वारा लिए जाकर प्रस्ताव आयुक्त उदयपुर को प्रेषित किए गए जिसका विवरण इस प्रकार है-

1- श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह।

2- श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा

3- श्री सत्यनारायण मित्तल पुत्र श्री केदार नाथ

4- श्री भगवती लाल पुत्र श्री राधेश्याम सर्राफ

5- श्री श्याम मन्दिर सेवा मण्डल

6- श्री विरदी चंद रामनिवास करवा पुत्र श्री रामचन्द्र

7- मुखराम लक्ष्मी नारायण कानोडिया

8- मुखराम लक्ष्मी नारायण कानोडिया ट्रस्ट

9- श्री मूलचन्द स्वामी पुत्र श्री चुन्नी लाल

कमेटी के प्रस्तावानुसार इन सभी को अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया गया है। किसी व्यक्ति की जमीन/मकान/दुकान को छोड़ने का प्रस्ताव नहीं लिया गया है।

(3) वर्तमान में प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

इलेक्ट्रोनिक विद्युत मीटरों के स्थापन पर व्यय

735. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नए भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के कारण राज्य के किसानों को बिजली महंगी मिलेगी?

(2) राज्य में मेकेनिकल मीटर की जगह इलेक्ट्रोनिक मीटर बदलने में

(श्री मदन राठौड़)

कितना रुपया व्यय किया गया? क्या उक्त इलेक्ट्रोनिक मीटर अधिक कारगर सिद्ध हो रहे हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद वर्ष 1994-95 से शुरू की गई थी। वर्ष 1994-95 से वर्ष 2004-05 तक सिंगल फेस एवं थ्री फेस इलेक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद में लगभग 320.22 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

परम्परागत इलेक्ट्रोमेकेनिकल मीटरों की तुलना में इलेक्ट्रोनिक मीटर निम्न कारणों से अधिक कारगर हैं :-

1. इन मीटरों में किसी प्रकार के हिलने वाले/घूमने वाले पार्टस नहीं होते अतः समय के साथ इनकी गति धीमी नहीं होती एवं समय के साथ इनकी एक्यूरेसी कम नहीं होती जबकि परम्परागत इलेक्ट्रोमेकेनिकल मीटरों में घर्षण के कारण पार्टस का क्षरण होता रहता है एवं समय के साथ धीमे हो जाते हैं।

2. ये मीटर लम्बे समय तक चलने वाले और अधिक विश्वसनीय होते हैं।

3. मीटरों से छेड़छाड़ जैसे कि रिवर्स करन्ट फ्लो या अर्थ लोड के कारण बिजली की चोरी संभव नहीं है क्योंकि इन मीटरों में कई प्रकार के एन्टी टैम्पर फीचर्स होने के कारण छेड़छाड़ होने पर भी ये मीटर बिजली का सही उपभोग दर्ज करते हैं।

4. इनकी एक्यूरेसी अधिक होती है।

5. ये मीटर बहुत कम लोड पर भी ऊर्जा को दक्षता से दर्ज करते हैं।

6. मीटर को हिलाने डुलाने या झुकाने से ऊर्जा दर्ज करने की क्षमता प्रभावित नहीं होती है।

7. इन मीटरों में लोसेज बहुत कम होते हैं।

8. इलेक्ट्रोनिक मीटरों का कैलीब्रेशन झटकों एवं कम्पनों से प्रभावित नहीं होता।

(ऊर्जा मंत्री)

9. इनमें कई तरह के इंडीकेटर्स होते हैं जो मीटर की स्थिति दर्शाते रहते हैं।

10. इनमें मेमोरी का प्रावधान भी संभव है जिसे प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है।

विद्युत उत्पादन हेतु आयातित कोयला

736. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विद्युत उत्पादन के लिये विदेशी कोयले के आयात के संबंध में सरकार की क्या नीति है? किस-किस श्रेणी अथवा स्तर का विदेशी कोयला राज्य में विद्युत उत्पादन में उपयोग लिया जाता है? इसके अलावा किस-किस किस्म का कोयला अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004-05 में कोयले के आयात के संबंध में भारत सरकार ने कब-कब निर्देश प्रदान किये? आदेश/निर्देश/सुझाव की प्रति सदन की मेज पर रखें। राज्य सरकार ने कोयले के आयात का कब निर्णय लिया एवं इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? किस संस्था से कोयला आयात करने का निर्णय कब लिया गया?

(3) वर्ष 2004-05 में भारत सरकार ने कब-कब, कितना-कितना कोयला राज्य को दिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य को एम.एम.टी.सी. के जरिये वर्ष 2004-05 में किस श्रेणी का कोयला कब-कब व कितना प्राप्त हुआ व इसके लिए कितना भुगतान किया गया? कितना कोयला उक्त संस्था से भविष्य में लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या भारत सरकार ने राज्य के ताप विद्युत गृहों के लिए 15 प्रतिशत कोयला विदेश से मंगवाने की शर्त लगाई है तथा अन्य कोई विकल्प भी सुझाया है? यदि हां, तो विवरण मय आदेश की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कोल इंडिया को कोयला

(श्री संयम लोढ़ा)

आपूर्ति के लिए समय पर भुगतान करता रहा है और यदि भुगतान में देरी हुई है तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें तथा यह भी जानकारी देवें कि अन्य प्रदेशों की कोल इंडिया को भुगतान की क्या स्थिति है।

उत्तर

(1) सरकार विद्युत उत्पादन के लिये महंगे आयातित कोयले को आयात करने के लिए कभी भी इच्छुक नहीं रही है। स्वदेशी कोयले की अपेक्षा विदेश से कोयले का आयात करना एक महंगा सौदा है लेकिन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को अपरिहार्य स्थिति में कोयला आयात करना पड़ा है। कोयले के आयात के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति पत्र दिनांक 22.1.2005 के अनुसार निम्न है :-

क) ईंधन आपूर्ति की स्थिति दैनिक आधार पर मानिटर की जाए तथा इस मामले को निर्णय के लिए निदेशक मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जावे।

ख) सिद्धान्ततः स्वीकृति देते हुये यह कहा गया कि कोयले की त्वरित आपूर्ति के लिए किसी भी स्त्रोत से पूर्ति की जावे जिसमें विश्वस्त स्त्रोत (एम.एम.टी.सी. और अन्य सार्वजनिक उपक्रम) शामिल है।

ग) स्टेण्डिंग लिंकेज कमेटी के जरिए अधिकतम लिंकेज के प्रयास जारी रखते हुये कोयले के आयात के लिए दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्था के लिए खुली निविदा की सामान्य क्रय-विक्रय प्रारम्भ की जावे।

राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए अभी पहली बार ही चीन से कोयला आयात किया गया है व इस कोयले के तकनीकी पैरामीटर्स निम्नलिखित हैं :-

कुल मोइश्चर (ए.आर.)	7-10 प्रतिशत
इनहरन्ट मोइश्चर (ए.डी.)	2-5 प्रतिशत
राख की मात्रा (ए.डी.)	8-15 प्रतिशत
कार्बन (ए.डी.)	45-55 प्रतिशत
वोलेटाइल मैटर (ए.डी.)	25-32 प्रतिशत
सल्फर (ए.डी.)	0.3-0.6 प्रतिशत
ग्रोस केलोरिफिक वैल्यू (ए.डी.)	6500-7000 कि.कैलोरी/किलोग्राम 45-55
हार्ड ग्रुव इन्डेक्स	45-45

(ऊर्जा मंत्री)

राख के फ्यूजन टेम्प्रेचर	1300/1390/14800
साइज	0-50 मि.मी.

केन्द्र सरकार के उपक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों में विदेशी कोयले की विभिन्न किस्मों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अन्य किस्म की जानकारी नहीं है।

(2) वर्ष 2004-05 में कोयले के आयात के सम्बन्ध में भारत सरकार ने मीटिंग दिनांक 20.9.2004 व 16.10.2004 के द्वारा कोयले के आयात के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये तथा पत्र दिनांक 6.10.2004, 4.11.2004, 6.12.2004, 27.12.2004 व 5.1.2005 के द्वारा निर्देश/स्मरण/अनुश्रवण कराया गया। उपरोक्त पत्रों की प्रतिलिपियां परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने कोयले के आयात का निर्णय दिनांक 22.1.2005 को लिया था। केन्द्रीय सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुये पत्र दिनांक 22.1.2005 से निम्न निर्देश दिये :-

क) ईंधन आपूर्ति की स्थिति दैनिक आधार पर मानिटर की जाए तथा इस मामले को निर्णय के लिए निदेशक मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जावे।

ख) सिद्धान्ततः स्वीकृति देते हुये यह कहा गया कि कोयले की त्वरित आपूर्ति के लिए किसी भी स्त्रोत से पूर्ति की जावे जिसमें विश्वस्त स्त्रोत (एम.एम.टी.सी. और अन्य सार्वजनिक उपक्रम) शामिल हैं।

ग) स्टेण्डिंग लिंकेज कमेटी के जरिए अधिकतम लिंकेज के प्रयास जारी रखते हुये कोयले के आयात के लिए दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्था के लिए खुली निविदा की सामान्य क्रय-प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में दिनांक 22 जनवरी, 2005 को आयातित कोयले की शीघ्रातिशीघ्र आपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एम.एम.टी.सी. के अलावा निम्नलिखित उपक्रमों से प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों के लिये अनुरोध किया गया इनसे मूलदेश, तकनीकी पैरामीटर्स और नियमों एवं शर्तों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

1. मैसर्स पी.ई.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली
2. मैसर्स एम.एस.टी.सी., नई दिल्ली
3. मैसर्स एस.टी.सी., नई दिल्ली

(ऊर्जा मंत्री)

4. मैसर्स एन.एम.डी.सी., हैदराबाद

उपरोक्त उपक्रमों से प्रस्ताव देने व क्रय समिति से विचार विमर्श के लिए पांचों उपक्रमों को अपने अधिकृत प्रतिनिधि दिनांक 25 जनवरी, 2005 को भेजने का अनुरोध किया गया था। एम.एम.टी.सी. के अलावा अन्य किसी ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। अतः दिनांक 29.1.2005 को पुनः उपरोक्त चारों उपक्रमों को दिनांक 3 फरवरी, 2005 तक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था।

मैसर्स पी.ई.सी. ने चीन/आस्ट्रेलिया/दक्षिण अफ्रीका के कोयले के लिये अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये। मैसर्स एम.एस.टी.सी. ने इन्डोनेशि, चीन व साउथ अफ्रीका के कोयले के तकनीकी पैरामीटर्स भेजें परन्तु इनकी कीमत एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव नहीं दिये। मैसर्स एन.एम.डी.सी. ने कोई जवाब नहीं दिया तथा इस उपक्रम के बारे में यह जानकारी मिली कि वे कोयले का आयात नहीं करते। मैसर्स एस.टी.सी. ने भी अपने प्रस्ताव नहीं दिये। तत्पश्चात दिनांक 3 फरवरी, 2005 को मैसर्स एम.एस.टी.सी. एस.टी.सी. व एन.एम.डी.सी. को पुनः विस्तृत प्रस्ताव तथा सभी पांचों उपक्रमों को अपना प्रतिनिधि दिनांक 5 फरवरी, 05 को भेजने के लिए अनुरोध किया। मैसर्स एस.टी.सी. ने लगातार अनुरोधों के बावजूद दिनांक 5 फरवरी, 2005 तक आपने प्रस्ताव नहीं दिये तथा उन्होंने और समय मांगा जिसे कोयले को शीघ्र आयात करने की दृष्टि से निगम के निदेशक मंडल ने स्वीकार नहीं किया। मैसर्स पी.ई.सी. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव उचित व पर्याप्त नहीं माने गये तथा उनके द्वारा मांगी गई दरें भी एम.एम.टी.सी. की दरों से अधिक थी। मैसर्स एम.एस.टी.सी. और मैसर्स एन.एम.डी.सी. ने अपने प्रस्ताव नहीं दिये तथा विचार विमर्श के लिए अपने प्रतिनिधि भी नहीं भेजे थे

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्रत्येक विद्युतगृह में कोयले का 30 दिन का भण्डार रहना चाहिये किन्तु 15 दिन का भण्डारण तो अवश्य ही किया जाना चाहिए। दिनांक 2 फरवरी, 2005 को सूरतगढ़ में 135355 मैट्रिक टन (6 दिन की आवश्यकता) तथा कोटा में 86851 मैट्रिक टन (5 दिन की आवश्यकता) कोयले का भंडार था। अतः निगम के निदेशक मंडल ने दिनांक 5 फरवरी, 2005 को कोयले के वर्तमान भंडार, लिंकेज तथा दोनों विद्युतगृहों में वास्तविक आपूर्ति एवं परिस्थिति की गंभीरता पर विचार किया तथा इसके साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कोयले के आयात का निर्णय करते हुए मैसर्स एम.एम.टी.सी. के साथ दरों व शर्तों में नेगोसिएशन करने के उपरान्त एम.एम.टी.सी. को कोटा और सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कुल

(ऊर्जा मंत्री)

2 लाख मैट्रिक टन चीन से आयातित कोयले की आपूर्ति के लिये दिनांक 5.2.2005 को निर्णय लिया गया।

कोयले के आयात वस्तुतः समुचित भंडारण की दृष्टि से आवश्यक हो गया था ताकि कोयले की कमी से इन बिजलीघरों में विद्युत उत्पादन की हानि न हो।

(3) भारत सरकार की स्टेण्डिंग लिंकेज कमेटी द्वारा व. 2004-05 में आबंटित एवं प्राप्त कोयले का विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(4) एम.एम.टी.सी. को कुल दो लाख टन चीन से आयातित कोयले के खरीद के आदेश दिये गये हैं। वर्ष 2004-05 में उसमें से अभी तक 38527 मैट्रिक टन कोयला सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह तथा लगभग 3600 मैट्रिक टन कोटा तापीय विद्युत गृह के लिए आपूर्ति की गई है। शेष कोयले की : पूर्ति की जा रही है।

अभी तक इसका कोई भुगतान नहीं किया गया है।

भविष्य में उपरोक्त 2 लाख टन कोयले के अलावा और कितना कोयला इस संस्था से लिया जावेगा इसका अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(5) भारत सरकार ने राज्य के ताप विद्युत गृहों के लिए 1.26 लाख टन प्रतिमाह कोयला विदेश से मंगवाने को कहा है। भारत सरकार ने दूसरे विकल्प के रूप में केप्टिव कोल माइन्स का प्रस्ताव भी रखा है तथा कहा है कि यदि वे चाहें तो स्वयं या संयुक्त उपक्रमों के जरिये कोयले की खान के ब्लाक आबंटित करवा सकते हैं तथा उन्हें विकसित कर उसका कोयला अपने बिजलीघरों में काम में ले सकते हैं। यह एक अत्यधिक समय लगने वाली और खर्चीली व्यवस्था है। इसमें चार से पांच वर्ष का समय लगता है तथापि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(6) यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड समय पर कोल इण्डिया को कोयला आपूर्ति के लिए भुगतान करता रहा है। अन्य प्रदेशों की कोल इण्डिया को भुगतान की स्थिति की जानकारी नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर शहर की विद्युत लाइनों का रखरखाव

737. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जयपुर शहर की विद्युत लाइनें जो ढीली व लटकी हुई हैं को दुरुस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। जयपुर शहर की विद्युत लाइनों की ढीली व लटकी हुई होने की सूचना मिलने पर उन्हें अविलम्ब दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। जो एक सतत् प्रक्रिया है।

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के लम्बित विद्युत कनेक्शन

738. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कृषि कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची है? यदि हां, तो आवेदकों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रतीक्षारत आवेदकों को कब तक कनेक्शन मुहैया करा दिये जावेंगे?

(3) किस-किस श्रेणी के उपभोक्ताओं से किस-किस दर से (प्रति यूनिट) पैसा वसूला जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कृषि कनेक्शन हेतु प्रतीक्षारात 563 आवेदकों की संख्या सूची निम्न प्रकार है:-

कृषि सामान्य श्रेणी	एस.सी. श्रेणी	एस.टी. श्रेणी	फार्म हाउस	योग
1 अप्रैल 1988 से	1 जनवरी 2005 से	1 जनवरी 2005 से	1.4.2004 से	
301	21	34	207	563

(ऊर्जा मंत्री)

(2) कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) के अनुसार सामान्य श्रेणी के लम्बित आवेदकों को वर्ष 2005-06 में कट आफ मार्च, 2000 तक एवं वर्ष 2006-07 में कट आफ मार्च, 2003 तक के कुल आवेदक 294 के कनेक्शन जारी किया जाना प्रस्तावित है। अन्य श्रेणियों के लम्बित आवेदकों के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं में वर्तमान में लागू विद्युत दरों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है किन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार घरेलु एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं पर इस वृद्धि का भार नहीं डाला गया है। उनसे अभी पुराने दरों से ही राशि ली जा रही है। इस सुविधा से होने वाली हानि की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

परिशिष्ट 'अ'

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
(COMMERCIAL WING)
STATEMENT INDICATING EXISTING FIXED CHARGES, ENERGY CHARGES, ELECTRICITY DUTY AND MINIMUM BILLING BEING LEVIED ON VARIOUS CATEGORIES OF CONSUMERS

W.e.f.01.01.2005 (Billing month February , 2005

S. No.	CATEGORY	FIXED CHARGES	ENERGY CHARGES Paise/unit	ED Paise/ Unit w.e.f. 1.6.2004	MINIMUM BILLING (In Rs/Month)	
1.	**DOMESTIC SERVICE**					
(a)	(Rural & Urban)					
(i)	First 50 Units/Month	Rs 80/Connection/Month	195*	40	Abolished	
(ii)	Above 50 Units/Month	Rs 105/Connection/Month	350*	40		
(b)	Residential Colonies taken-ing supply at 11 KV or above	Rs 100/KVA/month of B.D	300*	40		
2	**NON DOMESTIC SERVICE**					
(I)	**LT Supply**					

S. No.	CATEGORY	FIXED CHARGES	ENERGY CHARGES paise/unit	ED Paise/ Unit w.e.f. 1.6.2004	MINIMUM BILLING (In Rs/Month)	
(a)	**C.L. upto 5 KW**				SCL upto 5KW	
(i)	First 100 Units/Month	Rs 80/Connection/Month	450	40	(a) First 100 units	
(ii)	Above 100 Units/Month	Rs 120/Connection/Month	490	40	(i) Rural	140/ Connection
					(ii) Urban	200/ Connection
					(ii) Above 100 units/Month	
					(i) rural	180/ Connection
					(ii) Urban	240/ Connection
(b)	**C.L. above 5KW**					

S. No.	CATEGORY	FIXED CHARGES	ENERGY CHARGES Paise/unit	ED Paise/ Unit w.e.f. 1.6.2004	MINIMUM BILLING (In Rs/Month)	
(i)	First 100 Units/Month	Rs 40/KW of C.L.	450	40	SCL above 5KW (LT Supply)	180/KW
(ii)	Above 100 Units/Month		490	40	(Urban & Rural)	
(II)	**HT Supply**					
(i)	First 100 units/Month	Rs 60/KVA of BD	450	40	HT Supply	220/KVA of B.D
(ii)	Above 100 units/Month		490	40	(Urban & Rural	
3.	**PUBLIC STREET LIGHTING :**					
(i)	In Panchayats/Municipal areas having Population below 1-Lekh	Rs 30/Point (Max. Rs.300/- Per Connection)	350*	40		
(ii)	In Municipal areas having population of 1-Lakh and above	Rs 45/Point (Max. Rs.900/- Per Connection)	375*	40		

S. No.	CATEGORY	FIXED CHARGES	ENERGY CHARGES Paise/unit	ED Paise/ Unit w.e.f. 1.6.04	MINIMUM BILLING (In Rs/Month)	
4.	AGRICULTURE :					
(I)	Metered Supply				(In Rs/HP/ Month	
(i)	General	Rs 50/Connection/Month	110	4	(i) General	Rs. 85/HP
(ii)	Farm House	Rs 50/Connection/Month	340	25	(ii) Farm House	Rs. 320/HP
(iii)	Others	Rs 50/Connection/Month	210	25	(iii) Others	Rs. 200/HP
(II)	Flat Rate Supply					
	(In Rs Per HP/Month)					
(i)	General	Rs 20/Connection/Month	Rs. 140/HP/ Month	5%		
(ii)	Special Fodder scheme	Rs 20/Connection/Month	Rs. 200/HP/ Month	5%		
(iii)	Others	Rs 20/Connection/Month	Rs. 230/HP/ Month	5%		
5.	SMALL INDUSTRY :	Rs 35/HP/Month	350	40		135/HP

S. No.	CATEGORY	FIXED CHARGES	ENERGY CHARGES Paise/unit	ED Paise/ Unit w.e.f. 1.6.04	MINIMUM BILLING (In Rs/ Month)	
6.	**MEDIUM INDUSTRY :**					
(a)	LT Supply (CD upto 50 KVA)	Rs 50/HP/Month	375	40	(a) For C.D. upto 50 KVA	165/HP C.L.
(b)	HT Supply (CD above 50 KVA)	Rs 80/KVA/Month of B.D	375	40	(b) For C.D. above 50 KVA	275/KVA of BD
7.	**BULK SUPPLY FOR MIXED LOAD:**					
(a)	LT Supply (CD upto 50 KVA)	Rs 50/HP/Month	375	40	(i) LT supply	
(b)	HT Supply (CD above 50 KVA)	Rs 80/KVA/Month of B.D	375	40	(a) Recognised Eduction Institutes	55/HP
					(b) others	110/HP
					(II) 11KV/33KV Supply	
					(a) Recognised Eduction Institutes	130/KVA of BD
					(b) Others	260/KVA of BD

S. No.	CATEGORY	FIXED CHARGES	ENERGY CHARGES Paise/unit	ED Paise/ Unit w.e.f. 1.6.2004	MINIMUM BILLING (In Rs/ Month)	
8.	LARGE INDUSTRY :	Rs 90/KVA/Month of BD	401	40	(I) Upto 1000 KVA C.D	440/KVA of BD
					(II) Beyond 1000 KVA C.D	
					(a) For Arc/ Induction furnaces	700/KVA of BD
					(b) Others	520/KVA of BD

NOTES :

1* In Rural areas, a rebate of 10% under Domestic Category in the above rate of charges shall be allowed but if the supply is round the clock, 10% rebate shall not be allowed.

2* In rural & Urban Ares, a rebate of 5 paise per unit under Domestic category in the above rate of charges shall be allowed if the consumer uses 'Solar Water Heating System' after approval from Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.

3** If the 'Timer' is provided on the Road light circuit, a rebate of 30 paise/unit in tariff shall be allowed.

4. BD = Billing Demand
CD = Contract Demand
SCL = Sanctioned Connected load

5. Public Water Works and Railway traction tariff will be same as that of industries depending upon load.

File Name:ash1/tariff/sheet23

कनिष्ठ अभियन्ता कुमावास (झुन्झुनूं) के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

739. श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. की कुमावास (मुकुन्दगढ़) जिला झुन्झुनूं में कार्यरत अभियंताओं के विरूद्ध अनधिकृत राशि वसूल करने के संबंध में सरकार को शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब-कब?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे?

(3) क्या यह सही है कि कनिष्ठ अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. कुमावास (मुकुन्दगढ़) जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध भी विद्युत कुओं के एस्टीमेट बनाने में अनियमितता और बिना कनेक्शन दिये किसानों से अवैध कनेक्शन कराकर प्रति फसल राशि वसूलने के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार को शिकायतें की गई हैं? यदि हां, तो कब-कब?

(4) सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और अब आगे क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त शिकायत की जांच कराकर दोषी कनिष्ट अभियंता को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विद्युत निगमों को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उपरोक्तानुसार कोई शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। कनिष्ठ अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुमावास (मुकन्दगढ़) जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध विद्युत कुओं के एस्टीमेट बनाने में अनियमितता और बिना कनेक्शन दिये किसानों से अवैध

कनेक्शन कर प्रति फसल राशि वसूलने के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्युत निगमों को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) उक्त प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(5) जी हां। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की जावेगी एवं दोषी पाये जाने पर नियमानुसार दण्डित भी किया जावेगा।

विद्युत आवासीय कालोनी लालकोठी, जयपुर में चारदीवारी निर्माण

740. **श्री कालूराम (हिण्डौन)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. की लालकोठी विद्युत आवासीय कालोनी में बार-बार चोरी की वारदातें होती रहती हैं?

(2) क्या यह सही है कि लालकोठी विद्युत आवासीय कालोनी में आने-जाने के कई रास्ते खुले हुए हैं जिससे कच्ची बस्ती के लोग कालोनी में आ जाते हैं?

(3) सरकार उक्त आवासीय कालोनी में घटित हो रही उक्त वारदातों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर की लाल कोठी सब्जी मण्डी के पीछे आवासीय कालोनी में चोरी की वारदातों में वर्ष 2003 में 5 प्रकरण एवं 2004 में 14 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं तथा वर्ष 2005 में 10 अप्रैल तक मात्र 3 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं।

(2) जी हां। उक्त आवासीय कालोनी में प्रवेश हेतु मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था है। परिसर में कालोनी के अलावा सब स्टेशन व रेस्ट हाउस भी है। अतः चारों ओर सुरक्षा दीवार बनायी गई है, लेकिन जमीन विवाद न्यायालय में लम्बित होने के कारण दो जगह पर दीवार/फैन्सिंग नहीं बन सकी है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) उक्त वारदातों को रोकने हेतु पुलिस गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर इन्सदादी कार्यवाही की जाती है। वारदातों को रोकने हेतु हर सम्भव प्रयास जारी है।

अनुसूचित जनजाति के कृषकों को विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता

741. श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कृषि कनेक्शन नीति 2004 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति को विद्युत कृषि कनेक्शन तुरन्त देने का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो क्या राज्य के अन्य भागों में बसने वाले अनुसूचित जनजाति के कृषकों को भी इसमें प्राथमिकता दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। कृ. कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.9.2004) में राज्य के अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कृषि कनेक्शन में तुरन्त प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की तुलना में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर माना गया है अतः इन्हें ही प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। अन्य क्षेत्र की जनजाति को प्राथमिकता दिये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर

742. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में काश्तकारों के कुओं पर कहां-कहां ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं? उक्त में से कितने ट्रांसफार्मर 1 जनवरी, 2004 से आज दिनांक तक जले तथा जले हुए ट्रांसफार्मर को कब-कब बदल गये? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पंचायत समिति सहाड़ा में 337 ट्रांसफार्मर तथा पंचायत समिति रायपुर में 312 ट्रांसफार्मर काश्तकारों के कुओं पर विद्युत आपूर्ति हेतु लगे हुए हैं। उक्त में से दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक पंचायत समिति सहाड़ा में कुल 25 ट्रांसफार्मर तथा पंचायत समिति रायपुर में कुल 24 ट्रांसफार्मर जले, जो सभी 72 घंटे की समय सीमा में बदले जा चुके हैं।

राज्य में विद्युत छीजत रोकने हेतु उपाय

743. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विद्युत वितरण में वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक वर्षवार छीजत का प्रतिशत क्या है?

(2) विद्युत सुधार में छीजत कम करने के लक्ष्य की उपलब्धि क्या रही? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे?

(3) आगामी वर्षों में छीजत कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनायी गई है? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत वितरण निगमों में विद्युत छीजत का वर्षवार प्रतिशत निम्नानुसार है :-

वर्ष	छीजत प्रतिशत में		
	जयपुर निगम	अजमेर निगम	जोधपुर निगम
2000-01	38.79	36.66	40.93
2001-02	38.51	35.76	39.45
2002-03	39.24	39.70	40.95
2003-04	37.76	44.48	40.95
2004-05 (अनुमानित)	34.47	42.50	40.02

(ऊर्जा मंत्री)

(2) आर.ई.आर.सी. के निर्देशानुसार वितरण हानियों को 2001-02 से लेकर अगले 5 वर्षों के अन्त तक 20 प्रतिशत के स्तर तक कम करना था परन्तु निगमों के भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसका मुख्य कारण राज्य में लगातार सूखे की स्थिति रहना है। सूखे की स्थिति के कारण ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु अधिक बिजली की आपूर्ति की जाती रही है जिससे वितरण हानि में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त स्थिर दर उपभोक्ताओं से उसी राशि के बिल के सापेक्ष अधिक घंटे बिजली आपूर्ति की जाती रही है। अजमेर विद्युत वितरण निगम में इस वित्तीय वर्ष में छीजत लगभग 2 प्रतिशत, जोधपुर विद्युत वितरण निगम में लगभग 0.93 प्रतिशत एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम में लगभग 3.3 प्रतिशत की कमी अनुमानित है।

(3) विद्युत वितरण निगमों में विद्युत चोरी, छीजत व ओवर लोडिंग को रोकने के लिये निम्न योजनाएं बनाई गई हैं :-

1. सघन विजिलेंस अभियान चालू किया जा रहा है जिससे विद्युत चोरी व ओवर लोडिंग पर अंकुश लगाया जा सके।

2. नये 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है ताकि 11 केवी लाइनें छोटी की जा सकें व बिजली की छीजत व ओवर लोडिंग रोकी जा सके।

3. पर्याप्त क्षमता के कैपेसिटर बैंक पावर ट्रांसफार्मरों पर लगाये जा रहे हैं।

4. विद्युत चोरी बहुल क्षेत्रों में ओवर हैड लाइनें जो इस समय नंगे तारों से खींची गई हैं पर ए.बी.सी. लगाई जायेगी।

5. खराब एवं बन्द मीटरों को शीघ्र बदला जा रहा है।

6. वितरण ट्रांसफार्मरों पर कैपीसिटर लगाकर छीजत कम की जा रही है।

7. फीडर सुधार कार्यक्रम चालू किया गया है जिसके तहत बड़े ट्रांसफार्मरों को 25 के.वी.ए. के छोटे ट्रांसफार्मरों में बदला जावेगा तथा एल.टी. लाइन की लम्बाई 270 मीटर से ज्यादा नहीं होगी जिससे बिजली की चोरी व ओवर लोडिंग रोकी जा सकेगी। जहां तक संभव हो सकेगा नई एल.टी. लाइन ए.बी.सी. कन्डक्टर से डाली जायेगी। योजना की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.
(Govt. of Rajasthan Undertaking)
URGENT/BY FAX

No.JPD/MD/TA/F/355 Jaipur, 4th March, 2005

The Chief Engineer (O&M-I),
Jaipur Discom, Jaipur

Sub: Feeder renovation programme for the year 2005-2006:

As already decided we have to complete the work of about 600 rural feeders in the financial year 2005-06, so as to reduce the T&D losses substantially. Along with decisions already taken, the following programme should find priority :

1. FRP (HP):

This programme will consists of augmenting the rural feeders having higher population villages i.e. having population of 5,000 and more. The key technical inputs will be in the form of urban focus activities as well as installation of single phase transformers in the villages. This is to be done on turnkey basis.

2. FRP (MDC) :

This programme pertains to installation of single phase transformers on the feeders having minimum domestic connections. It is to be done on turnkey basis.

3. FRP (MAC) :

This programme pertains to feeder renovation of feeders having minimum agriculture connections. As already discussed on phone today, the feeders having agriculture connections upto 50 Nos. have to be identified and key technical inputs will be mainly the urban focus activities without installation of single phase transformers. The agriculture connections shall be shifted on smaller 25 KVA transformers by replacing the big size transformers. All such feeders will not require single phase transformers. This programme is also to be executed through turnkey system. All Superintending Engineers may prepare the proposals/project reports for their circle and turnkey tenders should be invited for a proper lot size.

4. Operation Industrial Area Programme (OIA) :

As decided in the meeting of 26th February, 2005 for review of industrial area T&D losses in the Company, augmentations have to be taken up as per the decisions taken in the meeting and circulars/instructions issued by the CE (Comml.) to install separate transformers for industrial connections with adequate protection and anti-theft measures. Project report should be immediately prepared and turnkey tenders should be invited for a proper lot Size. This work is also to be completed within the Financial year 2005-2006

R.G. Gupta
Managing Director

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित छात्रावास

744. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत पीपर्ला खेड़ा पंचायत मादड़ा में छात्रावास का शिलान्यास किया गया है? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा?

(2) क्या सरकार कोटड़ा व गोगुन्दा पंचायत समिति में नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब तक?

(3) क्या सरकार दूर दराज क्षेत्र लुहारसा एवं मादड़ी छापर तथा पानेर या गुंदाली में भी छात्रावास बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

दियातरा छात्रावास भवन (बीकानेर) की मरम्मत

745. श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर में कितने समाज कल्याण छात्रावास व वार्डन है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दियातरा छात्रावास भवन जर्जर अवस्था में है? यदि हां, तो क्या छात्र उक्त छात्रावास में रह रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त छात्रावास को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में समाज कल्याण विभाग के 21 छात्रावास हैं। इनमें से 18 राजकीय व 03 अनुदानित छात्रावास हैं, 18 राजकीय छात्रावासों में

(समाज कल्याण मंत्री)

से 8 में नियमित रूप से चयनित अधीक्षक कार्यरत हैं तथा इनमें से 4 को 4 राजकीय छात्रावास के अतिरिक्त चार्ज दे रखे हैं, शेष 5 राजकीय छात्रावासों में संविदा के आधार पर अधीक्षक नियुक्त हैं एवं एक राजकीय छात्रावास में स्कूल अध्यापक के पास अतिरिक्त चार्ज है। (सूची संलग्न)

(2) जी हां। उक्त छात्रावास के वर्तमान भवन में छात्रावासी नहीं रह रहे हैं व छात्रावासियों की अन्यत्र रहने की व्यवस्था की गयी है। उक्त छात्रावास का नया भवन इस वित्तीय वर्ष में बनाया जाने का विचार किया जायेगा।

बीकानेर जिले में संचालित छात्रावासों की सूचना :-

क्र.सं.	नाम छात्रावास	योजना	बालक/ बालिका	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या	छात्रावास अधीक्षकों का पदस्थापन स्थान
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बीकोनर	अनु. जाति	बालक	75	75	विभागीय अधीक्षक अतिरिक्त चार्ज
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नोखा	अनु. जाति	बालक	35	35	विभागीय अधीक्षक
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बादनू	अनु. जाति	बालक	35	35	संविदा पर नियुक्त
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जसरासर	अनु. जाति	बालक	35	30	संविदा पर नियुक्त
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, डूंगरगढ़	अनु. जाति	बालक	35	35	संविदा पर नियुक्त
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोलायत	अनु. जाति	बालक	45	45	विभागीय अधीक्षक
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दियातरा	अनु. जाति	बालक	40	40	विभागीय अधीक्षक
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बज्जू	अनु. जाति	बालक	40	40	विभागीय अधीक्षक अतिरिक्त चार्ज
9.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लूणकरणसर	अनु. जाति	बालक	50	50	अध्यापक अतिरिक्त चार्ज

क्र.सं.	नाम छात्रावास	योजना	बालक/ बालिका	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या	छात्रावास अधीक्षकों का पदस्थापन स्थान
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छतरगढ़	अनु. जाति	बालक	60	60	संविदा पर नियुक्त
11.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पूंगल	अनु. जाति	बालक	50	50	विभागीय अधीक्षक
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खाजूवाला	अनु. जाति	बालक	35	35	विभागीय अधीक्षक अतिरिक्त चार्ज
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पांचू	अनु. जाति	बालक	25	नवीन	विभागीय अधीक्षक अतिरिक्त चार्ज
14.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, देशनोक	अनु. जाति	बालक	35	35	विभागीय अधीक्षक
15.	राजकीय स्वच्छकार छात्राबास, नापासर	अनु. जाति	बालक	35	18	संविदा पर नियुक्त
16.	राजकीय स्वच्छकार छात्रावास, गोगागेट	अनु. जाति	बालक	25	25	विभागीय अधीक्षक
17.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बीकानेर	अनु. जाति	बालिका	40	40	विभागीय अधीक्षक
18.	राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास, बीकानेर	डी.टी.एन.टी.	बालक	35	35	विभागीय अधीक्षक

क्र.सं.	नाम छात्रावास	योजना	बालक/ बालिका	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या	छात्रावास अधीक्षकों का पदस्थापन स्थान
अनुदानित छात्रावास						
19.	मण्डी दन्तौर अनुदानित छात्रावास (नशा मुक्ति) अस्पताल एवं पुनर्वास केन्द्र. मण्डी दन्तौर, खाजुवाला, बीकानेर	अनुसूचित जाति	बालक	25	नवीन 04-05	
20.	जय भीम वाल्मिकी समाज सुधार संस्थान, बीकानेर	अनुसूचित जाति	बालक	25	नवीन 04-05	
21.	त्रिलोक मेघवंशी अनुदानित छात्रावास, नोखा, बीकानेर	अनुसूचित जाति	बालक	50	49	

अतारांकित प्रश्न संख्या 746

(स्थगित)

जलमहल हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी जयपुर द्वारा जनता नगर में आबंटित भू-खण्ड

747. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जलमहल हाउसिंग कापरेटिव सोसायटी द्वारा जनता नगर, लक्ष्मी नगर के पीछे, सोडाला, जयपुर में भूखण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो सूची मय नाम, भूखण्ड संख्या के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। समिति द्वारा प्रस्तुत उक्त योजना के आबंटियों की सूची मय नाम, भूखण्ड संख्या परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दी शिवा हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि. द्वारा गोविन्द नगर जयपुर में आबंटित भू-खण्ड

748. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि शिवा हाउसिंग कापरेटिव सोसायटी लि. ने गोविन्द नगर, डी.सी.एम. के पीछे, अजमेर रोड़, जयपुर में भूखण्ड आबंटित किये हैं? यदि हां, तो किन-किन को व कब-कब? सूची मय नाम, भूखण्ड संख्या के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार दी शिवा हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि. ने गोविन्द नगर, अजमेर रोड़, जयपुर में वर्ष 1980 1981 में भूखण्ड आबंटित किये हैं। सूची मय नाम एवं भूखण्ड संख्या के परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चौमूं विधान सभा क्षेत्र में सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को स्वीकृत ऋण

749. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2003 से 2005 तक कौन-कौन से किसानों को कितना ऋण दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सहकारी बैंकों द्वारा सत्र 2003 से 2005 तक किसानों को वितरित किये गये ऋण की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

750. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं? नाम, स्थान एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है? सरकार इनमें कब तक ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कुल 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

(सहकारिता मंत्री)

क्र. सं.	समिति का नाम	व्यवस्थापक का नाम	सहायक व्यवस्थापक	सैल्समैन	सहायक कर्मचारी
1.	भंगेरा	श्री अमर सिंह			
2.	डाबडीबलोदा	श्री रामनिवास			
3.	ढिगाल	श्री भंवर सिंह			श्री रामेश्वर लाल
4.	डूमरा	श्री अमर सिंह	श्री ताराचन्द	श्री रामसिंह	
5.	डूण्डलोद	श्री मूलचन्द			
6.	जेजूसर	श्री गंगाधर सिंह			
7.	कसेरू	श्री सुखराम			
8.	मुकुन्दगढ़	श्री श्रीराम खींचड़			
9.	पबाना	श्री सुखराम			
10.	सांगासी मांडासी	श्री सतीशचन्द			
11.	सोटवारा	श्री भरत सिंह कुलहरि			
12.	तोगड़ाकला	श्रीरामप्रतापसिंह			
13.	बड़वासी	श्री रामधन सिंह		श्री हेतराम	
14.	बलवन्तपुरा	श्री सुलतान सिंह			
15.	बसावा	श्री रघुनाथ सिंह			
16.	बाय	श्री महादेव प्रसाद	श्री महावीर प्रसाद सैनी		
17.	बुगाला	श्री वीरेन्द्र सिंह		श्री चन्दगीराम	
18.	चाराकावास	श्री कजोड़मल यादव			

(सहकारिता मंत्री)

क्र. सं.	समिति का नाम	व्यवस्थापक का नाम	सहायक व्यवस्थापक	सैल्समैन	सहायक कर्मचारी
19.	चिराना	श्री रामप्रताप			
20.	चोपदारों की ढाणी	श्री भागीरथ मल	श्री विनोद कुमार		
21.	श्री झांझड़	श्री रामावतार			
22.	कारी	श्री बिहारीलाल			
23.	खिरोड	श्री नवरंगलाल			
24.	कोलसिया	श्री अर्जुन सिंह			
25.	मोहनवाड़ी	श्री महादेव सिंह			
26.	टोंक छिलरी	श्री बृजलाल			

(2) जी नहीं। नई समितियों को व्यवस्थापकीय अनुदान एवं हिस्सा राशि देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में निम्न 15 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं :-

देवगांव, कैरू, ढाणी नवलगढ़, बिरोल, लोहार्गल, वोडीवारा खुर्द, कुमावास, नवलड़ी, गोठड़ा, तोडपुरा, चेलासी, राणासर, निवाई, जाखल, परसरामपुरा।

नई समितियों को व्यवस्थापकीय अनुदान एवं हिस्सा राशि देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है।

जसवंतपुरा (जालौर) पंचायत समिति के पूर्व विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच

751. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

श्री धुव्र सत्य अग्रवाल, पूर्व विकास अधिकारी, पंचायत समिति जसवंतपुरा, जिला जालौर के विरुद्ध चल रही जांच में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

श्री ध्रुव सत्य अग्रवाल पूर्व विकास अधिकारी पंचायत समिति जसवन्तपुरा (जालौर) के विरुद्ध दो जांच प्रकरण विभागीय स्तर पर विचाराधीन हैं।

1. श्री ध्रुव सत्य अग्रवाल, पूर्व विकास अधिकारी पंचायत समिति जसवन्तपुरा को दिनांक 16.7.2004 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने पर नियम 16 सी.सी.ए. में कार्यवाही किये जाने का निर्णय विभागीय स्तर पर लिया गया है। नियम 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण कार्मिक विभाग को भिजवाने की प्रक्रिया जारी है।

2. श्री ध्रुव सत्य अग्रवाल पूर्व विकास अधिकारी पंचायत समिति जसवन्तपुरा (जालौर) को नियम 17 सी.सी.ए. के तहत दिनांक 29.5.2004 को आरोप पत्र दिया था। श्री अग्रवाल का ज़वाब प्राप्त हो चुका है। प्रकरण विभागीय स्तर पर विचाराधीन है।

उदयपुर जिले में पंचायत सचिवों के रिक्त पद

752. श्री शान्ति लाल चपलोत (मावली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवों के पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर की पंचायतों में सचिव के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस पंचायत में व कब-कब से? सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर परिशिष्ट "अ" में रख दी गई है। उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	कब से पद रिक्त है
1.	सलूम्बर	कराकलां	3/05
2.		खजूरी	3/05
3.		बनोड़ा	7/04
4.		अमलोदा	7/04
5.		खरका	7/04
6.		सराड़ी	7/04
7.		जैताणा	7/04
8.		डाल	7/04
9.		मानपुर	7/04
10.	गिर्वा	बछार	22/9/04
11.		वली	1/7/02
12.		बल्लभ	30/4/03
13.		फीला	4/3/03
14.	मावली	मोरठ	15/3/05
15.		फलीचढ़ा	18/3/05
16.		ढूंढिया	18/3/05
17.		मेड़ता	18/3/05
18.	झाडोल	माकडादेव	10/02
19.		खाकड़	10/02
20.		जैतावाड़ा	6/03
21.		अम्बासा	6/03
22.		गरणवास	6/03
23.		अटाटिया	11/04

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	कब से पद रिक्त है
24.		नीचलीसिगरी	11/04
25.		बदराणा	11/04
26.		गोराणा	9/04
27.		चन्दवास	7/04
28.	भीण्डर	भोपाखेड़ा	10/04
29.		अमरपुराखा	11/04
30.		बाठरडाकलां	10/04
31.		कुन्थवास	10/04
32.		धमानिया	3/04
33.		बडगांव	1/00
34.		कुन्डई	3/05
35.		बरगड़	3/04
36.		हिन्ता	9/04
37.		टूसडांगियान	7/02
38.		बालाथाल	12/04
39.		चारगदिया	12/04
40.		सिंहाड़	11/04
41.		गोटिपा	3/03
42.	धरियावद	धरियावद	12/10/04
43.		कोवरा	12/10/04
44.	गोगुन्दा	सुआवर्तो का गुढा	5/7/02
45.		मजावड़ी	6/6/03

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	कब से पद रिक्त है
46.		मोडी	19/8/03
47.		ढूंढी	5/7/04
48.		ब्राह्मणों का कलवाना	5/7/04
49.		कमोल	11/10/04
50.		बोखाड़ा	11/10/04
51.		सायरा	11/10/04
52.	कोटड़ा	मेढी	2/2/05
53.		कोटड़ा	26/9/02
54.		लाम्बा हल्दू	4/6/04
55.		मामेर	31/3/03
56.		गुरा	29/10/04
57.		झेढ	26/9/02
58.		डांग	28/10/04
59.		मालवा का चौरा	28/10/04
60.		मेवाडो का मठ	28/10/04
61.	बडगांव	वाटी	1/11/0[illegible]
62.		सापेटिया	1/10/04
63.		कठार	9/12/04
64.		कविता	9/5/0[illegible]
65.		मदार	1/5/95
66.		बडगांव	28/9/04
67.	खैरवाड़ा	कागदरभाटिया	14/10/04

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	कब से पद रिक्त है
68.		छार्नी	14/10/04
69.		ढीकवास	8/12/04
70.		करावाड़	8/12/05
71.		पीपली ब	11/2/04
72.		असारीवाड़ा	1995 (नया गठन)
73.		जायरा	1995 (नया गठन)
74.		गुढा	1995 (नया गठन)
75.	सराड़ा	भालडिया	12/10/01
76.		टोकर	6/10/01
77.		अदवास	30/8/04
78..		घोड़ासर	20/1/04
79.		सगतड़ा	3/10/04
80.		नठारा	8/10/04
81.		वीरपुरा	5/10/04

मारवाड़ (पाली) पंचायत समिति में ग्राम सेवकों को आबंटित कार्य-प्रभार

753. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जिला पाली में कितनी पंचायतें हैं? इन पंचायतों में कितने ग्रुप सचिव कब-कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन पंचायतों में कार्यरत ग्रुप सचिवों के पास एक से अधिक पंचायतों का कार्य है? यदि हां, तो किन कारणों से? कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(3) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे भी स्थाई ग्राम सेवक हैं जिनके पास कोई भी ग्राम पंचायत का कार्य प्रभार नहीं है? यदि हां, तो ऐसे कितने स्थाई ग्राम सेवक हैं जिनके पास कार्य नहीं हैं? ये कितने समय से बिना काम वेतन प्राप्त कर रहे हैं व अब तक बिना काम कितना वेतन प्राप्त कर चुके हैं तथा इनके पास कार्य नहीं होने के कारण क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि अस्थाई ग्राम सेवक 1200/- रुपये प्राप्त करने वाले जो दूसरी जगह से आये हैं उन्हें भी एक से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्य दिया हुआ है? यदि हां, तो किस-किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ऐसे ग्राम सेवकों को जिनके पास पंचायतों का कार्य प्रभार नहीं है व जिनके पास एक से अधिक पंचायतों का कार्य है से लेकर बिना काम वेतन प्राप्त कर रहे ग्राम सेवकों में कार्य वितरित करने का विचार रखती है व इस अव्यवस्था के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जिला पाली में 47 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें एक पद रिक्त है एवं एक ग्राम ग्राम सेवक निलम्बित है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। ऐसे दो ग्रुप सचिव हैं, जिनके पास ग्राम पंचायत का अतिरिक्त चार्ज है। इसका कारण एक पद रिक्त होना एवं एक ग्राम सेवक का निलम्बित होना है। इसमें ग्राम पंचायत चौकड़िया का चार्ज श्री राजाराम गुर्जर के पास दिनांक 21.9.2004 से तथा ग्राम पंचायत राजावास का अतिरिक्त चार्ज श्री दीवानसिंह के पास दिनांक 8.4.2004 से है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) आवश्यकता नहीं।

परिशिष्ट ए

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	स्थाई रूप से पदस्थापित ग्राम सेवक	पदस्थापन तिथि	अतिरिक्त चार्ज वाले ग्राम सेवक की पंचायत एवं पदस्थापन की सूचना
1.	आउवा	श्री दिवानसिंह	17.7.2001	
2.	बांता	श्री घीसुलाल	23.7.2001	
3.	बाड़सा	श्री हेमाराम पंवार	21.8.2002	
4.	बासनी	श्री श्याम सुन्दर गज्जा	8.4.2005	
5.	भगौड़ा	श्री मदनसिंह	8.4.2005	
6.	भिवालिया	श्री विरेन्द्र सिंह	21.9.2004	
7.	बिठौड़ा कलां	श्री छविराज सिंह	8.4.2005	
8.	बोपारी	श्री महेन्द्रसिंह	21.9.2004	
9.	बोरीमादा	श्री सुमेरसिंह	24.9.2001	
10.	बोरनड़ी	श्री गोपाल लाल	15.10.2004	
11.	चौकडिया			श्री राजाराम गुर्जर 21.9.2004
12.	चवाडिया	श्री अब्दुल कलाम	21.10.2004	
13.	बिरपाटिया	श्री उगमा नाथ	8.4.2005	
14.	देवली	श्री खींवराज नन्दवाना	15.8.2003	
15.	धामली	श्री मकबूल	23.7.2001	
16.	धनला	श्री धुडाराम	31.7.1997	
17.	धुंधला	श्री चुन्नीलाल	8.4.2005	
18.	दुदौड़	श्री प्रतापसिंह	30.6.2004	
19.	मादाणा	श्री मंशाराम	15.10.2004	

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	स्थाई रूप से पदस्थापित ग्राम सेवक	पदस्थापन तिथि	अतिरिक्त चार्ज वाले ग्राम सेवक की पंचायत एवं पदस्थापन की सूचना
20.	गुडा केसरसिंह	श्री सुरेश चन्द्र	27.7.2003	
21.	गुडा रामसिंह	श्री दिनेश चारण	24.8.2002	
22.	गुडा सूरसिंह	श्री विक्रम सिंह	8.4.2005	
23.	हेमालियांवास खुर्द	श्री ललीत दवे	8.4.2005	
24.	हिंगोला खुर्द	श्री जब्बर सिंह	24.9.2001	
25.	ईसाली	श्री दिनेश चारण	18.1.97	
26.	जाडन	श्री मोहनलाल	17.7.2001	
27.	जाणुन्दा	श्री लुणाराम	23.7.2001	
28.	जिंझार्डी	श्री नारायणसिंह	28.8.2000	
29.	जोजावर	श्री राजाराम	21.9.2004	
30.	कंटालिया	श्री गिरधारी लाल	25.7.2004	
31.	कराड़ी	श्री नारायण सिंह	16.9.2003	
32.	खारवी	श्री मज्जन सिंह	28.3.2001	
33.	मलसाबावड़ी	श्री भंवर सिंह	18.7.2001	
34.	माण्डा	श्री राकेश अरविन्द	4.12.2004	
35.	मारवाड़ जंक्शन	श्री फुलसिंह	23.7.2001	
36.	मुसालिया	श्री महावीर वैष्णव	4.12.2004	

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	स्थाई रूप से पदस्थापित ग्राम सेवक	पदस्थापन तिथि	अतिरिक्त चार्ज वाले ग्राम सेवक की पंचायत एवं पदस्थापन की सूचना
37.	निम्बली माण्डा	श्री भरत सिंह	21.9.2004	
38.	पांचेटिया	श्री सभाजीत सिंह	18.10.2004	
39.	फुलाव	श्री शौकत हुसैन	8.4.2005	
40.	रडावास	श्री नारायण सिंह	8.4.2005	
41.	राणावास			श्री दिवानसिंह 8.4.2005
42.	सारन	श्री गोपाल सिंह	5.8.2003	
43.	सवराड़	श्री ललीत भटनागर	8.4.2005	
44.	सिरियारी	श्री महेन्द्र प्रजापत	8.4.2005	
45.	रोहवाज	श्री मो. साबिर	8.4.2005	
46.	शेखावास	श्री पंकज पांडे	8.4.2005	
47.	सिनला	श्री कानदास	21.9.2004	

प्रशासन आपके द्वार शिविर में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वितरित पट्टे

754. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में प्रशासन आपके द्वार 2004 में किन किन ग्राम पंचायतों में किन-किन व्यक्तियों ने रियायती दर पर पट्टों के लिये रसीद कटाकर आवेदन किया? इनमें से मौके पर ही किन-किन व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये व किन-किन के आवेदन पत्र निरस्त किये गये?

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

(2) क्या यह सही है कि मौके पर पट्टाधारियों को कब्जे सुपुर्द कर दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार इन्हें कब तक कब्जा दे देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में प्रशासन आपके द्वार 2004 में 610 व्यक्तियों ने रसीद कटाकर पट्टों के लिये आवेदन किया, इनमें से 473 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये एवं 100 व्यक्तियों के आवेदन निरस्त किये गये। विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) जिन पट्टाधारियों ने निर्धारित राशि जमा करा दी है उनमें 457 व्यक्तियों को मौके पर कब्जे सुपुर्द कर दिये गये हैं। 16 व्यक्तियों ने राशि जमा नहीं कराई है, उन्हें कब्जा अभी सुपुर्द नहीं किया गया है। राशि जमा कराने पर ही अग्रिम कार्यवाही संभव होगी।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वर्ष 2004-05 में चयनित सहयोगिनियों को प्रशिक्षण/नियुक्ति

755. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में कितनी सहयोगिनियों का चयन कर नियुक्तियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था?

(2) सरकार द्वारा लक्ष्य के विपरीत कितनी सहयोगिनियों का चयन किया गया एवं कितनी सहयोगिनियों को प्रशिक्षण दिया गया और कितनी को नियुक्तियां दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में 26,521 सहयोगिनियों का चयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(2) सरकार द्वारा लक्ष्य के विपरीत जनवरी, 2005 तक 20,271 सहयोगिनियों का चयन किया गया है एवं 15,928 सहयोगिनियों को प्रशिक्षण दिया गया और 18,830 सहयोगिनियों को चयन पत्र दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	जिले का नाम	लक्ष्य	सहयोगिनियों का चयन	सहयोगिनियों का प्रशिक्षण	सहयोगिनियों के चयन पत्र
1.	अजमेर	901	901	610	750
2.	अलवर	1410	939	649	939
3.	बांसवाड़ा	1234	1150	604	1011
4.	बारां	704	607	509	545
5.	बाड़मेर	1273	601	478	543
6.	भरतपुर	955	801	730	747
7.	भीलवाड़ा	911	757	659	757
8.	बीकानेर	658	523	193	523
9.	बूंदी	420	413	374	374
10.	चित्तौड़गढ़	1179	1092	1060	1092
11.	चूरू	726	558	418	450
12.	दौसा	586	535	428	535
13.	धौलपुर	527	304	175	304
14.	डूंगरपुर	782	730	700	728
15.	हनुमानगढ़	563	563	513	563
16.	जयपुर	1536	1168	905	1168
17.	जैसलमेर	327	102	30	102
18.	जालौर	677	249	0	205
19.	झालावाड़	830	531	427	531
20.	झुन्झुनूं	840	838	768	755

क्र.सं.	जिले का नाम	लक्ष्य	सहयोगिनियों का चयन	सहयोगिनियों का प्रशिक्षण	सहयोगिनियों के चयन पत्र
21.	जोधपुर	981	725	542	285
22.	करौली	534	326	286	286
23.	कोटा	575	469	469	432
24.	नागौर	1246	898	803	898
25.	पाली	875	652	504	652
26.	राजसमन्द	460	375	238	236
27.	सवाई माधोपुर	474	277	277	276
28.	सीकर	1023	912	641	900
29.	सिरोही	454	161	89	129
30.	श्रीगंगानगर	833	750	675	750
31.	टोंक	574	428	405	428
32.	उदयपुर	1453	936	769	936
	कुल	26521	20271	15928	18830

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पद

756. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण आबादी में प्रति एक हजार पर एक महिला सेविका की नियुक्ति का प्रावधान है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा, जिला कोटा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में प्रति हजार की आबादी के अनुपात में कुल कितने आंगनबाड़ी सेविकाओं के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रभु लाल वर्मा)

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें.

उत्तर

(1) समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एक सहायिका को मानदेय सेवा पर रखा जाता है। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कुल 175 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं इनमें कोटा जिले की इटावा परियोजना में 127 आंगनबाड़ी केन्द्र, बून्दी जिले की केशोरायपाटन परियोजना में 20 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा बारां जिले की अन्ता परियोजना में 28 आंगनबाड़ी केन्द्र सम्मिलित हैं। सूची संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की परियोजना इटावा, परियोजना केशोरायपाटन (बून्दी), परियोजना अन्ता (बारां) परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद नहीं होने के कारण लागू नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र पीपलदा जिला कोटा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

ग्राम पंचायत का नाम	क्रम संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1. ईटावा	1	ईटावा 1
	2	ईटावा 2
	3	ईटावा 3
	4	ईटावा 4
	5	ईटावा 5
	6	ईटावा 6
	7	ईटावा 7
	8	ईटावा 8
2. रनोदिया	9	रनोदिया 1

ग्राम पंचायत का नाम	क्रम संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
	10	रनोदिया 2
	11	मूडली
	12	किशनवास
3 बिनायका	13	बिनायका 1
	14	बिनायका 2
	15	मूगेना
	16	डोरली
	17	नलावता
4 गणेशगंज	18	गणेशगंज 1
	19	गणेशगंज 2
	20	झाड़ौल
5 जलौदा खातियान	21	जलौदा खातियान 1
	22	दौलतपुरा
	23	ढबरी काली सिन्ध
6 रजोपा	24	रजोपा
	25	हथोली
	26	रामपुरिया
	27	फतेहपुरा
	28	किशनपुरा
	29	केशोपुरा
7 गेता	30	गेता 1
	31	गेता 2

ग्राम पंचायत का नाम	क्रम संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
	32	गेता 3
	33	गेता 4
	34	आमल्दा
8 गोनेरा	35	गोनेरा 1
	36	गोनेरा 2
	37	ड्डवाड़ा
	38	बम्बूलिया कलां-1
	39	बम्बूलिया कलां 2
	40	बम्बूलिया कलां
	41	राजपुरा
	42	शौयपुरा
9 ढ़ीबरी चम्बल	43	ढ़ीबरी चम्बल 1
	44	ढ़ीबरी चम्बल 2
	45	श्रीपुरा
10 बौरदा	46	बौरदा 1
	47	बौरदा 2
	48	सम्मानपुरा
	49	बागदोद
11 कंकरावदा	50	कंकरावदा 1
	51	कंकरावदा 2
	52	नीमसरा
	53	सिनोता

ग्राम पंचायत का नाम	क्रम संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
12 तलाव	54	तलाव 1
	55	तलाव 2
	56	तलाव 3
	57	गणेश खेड़ा
13 जोरावरपुरा	58	जोरावरपुरा 1
	59	जोरावरपुरा 2
	60	भवानीपुरा
	61	खेड़ली बैरीसाल
14 खतौली	62	खातौली 1
	63	खातौली 2
	64	खातौली 3
	65	खातौली 4
	66	खातौली 5
15 बालुपा	67	बालुपा
	68	रामपुलिया धाबाई
	69	छापौल
16 कैथूदा	70	कैथूदा
	71	धनबा
17 बागली	72	बागली
	73	गुवाड़ी
	74	उदयपुरिया
	75	ठीकरदा

ग्राम पंचायत का नाम	क्रम संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
18 जटवाड़ा	76	जटवाड़ा 1
	77	जटवाड़ा 2
	78	सुमेरपुरा
19 निमोला	79	निमोला 1
	80	निमोला 2
	81	मियाना
	82	गोठड़ा कलां
	83	बेजपुरा
20 पीपल्दा	84	पीपल्दा 1
	85	पीपल्दा 2
	86	पीपल्दा 3
	87	पीपल्दा 4
21 करवाड़	88	करवाड़ 1
	89	करवाड़ 2
	90	करवाड़ 3
	91	करवाड़ 4
	92	सौभागपुरा
	93	लक्ष्मीपुरा
22 डूगरली	94	डूगरली
	95	फुसोद
23 शहनावदा	96	शहनावदा
	97	रोण

ग्राम पंचायत का नाम	क्रम संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
	98	खेड़ली पीपल्दा
	99	धाबदा
24 ख्यावदा	100	ख्यावदा
	101	कजलिया
	102	खैडली बौरदा
	103	पीपल्या खुर्द 1
	104	पीपल्या खुर्द 2
25 अयाना	105	अयाना 1
	106	अयाना 2 .
	107	आयाना 3
	108	छत्रपुरा
26 लुहावद	109	लुहावद 1
	110	लुहावद 2
	111	लुहावद 3
	112	गणेश खेड़ा
	113	गणेश पुरा
27 अयानी	114	अयानी
	115	प्रेमपुरा
	116	काकरा
	117	दुधली
28 लक्ष्मीपुरा	118	लक्ष्मीपुरा
	119	हरिपुरा

ग्राम पंचायत का नाम	क्रम संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
	120	निमोदा
	121	वियपुरा
	122	कवल्दा
	123	ढीढोरा
29 दुर्जनपुरा	124	दुर्जनपुरा
	125	बाड़ौली
	126	ग्रण्डावद
	127	करजोदा
30 बमोरी कलां	128	बमोरी कलां
	129	बमोरी कलां 2
	130	बमोरी कलां 3
31 मउ	131	मउ 1
	132	मउ 2
32 महलपुर	133	रैनगढ़
33 भटवाड़ा	134	भटवाड़ा 1
	135	भटवाड़ा 2
34 किशनपुरा	136	बौरदा
	137	कुण्डला
35 जालौदा तेजाजी	138	सीमलिया
	139	जलौदा
	140	भोज्याहेड़ी
36 महुआ	141	महुआ

ग्राम पंचायत का नाम	क्रम संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
	142	मुण्डली
37 हिंगोनिया	143	हिंगोनिया
	144	पाडलिया
38 मठ	145	रावलजावल
	146	खानपुरिया
	147	हरसोली
	148	बलदेवपुरा
39 शाहपुरा	149	शाहपुरा
	150	पाकलखेड़ा
	151	चैनपुरिया
40 मालबमौरी	152	मालबमौरी 1
	153	मालबमौरी 2
	154	रामपुरा भक्तान
	155	बालापुरा
41 जिला बूंदी	156	सुमेरगंज मंडी प्रथम
	157	सुमेरगंज मंडी द्वितीय
	158	खेडलीमाफी
	159	अन्धोरा
	160	दौलतपुरा
	161	नयागांव
	162	नान्ता
	163	हरदेवगंज

ग्राम पंचायत का नाम	क्रम संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
	164	नवलपुरा
	165	अभयपुरा
	166	कोलाशपुरा
	167	चाण्डाखुर्द
	168	बलवन प्रथम
	169	बलवन द्वितीय
	170	कंवरपुरा
	171	पापड़ा
	172	बेलनगंज
	173	झीड़ा
	174	बाबुई
	175	जयनगर

सीकर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

757. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? स्थान, वार्ड, ग्राम या शहर के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कौन-कौन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यरत है? आंगनबाड़ी केन्द्रवार, नाम मय पिता या पति तथा ग्राम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका में विधवाओं का प्रतिशत कितना है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में 256 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

क्र.सं.	नाम परियोजना	संचालित आ.बा. केन्द्रों की सं.
1.	सीकर (शहर)	148
2.	धोंद	12
3.	पिपराली	96
	योग	256

स्थान, वार्ड, ग्राम एवं शहर सहित विवरण सूची संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के नाम मय पिता/पति का नाम आंगनबाड़ी केन्द्रवार ग्राम सहित विवरण सूची संलग्न है।

(3) कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं में विधवाओं का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 04 प्रतिशत

2 आंगनबाड़ी सहायिका 08 प्रतिशत

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

थानागाजी में निगम बस स्टैण्ड की स्थापना

758. **श्री कान्तिप्रसाद मीणा** (थानागाजी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में थानागाजी मुख्यालय पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड के लिए भूमि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो वहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का बस स्टैण्ड कब तक बना दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

जयपुर में संचालित उपनगरीय बस सेवा का निर्धारित किराया

759. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में चलने वाली मिनी बसों को कितने रुटों पर परमिट दिये हुये हैं? उक्त मार्गों पर चलने वाली मिनीट बसों में किराया निर्धारित करने के क्या मानदण्ड है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान में प्रचलित मार्गों में विद्याधर नगर से आर.पी.ए., विद्याधर नगर सैक्टर 8, 9 एवं 10 में बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में मिनी बसों को 25 मार्गों पर बस संचालन हेतु परमिट स्वीकृत किए गए हैं। इन मार्गों पर चलने वाली बसों के किराए का निर्धारण डीजल की प्रचलित प्रति लीटर दर को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(2) विद्याधर नगर से आर.पी.ए. के लिए वर्तमान में नगरीय बस सेवा की कोई बस संचालित नहीं है। विभाग के आदेश दिनांक 12.8.2004 द्वारा मार्ग संख्या 16 की बसों को आर.पी.ए. जाने के लिए डायवर्जन स्वीकृत किया गया था किन्तु बसें डायवर्जन की स्वीकृति पश्चात् भी आर.पी.ए. तक नहीं जा रही हैं। बसों के आर.पी.ए तक नहीं जाने के कारण मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं।

इसी प्रकार विद्याधर नगर सैक्टर 8, 9, 10 के लिए भी वर्तमान में मिनी बसें संचालित नहीं हैं किन्तु विद्याधर नगर क्षेत्र में मार्ग संख्या 15 एवं 17 की बसें संचालित हैं जिन्हें सैक्टर 8, 9, 10 में चलने के लिए इन मार्गों का डायवर्जन किया जाकर नियमानुसार संचालन का प्रयास किया जायेगा।

दूदू (जयपुर) के बस स्टाप पर निगम बसों का ठहराव

760. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूलाल नागर)

(1) निगम बस स्टाप स्वीकृति के मानदण्ड क्या हैं?

(2) जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूदू से किशनगढ़ तक कौन-कौन से गांवों पर बस स्टाप स्वीकृत है? क्या यह सही है कि दूदू से 6 कि.मी. अजमेर रोड़ पर ग्राम पंचायत मुख्यालय गैजी में बस स्टाप स्वीकृत है? यदि हां, तो इसे कब स्वीकृत किया गया? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) बस स्टाप दूदू पर कौन-कौनसी बसें ठहराव करती हैं व ठहराव का समय कितना है?

(4) क्या यह भी सही है कि कई बसें ठहराव होने के बावजूद भी दूदू के बस स्टाप पर नहीं रुकती? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार ऐसे बस के चालक/परिचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निगम द्वारा किसी स्थान पर जनता एवं जन प्रतिनिधियों की मांग पर उस स्थान के आसपास स्थित ग्रामों एवं कस्बों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध होने वाले सम्भावित यात्रियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बस स्टाप घोषित किया जाता है।

(2) जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूदू से किशनगढ़ मार्ग के मध्य निगम के निम्न बस स्टाप घोषित हैं :-

1. पाटन
2. बादर सिंदरी
3. दांतरी
4. पड़ासोली
5. रामनगर

अजमेर साइड पर दूदू से आगे ग्राम पंचायत मुख्यालय गेजी में निगम का स्वीकृत बस स्टाप नहीं है।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अजमेर रोड़ 6 लेन में तब्दील हो जाने के

(यातायात मंत्री)

कारण दूदू बस स्टाप की व्यवस्था बिगड़ गई है जिसके कारण निगम वाहनों के ठहरने पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में निगम द्वारा दूदू बस स्टाप पर सामान्य पारी में प्रातः 8.00 बजे से 16.00 बजे तक एक पत्रक वितरक का पदस्थापन किया हुआ है। जहां सर्वे करने पर पाया गया कि जयपुर से अजमेर की तरफ जाने वाली एवं दूदू बस स्टाप पर ठहरने वाली बसों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। ये बसें 5 से 10 मिनट के लिए दूदू बस स्टाप पर ठहरती हैं। परन्तु इस स्थिति में भी प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है।

(4) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग के 6 लेन बन जाने तथा फ्लाई ओवर निर्माण से दूदू बस स्टाप पर जयपुर से अजमेर जाने में बसें स्टेण्ड पर रुकती है परन्तु अजमेर से जयपुर/सांभर की ओर जाते समय वाहनें पुल के नीचे नरेना मोड पर यात्रियों को चढ़ाती/उतारती हैं। दूदू स्टैण्ड पर वाहनें न रोककर अनधिकृत स्थानों पर बसों को रोकने पर आकस्मिक निरीक्षण कर चालक/परिचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट "1"

बस स्टैण्ड दूदू पर (जयपुर-अजमेर मार्ग) बुक होकर जाने वाली वाहनों की सूची

वाहन सं.	समय	कहां से	कहां को	आगार का नाम
1547	07.30	जयपुर	आबूरोड़	आबूरोड आगार
1022	07.50	जयपुर	ब्यावर	ब्यावर आगार
1267	08.20	जयपुर	पाली	पाली आगार
0848	08.30	सांभर	अजमेर	अजमेर आगार
0082	08.40	जयपुर	पुष्कर	जयपुर आगार
3091	09.00	श्रीमाधोपुर	अजमेर	श्रीमाधोपुर आगार
1698	09.00	सांभर	अजमेर	अजमेर आगार
1763	09.40	देहली	अजमेर	अजमेर आगार
2211	10.20	मालपुरा	अजमेर	अजमेर आगार
292	10.20	जयपुर	ब्यावर	ब्यावर

वाहन सं.	समय	कहां से	कहां को	आगारा का नाम
845	10.30	जयपुर	फलौदी	फलौदी आगार
4767	10.30	जयपुर	अजमेर	अजमेर आगार
8749	11.00	जयपुर	अजमेर	जयपुर आगार
717	10.50	दौसा	पुष्कर	हिण्डौन आगार
1546	10.50	जयपुर	आबूरोड़	आबूरोड़ आगार
1954	11.50	देहली	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा आगार
2620	11.40	सीकर	उदयपुर	सीकर आगार
0799	12.00	श्री महावीरजी	श्रीनाकोडाजी	हिण्डौन आगार
3283	12.20	जयपुर	जोधपुर	जोधपुर आगार
2772	12.20	जयपुर	सिरोही	सिरोही आगार
4747	12.40	जयपुर	अजमेर	अजमेर आगार
4904	12.50	जयपुर	अजमेर	अजमेर आगार
0983	12.50	जयपुर	जालौर	जालौर आगार
2558	13.00	खेतड़ी	उदयपुर	खेतड़ी आगार
4906	13.20	जयपुर	अजमेर	अजमेर आगार
5161	13.50	जयपुर	पुष्कर	जयपुर आगार
1456	13.40	जयपुर	अजमेर	अजमेर आगार
4771	13.50	जयपुर	अजमेर	अजमेर आगार
0465	14.00	जयपुर	ब्यावर	ब्यावर आगार
4787	14.20	जयपुर	अजमेर	अजमेर आगार
3234	14.30	सांभर	अजमेर	अजमेर आगार
4756	14.30	जयपुर	अजमेर	अजमेर आगार
1403	14.30	जयपुर	पाली	पाली आगार

वाहन सं.	समय	कहां से	कहां को	आगारा का नाम
4765	14.40	बृदावन	अजमेर	अजमेर आगार
4760	14.50	भिवानी	अजमेर	अजमेर आगार
4754	15.50	अलीगढ़	अजमेर	अजमेर आगार
1206	16.00	जयपुर	नागौर	नागौर आगार
0457	16.00	जयपुर	ब्यावर	ब्यावर आगार

केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जयपुर परिसर में अतिक्रमण

761. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित सिन्धी कैम्प बस अड्डे के अन्दर परिसर में दुकानें/स्टालें किराये पर दी हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को किस-किस साइज की दुकानें किराये पर दी गई? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे की जगह पर अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस दुकानदार ने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाकर यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर स्थित सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड परिसर में 60 दुकानें लाइसेन्स दर पर दी गई हैं। दुकानों की साइज एवं अनुज्ञप्ति का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) बस स्टैण्ड परिसर में किसी भी दुकानदार ने अतिक्रमण नहीं कर रखा है।

(3) प्रश्न का उत्तर खण्ड "2" में दिया जा चुका है।

परिशिष्ट "1"

सीबीएस जयपुर पर आबंटित स्टालों का विवरण

क्रम सं.	नाम लाइसेन्सधारी	प्लेटफार्म सं.		क्षेत्र	स्टाल विवरण
1.	मै. बाउटरीच इण्टीग्रेटेड	प्रथमतल प्लेटफार्म	1	20x8-1/2 फीट	काल सेन्टर
2.	मै. गीता प्रेस साहित्य प्रचार	प्लेटफार्म नं.	1	20x8-1/2 फीट	बुक स्टाल
3.	श्री प्रताप सिंह सोनी	प्लेटफार्म नं.	1	20x8-1/2 फीट	जनरल स्टोर
4.	श्री मोहम्मद युसूफ (श्री मोहम्मद युसूफ)	प्लेटफार्म नं.	1	20x8-1/2 फीट	फल/ज्यूस स्टाल
5.	श्री दीपक वर्मा	प्लेटफार्म नं.	1	20x16 फीट	केन्टीन स्टाल
6.	श्री सुनिल कुमार सिंह	प्लेटफार्म नं.	1	10x17-1/2 फीट	क्लाकरूम
7.	श्रीमती कोमल बच्चानी	प्लेटफार्म नं.	1	5.1/2x12-1/2 फीट	बुक स्टाल
8.	श्रीमती बच्ची देवी	प्लेटफार्म नं.	1	4x4 फीट	एसटीडी/ पीसीओ
9.	रेल डाक सेवा कार्यालय	प्लेटफार्म नं.	1	20x27 फीट	डाकघर
10.	किशनचन्द (भोजनालय व पेय पदार्थ)	प्लेटफार्म नं.	1	20x27 फीट	भोजनालय
11.	श्रीमती सुशीला देवी	प्लेटफार्म नं.	1	4x4 फीट	एसडीडी/ पीसीओ
12.	उमदा बानो	प्लेटफार्म नं.	1	4x4 फीट	एसडीडी/ पीसीओ

क्रम सं.	नाम लाइसेन्सधारी	प्लेटफार्म सं.	क्षेत्र	स्टाल विवरण
13.	एचपीएमसी	प्लेटफार्म नं. 1	4x4 फीट	ज्यूस स्टाल
14.	न्यू केमवेयर	प्लेटफार्म नं. 1	6x5 फीट	वाटर मशीन
15.	पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीज	प्लेटफार्म नं. 1	4x4 फीट	ज्यूस स्टाल
16.	श्री गोमाराम	प्लेटफार्म नं. 1	4x4 फीट	एसटीडी पीसीओ
17.	श्रीमती पूर्णिमा माहेश्वरी	प्लेटफार्म नं. 1	4x4 फीट	एसटीडी पीसीओ
18.	श्रीमती भगवती देवी	प्लेटफार्म नं. 1	4x4 फीट	एसटीडी पीसीओ
19.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	प्लेटफार्म नं. 1	10x10 फीट	एटीएम
20.	—"—	प्लेटफार्म नं. 1	10x9 फीट	सूचना केन्द्र
21.	श्री अतुल शर्मा	प्लेटफार्म नं. 2	4x4 फीट	एसटीडी/ पीसीओ
22.	मो. इल्लियास	प्लेटफार्म नं. 2	8x6 फीट	प्रोविजनल स्टोर
23.	श्री जितेन्द्र कुमार	प्लेटफार्म नं. 2	8x6 फीट	ब्रेकफास्ट
24.	श्री मती मधु माथुर	प्लेटफार्म नं. 2	8x6 फीट	केन्टीन स्टाल
25.	श्री सुनिल आसीजा	प्लेटफार्म नं. 2	8x6 फीट	खिलौना/ इलेक्ट्रोनिक
26.	श्री अब्दुल रहमान	प्लेटफार्म नं. 2	8x6 फीट	बुक स्टाल
27.	श्रीमती उर्मिला माथुर	प्लेटफार्म नं. 2	8x6 फीट	जनरल स्टोर
28.	श्री रमेश कुमार	प्लेटफार्म नं. 2	5x5 फीट	नमकीन स्टाल

क्रम सं.	नाम लाइसेन्सधारी	प्लेटफार्म सं.	क्षेत्र	स्टाल विवरण
29.	श्री प्रदीप कुमार सोगानी	प्लेटफार्म नं. 2	8x6 फीट	फ्रूट/ज्यूस स्टाल
30.	श्रीमती अनिता बनवानी	प्लेटफार्म नं. 2	6x6 फीट	नमकीन स्टाल
31.	रामकिशोर माथुर	प्लेटफार्म नं. 2	8x6 फीट	केन्टीन स्टाल
32.	श्री निर्मल चन्द चड्डा	प्लेटफार्म नं. 2	4x4 फीट	वाटर मशीन
33.	श्रीमती मनीशा माथुर	प्लेटफार्म नं. 2	4x4 फीट	एसटीडी/ पीसीओ
34.	श्री चन्दन सिंह	प्लेटफार्म नं. 3		शौचालय मूत्रालय
35.	श्री जयकिशन	प्लेटफार्म नं. 3	10x6 फीट	पोपकोन/ नाश्ता
36.	श्री सुनिल आसीजा	प्लेटफार्म नं. 3	10x7 फीट	फ्रूट/ज्यूस स्टाल
37.	श्रीमती कृष्णा	प्लेटफार्म नं. 3	10x8 फीट	आईस्क्रीम/ कोल्ड्रीक्स
38.	पर्यटन सूचना केन्द्र	प्लेटफार्म नं. 3	6x8 फीट	सूचना केन्द्र
39.	जयपुर डेयरी बूथ	प्लेटफार्म नं. 3	8x8 फीट	सरस उत्पादन
40.	श्री सुरेश चन्द बुक स्टाल	प्लेटफार्म नं. 3	7x7 फीट	बुक स्टाल
41.	एचपीएमसी	प्लेटफार्म नं. 3	4x4 फीट	हिमाचल सेवरस
42.	श्री गोविन्द	प्लेटफार्म नं. 3	4x4 फीट	एसटीडी/ पीसीओ
43.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी	प्लेंटफार्म नं. 3	5x4 फीट	जनरल स्टोर

क्रम सं.	नाम लाइसेन्सधारी	प्लेटफार्म सं.	क्षेत्र	स्टाल विवरण
44.	श्री सुरेश शर्मा	प्लेटफार्म नं. 3	4x4 फीट	एसटीडी/ पीसीओ
45.	ग्रेनाटे एक्सपर्टस	प्लेटफार्म नं. 3	6x6x8 फीट	कॉफी/चाय
46.	जयपुर टेलीकाम	प्लेटफार्म नं. 3	8x8 फीट	साइबर कैफे
47.	श्री दिनेश शर्मा	प्लेटफार्म नं. 3	17x7-1/2 फीट	केन्टीन स्टाल
48.	श्री चैनसिंह	प्लेटफार्म नं. 3	4x4 फीट	एसटीडी/ पीसीओ
49.	श्री हरीश कुमार असरानी	प्लेटफार्म नं. 4	6x6 फीट	केन्टीन स्टाल
50.	श्रीमती तारादेवी	प्लेटफार्म नं. 4	6x4 फीट	टी स्टाल
51.	श्री जेठानन्द	प्लेटफार्म नं. 4	6x6 फीट	फल/ज्यूस स्टाल
52.	एच.पी.एम.सी.	प्लेटफार्म नं. 4	4x4 फीट	ज्यूस स्टाल
53.	नवीन शौचालय/ मुत्रालय	प्लेटफार्म नं. 4		सुविधाएं
54.	श्री जेठानन्द-निकासद्वार	प्लेटफार्म नं. 4	6x6 फीट	नाश्तास्टाल
55.	श्री हेमन्त रावत	प्लेटफार्म नं. 4	6x6 फीट	खिलौना/ इलेक्ट्रोनिक्स
56.	श्री सुनील आसीजा	प्लेटफार्म नं. 4	6x6 फीट	नमकीन स्टाल
57.	श्री मदनमोहन शर्मा	प्लेटफार्म नं. 4	6x6 फीट	ज्यूस स्टाल
58.	श्री संजय शर्मा	प्लेटफार्म नं. 4	6x6 फीट	जनरल स्टोर
59.	श्री श्याम सुन्दर	प्लेटफार्म नं. 4	10x10 फीट	रेडीमेड होजरी
60.	श्री मूलचन्द सैन	प्लेटफार्म नं. 4	6x6 फीट	हेयर ड्रेसर

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में माडा योजनान्तर्गत एनीकट निर्माण

762. श्री मुरारी लाल (बांदीकुई) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में माडा योजना के तहत कितने एनीकटों का निर्माण कार्य किया गया?

(2) क्या सरकार ग्राम भांवता-भांवती के नीचे सांवा नदी पर माडा योजना के तहत एनीकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्ष 2001-02 में विशेष केन्द्रीय सहायता 275(1) के अन्तर्गत भेदाडीमीना एनीकट लागत राशि 62.00 लाख का स्वीकृत हुआ था। एनीकट निर्माणाधीन है जिस पर अब तक 6.00 लाख रूपये व्यय हुआ है।

(2) ग्राम भांवता-भांवती के नीचे सावा नदी पर माडा योजना के तहत एनीकट बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बागीदारा विधान सभा क्षेत्र के अपूर्ण एनीकट

763. श्री जीतमल खांट (बागीदारा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदारा की पंचायत समिति बागीदारा, आनन्दपुरी में जनवरी, 2000 से जनवरी, 2005 तक कुल कितने एनीकट स्वीकृत किए गए और उनकी कुल लागत क्या थी?

(2) जो एनीकट प्रगति पर हैं उनमें सामग्री पेटे कितने राशि का उपयोग किया गया तथा कौन-कौनसी निर्माण सामग्री क्रय की गई?

(3) जो एनीकट प्रगति पर हैं उन हेतु 15 मार्च, 2005 तक श्रम पेटे कुल कितने मस्टररोल जारी किये गये? मस्टररोल की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जो एनीकट प्रगति पर हैं उन एनीकट निर्माण में मजदूरों

(श्री जीतमल खांट)

का भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो पाटियां कोदर, छाजा, वरेठ एनीकट हेतु मजदूरों को कितना और कब भुगतान किया गया? भुगतान किये गये मस्टररोल की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) पाटियां कोदर, वरेठ एनीकटों का भुगतान नहीं होने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) वर्ष 2000 जनवरी से जनवरी, 05 तक टीएडी विभाग द्वारा पंचायत समिति आनन्दपुरी में 3 व बागीदौरा में 16 एनीकट स्वीकृत किये गये कुल 19 एनीकट राशि 151.30 लाख की लागत के स्वीकृत किये गये जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है।

(2) पंचायत समिति आनन्दपुरी एवं बागीदौरा में क्रमशः 3 एवं 5 कार्य प्रगति पर हैं इन एनीकटों पर सामग्री पेटे राशि 2571825 का उपयोग किया गया जिसमें पत्थर मिट्टी रेत सीमेंट एवं लोहा इत्यादि सामग्री क्रय की गई। विवरण संलग्न प्रपत्र-ब पर नत्थी है।

(3) पंचायत समिति आनन्दपुरी ने 15 मार्च, 2005 तक श्रम पेटे कुल 96 एवं पंचायत समिति बागीदौरा ने 163 मस्टररोल जारी किए गए हैं जिसकी छाया प्रतियां सलंग्न हैं।

(4) पंचायत समिति आनन्दपुरी द्वारा सम्पादित बरेठ एवं छाजा एनीकटों के मजदूरों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। पाटिया कोदर एनीकट के मजदूरों का भुगतान फरवरी, 2004 तक का कर दिया गया है। भुगतानशुदा मस्टररोल संलग्न है।

(5) बरेठ एनीकट के श्रमिकों का भुगतान बकाया नहीं है। पाटिया कोदर एनीकट का बकेट टूट जाने से पंचायत समिति को द्वितीय किश्त का भुगतान रोका गया था। किन्तु श्रमिकों का भुगतान एक सप्ताह में कर देने के लिए परियोजना अधिकारी बांसवाड़ा व विकास अधिकारी आनन्दपुरी को पाबन्द किया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नैनवां पंचायत समिति के इन्दिरा आवासों का भौतिक सत्यापन

764. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत क्षेत्र समिधि, पंचायत समिति नैनवां ने वर्ष 1995 से अब तक कितने इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गए तथा उनमें से कितने निर्मित हुए तथा कितनों का भुगतान किस-किस तारीख को कर दिया गया एवं कितनों का भुगतान करना शेष है? नामजद सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भुगतान किये गये सभी इन्दिरा आवासों के निर्माण का सत्यापन कर भुगतान किया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में ऐसे कितने इन्दिरा आवास हैं जिनका निर्माण नहीं करने के बावजूद भी उनका भुगतान कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत क्षेत्र समिधि, पंचायत समिति नैनवां में वर्ष 1995 से अब तक 27 नवीन एवं 9 क्रमोन्नत आवास स्वीकृत हुए तथा 25 नवीन एवं 7 क्रमोन्नत आवास निर्मित हुए। सभी उपरोक्त स्वीकृत आवासों पर किये गये भुगतान का तिथिवार विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है। स्वीकृत आवासों में से जो आवास अपूर्ण हैं उन पर निर्मित कार्यानुसार भुगतान किया गया है। शेष भुगतान आवास का निर्माण पूर्ण होने पर किये जाने के प्रावधान अनुसार किया जावेगा।

(2) जी हां। सभी इंदिरा आवासों के निर्माण का सत्यापन संबंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के द्वारा किया जाकर भुगतान किया गया है।

(3) जी नहीं। निर्माण कार्य की स्थिति अनुसार ही भुगतान किया गया है।

परिशिष्ट –1

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थी का नाम	आवास का प्रकार	भुगतान की तिथि			आवास की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1995-96	फूलाबाई/नारायण महाजन, समीधी	नवीन	27.2.95	29.11.95	28.2.96	पूर्ण
2	1995-96	इन्दिरा/कजोड़ बैरवा, चावण्डपुरा	नवीन	15.5.96	20.1.97	9.7.97	पूर्ण
3	1995-96	किशकिन्दा/रवि शंकर ब्राह्मण, चावण्डपुरा	नवीन	10.1.96	28.2.98	5.6.96	पूर्ण
4	1995-96	राधा/भोलु बलाई, समीधी	नवीन	15.1.96	17.4.96	5.6.96 0.8.98	पूर्ण
5	1995-96	सोहनी/हरफूल मीना, समीधी	नवीन	15.1.96	10.9.96	29.8.98	पूर्ण
6	1995-96	गीता/हनुमान नाई, समीधी	नवीन	15.5.96	19.6.96	9.4.97	पूर्ण
7	1995-96	धन्नी/कल्याण बैरवा	नवीन	26.6.96	31.7.96	0	अपूर्ण
8	1996-97	समोदरा/नन्दा गूजर, समीधी	नवीन	26.6.96	16.7.96	6.8.97	पूर्ण
9	1996-97	कैलाशी/गोपाल खटीक, समीधी	नवीन	9.4.97	21.4.97	11.6.97	पूर्ण
10	1996-97	ग्यारसी/बजरंगा खटीक, समीधी	नवीन	28.5.97	1.7.97	6.11.98	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
11	1996-97	रामजानकी/भगवान ब्राह्मण, समीधी	नवीन	28.5.97	1.7.97	29.11.99	पूर्ण
12	1996-97	गीता/मोती शंकर ब्राह्मण, समीधी	नवीन	7.5.97	11.6.97	22.10.97	पूर्ण
13	1997-98	सुमित्रा/प्रहलाद नाई, समीधी	नवीन	3.8.98	18.12.98	1.9.99	पूर्ण
14	1997-98	कपूरी/प्रहलाद मीना, समीधी	नवीन	3.8.98	4.1.99	10.3.2000	पूर्ण
15	1997-98	कमला/सूरजमल बैरवा, समीधी	नवीन	3.8.98	1.9.99	17.6.2000	पूर्ण
16	1997-98	कनका/शिवराज धाकड़, चावण्डपुरा	नवीन	3.8.98	21.10.98	3.7.2000	पूर्ण
17	1998-99	राजा/छोटू लाल गूजर, समीधी	नवीन	17.12.98	27.11.99	25.7.2000	पूर्ण
18	1998-99	मनभर/टीकाराम मीणा, समीधी	नवीन	2.7.99	0	0	अपूर्ण
19	1999-2000	बिमला/जगदीश माली, समीधी	नवीन	13.12.99	3.7.2000	19.2.2001	पूर्ण
20	1999-2000	कैलाशी/श्योजी लाल बैरवा, समीधी	नवीन	13.12.99	10.3.2000	16.5.2000	पूर्ण
21	2000-01	लछमा/राधेश्याम गूजर, समीधी	नवीन	30.5.2001	7.9.2001	20.10.2001	पूर्ण
22	2000-01	रुकमणी/सांभाग नाई, समीधी	नवीन	9.6.2001	7.9.2001	20.10.2001	पूर्ण
23	2000-01	सुगना/श्योजी बैरवा, समीधी	नवीन	2.6.2001	31.7.2001	25.9.2001	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
24	2001-02	सीता/राम प्रसाद माली, समीधी	नवीन	5.3.2002	5.4.2002	5.6.2002	पूर्ण
25	2002-03	इन्दिरा/बुद्धि प्रकाश खाती, समीधी	नवीन	23.7.2002	2.9.2002	21.6.2003	पूर्ण
26	2002-03	रुकमणी/बाबू लाल, समीधी	नवीन	2.9.2002	11.6.2003	8.9.2003	पूर्ण
27	2003-04	सीता/राधेश्याम गूजर, समीधी	नवीन	28.4.2004	20.7.2004	22.9.04 20.12.04	पूर्ण
1	2000-01	गुड्डी/आशा राम मीना, समीधी	क्रमोन्नत	2.5.2001	31.7.2001	-	पूर्ण
2	2000-01	सुन्दर/मोरपाल मीना, समीधी	क्रमोन्नत	24.5.2001	9.10.2001	-	पूर्ण
3	2000-01	नाथी/अर्जुन माली, समीधी	क्रमोन्नत	7.5.2001	5.1.2002	-	पूर्ण
4	2000-01	रुकमणी/राधेश्याम नाई, समीधी	क्रमोन्नत	12.6.2001	12.12.2001	-	पूर्ण
5	2000-01	अनुराधा/विष्णु ब्राह्मण, समीधी	क्रमोन्नत	7.5.2001	7.9.2001	-	पूर्ण
6	2001-02	इन्दिरा/चतरभुज धाकड़, समीधी	क्रमोन्नत	24.4.2002	5.6.2002	-	पूर्ण
7	2002-03	कौशल्या/हनुमान बैरागी, समीधी	क्रमोन्नत	21.8.2002	21.2.2003	-	पूर्ण
8	2003-04	मोती/रामधन प्रजापत, चावण्डपुरा	क्रमोन्नत	23.2.2004	0	-	अपूर्ण
9	2004-05	पार्वती/प्रकाश मीना, नाहरी	क्रमोन्नत	22.9.2004	0	-	अपूर्ण

सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में कराये गये विकास कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

765. श्री नन्दलाल पूनिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में गत पांच वर्षों में स्थानीय विधायक विकास कोष कार्यक्रम के तहत कितने कार्य स्वीकृत किये गये? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण कराये गये तथा कितने अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कार्यों के अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे? क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त कार्यों में से कितने कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया तथा कितने कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया।

(5) जिन कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र कब तक जारी कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में गत पांच वर्षों में (1999-2000 से 2003-2004) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कुल 504 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। विभागवार स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत 504 कार्यों में से 475 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। 25 कार्य अपूर्ण हैं। स्वीकृत 2 कार्यों का अन्य योजना के तहत पूर्ण कराये जा चुके हैं। शेष 2 कार्य निरस्त किये जा चुके हैं। पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(3) अपूर्ण कार्य एवं कार्य के अपूर्ण रहने के कारणों का कार्यवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। अपूर्ण कार्यों को यथा शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जा.रहे हैं।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) उक्त स्वीकृत कार्यों में से सभी पूर्ण 475 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(5) पूर्ण हुए सभी कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं। जो कार्य अपूर्ण हैं वे पूर्ण होने पर उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिये जावेंगे।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा करवाये गये विकास कार्य

766. **श्री भरत सिंह (दीगोद)** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा में कितनी स्वयंसेवी संस्थाएं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कितने समय से कार्य कर रही हैं तथ इनका संचालन कौन करता है? संस्था का नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या किसी संस्था को विधायक कोष या सांसद कोष से कार्य करने हेतु राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो वर्ष 2003-04 व 2004-05 में कुल कितनी राशि किसके द्वारा किस कार्य हेतु आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि करवाये गये उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया? यदि हां, तो क्या किसी कार्य के गुणवत्ता के संबंध में सरकार को शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जिला कोटा में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 11 स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें से 2 संस्थाएं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत, 7 संस्थाएं एसजीएसवाई योजनान्तर्गत एवं 2 संस्थाएं जलग्रहण विकास कार्यक्रम में कार्यरत हैं। संस्थाओं का संचालन संस्था के निर्धारित नियमों/उप नियमों के तहत होता है। संस्थाओं के नाम, पता एवं कार्यरत अवधि का विवरण परिशिष्ट-1 से 3 पर उपलब्ध है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) दो संस्थाओं कृष्णा जनकल्याण समिति कोटा एवं जयहिन्द जलग्रहण एवं ग्रामीण विकास एसो. शाखा कोटा को वर्ष 2003-04 एवं 2004-2005 में सांसद कोष योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री रघुवीर सिंह कौशल, श्रीचन्द कृपलानी एवं श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा कुल 44,30 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। सांसदवार, वर्षवार एवं कार्यवार स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-4 पर अवलोकनीय है।

(3) जी हां, सम्पादित सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है। वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में किसी कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माखीदा (बूंदी) ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों पर हुए अतिरिक्त व्यय का समायोजन

767. श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में सामग्री परिवहन व श्रम की उपलब्धता की अलग-अलग दरों के कारण अनुमानित औसत राशि से अधिक व्यय की दशा में कार्यों के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों में सामग्री की अनुपलब्धता के कारण पानी, पत्थर आदि के परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या नियम निर्धारित हैं?

(3) क्या यह सही है कि कार्य के मूल्यांकन के समय संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को भी बुलाया जाता है अथवा सूचित किया जाता है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी निदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि किसी निर्माण कार्य के मूल्यांकन के समय

(श्री महीपाल सिंह यादव)

निर्माण स्थल पर मौजूद अप्रयुक्त सामग्री पर व्यय को भी मूल्यांकन में जोड़ा जाता है? यदि नहीं, तो इस बारे में क्या नियम निर्धारित हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि किसी कार्य पर वास्तविक व्यय की राशि एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई मूल्यांकन राशि में अंतर होने पर भी उसके समायोजन अथवा पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(6) क्या ग्राम पंचायत माखीदा, (केशवराय पाटन) जिला बूंदी द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों शाला भवन बगली तथा माखीदा, खरंजा निर्माण बहड़ावली शाला भवन खाखटा का मूल्यांकन करते समय भीतरी ग्रामीण क्षेत्र के इस निर्माण कार्य में परिवहन सामग्री श्रम आदि पर स्वभावतः अधिक आने वाले व्यय को भी वर्ष 2001-02 की आडिट रिपोर्ट में मूल्यांकित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब इस बाबत हुये खर्चों को जोड़ने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में सामग्री, परिवहन व श्रम का दरों को सम्पूर्ण विवरण ग्रा.का.नि-2004 की दर अनुसूची में अंकित है, जो कि उस जिले में प्रचलित श्रम, सामग्री एवं परिवहन लागत के आधार पर तय की जाती है। निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि, कार्य पर किया हुआ वास्तविक व्यय व मूल्यांकन में जो भी न्यूनतम राशि हो, का ही भुगतान अनुमत है।

(2) जी हां। ग्रा.का.नि.-2004 में जहां सामग्री का परिवहन अधिक दूरी से किया जाता है वहां सामग्री पर परिवहन व्यय अनुमति है। अधिक दूरी से परिवाहित सामग्री हेतु ग्रा.का.नि.-2005 के अनुच्छेद 11 में विस्तृत विवरण अंकित है।

(3) जी नहीं। ग्रा.का.नि-2004 में निर्धारित उपयोगिता एवं मूल्यांकन प्रमाण पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा प्रस्तुत करने पर कार्य का मूल्याकंन सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाता है। कार्य के मूल्यांकन के समय संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत की उपस्थिति हेतु पृथक से कोई दिशा निर्देश नहीं दिये गये हैं।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) जी नहीं। स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता अनुसार ही निर्माण सामग्री क्रय की जानी चाहिए। निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री का मूल्याकंन किये जाने का ग्रा.का.नि-2004 में कोई प्रावधान नहीं है।

(5) जी हां। ग्रा.का.नि.-2004 के अनुच्छेद-26 अनुसार।

(6) ग्राम पंचायत माखीदा (के.पाटन)) द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों शाला भवन बगती तथा माखीदा, खरन्जा निर्माण बहडावती शाला भवन खाकटा का मूल्याकंन विभिन्न समय-समय पर लागू ग्रा.का.नि. के प्रावधानानुसार विभाग द्वारा निर्धारित दरों (औसत परिवहन लागत सहित) पर किया गया है। जिसमें भीतरी परिवहन लागत भी शामिल है। वर्ष 2001-2002 की आडिट रिपोर्ट में कार्यों के मूल्यांकन एवं वास्तविक व्यय को आधार माना जाकर आडिट की गई है।

जिला मुख्यालयों पर राज्य बीमा कार्यालयों का कम्प्यूटराइजेशन

768. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या राज्य बीमा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य बीमा विभाग में कर्मचारियों के वेतन से काटी गई बीमा राशि एवं जी.पी.एफ. राशि की कटौती का अद्यतन इंद्राज नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में राज्य बीमा विभाग का कम्प्यूटराइजेशन नहीं हुआ है एवं लेखे पूर्ण नहीं हैं जिससे कर्मचारियों को ऋण एवं अंतिम आहरण लेने पर पूरी देय राशि का भुगतान नहीं हो पाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राज्य के सभी जिलों के राज्य बीमा कार्यालयों का कम्प्यूटराइजेशन कर लेखे पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार माह दिसम्बर, 2004 तक की प्रविष्टियां इसी वितीय वर्ष में पूर्ण करवाकर इसकी सूचना संबंधित कर्मचारियों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि जी.पी.एफ. के स्थाई आहरण लेने के संबंध

(श्री केसर देव बाबर)

में आवेदन किये गये माह तक के शेष को आधार मानकर स्थाई आहरण स्वीकृत करने के नियम हैं? यदि हां, तो इसकी पालना क्यों नहीं की जा रही? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) वर्तमान में स्थायी आहरण के लिए किये जाने वाले आवेदक को कब तक के शेष पर स्थाई आहरण स्वीकृत किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में विभाग के 16 जिला कार्यालयों पर नवीन कम्प्यूटर सिस्टम एवं अन्य उपकरण स्थापित है। जिला कार्यालयों में लेखे पूर्ण हैं, तथा कर्मचारियों को ऋण एवं अन्तिम आहरण लेने पर पूरी देय राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(3) विभाग के शेष सभी जिला कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा।

(4) बीमा योजना के संबंध में राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 6 के अनुसार बीमा निधि के लेखे प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक बंद करने का प्रावधान है एवं नियम 15 में प्रत्येक बीमेदार को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बीमा रिकार्ड बुक जारी करने एवं बीमा विभाग द्वारा प्रमाणित करने का प्रावधान है।

प्रा. नि. योजना के संबंध में राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी नियम 1997 के नियम 6(3) में निधि में खाते प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक बंद किये जाने एवं नियम 10(4) के अनुसार अभिदाता द्वारा पास बुक प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवर्ष विभाग द्वारा उसे प्रमाणीकृत एवं ब्याज प्रविष्टि किये जाने का प्रावधान है। यथा संभव कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।

(5) सामान्य प्रावधायी निधि नियम-16 से 19 की पूर्ण पालना की जा रही है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(राज्य बीमा मंत्री)

(6) वर्तमान में स्थाई आहरण हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को उसके खाते में जमा शेष पर स्थाई आहरण स्वीकृत किये जा रहे हैं।

(नियमों की प्रति विधान सभा पुसतकालय में रखी गई)

राज्य लाटरी विभाग का अन्य विभाग में समायोजन

769. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या अल्प बचत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विभिन्न राज्यों द्वारा लाटरी संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो किन-किन राज्यों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य में पुनः लाटरी शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राज्य लाटरी बन्द होने के कारण लाटरी विभाग को बन्द करने अथवा इसके कर्मियों का अन्य विभाग में समायोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक तथा नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में विभिन्न राज्यों द्वारा कोई लाटरी संचालित नहीं की जा रही है।

(2) जी नहीं। क्योंकि राज्य में लाटरी को अभी तक प्रतिबन्धित रखा गया है।

(3) राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार की राज्य लाटरियों का चालन बंद किये जाने के फलस्वरूप 15.10.1998 को लाटरी विभाग को बंद किया जाकर इसके कर्मियों का अन्य विभागों में समायोजन किया जा चुका है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न सं. 398 की सूची)

परिशिष्ट "क"

तहसील मुख्यालयों पर बने हुए खेल स्टेडियमों की सूची

क्र.सं.	स्टेडियम का नाम
1.	स्टेडियम अटरू, बारां
2.	स्टेडियम प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़
3.	स्टेडियम, सुजानगढ़, चूरू
4.	स्टेडियम, रतनगढ़, चूरू
5.	स्टेडियम,. शाहपुरा, जयपुर
6.	स्टेडियम, बिलाड़ा, जोधपुर
7.	स्टेडियम, फलौदी, जोधपुर
8.	स्टेडियम, नावां, नागौर
9.	स्टेडियम, डीडवाना, नागौर
10.	स्टेडियम, फतेहपुर शेखावटी, सीकर
11.	स्टेडियम, श्रीमाधोपुर, सीकर
12.	स्टेडियम, आबू पर्वत, सिरोही
13..	स्टेडियम सी.मा. वि. गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर
14.	स्टेडियम, खैरवाड़ा, उदयपुर
15.	स्टेडियम, राजलदेसर, चूरू
16.	स्टेडियम, गजसिंहपुरा, श्रीगंगानगर
17.	स्टेडियम, मकराना, नागौर

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बाड़मेर बालिका महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के द्वारा मेरे बाड़मेर क्षेत्र की बालिका महाविद्यालय बाडमेर में वाणिज्य विषय स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के अधीन महज एक ही बालिका महाविद्यालय होने के कारण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की अनेक बालिकाएं अध्ययनरत है। ऐसी स्थिति में उक्त महाविद्यालय के अधीन सभी प्रकार के विषय उपलब्ध होने पर ही पिछड़े क्षेत्र की बालिकाओं को आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बाड़मेर बालिका महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय जिसमें जीव विज्ञान भी सम्मिलित हो स्वीकृत करवाकर अनुगृहीत करवाएं जिससे मेरे क्षेत्र की बालिकाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके।

महोदय मेरे क्षेत्र में महिला चिकित्सकों की बहुत कमी है। जिससे भी दूर करने में बल मिलेगा और उपरोक्त विषय स्वीकृत हो जाते हैं। तो बालिकाए वाणिज्य के रूप में कार्य के माध्यम से आगे बढ़ सकती हैं। गणित व जीव विज्ञान विषय होने से डाक्टर व इंजीनियर भी बन पायेगी।

(श्री तगाराम चौधरी)

बाड़मेर

किशनगंज में सहरिया परियोजना द्वारा संचालित छात्रावासों की व्यवस्था

महोदय,

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में चल रही सहरिया परियोजना द्वारा संचालित छात्रावासों की सुव्यवस्थित व्यवस्था के बारे में ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं वर्तमान में बारां जिले में 7 सहरिया छात्रावासों में कुल स्वीकृत छात्र

(श्री हेमराज मीणा)

संख्या 500 है जिनमें वर्तमान में छात्र संख्या 467 है। इनमें कई छात्रावासों में तो निर्धारित संख्या में ज्यादा छात्र संख्या है जिससे वहां पर कई छात्र/छात्राओं को पूर्ण आवासीय सुविधाए उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। छात्रावासों में छात्रवास अधीक्षकों के पद रिक्त पड़े जनजातीय विभाग को कोई अधिकारी ही नहीं है। अधीक्षक की नियुक्तियां शिक्षा विभाग करता है। महिला छात्रावासों को चौकीदारों के भरोसे चलाया जा रहा है। इन्हें अपर्याप्त सुविधाओं में रहना पड़ता है कई छात्रावासों में तो इनको भोजन की पूर्ण मात्रा भी इनको नहीं मिल पाती है। इनके रहने के लिये बिस्तर, तख्ते अन्य सामान भी नहीं है। कई छात्रावासों में तो जो राज्य सरकार द्वारा सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है वह भी पूर्ण मिल नहीं पाती है। इन पर देखरेख के अभाव में .छात्रावासों की दुर्दशा बिगड़ती हुई जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार जल्दी ही इनमें पूर्ण सुविधाए उपलब्ध करवाये व जिन छात्रावासों में छात्र संख्या निर्धारित मापदण्ड से कम है वहां पर संख्या बढ़ाई जाये।

(श्री हेमराज मीणा)

किशनगंज

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बालेसर पंचायत समिति में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति बाबत

महोदय,

मैं आपका ध्यान वर्ष 2005-06 के बजट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा राज्य में 20 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है।

मैंने अपने पूर्व पत्रों द्वारा सरकार को गत एक वर्ष से निरन्तर निवेदन किया है कि मेरे क्षेत्र में आई.टी.आई. स्थापित करने हेतु बजट में प्रावधान करावें। अतः इस अवसर पर मैं सरकार को पुनः अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कोई भी इस प्रकार की संस्था अथवा संस्थान नहीं है जिससे क्षेत्र के नवयुवकों को तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके एवं रोजगार के अवसर प्रदान करवाए जा सकें।

विधान सभा चुनाव में मेरे द्वारा शेरगढ़ के निवासियों को औद्योगिक

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ करवाने का वायदा किया जा चुका है तथा राज्य सरकार की तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा प्रसार की नीति तथा रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के क्रम में भी यह अत्यावश्यक है।

गौरतलब है कि इस क्षेत्र से देश की सेवा हेतु काफी संख्या में जवान सेना में भर्ती होते है एवं उन्होंने देश के लिये शहादत भी दी है। अतः इन शहीदों की याद में इन परिवारों की सेवा में इस प्रकार का एक संस्थान इन्हें समर्पित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा।

मैंने अपने पूर्व पत्र दिनांक 16.3.2004 के द्वारा सरकार को संस्थान प्रारम्भ करने संबंधी विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित किये थे, जिस पर तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी कार्यवाही करते हुए क्षेत्र का औद्योगिक एवं शैक्षणिक सर्वे भी कर संस्थान खोले जाने के पोटेन्शियल बाबत अपनी अभिशंसा राज्य सरकार को प्रेषित की थी।

संस्थान में निम्न व्यवसाय प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं :-

1. इलेक्ट्रीशियन 2. फिटर 3. मैकेनिक डीजल 4. वेल्डर 5. कम्प्यूटर ऑपरेटर कम प्रोगामिंग असिस्टेंट 6. ड्राईवर कम मैकेनिक 7. इलेक्ट्रोनिक्स

(श्री बाबू सिंह राठौड़)

शेरगढ़

समाज कल्याण विभाग टोंक के जिला अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं के क्रम में

मान्यवर,

निवेदन है कि सहायक निदेशक जिला कार्यालय टोंक के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई एवं टोंक जिला मुख्यालय पर संचालित छात्रावासों के भवनों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से मौखिक निर्देशों का हवाला देते हुए निवाई विधान सभा मुख्यालय पर संचालित अनु. जाति छात्रावास को बिना किसी समक्ष अधिकारी की अनुमति के बदलकर निवाई के जमात एरिया में बदल दिया गया है। जिसके अधीक्षक के पद पर कनिष्ठ लिपिक जिला कार्यालय के कर्मचारी को लगा रखा है। इसी प्रकार अनु. जाति छात्रावास राहोली को श्री मोहनलाल बैरवा के भवन से बदलकर ग्राम के मध्य में बदल

(श्री हीरालाल)

दिया है। जिसमें पानी एवं भवन विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तथा भवन भी 35 छात्रों के रहने के लिये पर्याप्त नहीं है इसी प्रकार टोंक मुख्यालय में हरीजन छात्रावास संचालित है जिसे नवम्बर, 2004 में धन्ना तलाई टोंक में कागजों में संचालित होता था जिसे छात्रावास को तुरन्त बदलकर श्री नारायण बैरवा के भवन में बदल दिया गया। अतः स्पष्ट है कि उक्त तीनों छात्रावासों के भवनों को बदलने में सक्षम अधिकारियों की अनुमति ली गई है या नहीं। इसी क्रम में मेरा अनुरोध है कि जिलाधिकारी टोंक द्वारा मनमाने ढंग से भवनों को बदला गया है। जिसमें भ्रष्टाचार की भी सम्भावनाएं बनती हैं।

इसके साथ ही टोंक जिला मुख्यालय पर संचालित हरिजन छात्रावास जिसे प्रतिमाह 24 हजार प्रतिमाह 35 छात्रों की व्यवस्था हेतु भुगतान किया जाता है। दैनिक नवज्योति में दिनांक 11.4.2005 को प्रकाशित हुई थी कि हरिजन छात्रावास मात्र कांगजों में संचालित है इस छात्रावास की जयपुर से उप निदेशक श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा भी जांच की गई थी। जिसमें जिलाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाहीं नहीं की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मंडावर-टोंक मुख्यालयों विधान सभा क्षेत्र में आता है जब से यहां छात्रावास ग्राम पंचायत मंडावर-टोंक मुख्यालय पर संचालित केवल कागजों में संचालित है। मैं भी समय-समय पर मंडावर जन सम्पर्क हेतु बार विगत सवा साल के दौरान गया हूं। परन्तु आज तक वहां छात्रावास अधीक्षक ने ना तो सम्पर्क किया और ग्रामीणों ने भी छात्रावास मंडवर में संचालित बाबत अनुभिज्ञता जाहिर की गई है। अतः यह छात्रावास भी व्रिगत तीन वर्षों से कागजों में ही संचालित है तथा जिलाधिकारी द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कागजों में संचालित छात्रावासों की उच्चाधिकारियों से तुरन्त जांच कराई जावे। इसी प्रकार छात्रावासों को बदलने बाबत यदि बिना अनुभति के बदले गये हैं उन छात्रावास अधीक्षकों एवं जिलाधिकारी टोंक के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कराई जावे। जांच कराने से पूर्व जिलाधिकारी टोंक एवं छात्रावासों के अधीक्षकों को संबंधित छात्रावासों से हटाया जावे। ताकि जांच प्रभावित नहीं हो एवं भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके।

(श्री हीरा लाल)

निवाई

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों की दीर्घावधि से लम्बित समस्याओं के समाधान हेतु

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों एवं राजकीय तथा गैर राजकीय (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) महाविद्यालयों के शिक्षक अनेक वर्षों से अपनी समस्याओं के समाधान हेतु Ructa (राष्ट्रीय) के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए संगठन द्वारा शिक्षा मंत्री व उच्च शिक्षा के अधिकारियों से निरन्तरण शिक्षक हित में वार्ता की गयी है एवं अनेक बार ज्ञापन भी प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है, उससे उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों में भारी रोष एवं आक्रोष व्याप्त है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों की प्रमुख समस्याओं में वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमानों की पात्रता सेवा में पूर्व अन्यत्र की गयी सेवा का समावेश करना, महाविद्यालय शिक्षा में स्थायी निदेशक की शिक्षकों में से ही नियुक्ति करना, यू.जी.सी. वेतनमान की अविभाज्य व्यवस्था में पी.एच.डी/एम.फिल. उपाधिकारियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि के प्रावधान के राज्यादेश की वापसी को निरस्त कर पूर्व राज्यादेश को पुनः प्रभावी बनाना, अनुदानित महाविद्यालयों में कैरियर एडवांसमेंट योजना हेतु अनुदान जारी करना, अनुदानित महाविद्यालयों को पूर्ण एवं नियमित अनुदान प्रदान करना, विश्वविद्यालयों के अस्थायी शिक्षकों का नियमितीकरण, विश्वविद्यालयों में एक्स कैडर, प्रमोशन योजना को प्रभावी बनाना, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लाकर नियमित अनुदान, अनुदानित महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर रोक हटाना, चयनित वेतनमान में उच्चतम बिन्दु पर रुके शिक्षकों को उच्च वेतनमान प्रदान करना, अनुदानित महाविद्यालयों के लिये राजकीय महाविद्यालयों के लिए जारी आदेशों के अनुरुप ही एक साथ आदेश जारी करने की व्यवस्था को पुनः लागू करना, गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में ग्रेच्युटी भुगतान, पोलोटेक्निक महाविद्यालयों में कैरियर एडवांसमेन्ट योजना का लाभ महाविद्यालयों में रीडर पदनाम देना, गैर राजकीय महाविद्यालयों में अवैध सेवामुक्ति, राज्य में उच्च शिक्षा सेवा संवर्ग का गठन, आदि है।

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का आग्रह करता हूं।

(डा. ओ.पी. महेन्द्रा)

केसरीसिंहपुर

राजगढ़ (चूरू) की सड़कों की हालत सुधारने बाबत

महोदय,

राजगढ (चूरू) की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। किसी भी सड़क की हालत ठीक नहीं है। राजगढ-पिलानी, राजगढ़-झुन्झुनूं, राजगढ़-भादरा, रामपुरा-बहल, राजगढ़-वहल, झूम्पा-नांगल, वैरासर-मन्ड्रेला, नेसल-पिलानी आदि सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। सड़कों में जगह-जगह गड्डे पड़े हुए हैं सड़क चलने योग्य नहीं है। जीप, कार व बस वाले सड़क के बजाए कच्चे में चलना पसन्द करते हैं। महोदयाजी, झुन्झुनू राजगढ़ मार्ग पर जयपुर से जालन्धर मार्ग पर सबसे लम्बी दूरी मार्ग की बस चलती है जिसको राजगढ़ से झुन्झुनूं की दूरी 62 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करनी पड़ती है। इस सड़क की चौड़ाई 2 मीटर ही है जिसके किनारे टूट गये हैं जिस पर बस के टायर नहीं टिकते हैं बस निश्चित गति से नहीं चल सकती। महोदयजी इसी प्रकार राजगढ़ से बहल एक अन्तरराज्यीय मार्ग है जिसकी दूरी मात्र 22 किलोमीटर है जिसकी चौड़ाई भी 2 मीटर ही है। यह मार्ग बीकानेर दिल्ली का सीधा रास्ता है जिस पर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सरदारशहर, डूंगरगढ़, चूरू, के वाहन दिल्ली के लिए राजगढ़ बहल मार्ग से ही जाते हैं। क्योंकि इसकी दूरी कम ही है। इस मार्ग पर हरियाणा सीमा तक हरियाणा की सड़क चौड़ी है तथा ठीक है।

महोदयजी राजगढ़ (चूरू) हरियाणा सीमा में बहुत अच्छी सड़कें हैं लेकिन जब राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो उनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती। महोदयजी मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि सीमावर्ती इलाके की सड़कों की दशा सुधारने की कृपा करें।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

राजगढ़

भारत प्रसिद्ध तीर्थ नंगरी पगल्याजी के सामने शराब की दुकान हटवाने बाबत

महोदय,

भारत प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ नगरी ऋषभदेव में भगवान की विश्राम स्थली पगल्याजी के सामने आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकान खोलने का लाइसेन्स दिया गया है। जिससें वहां शराब की दुकान खुल गई है। विभाग द्वारा प्राचीन तीर्थ की अनदेखी करते हुए शराब की दुकान का लाइसेन्स जारी करने से ऋषभदेव व आसपास के क्षेत्र की जनता में भारी रोष है।

महोदयजी, इस संबंध में हम आपको निम्नांकित जानकारी प्रेषित कर रहे हैं :-

1. जैन सम्प्रदाय के प्रथम तीर्थकार व जनजन की आस्था का केन्द्र भगवान ऋषभदेव का यह प्राचीन मन्दिर करीब 500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। यहां जैन ही नहीं समस्त जाति धर्म के लोग भारत के कोने-कोने से इस तीर्थ नगरी में बहुत ही श्रद्धा व आस्था के साथ दर्शनार्थ आते हैं और विशेषकर यह क्षेत्र जनजाति का क्षेत्र है। कस्बे के चारों तरफ जनजाति के लोग निवास करते हैं उनकी भगवान ऋषभदेव के प्रति अटूट आस्था है और वे इन्हें कालाजी वावजी के रूप में अपना आराध्य देव मानते हैं।

2. मन्दिर में जो भगवान की प्रतिमा है उसके संबंध में माना जाता है कि यह प्रतिमा मन्दिर से करीब एक किलोमीटर दूर पगल्याजी जिसे भगवान की विश्राम स्थली कहते हैं। उक्त स्थान पर धूला भील के हाथों से भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा निकली थी तब से इसे भगवान की विश्राम स्थली कहा जाता है। उक्त पवित्र तीर्थ स्थली के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग ने इस प्राचीन तीर्थ स्थान के विकास हेतु एक करोड़ रुपये की राशि दी थी इस राशि से पगल्याजी का काफी विकास हुआ वहां भव्य गार्डन बनाया गया। फव्वारे आदि लगाकर इस स्थान को काफी मनमोहक बना दिया है। इस स्थान की कायापलट होने से बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस स्थान को मालिकाना हक देवस्थान विभाग का है। ऐसे पावन स्थान के ठीक रोड के सामने शराब की दुकान खोलने से इस क्षेत्र की जनता में भारी रोष है।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

3. पगल्याजी स्थान के भव्य व आकर्षक बनने से जहां एक और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है वहीं कस्बे में निवास करने वाले जिसमें महिलाए, पुरुष, वृद्ध काफी संख्या में शाम को भ्रमण पर आते हैं और वहां पर भगवान की प्रतिमा निकली उस स्थान पर प्राचीन मन्दिर बने हैं उन्हें लोग पूरी श्रद्धा के साथ अपना शीष झुकाते हैं। ऐसी स्थिति में यह शराब की दुकान खोलने से इस क्षेत्र की जनता की धार्मिक भावना पर कुठाराघात हुआ है वहीं दुसरी तरफ पगल्याजी का गार्डन शराबियों व असामाजिक तथ्यों का अड्डा बन गया है। वहां शराबियों व असामाजिक तत्वों द्वारा सरेआम गार्डन में शराब पीना चालू कर दिया है। कभी भी इन लोगों द्वारा बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों व घूमने जाने वाले लोगों के साथ कोई भी घटना घट सकती है साथ ही इस दुकान के आगे जनजाति बालिकाओं का आवासीय छात्रावास है जहां से छात्राए कस्बे के विद्यालय में अध्ययन करने जाती हैं ऐसी स्थिति में छात्राओं के साथ भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है। और इस दुकान के आस पास रहने वाले लोगों में भी असुरक्षा की भावना बनी रहती है। साथ ही इस दुकान के सामने संत समाज का सामुदायिक भवन भी बन रहा है। ऐसी स्थिति में आप श्रीमान से विशेष अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र के निवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए तत्काल इस शराब की दुकान को हटाने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

सहाड़ा

निजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट्शस के द्वारा नियम विरुद्ध फीस नहीं लौटाये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत राज्य सरकार एवं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट कर निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में सरकारी एवं निजी संस्थाओं में नर्सिंग कोर्सेज हेतु प्रवेश राज्य स्तर पर

(श्री केसर देव बाबर)

काउंसिलिंग के द्वारा किया जाता है और काउंसलिंग एक बार नहीं, दो और तीन बार भी होती है। प्रथम काउंसलिंग के समय यदि कोई विद्यार्थी आबंटित संस्थान में प्रवेश हेतु अपना शुल्क जमा करा देता है एवं बाद में दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में उसे अन्यत्र संस्थान में प्रवेश दे दिया जाता है तो पूर्व में आबंटित प्रथम निजी संस्था द्वारा उसे जमा कराई गई शुल्क की राशि वापिस नहीं लौटाई जा रही है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। कुमारी मंजू पुत्री श्री हरजीराम ने प्रथम काउंसलिंग के आधार पर इस वर्ष के लिए रघुकुल नर्सिंग स्कूल, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर, जयपुर में अपना शुल्क जरिये रसीद संख्या 399 दिनांक 31.1.2005 को जमा कराया था, बाद में द्वितीय काउंसलिंग के आधारर पर उसे अन्नपूर्णा नर्सिंग इंस्टीट्यूट, सीकर में प्रवेश हेतु अधिकृत किया गया। कुमारी मंजू सीकर स्थित अन्नपूर्णा इंस्टीट्यूट में नर्सिंग प्रशिक्षण लेना चाहती है और रघुकुल नर्सिंग स्कूल, जयपुर उसके द्वारा जमा कराई गई रुपये 35000/- की शुल्क की वापसी नहीं कर रहा है। जब कि अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 481 दिनांक 2.3.2005 के द्वारा समस्त निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को यह निर्देश दिये हैं कि आपके संस्थान के अभ्यर्थियों को अन्य राजकीय/निजी प्रशिक्षण संस्थान, द्वितीय काउंसलिंग में आबंटित कर दिया गया है, उनकी फीस एवं मूल दस्तावेज उन्हें तुरन्त लौटायें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को भिजवाए।

राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को निजी प्रशिक्षण संस्थाएं ताक पर रख रही हैं और कोई पालना नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में मां-बाप की गाढ़ी कमाई का पैसा यह निजी संस्थाएं अपने स्वार्थ हेतु बटोरने में लग रही हैं, तो क्यों नहीं ऐसी संस्थाओं की मान्यता समाप्त की जानी चाहिए, ऐसा मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी एवं राज्य सरकार से अनुरोध है। ऐसे अन्य कई प्रकरण और भी हैं जिनमें फीस वापिस नहीं लौटाई जा रही है।

अतः मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में आग्रह कर रहा हूं कि कुमारी मंजू पुत्री हरजी राम निवासी जिला सीकर को उसके द्वारा जमा कराई गई फीस रुपये 35,000/- तुरन्त वापिस करने के आदेश रघुकुल नर्सिंग स्कूल, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर जयपुर को दें एवं भविष्य में कोई भी निजी संस्थान इस प्रकार से अपनी मनमर्जी कर अभिभावकों के साथ

(श्री केसर देव बाबर)

अन्याय नहीं कर सकें, यह सुनिश्चित करने हेतु कठोर कदम उठाये जाने अपेक्षित हैं।

धन्यवाद, जय हिन्द।

(श्री केसरदेव बाबर)

लक्ष्मणगढ़

गोगुन्दा के चित्रावास माध्यमिक विद्यालय एवं बरवाड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय के बोर्ड परीक्षा केन्द्र कायम कराये बाबत

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा (उदयपुर) के अन्तर्गत दूर दराज आदिवासी अंचल की माध्यमिक विद्यालय चित्रावास को बोर्ड परीक्षा केन्द्र कायम कराया जाये, क्योंकि आसपास में उ.प्रा.वि. रावछ है, उ.प्रा.वि. कड़ेच, उ.प्रा.वि. पलांव उ.प्रा.वि. हायला है। यहां से भी 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए, 12 किलोमीटर छात्र/छात्राओं को दूर परीक्षा देने जाना पड़ता है तथा माध्यमिक विद्यालय चित्रावास के छात्र/छात्राएं भी 20 से 25 किलोमीटर दूर परीक्षा केन्द्र पर जाना पड़ता है। इसी तरह से उ.मा.वि. बरवाड़ा को भी आसपास के माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्रा.वि. को देखते हुए परीक्षा के केन्द्र कायम कराये जाने की महती आवश्यकता है। अतः कायम कराये जाये।

इसी तरह से उ.प्रा.वि. गायफल, उ.प्रा.वि. देवला चौराया, उ.प्रा.वि. रावलिया कला, उ.प्रा.वि. क्यारी, उ.प्रा.वि. झेड़, उ.प्रा.वि. पुनावली, उ.प्रा.वि. राव मादड़ा, उ.प्रा.वि. भादवीगुड़ा, उ.प्रा.वि. रावछ, उ.प्रा.वि.रा. खुर्द को क्रमशः क्रमोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय कराया जाये एवं मा.वि. जसवन्तगढ़ चित्रावास को क्रमोन्नत कर सीनियर मा.वि. कराये जाने की कार्यवाही इसी वित्तीय वर्ष में कराया जाये।

धन्यवाद।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

गोगुन्दा

दानपुर के क्रमोन्नत विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति बाबत

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र दानुपर में माध्यमिक विद्यालय खेड़ा बडली पाड़ा में जब से विद्यालय क्रमोन्नत हुई है, तब से वहां पर प्रारम्भिक विद्यालय के मात्र 3 अध्यापक कार्यरत हैं। इस विद्यालय में शत प्रतिशत एस.टी. के 250 छात्र हैं तथा यहां अध्यापक के अभाव में छात्रों का नुकसान हो रहा है।

अत: मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विद्यालय में विशेष आदेश से अध्यापकों की नियुक्ति करने की कृपा करें।

(श्री अर्जुन सिंह बामणिया)

दानुपर

जोधपुर जीरा मण्डी को भगत की कोठी में स्वचिलत करने बाबत

अध्यक्ष महोदया,

मैं आपके मार्फल माननीया मुख्यमंत्री महोदया एवं कृषि मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में जोधपुर जिले ही नहीं अपितु सम्भाग के किसानों को राहत पहुंचाते हुए जोधपुर मण्डी को विशेष्र मण्डी का दर्जा देना प्रस्तावित है एवं इसके अतिरिक्त एक और सौगात जीरा मण्डी के रूप में प्रदत्त की है, यह कदम वास्तव में एक सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदया मैं आपके मार्फत माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधुपर सम्भाग के किसान, व्यापारी, आम जन यहां तक कि मण्डी समिति के अधिकारियों तक को यह जानकारी नहीं है कि विशेष मण्डी के दर्जे से क्या-क्या सुधार मण्डी में होगा तथा क्या-क्या फायदा किसानों को व व्यापारियों को होगा। कृपया इसका खुलासा कराने का कष्ट करावें। अध्यक्ष महोदया मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि राजस्थान में जीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा जोधपुर सम्भाग के किसान ही करते हैं एवं यह किसान अपना जीरा गुजरात की ऊंझा मण्डी में बेचते हैं। बजट भाषण में माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने जोधपुर में जीरा मण्डी विकसित करने का वादा किया है, जो शीघ्र ही पूरा भी होगा। मेरा तो बस इतना ही निवेदन है कि कृषि विभाग इस मण्डी को भगत की कोठी साईड में विकसित करें क्योंकि इस क्षेत्र से पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर जिले के आवागमन का रास्ता है तथा इस क्षेत्र में वर्तमान में अनाज मण्डी भी चल रही है। इसके अतिरिक्त भगत की कोठी

(श्री मोहन मेघवाल)

मण्डी यार्ड के पास रेलवे की सुविधा, सुखा बन्दरगाह की सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र, एग्रोफुड पार्क आदि-आदि भी सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं। भगत की कोठी मण्डी यार्ड 65 नम्बर नेशनल हाई वे पर भी स्थित है। यानि कि इस मण्डी यार्ड पर सम्पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होने से जीरा मण्डी तेजी से विकसित होगी। जिससे मरु प्रदेश में राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खरीददार आ-जा सकेंगे। इससे इस मण्डी की उपयोगिता व सार्थकता सिद्ध हो जायेगी।

धन्यवाद।

(श्री मोहन मेघवाल)

परबतसर

सांभर को जिला बनाये जाने बाबत्

महादेय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि सांभर को जिला बनाने का प्रसंग आजादी के समय से ही विचाराधीन है। जब विभिन्न रियासतों को मिलाकर राजस्थान प्रान्त का गठन किया गया था उस समय सांभर को यह भरोसा दिलाया गया था कि जयपुर जिले में जब भी दौसा को अलग से जिला बनाया जाएगा तो साथ ही सांभर को जिला बना दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद दौसा के साथ-साथ राज्य के कई जिले बना दिये गये, लेकिन सांभर की हमेशा उपेक्षा होती रही।

सांभर में सांभर साल्ट्स लिमिटेड कार्यरत है और यहां पर उत्तर भारत में नमक की सबसे बड़ी मण्डी है। पर्यटन की दृष्टि से सांभर बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र है और यहां प्रतिवर्ष सितम्बर से मार्च के बीच 50 हजार से एक लाख साइबेरियन सारस सांभर झील के किनारे आते हैं जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। सांभर की कृषि उपज मण्डी उत्तर भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित मण्डियों में से एक है जहां बड़ी संख्या में कृषि जिन्सों की आवक होती है।

सांभर ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व वाला कस्बा रहा है। यहां के प्रमुख स्थलों में देवयानी सरोवर, सांभर झील किनारे शाकम्भरी माता का मंदिर, सांभर झील के बीच बनी संत दादूदयाल की छतरी, राजस्थान की

(श्री नवरतन राजोरिया)

एकमात्र जामा मस्जिद और ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता की दरगाह आदि ऐसे स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में धर्मावलम्बी आते हैं।

सांभर रेलमार्ग के द्वारा जोधपुर-जयपुर से जुड़ा हुआ है। यहां से पांच किलोमीटर की दूरी पर फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। शिक्षा व चिकित्सा के लिहाज से भी सांभर में पर्याप्त सुविधाएं हैं। यहां पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल मजिस्ट्रेट की अदालतें भी हैं।

प्रस्तावित सांभर जिले में 15.50 लाख से अधिक की आबादी है जो राज्य के अन्य राजस्व जिले, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर सहित राज्य के अन्य 15 जिलों से अधिक है। सांभर को जिला बनाने की मांग हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से ही लम्बित चली आ रही है और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदया से उम्मीद है कि छह दशक से चली आ रही उपेक्षा अब और नहीं होगी। सांभर को जिला बनाये जाने से राजस्थान सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं आएगा। प्रशासनिक पुनर्गठन के जरिये राज्य सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रस्तावित सांभर जिला मुख्यालय में कर सकती है। रही बात जिला मुख्यालय परिसर के लिए कार्यालय आदि व्यवस्था की तो इसके लिए सांभर की जनता सरकार को तमाम जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए भवन उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदया और माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि सांभर एवं आसपास के क्षेत्रों की जनता की मांग पर सांभर को जिला बनाये जाने के हर मानदण्ड को पूरा करता है और राज्य में जिला बनाने की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। अतः सांभर को जिला बनाने की कृपा करें।

(नवरतन राजोरिया)

फुलेरा

नर्मदा नहर परियोजना निर्माण में भारी अनियमितताओं के संबंध में

महोदय,

राजस्थान सरकार द्वारा नर्मदा नहर परियोजना सांचौर के मुख्य नहर निर्माण कार्य 7.88 किमी. से 51.50 किमी. तक नहर खुदाई, पक्के कार्यो का निर्माण व पेवर लाइनिंग कार्य मैसर्स गुडविल एडवार्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी कोट को राज्य सरकार के एग्रीमेन्ट न. 15 वर्ष 2001-2002 द्वारा सिंचाई विभाग की बी.एस.आर. 2001 से 13 प्रतिशत अधिक दरों पर स्वीकृत कर रु. 36,92,31,816/- का कार्य आदेश फर्म को देकर 1.3.2002 से कार्य शुरू कर 31.8.2004 को पूर्ण किया गया था।

फर्म द्वारा उक्त कार्य के लिए निविदा में दरें भरने से पूर्व टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एवं टेक्निकल बिड का अध्ययन किया गया तथा विभाग के साथ प्री बिड मीटिंग के दौरान बेचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सर, वाटर स्प्रे बॉय नोजल ऑन सबग्रेडि या किसी अन्य आइटम के निविदा में नहीं होने की जानकारी विभाग के ध्यान में नहीं लाई गई निविदा भरते समय भी कोई शर्त नहीं दी गई जिससे कि राज्य सरकार को निविदा 13 प्रतिशत अधिक दरें पर स्वीकृत करने में कोई दिक्कत आयें।

फर्म द्वारा दिनांक 1.3.2002 में कार्य शूरू करने के प्रश्चात पेवल लाइनिंग कार्य करने के दौरान आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए 24.8.2002 को मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा रुपये 1,81,34,490/- का एक्ट्रा आइटम पी.वी.सी. स्ट्रीप का स्वीकृत किया गया. फर्म या विभाग द्वारा उस समय भी बेचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सर, वाटर स्प्रे बाई नोजल आन सबग्रेड के एक्ट्रा आइटम की आवश्यकता महसूस नहीं हुई तथा फर्म द्वारा साइट पर कार्य चालू रखा गया।

विभाग द्वारा नर्मदा मुख्य नहर 64 से 74 किमी. तक तथा 51.50 से 64 किमी. तक के निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित की गई जिसमें बेचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सर, वाटर स्प्रे बाई नोजल आन सबग्रेड के आइटम सम्मिलित कर की गई जिसकी दरे फर्म द्वारा बी.एस.आर. 2000 से करीब 11 प्रतिशत से नीचे दी गई जिसका कार्य प्रगति पर है। यदि ये आइटम एग्रीमेंट

(श्री हेमाराम चौधरी)

नं. 15 वर्ष 2001-2002 में सम्मिलित होते तो निविदा की दर बीएसआर से कम आती जैसा कि किमी. 64 से 74 व 51-50 से 64 की निविदा दर बीएसआर से 11 प्रतिशत Below रही है।

फर्म द्वारा करीब कार्य पूर्ण होने पर विभाग को बेचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सर, वाटर स्प्रे बाई नोजल आन सबग्रेड आइटम को एक्ट्रा आईटम के रूप में भुगतान लेने के लिए मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग राजस्थान जयपुर को 27.8.2004 को मंजूरी हेतु भेजा गया जिसे मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा वापस अति. मु. अभियन्ता सिंचाई विभाग, राजस्थान जोधपुर को 22.5.2004 को लौटा दिया गया जिस पर फर्म द्वारा माननीय सिंचाई मंत्रीजी को एक्ट्रा आइटम के भुगतान करने के लिए आवेदन किया उस आवेदन पर मंत्रीजी द्वारा 1.3.2005 को एक्स्ट्रा आइटम के प्रस्ताव को स्टेंडिंग कमेटी में निर्णय हेतु भेज दिया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि एक्स्ट्रा आइटम बेचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सर, वाटर स्प्रे बाई नोजल सब ग्रेड की राशि मैसर्स गुडविल एडंवास कांस्ट्रक्शन कम्पनी कोटा को लगभग 5,56,83,300/- रुपये का अनुचित भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है।

अतः इस मामले का निर्णय स्टेंडिंग कमेटी से करवाये जाने पर तुरन्त रोक लगाई जाकर इस मामले को ए.सी.डी. को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

(श्री हेमाराम चौधरी)

गुढा मालानी

सदस्य-सूची

बुधवार, 20 अप्रैल, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या

क्रम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या